"भारतीय राजनीति में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का योगदान सन् 1970 से 1984 तक"

एक समीक्षात्मक मूल्यांकन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से पी-एच०डी० (राजनीति विज्ञान)
उपाधि हेतु प्रस्तुत

2002

शोध निदेशक
डॉ० महेश सिंह
रीडर-राजनीति विज्ञान विभाग
सी०एम०पी० महाविद्यालय
इलाहाबाद

शोधार्थी
लाल चन्द्र गुप्त
अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अतर्रा (बाँदा)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लालचन्द्र गुप्त, पी-एच0डी0 डिग्री हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से "भारतीय राजनीति में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का योगदान सन् 1970 से 1984 तक" विषय पर मेरे निर्देशन में आपके पत्रांक बुन्देखण्ड वि0वि0/शोध/97/10/00-02 दिनांक 06.11.1997 द्वारा पंजीकृत हुए थे। इन्होंने मेरे निर्देशन में वांछित अवधि तक कार्य किया है। ये मेरे पूर्ण संज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार शोध अभ्यर्थी का स्वयं कार्य है। शोध ग्रन्थ में दिये गये तथ्य एवं उपलब्धियाँ मौलिक हैं। मैं इनकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

शोध निदेशक

(डॉ0 महेश सिंह)

दिनांक : 02.5.03

रीडर-राजनीति विज्ञान विभाग

चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय

इलाहाबाद (उ0प्र0)

घोषणा-पत्र

यह घोषित किया जाता है कि पी-एच0डी0 उपाधि हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के विचारार्थ प्रस्तुत भारतीय राजनीति में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का योगदान सन् 1970 से 1984 तक, के विचार शीर्षक पर यह शोध मेरी मौलिक कृति है। कृति में उपलब्ध मार्गदर्शन एवं सुझावों का उपयोग किया गया है। जिसका यथास्थान उल्लेख किया गया है। यह भी घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत कृति अन्य व्यक्ति द्वारा, इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का अंश नहीं है।

शोधार्थी

दिनांक : 17.4.03

(लालचन्द्र गुप्ता)

एम0ए0 (राजनीति)

प्राक्कथन

प्रायः सभी लोग इस तथ्य से सहमत हैं कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी एक ऐसी राष्ट्रीय नेता थीं, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। विश्व की उन महान शासनाध्यक्षों में से एक थीं जिन्होंने भारत जैसे विशाल देश की बागडोर सम्भाली है, वह भी उस समय, जब वहाँ एक भारी तूफान उठा था। नेहरू के बाद कौन? इस प्रश्न चिन्ह को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री हटा भी न पाये थे कि उनका आकस्मिक निधन हो गया। और भारत अभी दो युद्धों, भारत-चीन तथा भारत-पाक के झंझावातों से मुक्ति भी न पा सका था कि राष्ट्रीय नेता के संचालन का उत्तरदायित्व श्रीमती गाँधी के कंधों पर आ पड़ा।

कांग्रेस विभाजन सन् 1969 में हुआ। विंभाजित कांग्रेस नेता के रूप में कुछ काल शासन करते हुए अपनी समाजवादी नीतियों के क्रियान्वयन में असफल रहने पर उन्होंने मध्यावधि चुनाव 1970 में कराये। बांग्लादेश मुक्ति आन्दोलन ने भारत सरकार के समक्ष आर्थिक व राजनैतिक समस्याएँ उत्पन्न कर दीं।

गुजरात तथा बिहार के छात्र आन्दोलन जय प्रकाश जी के सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती गाँधी के चुनाव को अवैध घोषित किया जाना, विरोधी दलों द्वारा राष्ट्रपति से गैर कानूनी सरकार की बरखास्तगी की माँग युवा तुर्क नेताओं की कांग्रेस के प्रति बगावत, प्रेस सेंसर, मीसा, कानून व्यक्तिगत स्वंतत्रता के अधिकार के अपरहण आदि परावर्ती घटनाओं ने श्रीमती गाँधी को विवादास्पद बना दिया।

आपातकालीन घोषण की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। कुछ ने इसे अनुशासन पर्व की संज्ञा दी तो कुछ ने इसे अधिनायक तंत्र का प्रारम्भ कहा। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक विकल्प बताया। संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद की अवधि बढ़ाई गयी। संजय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कुछ ज्यादतियाँ भी हुई। पुनः चुनाव की घोषणा हुई। कांग्रेस का उत्तर भारत में सफाया हो गया। इन्दिरा गाँधी और उनके पुत्र संजय पर अपनी स्थिति के नाजायज फायदा उठाने के आरोप लगाये गये। कांग्रेस का पुनः विभाजन हुआ। कुछ दिनों जेल में रहीं। चिकमंगलूर से मध्यावधि संसदीय चुनाव में यद्यपि विजयी हुई तथापि लोकसभा ने उन्हें कार्यकाल के लिए संसद से निष्कासित कर दिया। इधर जनता सरकार आन्तरिक कलह के फलस्वरूप तीन वर्ष में ही समाप्त हो गयी। श्रीमती गाँधी की कांग्रेस एक बार पुनः भारी बहुमत से विजयी हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री

पद सम्भाला।

ये सभी उतार–चढ़ाव इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि उनमें विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने का अद्‍भुत साहस था। निश्चय ही इन्दिरा जी का उच्चतम कोटि की राष्ट्रीय नेता के रूप में क्रम विकास अब एक गम्भीर अनुसंधान और विश्लेषण की अपेक्षा रखता है।

आर्थिक परतंत्रता से मुक्ति हेतु उनकी साहसी योजनाओं राजनैतिक जोड़तोड़ की चतुर और गहरी सूझबूझ दुपर्ष संघर्ष क्षमता के अक्षम कोष तथा राजनैतिक समस्याओं के समाधान के लिए सटीक निर्णय की अपूर्ण क्षमता ने उन्हें उच्चता के उस पद पर प्रतिष्ठित किया जहाँ भारत का कोई भी राजनेता अब तक नहीं पहुँच सका।

वास्तव में ऐसी जन्मजात नेता का व्यक्तित्व उनका राजनैतिक चिन्तन और क्रिया कलाप और गहरी छानबीन विश्लेषण और विवेचनात्मक अध्ययन के लिए राजनीतिशास्त्र के किसी भी अनुसंधान कर्ता को आकृष्ट करता है। अस्तु प्रस्तुत शोध विषय निश्चय ही प्रासंगिक है, जो निश्चय ही श्रीमती गाँधी तथा उनके समसामयिक राजनेताओं से सम्बन्धित हमारे ज्ञान की न्यूनता को पूर्ण करेगा।

इस शोध प्रबन्ध की पूर्णता में अपने ख्यातिलब्ध विद्वान निदेशक डॉ0 महेश सिंह, रीडर–राजनीति विज्ञान विभाग, अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा (बाँदा) वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय इलाहाबाद के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अमूल्य निदेशन गवेषणात्मक दृष्टि और पग–पग पर अपने संतुलित विचारों से इस प्रबन्ध को स्थान–स्थान पर परिष्कृत किया है। उनके परामर्श व सहयोग के बिना प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध का पूरा हो पाना असम्भव ही था।

मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 राज किशोर शुक्ल एवं डॉ0 आई0पी0 सिंह गौतम, विभागाध्यक्ष राजनीति विभाग, डॉ0 राजीव रतन द्विवेदी, डॉ0 किशन पाल यादव का मैं अपने इन सभी गुरुजनों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे सुझाव एवं सुदृढ़ मार्गदर्शन देकर यह शोध प्रबन्ध पूर्ण करने का दायित्व प्रदान किया।

मुझे इस शोध कार्य में इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद, दिल्ली के नेहरू संग्रहालय के निदेशकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने पुस्तकालयों में हमें अपने अध्ययन के लिए सुविधा प्रदान की और मेरा पूरा सहयोग किया। कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी, इलाहाबाद, कानपुर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, बाँदा राजकीय

पुस्तकालय, बाँदा, पं0 जवाहर लाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बाँदा महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट तथा अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा से जो सामाग्री और सहायता प्राप्त हुई है। इसके लिएं मैं इन पुस्तकालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभारी हूँ।

डॉ0 वी0पी0 सिंह एवं डॉ0 साधना चौरसिया व श्रीमन भरन प्रसाद द्विवेदी पर्यावरण विज्ञान संस्थान, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का आभार प्रकट करता हूँ इन्होंने मुझे इस शोध प्रबन्ध कार्य में समय-समय अवकाश एवं मार्गदर्शन कर मुझे उत्साहित किया है।

मैं अपने मामा श्री दयाराम जी गुप्त एवं मामा श्री भोला प्रसाद जी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे शोध प्रबन्ध की ओर आकृष्ट किया और समय-समय पर अपने इष्ट मित्रों से परामर्श कर मेरे शोध प्रबन्ध में अटूट सहयोग प्रदान किया तथा मामी श्रीमती सरोज गुप्ता को आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना सुझाव देकर मेरी रूचियों को जागृत एवं उत्साहित किया।

मैं अपने श्वसुर श्री सियाराम गुप्ता एवं कुमारी अंजू गुप्ता का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर शोध प्रबन्ध में सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मैं अपनी पत्नी श्रीमती सुमनलता गुप्ता एवं अन्य परिवार जनों का कृतज्ञ हूँ क्योंकि पारिवारिक कार्यो को वहन करते हुए भी समय निकाल कर इस कार्य में मेरी सहायता कर सभी ने अपना उत्तरदायित्व निभाया।

मैं अपने इस शोध में विधि कम्प्यूटर्स के श्री अखिलेश कुमार द्विवेदी एवं फोटोकापियर्स श्री अजय प्रकाश गुप्ता, अजय फोटो कापी सेन्टर बाँदा रोड, अतर्रा जिन्होंने स्वच्छता एवं सफाई के साथ कार्य कर उत्साह का परिचय दिया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।

शोधकर्ता

(लालचन्द्र गुप्ता)

अनुक्रमणिका

अध्याय – प्रथम

श्रीमती गाँधी का जीवन परिचय
एवं
क्रिया कलाप

प्रारम्भिक जीवन -

मानव जीवन की विकास क्रिया में उसके संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कारों की पृष्ठ भूमि विकास का प्रमाण बनाती है। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। अतः यह संस्कार एक जन्म के नहीं, अपितु जन्म – जन्मान्तर के होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के अन्दर पड़े हुए अनेक बीज, अनुकूल परिस्थिति एवं वातावरण पाकर स्वतः उगने लगते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजन्म के संस्कार, हमारी आत्मा के साथ सम्पृक्त होने के कारण दूसरे जीवन में अपने प्रभाव को व्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं रक्त प्रवाह के साथ आत्मा का जो अंश हमारे जीवन में घुल मिल जाता है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए प्रायः देखा जाता है, किन्हीं – किन्हीं बीमारियों के सम्बन्ध में चिकित्सक प्रायः वंश परम्परा में उस बीमारी की खोज करते है। स्पष्ट है, कि व्यक्ति के स्वअर्जित संस्कार एवं वंश परम्परानुगत से प्राप्त संस्कार ही उसकी जीवन विधायिनी क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं[1] इसी दृष्टि से प्रस्तुत सन्दर्भ में राजमहिषी इन्दिरा गाँधी पर पड़ने वाले संस्कार जनित एवं वातावरण जनित प्रभावों का विश्लेषण किया जा रहा है।

श्रीमती गाँधी का जन्म -

कमला और जवाहर की एक मात्र सन्तान इन्दिरा जी का जन्म 19 नवम्बर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। पितामह पं0 मोतीलाल जी ने इस बच्ची का नाम अपनी माँ के नाम पर "इन्दिरा" रखा। जवाहर और कमला अपनी बेटी का नाम "प्रियदर्शनी" रखना चाहते थे, क्योंकि इसका मतलब देखने में प्रिय होता है, इसलिए उनका नाम "इन्दिरा" "प्रियदर्शनी" रखा गया। वे सभी जो उसे प्यार करते थे, या उसके निकटतम मित्र थे, उसे "इन्दू" के नाम से पुकारने लगे। पं0 मोतीलाल जी की पत्नी श्रीमती स्वरूप रानी ने जब सुना कि बच्ची हुई तो उनके मुँह से अनायास निकला "अरे" होना तो लड़का चाहिए था।" वह चाहती थी कि उनके इकलौते लाल के घर लड़का हो। उस पर पं0 मोतीलाल ने कहा था "जवाहर की वह बेटी हजारों बेटों से सवाई होगी।"[2]

मुबारक अली जो पंडित मोतीलाल जी के मुन्शी थे, जिनका परिवार में एक बुजुर्ग की तरह सम्मान था। इन्दू के जन्म के पूर्व उन्हें कैन्सर हो गया था। सभी उनकी सेहत के लिए चिन्तित थे। वे अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहे थे। वे चाहते थे कि मृत्यु से पूर्व वे जवाहर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर आर्शीवाद दें।

उन्होंने जब बच्चे को देखा तो आँखों से स्नेह के आँसू उनकी सफेद दाढ़ी पर लुढ़क गये। उन्होंने कहा – मुबारक हो, भाई और भाभी साहिबा। अल्लाह का फजल हो उस बच्चे पर, दुआ करता हूँ, कि जिस तरह हम सबके प्यारे जवाहर ने अपनी शान में इजाफा किया उसी तरह यह भी अपने बालिद और नेहरू खानदान का नाम रोशन करें।[3] मुंशी जी को बता दिया गया था कि वे जिस बच्चे को वे आर्शीवाद दे रहे हैं, वह बच्ची है, फिर भी वह उसे मोतीलाल नेहरू का पोता मानकर ही आसीसतें, बलायें देते, और दुआएं देते रहें।

इसी के समान उनके लिए कवित्री, सरोजिनी नायडू का भी आर्शीवाद था, जिन्होंने बधाई के अपने तार में नवजात शिशु को भारत की नई आत्मा[4] बताया था। इनके पीछे क्या शक्ति थी, जिसने एक ओर एक बृद्ध आत्मा एवं दूसरी ओर एक कवित्री के मन को ऐसा झकझोरा कि अनायास ही उनके मन से निकले हुए शब्द इतने सत्य निकले कि आज भारत का एक – एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि इन्दिरा भारत की वह आत्मा है, जिनसे सभी को कालान्तर तक शक्ति एवं प्रेरणा मिलती रहेगी।

श्रीमती गाँधी एवं उनके पूर्वज -

इन्दिरा जी उस परिवार की अन्तिम कड़ी थी, जो न केवल सुख – समृद्धि के लिए अपने युग का परम विख्यात परिवार था, अपितु जो अपने राष्ट्र प्रेम, त्याग, तपस्या तथा बलिदानी प्रवृत्ति के कारण देश में कोटि कोटि पुरूषों के लिए उनकी श्रद्धा व सम्मान का केन्द्र था। उनके पूर्वज पं0 राजकोल कश्मीरी पंडित थे, जिनकी प्रतिभा, विद्वता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर औरंगजेब के पोते फर्रूखसियर ने पंडित जी से दिल्ली चल कर रहने का

आग्रह किया था। पं0 राजकोल ने फर्रूखसियर के उदार चरित्र से प्रभावित होकर सपरिवार दिल्ली आ बसे। कश्मीरी कोल का यह परिवार जो नहर के किनारे एक आलीशान हवेली में, जिसे शंहशाह ने उन्हे जागीर के साथ उपहार के रूप में भेंट किया था, सपरिवार रहने लगा। नहर के किनारे रहने के कारण यह परिवार दिल्ली में कोल नहर के नाम से मशहूर हुआ। कालान्तर में कोल नहर का कोल नेहरू और समय के साथ – साथ आगे चलकर यह परिवार सिर्फ नेहरू के नाम से ही जाना जाने लगा।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध में रत रहना भी नेहरू परिवार के पूर्वजों की धरोहर है। उनके पूर्वज पं0 जवाहर लाल नेहरू के परदादा पं0 लक्ष्मी नारायण नेहरू ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दरबार में अन्तिम मुगल सम्राट के वकील थे। 1857 के विद्रोह में मुगलों के साथ देने के पर्वज में उनके बेटे श्री गंगाधर जी जो कि मुगल राज्य के दिल्ली के कोतवाल थे और मुगलों का साथ देते थे, के परिवार की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और उन सभी को बहुत से शरणार्थियों के साथ दिल्ली से भागना पड़ा। इस तरह से इन्दिरा जी के परदादा गंगाधर नेहरू दिल्ली छोड़कर आगर में आ बसे।[8] उनके क्रमशः तीन पुत्र थे नन्दलाल, वंशीधर और मोतीलाल, वंशीधर जी न्याय विभाग की सेवा में थे, जिनकी सेवायें स्थानान्तरित होती रहती थी। उनके पिता जी की मृत्यु जल्दी हो चुकी थी। अतः पारिवारिक जिम्मेदारी नन्दलाल जी के ऊपर आ पड़ी। वे प्रारम्भ में राजस्थान में खेतड़ी रियासत के दीवान थे। और इन्हीं दिनों उनके छोटे भाई पं0 मोतीलाल नेहरू का जन्म, 6 मई 1861 में हुआ। इस प्रकार पं0 मोतीलाल जी के लालन पालन का भार भी नन्दलाल जी पर आ पड़ा। 10 वर्ष पश्चात् नन्दलाल जी ने रियासत की दीवानी से त्यागपत्र देकर आगरा में वकालत की शिक्षा ग्रहण की और वहीं हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। जब वहां से उठकर अदालत इलाहाबाद में चली आयी तब से यह पुरातन नगर नेहरू परिवार का घर बन गया।"[9]

दादा पं0 मोतीलाल नेहरू :

इन्दिरा जी के बाबा पं0 मोतीलाल नेहरू जी की शिक्षा – दीक्षा अपने बड़े भाई नन्दलाल जी के प्रत्यक्ष प्रभाव में हुई। उस समय भारत में अंग्रेजी सभ्यता का पूरा प्रसार हो चुका था। अतः मोतीलाल जी पर अंग्रेजी सभ्यता वातावरण का पूरा प्रभाव था। उन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने के बाद कानपुर कचेहरी में कुछ दिनों तक वकालत की ओर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने चले आये। पं0 मोतीलाल जी अपने जमाने के प्रख्यात बैरिस्टर थे। उनकी कानून की बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उनकी वकालत अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी और उनका यश पूरे देश में फैल गया।[10]

पं0 मोतीलाल जी पर पश्चिमी प्रभाव का पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता था, क्योंकि उन्हें शुरू से ही पश्चिमी तौर तरीके व भेशभूषा पसन्द थी।[11] उनके रहन सहन का ढंग पूर्ण रूप से विलायती था। इलाहाबाद में रहकर ही आपने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा जिसने "आनन्द भवन" के नाम से अद्यावधि ख्याति अर्जित की।[12]

सन् 1889 में जिस वर्ष पं0 मोतीलाल जी इकलौते पुत्र जवाहर का जन्म हुआ, उस समय वह उतने सम्पन्न नहीं थे, वह शहर के अन्दर पक्के मोहाल में रहते थे। 1890 के बाद के वर्षों में कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी, परिणामतः वह सिविल लाइन्स में रहने चले गये। जहां यूरोपियन और यूरेशियन लोग रहते थे। यहीं विरासत सम्बन्धी हिन्दू कानून के ज्ञान के कारण लाखन रियासत में उत्तराधिकार के एक मुकदमें में उन्हें बहुत सा रूपया मिला, जिससे 1900 में उन्होंने आनन्द भवन को खरीदा।[13]

इसी वर्ष उनकी एक बेटी स्वरूप का 1900 में जन्म हुआ।[14] जिसका घर का नाम "नान" था। जो बाद में चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक सफल नेत्री के रूप में उभर कर सामने आयीं और भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार के उच्च पदों में जैसे – राज्यपाल, राजदूत आदि पर आसीन होकर सफलतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत का नाम

उज्ज्वल किया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्षा के पद को भी सुशोभित किया था।

"आनन्द भवन" तत्कालीन समय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उस जमाने के फैशन के अनुसार बिक्टोरियन साज समाज से सज्जित उनका शाही दीवान खाना देश – विदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भरा रहता था, जिसमें नामी वकील, प्रसिद्ध कलाकार, चोटी के खिलाड़ी, और मोतीलाल जी के मुवक्किल राजा महाराजा भी होते थे। इस प्रकार उन दिनों आनन्द भवन सामाजिक जीवन का केन्द्र ही बन गया था।[16]

मोतीलाल नेहरू जी अनुशासन के मामले में सहज और आज्ञाकारिता के मामले में कठोर स्वामी एवं शासक थे। उनके तीनों बच्चों पं0 जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित एवं श्रीमती कृष्ठ हठी सिंह का लालन पालन बड़े कठोर अनुशासन में हुआ था, जवाहर के अंग्रेज ट्यूटर थे 'मि0 फर्डीनांड टी ब्रूक्स'[17] नान– विजय लक्ष्मी पंडित व कृष्णा की अंग्रेज गवर्नेस थी, मिस हूपर, जिनकी संरक्षता में इन बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा सम्पन्न हुयी।[18]

पिता जवाहर लाल :

युवा जवाहर लाल का लालन पालन एक राजकुमार की तरह हुआ था और 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी की बहुत सी विख्यात पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। बाद में मोतीलाल जी ने उन्हें अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड भेज दिया था। 7 वर्ष रहने के पश्चात् वे वहां से बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत वापस आये[19] और इलाहाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। बावजूद कि इसके कि उनका लालन पालन पश्चिमी सभ्यता के पूर्ण प्रभाव में हुआ था और वे अंग्रेजों के प्रशसंक भी थे, उन्हें अंग्रेजों के हेकड़ व्यवहार एवं भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के बर्ताव का पूर्ण ज्ञान था। इसलिए राष्ट्रीय विचारों से ओत प्रोत उनका मन इस बात के लिए प्रयत्नशील

था कि जैसे ही बड़े हो भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद छेड़कर भारत को स्वतंत्र करायें।[20]

"इस प्रकार इन्दिरा जी के पैतृक एवं मातृ दोनो ही परिवार कुलीन थे, और उन्हें दोनो ही कुलों की श्रेष्ठतम परम्परायें विरासत में मिली थी। उनके पिता सुन्दर और अति संवेदनशील, परम विद्वान और बुद्धिशाली तथा उच्च ध्येय के प्रति समर्पित आदर्शवादी व्यक्ति थे। मां परम सुन्दरी "बज्रादीप कठोराणि मृद्निकुसमादीप" की साकार मूर्ति स्वाधीनता के उसी उच्चतम् ध्येय के प्रति लगनशील वीरांगना थीं। दादा प्रख्यात वकील अदम्य इच्छाशक्ति वाले और संकट के समय सैकड़ों हजारों की सहायता के लिए तत्पर उदार हृदय पुरूष थे, दादी इतनी मनस्वी थीं कि दुर्बल स्वास्थ्य के बावजूद बुढ़ापे में भी क्रान्तिकारी कार्य में हमेशा अग्रसर रहीं। इन्दिरा जी का मातृ कुल भी उतना ही संस्कारशील और उच्च परम्पराओं वाला था। उनके नाना जवाहरमल अपने समय के दिल्ली के प्रमुख और सम्मानित व्यापारी थे, और सुन्दर इतने थे कि देखने वालों की भूख प्यास मिट जाती थी। नानी भी वैसी हीं आकर्षक, सहानुभूति प्रवण और सभी की प्यारी थीं।

प्रारम्भिक शिक्षा - दीक्षा एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग -

ऐसे अस्त व्यस्त जीवन में इन्दिरा जी की शिक्षा भी अस्त व्यस्त रही। प्रारम्भ में उन्हें एक व्यक्तिगत स्कूल में भेजा गया जो कि किसी यूरोपियन स्त्री के द्वारा संचालित था, किन्तु 1926 में उनकी माता को एकाएक बीमारी के कारण स्विटजरलैण्ड जाना पड़ा जहां से उन्हें जिनेवा भेजा गया। इन्दिरा जी अपने माता पिता के साथ थी। अतः उन्हें कुछ दिनों के लिए "लाइकोले इण्टरनेशलन" में भर्ती करा दिया गया। उनके बाद उन्हें दूसरे स्कूल बेक्स में, इकोले नौबेल में, भर्ती कराया गया।[29] सन् 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के लिए पं० जवाहर लाल नेहरू जी भारत लौटे तो इन्दिरा जी भी उनके साथ वापस आ गयीं। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद के सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट में भर्ती कराया गया, जहां वे तीन वर्ष तक पढ़ी। इस स्कूल में इन्दिरा जी संतुष्ट नहीं

थी, क्योंकि वहां पर सभी शिक्षक एग्लोइण्डियन थे। उनका व्यवहार इन्दिरा जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे भारतीयों की राजनैतिक गतिविधियों की हमेशा आलोचना करते थे।[30]

इसी बीच नेहरू जी ने भी यह निणर्य लिया कि अपनी बच्ची को शिक्षित करने में उन्हें भी हांथ बटाना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि लगातार परिवर्तन के कारण इन्दिरा जी की शिक्षा में रूकावट आयी और उन्होंने यह शिक्षा का कार्य अपने पत्रों द्वारा किया। के0 अब्बास से इन्हें करेस्पाण्डेन्स कोर्स की संज्ञा दी। नेहरू अक्सर जेल में ही रहते थे। अतः उन्होंने अपनी पुत्री को पत्रों द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। जो उन्होंने अपने विस्तृत अनुभवों के आधार पर प्राप्त की थी। यह पत्र बाद में संकलित रूप से प्रकाशित किये गये।[31]

"पिता के पत्र पुत्री के नाम" में उन्होंने महान आत्माओं जोन् आफ आर्क, लेनिन एवं महात्मा गांधी के चरित्रों से राष्ट्रीय सेवाओं की प्रेरणा ग्रहण करने का जोर दिया तो, विश्व इतिहास की झलक में विश्व की तमाम भ्रान्तियों, भारतीय संस्कृति एवं शासन की संक्षिप्त एवं संतुलित व्याख्या की है।[32]

लागातार बड़ों के साथ गरम राजनैतिक वातावरण में रहने के कारण इन्दिरा जी की रूचियां अपनी उम्र के बच्चों से सर्वथा भिन्न प्रकार की थीं वह काफी प्रौढ़ हो गयी थीं। राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मतलब वह समझती थीं। और उन्हें यूरोप की राजनीति की भी थोड़ी बहुत जानकारी थी।[33]

1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था। इन्दिरा जी की माता श्रीमती कमला नेहरू का भी राजनीति के प्रति रूझान कुछ कम न था, क्योंकि नेहरू जी जब प्रारम्भ में राजनीति में आना चाहते थे, तो उनके परिवार के सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया था। उस समय नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू ने ही पं0 जवाहर लाल नेहरू जी को राजनीति में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका श्रेय कमला जी को ही है, कि नेहरू जी भारतीय राजनीति में इतने महान नेता बने। कमला नेहरू भी 1 जनवरी 1931

को गिरफ्तार की गयीं थी।[34] जिन दिनों इन्दिरा जी इलाहाबाद में कान्वेन्ट में पढ़ रही थी। उन दिनों की बात है कि नमक सत्याग्रह आन्दोलन के समय एक एक स्कूल में ध्वजारोहण समारोह था। फिरोज भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। झण्डा फहराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। फिरोज ने भारतीय झण्डे का सम्मान बनाये रखने के लिए झण्डा इन्दिरा जी के हाथों मं दिया यह कहकर कि "इसे गिरने मत देना"।[35]

उस समय इन्दिरा जी बहुत उत्तेजित हो उठी थीं और इस वक्त पर गर्व भी अनुभव कर रही थीं कि भारतीय झण्डे की शान व सम्मान उनके हाथों में ही है। भीड़ भाड़ व धक्का मुक्की में यद्यपि इन्दिरा जी गिर पड़ीं और उन्हें थोड़ी चोट भी आयी किन्तु उन्होंने जैसे कसम खायी थी कि भारतीय झण्डे को ऊँचा रखना है, उसे गिरने नहीं दिया। झण्डा किसी अन्य व्यक्ति ने सम्भाल लिया। लाठी सहने का उनका यही पहला अनुभव था। शायद यही से उनके अन्दर यह भावना जाग्रत हुई, अपने देश व राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है।[36]

सन् 1931 में इन्दिरा जी का प्रवेश पूना के स्कूल में हुआ। इस स्कूल का नाम था "चिल्ड्रेन्स ओन स्कूल" जिसे एक वकील दम्पति चलाते थे। यह स्कूल किंडर गार्डन तक ही था, बाद में स्कूल का नाम "प्यूपिल्स ओन स्कूल" कर दिया गया। पूरे स्कूल में इन्दिरा जी बहुत सक्रिय थी। वह वहां की साहित्य सभा की मंत्री भी थी।

गांधी जी ने जब अपना अनशन प्रारम्भ किया उस समय इन्दिरा जी व उनके सहयोगी भन्गियों की बस्ती में जाकर न केवल सड़के वगैरह ही साफ करते बल्कि भन्गियों के बच्चों की भी सेवा करते थे।[38]

इन्दिरा जी का यह दृढ़ विश्वास था कि पूना के स्कूल ने उन्हें इतना आत्मनिर्भर कर दिया था, कि उन्हें शान्ति निकेतन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं अनुभव हुई।[39] वकील दम्पति बहुत दिनों शान्ति निकेतन में काम कर चुके थे। वहां के वातावरण से पूर्णरूप से परिचित थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं शान्ति निकेतन :-

1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के तीन माह बाद इन्दिरा जी शान्ति निकेतन के "विश्व भारती" में भर्ती हुयी। पं0 जवाहर लाल जी गुरूदेव टैगोर के व्यक्तित्व से पूर्ण रूपेण परिचित थे और अनुभव करते थे, कि शान्ति निकेतन की शिक्षा के बिना इन्दिरा जी की शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य से इन्दिरा जी को शान्ति निकेतन के विश्व भारती में भर्ती किया गया। इन्दिरा जी का यह विश्वास था कि विश्व भारती में जाकर ही उनके अन्दर आत्मिक ज्ञान जाग्रत हुआ। रवीन्द्र नाथ टैगोर इन्दिरा जी के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। एक बार उन्होंने नेहरू जी को लिखा था कि इन्दिरा जी की प्रशंसा सभी शिक्षक एक स्वर से करते हैं और छात्रों के मध्य भी बहुत प्रिय है। शान्ति निकेतन में इन्दिरा जी ने पूरा एक वर्ष बिताया। शान्ति निकेतन में ही रहकर इन्दिरा जी की रूचि नृत्य, गायन व चित्रकला की ओर विकसित हुयी, क्योंकि रवीन्द्र नाथ टैगोर स्वयं बहुत बड़े कलाकार थे।[40]

गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के व्यक्तित्व से इन्दिरा जी बहुत अधिक प्रभावित थीं। जब वे शान्ति निकेतन में पढ़ती थीं। उनका कहना था –

गुरूदेव सर्वकालिक थे। वे हमारी अतीत की परम्परा से जुड़े थे, फिर भी आधुनिक थे। उनमें समातन व अधुनातन का संगम था उनमें विश्वात्मा और स्थानीयता एकाकार हुये थे।[41] इसलिए गुरूदेव ने अपने महाविद्यालय का नाम विश्वभारती रखा था। रवीन्द्र नाथ टैगोर की यह हार्दिक इच्छा थी कि विश्वभारती में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र विश्व मानव बने, उसका ऐसा व्यक्तित्व हो जो संकीर्णता से परे हो, और कहे कि सारी दुनियां मेरा घर है ओर सारे मानव मेरे भाई है। इन्दिरा जी को इस बात का गर्व था कि उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले महान विचारक गुरूदेव के महाविद्यालय का छात्रा हूँ। उनको अटूट विश्वास था कि "विश्वभारती में पढ़कर ही उनके जीवन को एक नयी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिला। इन्दिरा जी की भाँति "विश्वभारती को भी इस

बात का गर्व था कि ऐसी प्रतिभा सम्पन्न लड़की उनके महाविद्यालय की छात्रा है।

कहना न होगा कि उक्त मानवीय गुणों के कारण ही प्रिय छात्रा को 1966 में "विश्वभारती" द्वारा दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आपने दीक्षान्त समारोह में विश्वभारती को एक ऐसी संस्था बताया, जहां भारतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति में अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है।

5. राजनीति में प्रवेश :-

इन्दिरा जी का जन्म ही उस समय हुआ जब पूरा परिवार राजनीति में पूर्णरूप से सक्रिय एवं देश की आजादी के लिए हर कुर्बानी करने को तत्पर था। ऐसी स्थिति में यह कहना कि इन्दिरा जी ने कब और कैसे राजनीति मे प्रवेश किया, बड़ा कठिन है। फिर भी अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्दिरा जी की शिक्षा, राजनीति में रूचि और उनमें पदार्पण होना यह सब साथ – साथ चलता रहा। राजनीति में इन्दिरा जी कब सक्रिय हुयी। इसका अभास उनको स्वयं भी नहीं था। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मृदुल साराभाई का कहना है कि शायद इन्दिरा जी जब 8 या 9 वर्ष की थीं, तभी सूत कातने वालों की एक टोली बनायी थी। इन्दिरा जी ने महात्मा गांधी से पूछा था कि, देश की आजादी की लड़ाई में क्या वह योगदान दे सकती हैं। गांधी जी ने उन्हें सूत कातने वाला एक दल बनाने का सुझाव दिया। और उनका नाम "बाल चरखा संघ" रखा गया।[44]

6. बानर सेना का गठन :-

सन् 1930 तक इन्दिरा जी की प्रतिभा का विकास इतना हो चुका था कि उनके हृदय में कांग्रेस के सैनिक के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देने का अदम्य उत्साह हिलोरे लेने लगा। पं0 नेहरू ने उनकी बाल्यावस्था का ध्यान करते हुए उन्हें ऐसा करने से मना भी किया। किन्तु

उनके संकल्प से उन्हें कोई विचलित न कर सका। इन्होंने एक बानर सेना का संगठन किया, जिससे देश भक्ति का पादप त्याग और बलिदान के जल से सिंचित हो कर शाखा और प्रशाखाओं के रूप में लहलहाने लगा। इन्दिरा जी के संरक्षण में संचालित बानर सेना के मुख्य कार्य थे – राष्ट्रीय झण्डे सिलना और सजाना, लोगों के लिए खाना बनाना, रैलियों और बैठकों के समय लोगों को पानी पिलाना, जो कैदी लिखने में असमर्थ थे। उनकी ओर से चिठ्ठियों को लिखना और पुलिस लाठी चार्ज में घायल हुए कांग्रेसी सेवादल के स्वयं सेवकों की प्राथमिक चिकित्सा करना आदि।

इन्दिरा जी बानर सेना में स्वयं अपनी बैठकें किया करती थी ओर जुलूस निकाला करती थीं। इस दल में ऐसे बच्चे थे, जो गरीब थे, सड़कों पर खेला करते थे। वे ऐसी सूचनाएं देते थे कि आज कौन गिरफ्तार होने जा रहा है, या उसके घर पर छापा पड़ने वाला है ।गुप्त रूप से ये सारी सूचनाएं बानर सेना सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंचा देती थी। प्रारम्भ में बारन सेना द्वारा किये गये कार्यों का लोगों द्वारा मजाक ही बनाया गया फिर बाद में सभी ने यह महसूस किया कि आजादी की लड़ाई में बानर सेना का योगदान कम नहीं था। इसी के बाद इन्दिरा ने "नमक सत्याग्रह" कार्यक्रम में भी भाग लिया।

7. लाहौर अधिवेशन एवं इन्दिरा :-

आन्दोलनों के वर्षों में 1929 का वर्ष भी कुछ कम महत्वपूर्ण न था। कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और पं0 जवाहर लाल उसके अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में "पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गयी। प्रस्ताव को जब पढ़ रही थीं, तभी पं0 जी ने उनसे ठीक से पढ़ने को कहा और जब वह पढ़ चुकी तो बोलीं, कि अब इससे तुम बचनबद्ध हो। उस प्रस्ताव में होमेनियन स्टेटस व पूर्ण स्वराज्य आदि बातों की मांग रखी गयी थी, जिससे इन्दिरा जी को पूर्ण स्वराज्य की मांग सबसे उचित व अर्थपूर्ण लगी।[46]

इस अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है, कि इन्दिरा जी अपनी शिक्षा के दौरान ही राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी जब वे आक्सफोर्ड के

समरबिले कालेज में पढ़ती थीं, तभी, जब भी वह लन्दन जातीं, इण्डिया लीग के लिए काम करती थी। इण्डिया लीग के संचालक श्रीकष्ण मेनन थे। इन्दिरा जी, कभी भारत की रूपेन सहायता समिति के लिए, तो कभी चीन सहायता समिति के लिए चन्दा जमा किया करती थीं। और इस प्रकार सक्रिय राजनीति की प्रथम पाठशाला में उनका प्रवेश हो चुका था।

8. विवाह सम्बन्ध :-

26 मार्च, 1942 को इन्दिरा जी व फिरोज गांधी शादी के पवित्र बन्धन में बंध गये।[47] आपकी शादी के तुरन्त बाद इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। फिरोज गांधी भी एक गतिशील समाज सेवी एवं भारत की आजादी के लिए लालायित थे। अतः पति व पत्नी दोनों ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया।

इन्दिरा जी ने अपने विवाह के पश्चात् इलाहाबाद में अपना छोटा सा अलग मकान लिया और उसके आधे हिस्से को आफिस की तरह इस्तेमाल के लिए रखा।

9. भारत छोड़ो आन्दोलन एवं इन्दू :-

मई 1942 में महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' का अपना नारा लगाया, फलस्वरूप 9 अगस्त को महात्मा गांधी, पं0 जवाहर लाल नेहरू तथा सम्पूर्ण कांग्रेस कमेटी गिरफतार कर ली गयी। इन्दिरा जी इस समय लाल बहादुर शास्त्री के निर्देशन में काम कर रहीं थी। शास्त्री फिरोज गांधी और अन्य लोगों ने भूमिगत हो जाने का फैसला किया। इन्दिरा जी बचपन से निर्भीक व निडर थी, अतः उन्होंने खुलेआम निर्भर होकर काम शुरू कर दिया। वह सरकार विरोधी साहित्य व आन्दोलन के लिए रूपये पैसे के इन्तजाम करने में जुट गयीं। एक दिन अचानक उन्हें यह सूचना मिली कि वह गिरफ्तार की जाने वाली हैं। इन्दिरा जी ने उसकी खबर फिरोज गांधी को दी थी। फिरोज गांधी ने यह कहा कि खामोशी से गिरफ्तार होना समझदारी नहीं है। एक सभा तो करनी चाहिए।

इन्दिरा जी की सभा में रोक लगा दी गयी। किन्तु सभी पाबन्दियों के बावजूद आप सभा करने में सफल हो गयीं। जैसे ही इन्दिरा जी का भाषण शुरू हुआ। सभी गोरे सिपाही संगीन तान कर उनकी ओर झपटे। संगीन उनके जिस्म को छूने लगी। यह सब दृश्य फिरोज गांधी देख रहे थे। उत्तेजना में यह भी भूल गये कि वे भूमिगत हैं, फिरोज गांधी ने सिपाही से कहा 'या तो बन्दूक चलाओं या भाग जाओ'।

उन राजनैतिक हलचलों के कारण सितम्बर में इन्दिरा गांधी जी एवं फिरोज गांधी भी गिरफ्तार कर लिये गये और जेल भेज दिये गये। इन्दिरा जी की गिरफ्तारी से गोरे सिपाही भी बड़े दुःखी थे। इन्दिरा जी की गातों को सुनने से वह इतने द्रवित हो गये कि उन लोगों ने अपने किये की मांफी मांगनी शुरू कर दी। सिपाहियों ने अपने साफे इन्दिरा जी के कदमों पर रख दिये। उनमें से कुछ रो पड़े, बोले हम क्या करते, यह फर्ज था।

7 अगस्त, 1942 को 'अखिल भारतीय कांग्रेस समिति' की बैठक बम्बई में हुई। पं0 जवाहर लाल नेहरू, फिरोज गांधी व इन्दिरा गांधी जी इस बैठक में भाग लेने के लिए बम्बई में पहले से पहुंच गये। 'भारत छोडो' प्रस्ताव जब 8 अगस्त को पारित हो गया तो उसी समय पं0 जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि, बड़े – बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये।[49]

'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी, पं0 जवाहर लाल नेहरू आदि नेता गिरफ्तार हो चुके, तो उसके तुरन्त बाद इन्दिरा जी ने दूसरी बार यह मौका दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाये। [50]

10. *प्रथम जेल यात्रा :-*

अंग्रेजी सरकार द्वारा सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गयी लेकिन इन्दिरा जी ने इस निषेध आज्ञा को तोड़ने की ठान ली। उस समय पर्चे बगैरा तो छापे नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने मुंह जबानी प्रचार करके ही सभा करना प्रारम्भ कर दिया था। कानोंकान खबर करने का यह तरीका बहुत कारगर साबित हुआ। बड़ी संख्या में लोग उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठा

हो जाते थे। ब्रिटिश सरकार के विरोध के बावजूद भी इन्दिरा जी ने अपना भाषण देना जारी रखा इन भाषणों के दौरान इन्दिरा व फिरोज गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया।[51] उन दिनों जेल यात्रा भी बड़े गौरव की बात समझी जाती थी। कई दिनों बाद इन्दिरा जी ने अपने उस स्थिति का वर्ण करते हुए स्वयं कहा था। 'मैने फैसला कर दिया था कि मुझे जेल जाना ही होगा। उसके बिना बहुत कुछ अधूरा ही रह जाता, इसीलिए अपने गिरफ्तारी पर मुझे बहुत खुशी हुई। [52]

12 सितम्बर, 1942 को इन्दिरा गांधी को उनके पति फिरोज गांधी के साथ इलाहाबाद के पास नैनी जेल में भेज दिया गया। उस जेल में उनकी बुआ और अन्य कई रिस्तेदार पहले से ही बन्दी थे। 12 सितम्बर से लेकर 12 मई, 1943 तक वे जेल में ही रहीं और इस बीच में जेल वे प्रतिदिन अपनी डायरी लिखती रहीं। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 13 मई 1943 को वह अपनी बुआ नान विजय लक्ष्मी पंडित के साथ रिहा कर दी गयी। अगरस्त 1943 को जब फिरोज गांधी जेल से रिहा हुये, तो वह अपने पति के साथ इलाहाबाद में ही रहने लगी।[53]

11. राजीव गांधी का जन्म :-

जनवरी 1944 के आरम्भ में इन्दिरा गांधी के पहली बार मां बनने के आसार दिखायी दिये। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं यह लिखा था कि मां बनने की इच्छा उनकी प्रबल थी। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने शादी की थी। उन्होने आगे यह भी लिखा है कि – स्त्री की पूर्णता तभी सार्थक है, जब वह मां बन जाती है, अगस्त 1944 में इन्दिरा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजीव रखा गया। यह राजीव उन्होंने अपनी मां श्रीमती कमला नेहरू के नाम पर रखा क्योंकि राजीव का अर्थ कमल होता है। बेटे का पूरा नाम राजीव रत्न रखा। रत्न का भी अर्थ वही था, जो जवाहर का।

अतः इन्दिरा जी ने अपने बेटे का नाम अपने माता पिता के नाम पर ही रखा।[54]

राजीव के जन्म की खबर जवाहर लाल नेहरू की उनकी बहन कृष्णा हटी सिंह ने तार द्वारा भेजी। जो उस समय अहमद नगर किले में बन्द थे। जवाहर ने लिखा 'खबर पाकर मुझे खुशी हुयी। तुम्हारे जितना उत्साह नहीं था क्योंकि भावनाओं में बह जाना मेरे स्वभाव में कम ही है। परिवार में किसी नये सदस्य का जन्म हमेशा पुरानी यादों को जगा देता है, और अपने बचपन की और दूसरे के जन्म लेने की बात याद आती है।'

सन् 1944 के अन्त तक मित्र राष्ट्रों की सेनायें जर्मनी के विरूद्ध अपने अधिकांश मोर्चे पर पराजित करती हुयी आगे बढ़ रही थी। 2 मई 1945 को सर्वप्रथम रूसी लाल सेनाएं, जर्मनी की राजधानी बार्लिन में प्रविष्ट हुयी। 9 मई 1945 को जर्मनी की नाजी सरकार ने हथियार डाल दिये। युद्ध समाप्त होते ही मई 1945 में जवाहर लाल नेहरू जेल से रिहा कर दिये गये।

जून 1945 में इन्दिरा जी अपने पिता जवाहर लाल के साथ शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की कार्यकारिणी और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। वायसराय लार्ड बेवेल के भरसक प्रयासों के बावजूद भी शिमला सम्मेलन सफल न हो सका। इसका मुख्य कारण था, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का हठधर्मी होना।[55]

शिमला सम्मेलन के बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग की। 26 जुलाई 1945 को लार्ड किलीमेन्ट एटली के प्रधानमंत्रित्व में मजदूर दल सत्तारूढ़ हुआ। एटली की सरकार ने भारत में ऐसी संविधान निर्मात्री परिषद के चुनाव का आदेश दिया जो हमारे देश को स्वराज्य प्रदान कर सके।[56]

12. साम्प्रदायिक दंगे एवं इन्दिरा :-

जवाहर लाल जी ने सरकार बनाने का वायसराय का निमंत्रण स्वीकार ही किया, कि कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को दंगो की भीषण आग धधक उठी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही के लिए यही दिन निर्धारित किया था। सत्य और अहिंसा के प्रचारक गांधी जी अकेले इस आग को बुझाने के

लिए और मैत्री का अपना सन्देश लेकर गांव – गांव दौड रहे थे। 3 जून 1947 को लार्ड माउन्टबेटन ने भारत के विभाजन की योजना बनाई। 18 जुलाई के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त का उत्सव अभी खतम भी न हो पाया था, कि पंजाब में 50 लाख हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियों के कत्ले आम की नई खबर ने दिल्ली में दंगा भड़का दिया। अपनी सुरक्षा की चिन्ता किये बिना ही इन्दिरा जी, शरणार्थियों की सेवा के लिए जुट गयी। इन कठिन परिस्थितियों में इन्दिरा जी हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और इसाइयों में भाईचारा बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किया और पंडित परिवारों के घर घर पहुंची।[60]

30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देहावसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इन्दिरा जी को काफी दुःख हुआ। इन्दिरा जी ने राष्ट्रपिता की अस्थियों का विसर्जन विभिन्न पवित्र नदियों में किया।

13. *प्रथम राजकीय यात्रा (अमेरिका प्रवास) :-*

अक्टूबर 1949 में इन्दिरा जी ने अपने पिता के साथ प्रथम राजकीय यात्रा पर अमेरिका गयी।[61]

इन्दिरा जी अपने पिता प्रधानमंत्री नेहरू के साथ कामनबेल्थ के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने, कई बार आयीं, जिसमें 1949 का वर्ष भारत के लिए एक मुख्य भूमिका अदा करता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में भारत को एक प्रभू सत्ता सम्पन्न गणराज्य घोषित होना था, और भारत उसका सदस्य तभी रह सकता था, जबकि ब्रिटिश कामनबेल्थ आफ नेशन्स का नाम केवल कामन बेल्थ आफ नेशन्स रह जाता है। पं0 नेहरू की कूटनीति एवं क्लेमेन्ट एटली एवं उनकी लेबर सरकार की दूरदर्शिता से यह समस्या हल हो गयी। अब से यह बात तय हो गयी कि स्वतंत्रता राष्ट्रों के इस स्वतंत्र संगठन (Free Association of Independent Nations) की एकता के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश राजा कामबेल्थ ऑफ नेशन्स का अध्यक्ष होगा, और भारत

की सम्प्रभुता अपने में निर्विवाद होगी। इन्दिरा गांधी इन तमाम कार्यकर्ताओं में अपने पिता के साथ एक राजनैतिक शिक्षार्थी की भाँति रहीं।

दूसरा महत्वपूर्ण अवसर जब इन्दिरा जी नेहरू के साथ 1953 में रानी एलिजाबेथ के राज्यारोहण में ब्रिटेन गयीं, उन्हें वहां पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह भारत विरोधी था, और अनेक अवसरों पर भारत विरोधी टिप्पणियां की थी। इन्दिरा जी से वार्ता को प्रारम्भ करते हुए इस बूढ़े शेर ने एक प्रश्न किया –

"Is not it stronge that we should be talking as friends, when we hated each other such a short while ago, but sir Winstion, we did not hate you, said Indra politely he was old and one must not be rude to old people, But he turned on her and said :but I did, I did and then aded but I don't now, she also recalls that on the some occasion churchill referred to her father as, the man who has Conquesed hatred and fear " A tribute indeed [62]

इतने महान व्यक्तित्व से वार्ता के समय इन्दिरा जी की स्पष्टता, जहां उनके निर्भीकता का प्रमाण थी, वहीं इस बात का द्योतक भी थी, इन्दिरा जी मानव प्रेम सिद्धान्त से ओत प्रोत थीं, ओर उनमें अपने तर्कों द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता विद्यमान थी।

1950 में इन्दिरा जी अपने पिता पं० जवाहर लाल नेहरू के साथ 17 यार्क वाला प्रधानमंत्री निवास छोड़कर तीन मूर्ति भवन में आ गयी। पिता जी के साथ रहते हुए वे न केवल उप समितियों की सदस्य भी थीं। 1951 में इन्दिरा जी ने कई अफ्रीकी राष्ट्रों की यात्रा करके भारत की वैदेशिक नीति पर काफी प्रभाव डाला। सन् 1952 के चुनाव में इन्दिरा जी ने भारत के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिये देश व्यापी दौरा किया। इस यात्रा में उन्होंने विमान, रेल, मोटर, हांथी और बैलगाड़ी तक सभी वाहनों का प्रयोग किया। इसी वर्ष इन्दिरा जी कांग्रेस चुनाव समिति की सदस्या चुनी गयीं।[63]

इंग्लैण्ड से लौटने के बाद 1953 ही में वे अपनी निजी यात्रा के रूप में सोवियत संघ गयी। इस यात्रा से उन्होंने वहां के न केवल जन – जीवन को

देखा, बल्कि कई मित्र भी बनाये। इसी के अगले साल वे अपने पिता के साथ चाइना गयीं। जहां उन्हें साम्यवाद के विभिन्न पहलुओं – रूसी एवं चाइनीज साम्यवाद की क्षमता के तुलनात्मक अध्ययन का अवसर मिला और उन्होंने उससे जो ज्ञान अर्जित किया, उसके आधार पर, जब भारत में चाइना के प्रधानमंत्री आये, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने पिता को चाइना के भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति उसके मैत्रीपूर्ण इरादों पर संशय व्यक्त किया।[64]

इसमें कोई शक नहीं कि यदि इन्दिरा गांधी के विचारों के सन्दर्भ में नेहरू द्वारा भारत – चीन सम्बन्धों का सर्वेक्षण किया जाता है। तो 1962 में चीन द्वारा भारत की जो पराजय हुयी, वह न होती इन्दिरा जी की राजनैतिक परिपक्वता का इससे अच्छा उदाहरण और नही दिया जा सकता।

इन्दिरा जी ने इन्हीं वर्षों अपने पिता के साथ इन्डोनेशिया में बान्डुग शहर के अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने अफ्रीका के लोगों की समस्याओं एवं उनके भय एवं उनके आकांक्षाओं से सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त किया। वह अपने पिता के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में जो फ्रान्स के पेरिस नगर में हुई भाग लेने गयीं वहां उन्होंने भारत की, असंलग्नता, वैदेशिक नीति समझने का अवसर प्राप्त किया, और वहीं उन्होंने अफ्रीका एवं एशिया की जन समस्याओं से अपने को परिचित कराया। इस प्रकार इन्दिरा गांधी की परराष्ट्र सम्बन्धी शिक्षा प्रगति पर थी।

बच्चों व स्त्रियों के लिए इन्दिरा जी ने बहुत काम किया, वे इण्डिया काउन्सिल आफ चाइल्ड बेलफेयर की अध्यक्षा भी रह चुकी थीं, और इण्टरनेशनल यूनियन फार चाइल्ड बेलफेयर की अध्यक्षा भी थी। इन्दिरा जी की सामाजिक सेवाओं के लिए सन् 1953 में आपकों संयुक्त राष्ट्र संघ में 'मदर्स एवार्ड' देकर सम्मानित किया था।

सन् 1954 में जवाहर लाल नेहरू जी ने चाऊ एन – लाई को राजकीय अतिथि के रूप में भारत आमंत्रित किया, तो इन्दिरा जी अपने पिता के विचारों से सहमत न हो सकी। 1955 के अंत में इन्दिरा जी ने मार्शल टीटो का

स्वागत दिल्ली में किया और 1955 के ही अन्त में इन्दिरा जी ने सोवियत संघ से आये हुये मिस्टर खुश्चेव और मिस्टर बुलगानिन का स्वागत किया। फरवरी 1956 में इन्दिरा जी कांग्रेस गार्किंग कमेटी की सदस्या चुनी गयी। 1957 के आम चुनाव में पुनः पार्टी के प्रचार चुनाव में इन्दिरा जी ने बड़ी लगन व मेहनत से काम किया। सन् 1958 में इन्दिरा जी व फिरोज गांधी में कुछ अनबन हो गयी। इसलिए फिरोज गांधी लोकसभा सदस्य की हैसियत से तीन मूर्ति भवन से अलग होकर, अपने एक अलग निवास पर रहने लगे।[65]

14. कांग्रेस अध्यक्ष :-

जहां विदेशों में इन्दिरा अपने पिता के साथ भ्रमण कर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर रही थी। वहीं उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में समस्त भारत के दौरे में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ।

1959 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढ़ेबर ने वर्ष के मध्य ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 8 फरवरी को श्रीमती इन्दिरा गांधी जी कांग्रेस का महान गौरवशाली पद सम्भाला। कांग्रेस अध्यक्षा पद पर बैठने वाली इन्दिरा जी चौथी, महिला थी, इनके पहले 1917 में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट, सन् 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू, और सन् 1953 में श्रीमती नेलीसेन गुप्ता इस पद को सुशोभित कर चुकी थीं। [66]

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इन्दिरा जी ने काफी कूटनीति से काम लिया। इन्दिरा जी ने कांग्रेस के लिए आर्थिक कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया। आपने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यक्रम लागू करने में कोई रूकावट नहीं आ सकती हो सकता है कि गति कुछ धीमी रहे, लेकिन यह मजबूरी है। क्योंकि वे कार्यक्रमों को लागू करने में कोई जबरजस्ती नही कर सकती।[67]

कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में इन्दिरा जी सर्वेक्षण के निमित्त स्वयं महाराष्ट्र गयी। लोग क्या चाहते है? यह उन्होंने पता लगाया और लौट कर केन्द्र के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पहले वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में लोक सभा सदस्यों से मिली और फिर अपने द्वारा संकलित तथ्यों की जांच पड़ताल के

लिए एक जांच समिति नियुक्ति की। समिति ने यह सिफारिस की कि बम्बई राज्य को दो नये राज्यों में विभक्त कर देना चाहिए। एक महाराष्ट्र जिसकी राजधानी बम्बई हो और दूसरी गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद हो। कार्यकारिणी ने सिफारिस को स्वीकार कर लिया और 1मई 1960 को बाकायदा दोनो राज्य स्थापित किये गये।[68]

कांग्रेस दल केरल में बहुत कमजोर था वहां साम्यवादी सरकार काम कर रही थी, जो कि राज्य का प्रशासन साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर कार्यान्वित कर रही थी। शिक्षा के मसल को लेकर कैथोलिक चर्च एवं साम्यवादी शासन के मध्य झगड़े थे। बहुत सी ऐसी भी शिकायतें थी। जिससे स्पष्ट था कि केरल मे कानून एवं व्यवस्था पंगु हो गयी है। कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में प्रधानमंत्री पं0 नेहरू से सिफारिस की, कि वहां की सरकार को तत्काल भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय, क्योंकि वहां की सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर कार्य न कर साम्यवादी प्रसार को बढ़ावा दे रही है। नेहरू इसे गैर सैद्धान्तिक मानते थे, क्योंकि उनके विचार जनता द्वारा चुनी हुयी किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार को गिराना अप्रजातांत्रिक था। मतभेद यहां तक उभरे कि इन्दिरा जी ने केरल सरकार के विरूद्ध महिलाओं की एक विशेष रैली के आयोजन का प्रस्ताव रखा। अन्ततोगत्वा नेहरू जी को उनकी बात माननी पड़ी और 1959 में केरल में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

उड़ीसा में भी उन्होंने यह देखा कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, और वहां दो नये दल तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को शक्ति देने के लिए गणतंत्र परिषद के साथ कांग्रेस सरकार की साझा सरकार का निर्माण करवाया। यदि ऐसा न होता तो उड़ीसा से कांग्रेस उसी समय से समाप्त हो जाती।

इतना ही नहीं बल्कि 1960 में जब केरल में दुबारा चुनाव हुये तो कांग्रेस दूसरे दलों से समझौता कर साम्यवादियों को पछाड़ने में सफल हुए, यद्यपि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के समझौते को असैद्धान्तिक बताते हुए उसकी काफी प्रतिक्रिया हुयी। किन्तु श्रीमती गांधी ने उसे कांग्रेस का

व्यवहारिक कदम बताया। इतना ही नहीं, उन्होंनें कांग्रेस समिति के गठन में भी युवकों की भर्ती पर जोर दिया और कुछ ऐसे लोगों की सूची तैयार की जिनको उन्होंने यह बताया कि सक्रिय राजनीति में बूढ़े हो गये हैं और उनकी जगह युवको को देनी चाहिए। इस सूची में उनके पिता पं0 जवाहर लाल नेहरू का भी हांथ था। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुत्री के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनकी अध्यक्षता में हुयी कांग्रेस की बैठक में कहा था 'प्रारम्भ में इन्दिरा मेरी मित्र और सलाहकार थी, आगे वह मेरी साथी बनी, और अब मेरी प्रधान है।[69]

नवम्बर, 1961 में जवाहर लाल जी अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर अमेरिका गये तो इन्दिरा जी उनके साथ गयीं। इस बार उन्हें राष्ट्रपति जान आफ कैनेडी ने आमंत्रित किया था। 1962 के आरम्भ में जान आफ कैनेडी सपत्नीक भारत पधारे। इन्दिरा जी ने उसका भव्य स्वागत किया। श्रीमती कैनेडी की यात्रा समाप्त होते ही, इन्दिरा जी अमेरिका गयी।

15. फिरोज गांधी की मृत्यु :-

1960 में इन्दिरा जी ने कुछ अफ्रीकी देश, जैसे जाम्बिया, उत्तरी रेडेसिया, और नाइजीरिया का दौरा किया। 2 सितम्बर, 1960 को फिरोज गांधी के दिल का दौरा पड़ा इन्दिरा जी उस समय केरल के दौरे पर थी। खबर पाकर तुरन्त भागकर आयीं। इन्दिरा जी अपने पति के सिरहाने रात भर बैठी रहीं। सबेरे पौ फटने से पहिले इन्दिरा जी का हांथ पकड़े ही फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया।[70]

16. भारत - चीन युद्ध :-

सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण से इन्दिरा जी बहुत परेशान हुयी। यद्यपि जब वे सन् 1954 में चीन गयी थीं। तभी लौटकर, भारत के प्रति चीनी रूख की आशंका से पं0 जवाहर लाल नेहरू को सतर्क किया था, लेकिन तब तक पं0 नेहरू का विश्वास चीन की दोस्ती के प्रति टूटा न था। तब चीनी

हमले के समय इन्दिरा जी ने बड़ी निर्भीकता और विश्वास के साथ भारत की जनता का मनोबल चलाये रखने में अथक् परिश्रम किया था। यही नही, पं0 नेहरू और लाल बहादुर की चेतावनी और उनके रोकने के बावजूद भी ये सीमा पर लड़ते जवानों के बीच गयीं, और उन्हें मनोबल बढ़ाने का उत्साहित करंने का प्रयत्न किया। उन्होंने सीमा पर कई सभायें आयोजित की। भाषण दिये राष्ट्रीय सुरक्षा फण्ड के लिए धन जुटाया। पं0 जवाहर लाल नेहरू भी चीनी हमले से बहुत दुःखी थे, उनका मन टूटा था। वे इनके साथ बराबर शक्ति श्रोत की तरह खड़ी रहीं और उन्हें विचलित होने से सम्भाले रहीं। पं0 नेहरू को सचमुच इस संकट की घड़ी में इन्दिरा जी के कारण बड़ा धैर्य मिला था। चीनी हमले से देश पर, जो आपत्ति आयी और परिणाम स्वरूप देश में, जो नया जागरण आया उसका राष्ट्रहित में उचित उपयोग हो, ऐसी योजना बनाने में इन्दिरा जी व्यस्त हो उठी।

इन्दिरा जी की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा समिति बनी और उसी तरह की स्थानीय सुरक्षा समितियां सारे देश में बनायी गयी। यह समितियां सुरक्षाकार्य में जनता का सहयोग, समर्थन प्राप्त करने में लग गयी। इन्द्रा जी संकट ग्रस्त क्षेत्रों में गयी, खासकर तेजपुर जहां भारतीय सेना के हट जाने से लोग पूरी तरह से डरे हुए थे, और जहालपुर जहां दंगों ने कहर मचा रखा हुआ था। इन्दिरा जी के जाने से लोगों का मनोबल बढ़ा और अपनी सरकार के प्रति उनका खोया हुआ, विश्वास पुनः लौट आया।

इन्दिरा जी रूसी और लद्दाख के ऊँचे बर्फीले पहाड़ों में तैनात सेना के जवानों के लिए गरम कपडे, खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि जरूरी चीजे इकट्ठी करके भेजने के काम मे जुट गयी।

1962 में आम चुनाव हुए इन्दिरा जी ने अपने दल के लिए बहुत तेजी से चुनाव प्रचार किया। इसी समय इन्दिरा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय एकल परिषद की अध्यक्षा थी। उस समय जबलपुर में साम्प्रदायिक दंगों पर प्रहार कर रही थीं और अल्प संख्यकों के अधिकारों के विषय में वह सोचती रहती

थी। महात्मा गांधी और पं0 जवाहर लाल नेहरू दोनो साम्प्रदायिकता को भारत के अस्तित्व के लिए हमेशा ही सबसे बड़ा खतरा मानते थे।

1962 में भारत चीनी युद्ध से पं0 नेहरू को काफी धक्का पहुंचा। नेहरू जी के स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट आने लगी। इन्दिरा अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए स्वयं काफी चिन्तित रहने लगी और इन्दिरा अपनें पिता की देख भाल में लगी रहती थी। 1965 में कांग्रेस पार्टी में सिन्डीकेट एवं इन्टीकेट गुटवादिता उत्पन्न हो गयी। काम राज योजना में 6 प्रमुख केन्द्रमंत्रियों और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने सरकारी पदों से इस्तीफा देने को कहा गया था, ताकि वे कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में लगे रहें। कांग्रेस योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए इन्दिरा जी ने काफी मेहनत की।

1964 में कांग्रेस का अधिवेशन भुवनेश्वर में हुआ। जिसमें जनतंत्र तथा समाजवाद पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। इन्दिरा जी ने समाजवाद के प्रस्ताव पर काफी बल दिया। अप्रैल 1964 में इन्दिरा जी सोवियत संघ गयी। सोवियत संघ पहुंच कर उन्होंने वहां की साम्यवादी व्यवस्था का गहन अध्ययन किया।

17. नेहरू जी की मृत्यु :-

भुवनेश्वर अधिवेशन 1964 के बाद पं0 नेहरू जी के स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट आती गयी। वे थक गये थे और चलने में उनका बायां पैर घसीटने लगा था। देहरादून के प्रवास में 17 मई 1964 की प्रातः नेहरू जी को हृदय आघात हुआ जिससे उनका देहावसान हो गया। इन्दिरा जी को अपने पिता की मृत्यु से गहरा आघात पहुंचा और ऐसा आभास हुआ कि वह इस क्षति को कभी पूरा न कर सकेगीं।[72]

अपने पिता के अन्तिम संस्कार का प्रबन्ध इन्दिरा जी ने लाल बहादुर शास्त्री की सलाह व सहायता से किया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री पं0 जवाहर लाल नेहरू जी के घनिष्ठ मित्रों में से थे। इन्दिरा जी के दड़े बेटे राजीव ने चिता में आग लगा दी। दाह संस्कार में 13वे दिन गंगा में अस्थियों

का विसर्जन करने के लिए भस्मी के बड़े कलश को, स्पेशल ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया। इलाहाबाद की जनता ने अपने प्रिय नेता को अन्तिम श्रद्धान्जलि अर्पित की। दिल्ली लौटकर इन्दिरा जी ने अपने पिता पं0 जवाहर लाल नेहरू की भस्मी को विमान द्वारा नदियों तथा पहाड़ों में बिखेरा।

18. इन्दिरा जी केन्द्रीय मंत्रिमंडल में :-

जवाहर लाल नेहरू जी की मृत्यु के दिन मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक में गृहमंत्री गुलजारी लाल नन्दा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बाद के दिनों में कांग्रेस की कार्यवाही समिति की बैठक हुयी। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज जी ने 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को नेता के रूप में चुना और 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद सम्भाला।[74]

शास्त्री जी इन्दिरा को अपने मंत्रिमण्डल में विदेश विभाग सौपना चाहते थे। लेकिन इन्दिरा जी ने इस विभाग को न चुनकर सूचना एवं प्रसारण विभाग की मंत्री बनना स्वीकार किया और बाद में वे राज्य सभा की सदस्य मनोनीत की गयीं।[75]

भारत जैसे विशाल देश में जहां व्यापक रूप से निरक्षरता थी और संचार साधनों की बेहद कमी। रेडियों और टेलीविजन में घर बैठे ज्ञान प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, लेकिन भारतीय कार्यक्रम स्तर और समय दोनों ही दृष्टियों से उन्नत देशों की तुलना में बहुत पिछड़े हुये थे। प्रसारणों को बहुत कम लोग सुन पाते थे, क्योंकि महगा होने के कारण औसत आदमी खरीद नहीं सकता था।

19. आकाशवाणी में सुधार :-

इन्दिरा जी ने ज्यादा लोगों तक रेडियो कार्यक्रमों को पहुंचाने का उपाय सोचा। भारत में बने बहुत मंहगे रेडियो ही सैकड़ों मील दूर तक के स्टेशन पकड सकते थे। इसीलिए एक से अधिक स्टेशनों को पकड़ने वाले शार्टवेव यानी सस्ते ट्राँजिस्टर रेडियो बनाने के उद्योगों को इन्दिरा जी ने बढ़ावा दिया और जो रेडियो अभी तक सरकार के एकछत्र अधिकार मे था और शासक दल

की राग अलापा करता था। उसे इन्दिरा जी ने विरोधी दलों के सदस्यों और स्वतंत्र विचार के वक्ताओं के लिए भी सुलभ करवा दिया था।[76]

नई दिल्ली में एक छोटा सा टेलीविजन केन्द्र भी था, लेकिन उसके कार्यक्रम उच्चकोटि के नहीं होते थे, परिवार नियोजन सम्बन्धी सामाजिक महत्व को एक ही कार्यक्रम द्वारा इन्दिरा जी उसे लोकप्रिय बना दिया। उसी कार्यक्रम में निरोध की कृत्रिम पद्धतियों को भी समझाया गया था। वह कार्यक्रम इस बात का सूचक था, कि इन्दिरा जी भारत की बढ़ती हुयी जनसंख्या के बारे में सजग थी, और उसे रोकने के लिए सचेस्ट भी थी।

उनके मंत्रालय के अर्न्तगत सिनेमा, नाटक और नृत्यकला से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट प्रशासकीय कार्य भी थे। इन्दिरा जी ने इन क्षेत्रों में आधुनिक विद्यालयों को प्रोत्साहित किया। अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू करवाया गया और नाट्य एवं नृत्य दलों को सरकारी सहायता प्रदान की। प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले स्त्री, पुरूषों की फिल्म सेन्सर बोर्ड में नियुक्त कर इन्दिरा जी ने उसे एक नया रूप ही दे दिया।

इन्दिरा जी कई विदेशी नेताओं से मिल चुकी थीं। अनेक महत्वपूर्ण चर्चाओं में उपस्थित रह चुकी थीं, इसलिए मंत्रिपरिषद में उनका स्थान काफी ऊँचा था। भारत सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से एक मंत्री के रूप में मास्को के निमंत्रण पर सोवियत संघ की यात्रा इन्दिरा जी का पहला महत्वपूर्ण वैदेशिक कार्य था।[77] अब वहा निकिता खुश्चेव के स्थान पर अलेक्सी कोसीगन और ल्योनिव ब्रेझनेव शासनारूढ़ थे। प्रश्न यह था कि क्या भारत के प्रति रूसी नीति में परिवर्तन होगा।[78] इन्दिरा जी नये नेताओं से यह आश्वासन लेकर दिल्ली लौटी कि रूस, भारत सोवियत मैत्री की कद्र करता है, और भारत को दी जाने वाली आर्थिक और सैनिक सहायता जारी रहेगी।

कला के प्रति उनकी व्यक्तिगत रूचि का लोगों को उनके शान्तिनिकेतन काल में पूरा परिचय मिल ही चुका था।[79] इन्दिरा जी ये मानती थीं कि लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है – खाना, कपड़ा और मकान साथ ही सांस्कृतिक उत्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं। बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की रोटी

कपड़ा, कपड़ा और मकान।[80] इन्दिरा जी सिनेमा को मनोरंजन व शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम मानती थी। राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान को अन्य प्रकार के उत्थानों से अधिक आवश्यक समझाती थी। अतः सांस्कृतिक माध्यम से देश में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की दृष्टि से ही उन्होंने यह विभाग लेना स्वीकार किया था। और अपने एक वर्ष के मंत्रित्वकाल में उन्होंने इस विभाग को जन साधारण के लिए अत्यन्त उपयोगी भी बना दिया था।

रूस के खुश्चेव के बाद, केसीगिन के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्दिरा जी पहली भारतीय मंत्री थीं, जो रूस गयी थीं और मास्को जाकर वहां के नेताओं से बाते करके, इन्दिरा जी को यह विश्वास हो गया था भारत चीन मसले पर सोवियत दृष्टिकोण बदलने की कोई सम्भावना नहीं थी। इन्दिरा जी ने सोवियत सरकार से यह आश्वासन प्राप्त किया था कि भारत को प्राप्त रूसी आर्थिक सहायता में कोई अन्तर नहीं पडेगा।[81]

रूस के बाद इन्दिरा जी अमरीका गयीं। वहां उन्हें न्यूयार्क में नेहरू स्मारक प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। अमरीकी नेताओं से भी इन्दिरा जी ने बात की। वे अपने पिता की भांति ही रूस व अमरीका दोनो को ही मित्र बना रहने देना चाहती थीं।

अपने मंत्रित्वकाल में इन्दिरा जी ने आकाशवाणी में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किये और आकाशवाणी में जनता दिलचस्पी ले, ऐसी स्थिति पैदा की थी। आपका पूरा प्रयत्न था कि आकाशवाणी का एक स्वतंत्र सांस्कृतिक विभाग के रूप में कार्य करें।

5 सितम्बर 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई 22 दिन चली लगभग पाकिस्तान की इस युद्ध में पराजय हुयी। भारत पाक युद्ध के दौरान इन्दिरा युद्ध क्षेत्र में जाने वाली प्रथम महिला केन्द्रीय महिला मंत्री थी। वह मोर्चा पर जवानों से और घायलों से अस्पताल में जाकर मिली। जवानों की देश भक्ति निष्ठा और कारगुजारियों की इन्दिरा जी ने दिल खोलकर प्रशंसा की और उन्हें गौरवान्वित भी किया। देश की रक्षा के लिए लड़ने के कर्तव्य पर पूरा जोर देते हुए उसमें व्यक्तिगत योगदान के महत्व की

बात इन्दिरा जी ने जवानों के दिलों में बैठा दी।[85] तब सोवियत प्रधानमंत्री – श्री कोसीगिन ने 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ताशकन्द में भारत पाक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकन्द गये। वार्ताओं – समझौता, वार्ताओं के कई दौर चले। अन्त में भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के नेताओं ने एक सर्वसम्मत वक्तब्य प्रकाशित किया और दुनियां के लगभग सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों ने इस समझौते का स्वागत किया।

20. लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु एवं इन्दिरा जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी :-

दुर्भाग्यवश उसी रात को ताशकन्द में ही लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो गयी। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी एक बार फिर खाली हो गयी। भारत में एक नये प्रधानमंत्री की खोज फिर प्रारम्भ हो गयी। शास्त्री जी के निधन के 9 दिन बाद इन्दिरा जी 17 जनवरी 1966 को कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गयी। इन्दिरा जी 35 मत और मोरार जी देसाई को 19 मत मिले।

शास्त्री की ताशकन्द में मृत्यु नेहरू की मृत्यु से भी अधिक आकस्मिक थी, क्योंकि भुवनेश्वर में उनकी बीमारी ने कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों को कम से कम उत्तराधिकारी के बारे में सोचने की तैयारी का समय तो दिया ही था, किन्तु शास्त्री जी की एकएक दिल के दौरे से मृत्यु के कारण प्रधानमंत्री पद के महत्वाकांक्षियों एवं उनके समर्थकों को तैयारी तो दूर सोचने का वक्त भी नहीं मिला।[84] वे सब दूर – दूर देसाई कोरापुट (उड़ीसा, कामराज, मद्रास, अतुलाघोष, कलकत्ता एवं एस0के0 पाटिल, बम्बई) में थे जहां से वे जल्दी से जल्दी वाली वायुसेवा से राजधानी भागे।[85] और इससे पहिले की शास्त्री जी का मृत शरीर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे वहां पर इस बात की चर्चा प्रारम्भ हो गयी कि शास्त्री के बाद कौन? श्रीमती का नाम पालम हवाई अड्डे पर ही उभरने लगा। बीजू पटनायक से एक ज्योतिषी ने जो वहां उपस्थित था बताया

था कि यह "हैट्रिक" होगा, जिसका सीधा तात्पर्य था कि इलाहाबाद से नेहरू एवं शास्त्री प्रधानमंत्री हो चुके हैं, और अब इसी कड़ी में वहीं की श्रीमती गांधी तीसरी प्रधानमंत्री होगीं।[86]

किन्तु दूसरे जिनमें प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, भी दिल्ली पहुंच चुके थे और कांग्रेस अध्यक्ष कामराज नाडर जिन्हें उस समय 'किंग मेकर' के रूप में जाना जाता था, के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत कर रहे थे, इनमें चार मुख्य थे।[87] श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने जो उस समय बम्बई की राज्यपाल थी, उससे त्यागपत्र दे दिया और संयुक्त राष्ट्र अमरीका जहां वे एक व्याख्यान माला में भाग लेने गयी थीं, से सीधे दिल्ली पहुंची। उन्होंने नेहरू परिवार की राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं जो ख्याति उन्हें लन्दन में उच्च आयुक्त एवं अमरीका एवं रूस में राजदूत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षा होने के रूप में प्राप्त थी, के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेसाध्यक्ष के समक्ष अपना दावा पेश किया, श्री गुलजारी लाल नन्दा जो कि दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रथम बार जब नेहरू जी की मृत्यु हुयी थी, एवं वर्तमान में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुये थे, का अपना विचार था कि वे इस समय इस पद सही दावेदार है।[89] श्री मुरार जी देसाई, जो नेहरू जी के मंत्रिमण्डल में उपप्रधानमंत्री भी रह चुके थे उनका यह दावा था कि वे गांधी वादी हैं, और उनके काफी समर्थक है, कम से कम वे सभी जो नेहरू की समाजवादी धारा से सहमत नहीं है।

राजकुमार, पूँजीपत, जमींदार, वाई0 पी0 चाह्वाण जी जो कि उस समय रक्षा मंत्री थे और जिन्हें सेना की स्वामिभक्ति का दावेदार समझा जाता था और जिन्हें 1965 की पाकिस्तान युद्ध में भारत की सफलता का श्रेय भी प्राप्त था, इस पद के दावेदार थे।[91]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस प्रतियोगिता में कोई भाग नहीं लिया, यद्यपि वे इस पद के लिए इच्छुक थीं किन्तु वे विलगदर्शक मात्र रहीं।[92] उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा था, यद्यपि वे मोरार जी देसाई के प्रधानमंत्री बनने की बात को लेकर जरूर चिन्तित थीं। क्योंकि उनकी नीतियां उन

सबके सीधे खिलाफ थीं जो समाजवादी नीतियां थी, अभी तक देश की नीतियां थी। उन्हें इसका भय था कि देसाई के नेतृत्व में भारत दिशा ही बदल देगा।[93]

कामराज स्वयं भी बड़े दबाव में थे। सिन्डीकेट श्रीमती इन्दिरा गांधी, देसाई एवं नन्दा इनमें से किसी को नहीं चाहते थे। घोष ने यहाँ तक प्रयास किया कि कामराज स्वयं प्रधानमंत्री के दावेदार बनें। संजीव रेड्डी के यहां सिन्डीकेट विचार विमर्श के लिए एकत्रित भी हुए, किन्तु कामराज ने हर बार इन्कार कर दिया। इस पर विचार इसलिए भी बन्द कर दिया गया कि कामराज हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं जानते थे जो कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम दोनों भाषाओं का जानना बहुत आवश्यक था।

एक यह भी प्रस्ताव आया कि एक कैबिनेट आफ कम्पोजिट टैलेन्ट्स, जिनमें दस (10) व्यक्ति हों और जिसका नेतृत्व गुलजारी लाल नन्दा करें, का गठन किया जाय तो शासन संचालन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो परन्तु वह चल नहीं सका, यह प्रस्ताव श्री पाटिल का था जो इन्दिरा की अपेक्षा नन्दा को पसन्द करते थे।[94]

विजय लक्ष्मी की विशेषता यह थी कि नेहरू जी और जनता के लिए जादू का काम करता था, किन्तु यदि नेहरू जी होने के नाते प्रधानमंत्री बनाने का प्रश्न था, तो फिर विजय लक्ष्मी की जगह इन्दिरा गांधी को ही नेतृत्व क्यों न प्रदान किया जाये। वे जवान थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी थीं, और कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी थीं।[95] दूसरी ओर मोरार जी देसाई को सनकी समझा जाता था। गुलजारी लाल नन्दा को कठोर हिन्दू समर्थक, चाह्वाण को क्षेत्रीय राष्ट्रवादिता का प्रतीक और स्वयं कामराज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए अयोग्य थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी सिर्फ अकेली ही ऐसी महिला थीं जो इन तमाम दोषों से मुक्त थी।[96]

कामराज के लिए यह भी आवश्यक था कि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस कैसे पुनः शक्ति में आये और उन्होंने इस उद्देश्य से अपने प्रयत्न तेज

किये।[97] कामराज का यह भी विचार था, कि इन्दिरा इस सर्वोच्च पद के लिए सभी तरह से उपयुक्त थीं। अकेली वही लोगों का विश्वास सम्पादित कर केन्द्र में मजबूत सरकार बना सकती थी।[98] यद्यपि वह नन्दा के मामले में समझौता करने के पक्ष में थे, किन्तु जो तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत थे, इससे स्पष्ट था क़ि नन्दा जी मोरार जी भाई के समक्ष बहुत कमजोर प्रत्यासी थे वे किसी भी रूप में देसाई को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नही थे।

वे अभी यह नहीं भूले थे कि देशाई ने उन्हें एक बार 'शास्त्री के प्रधानमंत्री के चुनाव के समय झूठा कहा था। अतः कामराज ने श्रीमती गांधी के विरोध में सिन्डीकेट को तोड़ना प्रारम्भ कर दिया और वह अपने अन्तिम प्रयास में संजीव रेड्डी को भी इन्दिरा गांधी जी के पक्ष में लाने में सफल हुए, जो सिंडीकेट मे उनके सबसे बड़े विरोधी थे।[99]

जब कामराज ने इन्दिरा जी को अपने इस निर्णय से अवगत कराया तो कामराज के इस निर्णय से जो सबसे अधिक अचम्भित थीं, वह स्वयं इन्दिरा जी थी, नन्दा एवं चाह्वाण ने अपने दावे वापस ले लिये क्योंकि वह कामराज से अपनी तलवारें नहीं लडाना चाहते थे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि देशाई एक शक्तिशाली प्रत्यासी है, किन्तु वह इस चुनाव में जीत न सकेगा।[101] परिणाम स्वरूप जब इन्दिरा जी के विरोध में केवल मोरार जी देशाई मैदान में रहे। मोरार जी देशाई ने खुले चुनाव पर जोर दिया और कहा कि कार्यकारिणी को पार्टी के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचकों के समक्ष उन्होंने यह तर्क रखा कि नेतृत्व के लिए इन्दिरा की अपेक्षा वे अधिक उपयुक्त हैं। इन्दिरा जी ने उनके इस दावे के सम्बन्ध में सिर्फ वही जवाब दिया, फैसला संसद सदस्यों को करना है कि वे किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।[102]

अन्तिम समय तक इस बात के प्रयास जारी रहे कि फैसला निर्विरोध हो जाये किन्तु देशाई किसी भी तरह अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें आशा थी कि गुप्त मतदान में उनकी विजय सम्भावित है।[103] दूसरी ओर कामराज राजा बनाने वालों की भूमिका निभा रहे थे उन्होंने इन्दिरा

के पक्ष में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जिन 10 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाकर उन्होंने कहा कि आपके यहां के संसद सदस्यों को मेरे उम्मीदवार का समर्थन कर उसी को अपना मत देना होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। इन्दिरा जी ने उन्होंने संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता के चुनाव में खड़े होने के लिए कहा।[104] इन्दिरा जी मन से तो यही चाहती थी कि मामला निर्विरोध तय हो जाय लेकिन जब चुनाव की चुनौती सामने आयी तो उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया जरा भी न घबराई।[105] जब पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने को उनकी रजामन्दी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मै वही करूँगी जों श्री कामराज कहेगें।[106] इसका स्पष्ट तात्पर्य यही था कि यदि कांग्रेस कार्यकारिणी के बहुमत ने उनका नाम प्रस्तावित किया तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करेंगी, चुनाव की तारीख 19 जनवरी 1966 तय की गयी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डी0पी मिश्रा ने सबसे प्रथम थे, जिन्होंने श्रीमती गांधी के समर्थन में पहल प्रारम्भ की। उन्होंने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र के नायक, मद्रास के भक्तवत्सलम्, आन्ध्र के ब्रम्हानन्द रेड्डी, उडीसा के सदाशिव त्रिपाठी, मैसूर के निजलिंग गप्पा, कश्मीर के सादिक एवं बिहार के सहाय उपस्थित हुए। सहाय को छोड़कर सभी ने खुले तौर पर इन्दिरा गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। सहाय ने किसी भी निर्णय लेने के पहले मंत्रिमण्डलीय सदस्यों से परामर्श की बात कर अपने को इस लड़ाई से अलग रखने का प्रयत्न किया, किन्तु पंजाब के रामकृष्ण ने चण्डीगढ़ से दी गयी एक प्रेस विज्ञप्ति में इन्दिरा जी को खुले समर्थन की बात दोहराई।[107]

यद्यपि मोरार जी ने मुख्यमंत्रियों की इस वक्तब्य को सांसदों के ऊपर पूरा दबाव डालने वाला राजनीतिक दांवपेच बताया और उनमें अपेक्षा की कि वे काफी परिपक्व होने के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय हित में करेगें। बावजूद इसके कि प्रदेशीय मुख्यमंत्री उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक कांग्रेस सांसद को एक तीन पेजा का लम्बा पत्र भी लिखा, जो

कि उनके चुनाव के घोषणा पत्र के समकक्ष था, जिसमें उन्होंने सांसदों से अपील की थी कि यदि हमने अपने इस अधिकार को किसी भी बाहरी दबाव के कारण सही प्रयोग न किया तो संसद ऐसी पवित्र संस्था का अपमान होगा।[108]

किन्तु इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। सांसदो पर उनके मुख्यमंत्रियों का दबाव बिल्कुल स्पष्ट दिखायी दिया। आम चुनाव का केवल एक ही वर्ष बाकी था। सांसद उनके लिए पुनः टिकट चाहते थे, उनके लिए पैसा चाहते थे, एवं अपने जीतने के लिए उनके प्रभाव का उपयोग भी।[109] कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज का भी उन्हें ध्यान रखना था, जो इन्दिरा जी के तरफ थे, और जिनका दल के प्रत्याशियों में टिकट बांटने में सबसे बड़ा हाथ था।[110] बहुत से सांसदों ने मोरार जी देसाई की अपेक्षा श्रीमती गांधी को इसलिए पसंद किया कि वे उनके सर्वाधिक प्रिय नेता नेहरू जी की पुत्री थीं।[111] जगजीवन राम, जो स्वयं कभी गम्भीर प्रत्याशी नहीं थे, और जिन्होंने थोड़े समय के लिए मोरार जी देसाई का समर्थन भी किया था अन्तिम समय में पाला बदल दिया।[112] उनका तर्क था कि देसाई के समर्थक पैसे वाले लोग हैं, जबकि उनके सहयोगी आम लोग है। जो साथ, साथ नही चल सकते। श्री चाह्वाण का स्वयं अर्न्तविरोध था। निजलिंग गप्पा, एस0के0पाटिल एवं स्वयं देसाई से। इसलिए उन्होंने इन्दिरा गांधी का यह कहकर पक्ष लिया कि उनमें और मोरार जी देसाई में पीढ़ी का अन्तराल है, और वे इस पद के लिए किसी युवा को पसंद करेगें।[113]

कांग्रेस ने चुनाव की पूर्वसंध्या को एक बार पुनः चुनाव टालने का प्रयास किया। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से उन्हें सर्वसम्मति चुनाव के प्रयास करने थे। दल भी इसकी प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि उसे भय था कि इससे कांग्रेस का विघटन भी हो सकता था, उसने तो दोनो ही ओर अपने समर्थन का वायदा किया। कामराज एवं देसाई की यद्यपि बातचीत बहुत संक्षिप्त रही, किन्तु इसका कोई फल नहीं निकला। देसाई ने स्पष्ट कहा "व्हाट टाइम हैब आई कमिटेड? इज यूनिटी मीन दैट आई शुड विदड्रा?" कामराज का जवाब

था कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं था और हुआ भी ऐसा ही जिसका अन्दाज शायद मोरार जी भाई नहीं कर सके।[115]

19 जनवरी को बड़े सबेरे जब सारा शहर कुहरे की चादर ओढ़े सोया पड़ा था, इन्दिरा दो स्थानों में गयी। 116 पहले वे राजघाट, जमुना के किनारे गांधी जी की समाधि पर पहुँची। बापू की समाधि के समक्ष खड़े होकर उसने प्रार्थना की, और आर्शीवाद मांगा।[117] वहां से वे शान्ति वन गयी, जहां जवाहर के पार्थिव शरीर का दाहसंस्कार किया गया था। आज मानों उसने दोनों महापुरूषों से भेंट करने का व्रत लिया था, जिन्होंने उसके जीवन और भविष्य का निर्माण किया था। अपने पिता की समाधि के आगे जब वह खड़ी हुयीं तो उसे उनके पत्र की याद हो आयी, जो उन्होंने उनके तेरहवें जन्म दिवस पर उसे लिखा था।[118]

"तुम बहादुर बनो, बांकी चीजें तुम्हारे पास आप ही आप आती जायेगी। अगर तुम बहादुर हो तो तुम डरोगी नहीं, और कभी ऐसा काम न करोगी जिसके लिए दूसरों के सामने तुम्हे शर्म मालुम हो – कोई बात छिपा कर या आँख बचाकर नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्यारी बेटी, अगर तुम इस कसौटी को सामने रखकर काम करती रहोगी तो प्रकाशमान बालिका बनोगी और चाहे जो घटनाएँ तुम्हारे सामने आयें तुम निर्भय और शान्त रहोगी। और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक न आयेगी।[119]

अपरान्ह तीन बजे के लगभग चुनाव अधिकारी ने मतगणना का नतीजा कामराज के हांथ थमा दिया।[120] कहां तो लोग जोर – जोर से बाते कर रहे थे, और इधर उधर मंडरा रहे थे, और कहां इतनी शान्ति हो गयी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। कामराज की प्रसन्न मुस्कराहट ही कह दे रही थी कि परिणाम उनकी इच्छा के अनुकूल हुआ है। इन्दिरा जी संसद के कांग्रेसी दल की नेता चुन ली गयी।[121] इन्दिरा जी संसद सदस्यों के साथ बहुत पीछे विनम्रता पूर्वक बैठी हुयी, इन्दिरा जी जैसे ही मंच की ओर बढ़ी, सदस्य गण अपने स्थानों से उठकर उन्हें बधाइयाँ देने के लिए दौड़ पड़े, यहां तक कि उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। वह सफेद खद्दर की सफेद

साड़ी पहिने हुये थीं। जो भूरा काश्मीरी शाल अपने कन्धों पर ले रखा था। उसके एक कोने पर गुलाब का लाल फूल कढ़ा हुआ था। मोरार जी के पास पहुंची तो उन्होंने दोनों हांथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, और बोलीं आशीर्वाद दीजिए मोरार भाई, की आगे आने वाली जिम्मेदारियों का भार उठा सकूँ। "बिना मुस्कराये वे बोले" मैं तुम्हे अपने आशीर्वाद देता हूँ।[122]

मंच में पहुंचकर इन्दिरा जी ने इन शब्दों में सभासदों को सम्बोधित किया। "आपके सामने खड़े होने पर मुझे अपने महान नेताओं का ख्याल आ रहा है, महात्मा गांधी जिनके चरणों में मै पढ़ी, पंडित जी जो मेरे पिता थे, और लाल बहादुर शास्त्री इन नेताओं ने जो हमे रास्ता दिखाया, मै उसी पर आगे चलना चाहती हूँ।"[123]

प्रधानमंत्री चुने जाने के सात महीने पहले इन्दिरा जी ने दिल्ली के एक समाचार पत्र में लेख लिख कर अपने पिता की नीतियों में विश्वास प्रकट किया था।[124] उस समय उन्हें सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि वह अपने देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। जिनके दिमाग में तो सभी भारतवासियों के लिए एक विचार था, जिसे उसने लेख के माध्यम से व्यक्त किया था। विचार था कि एक प्रौढ़ राष्ट्र के निर्माण में देशवासियों का अपना उत्तरदायित्व क्या है? लेकिन उनके वे शब्द देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं के अपने उद्देश्यों की भविष्य वाणी बन गये।[125]

इस अध्याय में एकत्रित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद दिलाने में कांग्रेस के उन नेताओं की पृष्ठभूमि अधिक थी, जो सिंडीकेट के नाम से जाने जाते थे, और आगे चलकर जिनका श्रीमती गांधी से मतभेद इस हद तक पहुँचा था कि कांग्रेस का विभाजन ही हो गया। यदि यह मान भी लिया जाय कि तथाकथित सिंडीकेट नेता विशेषकर कामराज नाडर से इन्दिरा गांधी को नेहरू परिवार के सदस्य के रूप में यह महती स्थान देने की लालसा प्रगट की हो तो यह भी सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा क्योकि प्रधानमंत्री के संघर्ष में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अपनी बहिन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता

संग्राम में किसी से कम न था। अनुभव के दृष्टिकोण से भी वह भारत व विदेशों में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों में रह चुकी थी यहां तक कि उन्हें यह भी गौरव प्राप्त था कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुयी थी।

यदि श्रीमती पंडित को प्रधानमंत्री की दौड़ से वापस होना पड़ा तो इसका कारण यह था कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष और उनके सहयोगियों से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो सकी।

विशेषतः इस अध्याय में शोधकर्ता का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह यह कि यह देखा जाय कि आगे आने वाले उनके राजनैतिक जीवन में वंशानुगत एवं संस्कारगत गुणों का क्या प्रभाव पड़ा है? और उसमें उनके आने वाले वर्षो को कहां तक प्रभावित किया है? यहां केवल इतना ही कहा जा सकता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी पर प्रधानमंत्री का यह पद उस समय ऐसा लगा जैसे थोपा सा गया है। उनकी इच्छा या अनिच्छा के स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा, ज्यादा प्रबल लगी। शायद यह इसलिए था कि कामराज को यह विश्वास था कि मुरार जी एवं विजय लक्ष्मी पंडित पर उनकी पकड़ अपेक्षाकृत कम रहेगी। किन्तु यह उनका भ्रम ही निकला जो कि अगले अध्याय में दिये गये विवरणों से स्वतः ही स्पष्ट हो सकेगा।

प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा कायम रखने में उनके संस्कारगत गुणों एवं प्रभावी वातावरण का समावेश ही कारगर रहा है। और सिंडीकेट की यह धारणा नकारा सिद्ध हुयी है कि वे एक कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी का उपयोग कर सकेगें।

अध्याय – द्वितीय

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
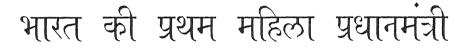
परीक्षा की अवधि 1966 - 1967

24 जनवरी 1966 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वतन्त्र भारत एवं विश्व के सबसे बड़े गणतन्त्र के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आपके पहले हिन्दुस्तान में वह भी सात सौ वर्ष पहले की बात है, एक महिला शासक के रूप में रजिया सुल्ताना ने राज्य किया था, किन्तु वह भी साढ़े तीन वर्ष के छोटे अन्तराल में जबकि भारत निरंकुश राजतंत्र के चंगुल में था।

"2" समकालीन महिला शासनाध्यक्षों के रूप में लंका की श्रीमती भण्डारनायके, पुर्तगाल की मारिया डी0 पिनटासालिगो, इजराइल की गोल्डामियर, अर्जेन्टाइना की मेडम पेरा एवं इंग्लैण्ड की मारगेट थ्रेचर का नाम उल्लेखनीय है।

किन्तु इनमें से कोई भी महिला इतने लम्बे समय तक के लिए शासनाध्यक्ष नहीं रही। और कुछ तो इसलिए शासनाध्यक्ष बनी रही क्योंकि उनके पति चमत्कारिक गुणों से सम्पन्न शासनाध्यक्ष रहे थे। श्री मती गांधी के लिए जो एक महिला थी।

यह एक परीक्षा की अवधि थी जिसमें उन्हें अग्नि परीक्षा के मध्य से गुजर कर यह सिद्ध कर देना था कि वह परिस्थितियोंवश या अन्य किसी विकल्प के अभाव में सत्ता दल द्वारा चुनी हुयी नेता नहीं थी, वरन् देश को फसे हुए तमाम दलदलों से निकालने की क्षमता उनमें विद्यमान थी।

अपने प्रथम सम्बाददाता सम्मेलन में यद्यपि उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक किसी खासनीति से स्वयं को सम्बन्धित नहीं किया, फिर भी उन्होंने सम्बाददाताओं द्वारा पूछे गये प्रश्नों का बड़ी चतुराई से उत्तर दिया। उन्हें असमंजस में डालने वाले प्रश्नों को मुस्कराहट के साथ काट दिया। कुछ लोगों के इस प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री बनने में आप कैंसा अनुभव करती है? तो उन्होंने स्पष्ट सा उत्तर दिया, "मै इस कार्य के बारे में स्वयं को महिला नहीं समझती। यदि किसी महिला के पास किसी व्यवसाय की योग्यता है, तो उसे उक्त व्यवसाय को करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मै नारी स्वातंत्रय की समर्थक हूँ, मै मनुष्य हूँ अपना काम करते समय मै स्वयं

को स्त्री नहीं समझती। भारतीय संविधान के अनुसार लिंग भाषा, जाति के आधार पर सारे नागरिक समान है। मै भारत की नागरिक मात्र हूँ,, मै देश की प्रथम सेविका हूँ मैं नही सोचती कि मेरे स्त्री होने से किसी प्रकार का कोई फर्क पडता है, चाहे लिंग, धर्म जाति कोई भी हो यदि जनता ने आपको राष्ट्र का नेता स्वीकार कर लिया है, तो बस यही पर्याप्त है।

अपने प्रथम सम्बाददाता सम्मेलन में उनके द्वारा दिये गये उत्तरों से यह तो स्पष्ट हो गया कि उनमें कुछ कर डालने की लगन है, और उनका स्त्री होना देश के नेतृत्व में किसी तरह का बाधक न होगा। उनके बारे में कुछ लोगों का यह भ्रम भी "कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उनके प्रधानमंत्री होने पर जो प्रशंसा मिली, इसलिए कि वह शायद युवा थी, उनमें सेक्स था वह आधुनिकता की प्रत्याशा थी।

आने वाले समयों में निर्मल सिद्ध हुआ। 26 जनवरी 1966 में गणतंत्र दिवस को राष्ट्र के नाम अपना प्रथम संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने अपने को जनतंत्र, धर्म निरपेक्षता, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने वाले भारत के निर्माताओं के पद – चिन्हों पर चलने के लिए वचनवद्ध करते हुए कहा "हम शान्ति चाहते हैं क्योंकि हमें अभी गरीबी, बीमारी और अशिक्षा के विरूद्ध लड़ाई लड़नी है। हमे अपना वायदा पूरा करना है, भारत के लोगों के लिए काम, खाना कपड़ा और घर तथा स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबन्ध करना है। युवाजनों को उचित अवसर मिलना चाहिए। उन्हें नयीं सीमाएं पार करांनी हैं, नये क्षितिज तक पहुँचाना है और नये नतीजें हासिल करने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पडता है कि हमारे धर्म, भाषा और प्रदेश भिन्न है लेकिन हमारा राष्ट्र एक है और हम एक हैं।"

उनके इस भाषण से यह साफ था कि इन्दिरा जी नेहरू एवं शास्त्री के बताये गये मार्ग पर ही चल रहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नीतियों में कोई अलगाव न था और राष्ट्रीय व्यवस्था को समाजवादी सिद्धान्तों पर ही अग्रसित होना था। मूल अन्तर जो स्पष्ट हो रहा था वह यह कार्यप्रणाली को अधिक सशक्त बनाने में युवकों का योगदान अत्यधिक आवश्यक है, और देश में जो

फैली हुयी गरीबी है उसे दूर करने के लिए नीचे के तबके से ही सुधार की कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिए।

प्रारम्भिक समस्याएं :-

जिस समय इन्दिरा गांधी ने पद भार संभाला उनके समक्ष तमाम समस्यायें थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना करीब करीब फेल हो चुकी थी निर्यात काफी गिर गया था। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रूपये की कीमत गिरी थी। पंजाबी सूबे की मांग तेजी पकड़ रही थी। दक्षिण में हिन्दी विरोधी विचारों में वही तीव्रता थी। दूसरी ओर कुछ हिन्दू सन्यासी गोवध को लेकर आन्दोलित थे। वे गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध की कानूनी मांग कर रहे थे।

इसके साथ – साथ सरकारी काम काज की भाषा का विवाद नागा समस्या, भारत – चीन विवाद कूटनीति अलगाव आदि अन्य प्रमुख समस्याएं थी।

इन सबसे अधिक प्रमुख यह समस्या थी कि मानसून के न आने के कारण देश में भयंकर खाद्य की कमी थी।

खाद्य्य समस्या एवं प्रथम विदेश यात्रा :

फरवरी 1966 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जयपुर में हुए अधिवेशन में खाद्यान्न समस्या प्रमुख रूप से छायी रही।

खाद्य समस्या को श्रीमती गांधी ने भी प्राथमिकता दी इसके लिए आवश्यक था कि उन्हें विदेशी सहायता मिलती। भारत की जो स्थिति थी उससे यहां की पैदावार से कुछ भी कर पाना सम्भव नहीं था। दूसरे लगातार दो वर्षो से राष्ट्र सूखे के प्रबल प्रकोप का शिकार हो रहा था। खाद्य की पैदावार 1964 में 8 से 9 करोड़ टन था। 1965 से 66 में क्रमशः 7–2 और 7–4 करोड़ टन रह गया।

भारत की विदेशी मुद्रा का रक्षित कोष भी कम हो गया था। जो केवल 38 से 3 करोड़ डॉलर अवशेष था। जिसका बहुत बड़ा भाग आई0एम0एफ0 को देना था।

इन्दिरा जी जब प्रधानमंत्री हुयी तो उनसे जो सबसे पहले राजदूत मिलने आये वह अमरीका के श्री चेस्टर वाइत्स थे। उन्होंने आते ही पहले उन्हें राष्ट्रपति की ओर से बधाई दी एवं उनकी ओर से अमरीका यात्रा का निमंत्रण दिया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वहां जाने का अपना इरादा बना लिया। किन्तु उसके पहले भारत का 65 – 66 का बजट प्रस्तुत करना था। बजट कुछ इस तरह प्रस्तुत किया जाना था कि आर्थिक स्थिति में स्थायित्व लाया जा सके। लोगों को इस बात की आशंका थी कि भारत के रूपये का अनुमूल्यन भी किया जायेगा। किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री अशोक मेहता तत्कालीन वित्तमंत्री सचिन चौधरी की ओर से सदन को आश्वस्त किया भी कि रूपये के अवमूल्यन का कोई प्रश्न नहीं उठता। श्रीमती गांधी ने यद्यपि इस विषय में कोई चर्चा नहीं की।

किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विदेशी सहायता आवश्यक थी। और कुछ समय के लिए आवश्यक रहेगी। उन्होंने यह भी आगे कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम इसके बगैर रह सकते है और रहेगें।

कोई भी सरकार विदेशी सहायता के बगैर कुछ करने की सोंचती नहीं थी क्योंकि ऐसा करने का तात्पर्य अनुशासन और कठोर परिश्रम का था जिसके लिए कोई तैयार न था।

श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री के रूप में 26 मार्च 1966 को अमरीका के लिए प्रस्थान कर गयी। विदेशी सहायता के लिए अमरीका से वह आशा करना व्यर्थ था जो राष्ट्रपति केनेडी के समय उपलब्ध थी जानसन की ओर से यह स्पष्ट था कि अब सहायता पिछले काम के आधार पर ही दी जायेगी। किन्तु अमरीका में उनका मुख्य स्वागत किया गया।

जितने दिन वह अमरीका में रहीं वहां के अखबारों ने उनकी गतिविधियों को प्रथम पृष्ठ पर महत्वपूर्ण समाचारों के रूप में प्रकाशित किया।

किन्तु इसके बावजूद सहायता सम्बन्धी सभी कागज राष्ट्रपति की मेंज पर ही पड़े रहे। और उन पर कोई कार्यवाही उसी समय हुयी जबकि उन्हें यह विश्वास हो गया कि श्रीमती गांधी अवमूल्यन पर राजी होने के करीब आ गयीं।

श्रीमती गांधी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बिल्सन, फ्रांस के राष्ट्रपति दिगाल और रूस के प्रधानमंत्री कोसिजिन और कम्युनिस्ट नेता ब्रेअनेन से मिली और उनसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में चर्चा भी की।

खाद्य समस्या का निराकरण :

वैसे तो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह यात्रा काफी सफल रही संयुक्त राष्ट्र संघ का गृह विभाग अत्यधिक सहयोगी दिखा यहां तक कि जब श्रीमती गांधी वांशिगटन में थीं 30 मार्च को राष्ट्रपति ने 3 से 5 करोड़ टन अनाज की सहायता का अनुमोदन कांग्रेस से ले लिया। उसने दूसरे राष्ट्रों से भी भारत को सहायता करने की अपील की। और कांग्रेस को जो संदेश भेजा वह अत्यधिक संवेदनशील था।

The facts are simple there in publication grave India Faces unprecedented drought unless the world the responds India Faces famine 24

जो इस प्रकार था – संयुक्त राज्य अमरीका के अलावा भी श्रीमती गांधी आस्ट्रेलिया एवं कनाड़ा से भी गेंहू लाने में सफल हुयी।

इन्दिरा गांधी ने अपने विदेश यात्रा के लौटने के साथ ही पहला कार्य कि वह यह था कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को राहत देना।

इसके लिए उन्होंने केरल, एवं पश्चिमी बंगाल के लिए अनाज भेजने का आदेश दिया। उड़ीसा, म0प्र0 और महाराष्ट्र के अभावग्रस्त इलाकों का स्वयं दौरा किया और राज्य सरकारों को व्यापक सहायता कार्य और अनाज वितरण

कार्य करने के लिए समझाया। उपलब्ध खाद्यान्न को तेजी से यहां वहां भिजवाया गया और बड़ी संख्या में सस्ते दरों की दुकाने खोली गयी।

इतना ही नहीं उन्होनें कृषि को उच्च वरीयता (टॉप प्रायरटी) दी। इन्दिरा जी ने यह निर्णय लिया जब आगे कोई स्पात कारखाने नहीं खोले जाय़ेगे और सारी वह कोशिशें की जायेंगी जिससे अकाल पर काबू पाया जा सके। इसके लिए खेती के तरीके में भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाने और अच्छे बीज देने का प्राविधान किया। जापान और कनाड़ा से जो अच्छी पैदावार वाले बीज लाये गये और उन्हें किसानों में वितरित किया गया। उर्वरक एवं पानी किसानों को मुफ्त एवं सस्ते दामों में मुहैया करायी गयी। देश के सामने एक गम्भीर संकट था जिसमें काबू पा लिया गया।

किन्तु इससे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी उनके इस कार्य से अधिक प्रसन्न नहीं थी।

जिस समय भारत इस परिस्थिति से गुजर रहा था वे अनाज की कमी के हल के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर करती थी। जो राष्ट्र के स्वावलम्बी होने की इच्छा का दमन करती थी। सबने मिलकर उन पर आरोप लगाया कि वे पूरी तरह अमरीका की अनुगामिनी है।

यहां तक राष्ट्रपति जांनसन जो पचास करोड़ की अतरिक्त सहायता प्राप्त करने में वह सफल हुयी। इसके लिए उनकी तीव्र आलोचना की गयी और यह कहा गया कि यह भारत को अमरीका के हांथ बेचना है।

बजाय इसके इस विषम परिस्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री को सहयोग दिया जाता। उनके सहयोगियो द्वारा मूकदर्शक बनकर केवल देखते रहना एवं नीतियों की आलोचना करना एक अच्छा कार्य नहीं कहा जा सकता। इन्दिरा जी के स्वयं के शब्दों में "मैं सोचती हूं कि एक बेहद कठिन दौर में कम से कम तकलीफ उठाये बाहर निकल आने पर हमें स्वयं को धन्यवाद देना चाहिए। खेद है कि अब तक इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसकी किसी ने सराहना भी नहीं की मंत्री को सहयोग दिया जाये। उनके

सहयोगियों द्वारा मूकदर्शक बनकर केवल देखते रहना एवं नीतियों की आलोचना एक अच्छा कार्य नहीं कहा जा सकता।

रूपये का अवमूल्यन :

6 जून को जब रूपये के 36 प्रतिशत अवमूल्यन की घोषणा की गयी। तो इसके सारे हिन्दूस्तान में तहलका सा मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं ने इन्दिरा जी की खुलकर आलोचना की। और व्यक्तिगत रूप से इन्दिरा गांधी को इसके लिए दोषी ठहराया गया। उनके विरोधियों ने अवमूल्यन में भगवान प्रदत्त व अवसर देखा जिससे वह श्रीमती गांधी को अपयश दे सकते थे और जिससे उन्हें हटाने में यदि सम्भव हो तो सफलता मिल सकती थी। उनकी यह असफलता उनके नेतृत्व की असफलता माना जाने लगा। और उनके खिलाफ यह अभियान शुरू हो गया कि वह प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है।

कामराज ने यह आभास किया कि इससे भारत की दशा हीन हुयी है इसमें कोई शंका नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विदेशी दबावों के सम्मुख आत्म समर्पण किया है।

मुरार जी देसाई की आलोचना कुछ भावात्मक थी उनका यह विश्वास था कि भारत को इससे अधिक रूप से क्षति हुयी है।

कांग्रेस कार्यसमिति की 6 जुलाई की बैठक में अवमूल्यन की आलोचना इतनी तीव्र रही कि विरोधियों ने यह समझा कि यह एक ऐसा प्रश्न होगा कि जिसमें उन्हें श्रीमती गांधी को बाहर निकालने में सहायता मिलेगी। एच.सी. माथुर जो कि प्रशासकीय सुधार आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने यहां तक कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर दल नेतृत्व के अनुमोदन के बगैर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। खुमायु, कबीर, राम सुभग सिंह आदि ने इसकी तीव्र आलोचना की। चूंकि इन्दिरा गांधी को मास्कों के लिए प्रस्थान करना था। अतः इस बैठक की कार्यवाही जुलाई 19 की बैठक के लिए खोल दी गयी। इस बैठक में श्रीमती गांधी की खुलकर आलोचना हुई और

एक भी ऐसा सदस्य अथवा विशेष अतिथि नहीं था जिसने अवमूल्यन के पक्ष में बोला हो यद्यपि सचिन चौधरी जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे वार्ता का प्रारम्भ करते हुए अवमूल्यन को अपरिहार्य बताया था और इसका सारा उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया था किन्तु किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उस समय तक यह सभी को मालूम हो चुका था कि इसके पीछे किनका हांथ है।

वस्तुस्थिति कुछ भी हो, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की बैठक में क्या हुआ उसे शब्द व शब्द प्रेस को सौंप दिया गया। यह किसी परिस्थिति को निपटने का किसी दल द्वारा एकीकृत कदम नहीं कहा जा सकता। इसके लिए यह परिणाम हुआ कि कांग्रेस के सांसदों ने भी इसकी एक सप्ताह बाद होने वाली संसदीय वाली बैठक में जमकर आलोचना की।

कुछ नेताओं ने इस बैठक में यद्यपि श्रीमती गांधी से अपने पुराने हिसाब चुकाये किन्तु इसने परिस्थिति को सम्भालने में कोई वास्तविक योगदान नहीं दिया।

अवमूल्यन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी प्रतिकूल हुयी। रूस इससे इतना अप्रसन्न हुआ कि श्रीमती गांधी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अशोक मेहता को व्यक्तिगत रूप से रूस भेजना पड़ा वार्ता के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ओसिजिन ने इसे भारत की भयंकर भूल बतलाई।

वार्ता कैसी भी रही हो किन्तु इसके बाद रूस ने प्रथम बार पाकिस्तान को हथियार बेचनें के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी।

ब्रिटेन भी इससे काफी दुःखी हुआ। क्योंकि उसने भारत को अवमूल्यन न करने की सलाह दी थी। और यहां तक वादा किया कि भारत की "वाद युद्ध" एवं वर्तमान अकाल की स्थिति की सन्दर्भ में आई0एम0एफ0 से विशेष रूप से यह सिफारिस करेगा कि भारत की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसे अधिक से अधिक ऋण दिया जाय।

अवमूल्यन भारत के लिए कोई नयी चीज नहीं थी। 1949 में भारत ने डॉलर एवं स्टर्लिंग के साथ रूपये का अवमूल्यन किया था जिसे विनमय मूल्य के 30 प्रतिशत के रूप में स्वीकार किया गया था।

इन्दिरा जी ने यह भी नहीं समझा कि यदि भारत इसे पुनः अपनी घरेलू, आर्थिक, कठिनाइयों के लिए अपनाता है तो इसकी इतनी राजनैतिक प्रतिक्रिया होगी वास्तव में इन्दिरा जी को 'अवमूल्यन' के क्या परिणाम हो सकते है इसकी स्पष्ट जानकारी भी नहीं थी।

उनके स्वयं के शब्दों में '6जून को रूपये का अवमूल्यन का निर्णय विश्व बैंक की सलाह पर नहीं बल्कि अशोक मेहता जिन्हें मै एक अर्थशास्त्री समझती थी वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों, मंत्रिमण्डल सचिव की सलाह पर किया गया था हमारे अर्थशास्त्रियों में उसे भारत के लिए अनिवार्य बताया था। मै स्वयं इस बारे में बहुत कम जानती थी। इसीलिए मैने कहा कि यदि यह जरूरी है तो वह चाहे लोकप्रिय क्यों न हो हमे ऐसा करना ही चाहिए। योजना आयोग भी इसके पक्ष में था। यदि वे इन्कार करते तो मैं विश्व बैंक के सलाह के विपरीत उनकी सलाह मान लेती।

स्पष्ट है कि अवमूल्यन का यह निर्णय योजना आयोग एवं कुछ अधिकारियों के परामर्श के कारण किया गया। जहां तक उल्लेखनीय है कि एल0के0 झा एवं श्रमती एस0के0 बुथलिंगम, श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी रह चुके थे और उस समय जो समिति अवमूल्यन पर विचार करने के लिए बनायी गयी थी उसके सदस्य थे। उनका यह विचार था कि इन परिस्थितियों में अवमूल्यन ही एक विकल्प है। वास्तव में इन अफसरों सहित दो मंत्री अशोक मेहता एवं सुब्रामनियम रुपये की हत्या के लिए उत्तरदायी थे।

अवमूल्यन से हुए प्रभावों को रोकने में सरकार असमर्थ रही। यद्यपि इस सम्बन्ध में कीमतें बढ़ने न पाये इसलिए सरकार ने बहुत सी सहकारी समितियों एवं सरकारी सस्ती दुकानें खोली ताकि उचित दामों में गरीबों को सामान सुलभ कराया जा सके। एसेन्सियल कॉमोडिटीज एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गयीं। सुपर बाजार

खोले गये। आपात के नियमों में उदारता बर्ती गयी किन्तु इसका कोई लाभ स्थायी रूप से न हो सका।[48]

जिसका समस्त अपयश श्रीमती गांधी को अपने प्रधानमंत्री काल के प्रथम ही वर्ष में सहने पड़े।

गो-रक्षा आन्दोलन :

इसी वर्ष एक भयानक चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुयी थी। वह थी जनसंघ पार्टी द्वारा संचालित गो रक्षा आन्दोलन। इस आन्दोलन में हिन्दू भावनाओं को उभारने के लिए जनसंघ पार्टी ने हजारों साधुओं को लाकर संसद भवन के सामने 7 नवम्बर, 1966 को हिंसक प्रदर्शन किये।[49]

हजारों साधुओं की भीड़ ने जो त्रिशूल फर्से और छुरे लिये हुए थे, मोटरों को जलाना, सरकारी इमारतों पर आग लगाने और राह चलते लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इन्दिरा जी जो कि बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके लौटी थी, ने लोक सभा में कहा "यह हमला सरकार पर नहीं हमारे जिन्दगी के तरीके पर सीधे चोट है।"[50]

कांग्रेस पार्टी की मांग पर गुलजारी लाल नन्दा को गृह मंत्री के पद से हटाकर वाई0पी0 चाह्वाण को गृहमंत्री बनाया गया।[51]

जब साधुओं वाली चाल सफल न हुई तो जनसंघ ने दूसरे तरीके अपनाये। गौ – बध पर प्रतिबन्ध लगाने का कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के इरादे से उसने पुरी के जगद्गुरू शंकराचार्य को आमरण अनशन करने के लिए दिल्ली बुलाया। हिन्दुओं के चार प्रसिद्ध पवित्र एवं मान्य पीठों में से एक के अधिष्ठाता का अनशन शुरू होते ही दर्शनार्थियों का तांता लग गया। इस आशंका से कि कहीं उपद्रव न हो जाये सरकार को उन्हें गिरफ्तार कर पाण्डिचेरी भेज देना पड़ा, जहां उन्हें सरकारी अतिथि के रूप में रखा गया। अन्त में अपने अनुयायियों के आग्रह पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया।[52]

इस पूरे आन्दोलन के दौरान इन्दिरा गांधी ने एक कठोर रूख अपनाया और यह साबित कर दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित "धर्मनिरपेक्षराज्य" की भावना से पूर्णतया ओत प्रोत है, और उसकी रक्षा करना वह अपना परम कर्तव्य समझती है। उन्होनें आन्दोलनकारियों को यह स्पष्ट कहा कि भारत हिन्दू, इसाई, मुस्लिम और अन्य सभी धर्मों को मानने वालों का है और कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो गैर हिन्दूओं के लिए असुविधाजनक हो अथवा उनके दिलों को कष्ट पहुंचाए।[53]

साम्प्रदायिक उन्माद की भांति क्षेत्रीयता का उन्माद भी अपना सर उठाये हुये खड़ा था। मिजो वर्षों से आसामी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा उठाये हुये थे। एवं सरकार को मानने से इंकार कर चुके थे। 1966 के प्रारम्भ तक यह विद्रोह काफी हिंसात्मक एवं भयानक रूप धारण कर चुका था। श्रीमती गांधी मिजो गई एवं ऐसे ढ़ाई लाख मिजो विद्रोहियों के प्रतिनिधियों से मिली और व्यक्तिगत रूप से वार्ता की इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली।[54]

पंजाब की समस्या उससे भी पेंचीदी थी जो उन्हें विरासत में मिली थी।[55]

वैसे तो स्वतंत्रता के पहले से ही सिक्खों की मांग थी कि उन्हें मुस्लिम अल्पमत सम्प्रदाय की तरह अधिकार प्राप्त होने चाहिए।[56]

किन्तु यह मांग स्वतंत्रता के बाद तेजी से बढ़ने लगी। 17 जून 1948 को दर कमीशन की नियुक्ति संविधान सभा द्वारा की गयी थी जिसे भाषा के आधार पर कुछ प्रान्तों के विभाजन के बारे में अपनी संस्तुति देनी थी किन्तु जिसने अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी थी कि प्रान्तों की प्रधान भाषा के आधार पर निर्माण भारतीय राष्ट्र के बढ़े हित के विरूद्ध होगा।[57]

इसके बाद भी कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जे0वी0पी0 कमेटी की नियुक्ति की गयी जिसने भी दर कमीशन की रिपोर्ट का ही अनुमोदन किया किन्तु इसने एक बात को मान लिया कि यदि जन भावनाएं तीव्र हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। और उस मांग को कुछ सीमाओं के अन्दर भारत के भले को देखते हुए क्रियान्वित करना चाहिए।[58]

किन्तु संविधान सभा की बैठक में यह भी निश्चय हो गया कि सभा इस समस्या के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करेगी, इस पर विचार उस समय किया जायेगा जब उसके लिए उचित समय होगा।[59]

यद्यपि संविधान सभा के क्षेत्राधिकार से यह मामला निकल गया, तथापि थोड़े ही समय में आन्ध्र प्रदेश की मांग को लेकर सबसे पहला आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसमें पोत्ती क्षीरामुलू इस आन्दोलन में अनिश्चित कालीन हड़ताल करते हुए बलिदान हो गये और परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री ने मद्रास के विभाजन की घोषणा 19 दिसम्बर 1952 को कर दी।[60]

जो की 1953 में क्रियान्वित भी हो गयी। यह एक ऐसे पडोराबाक्स साबित हुआ जिसने भाषा के आधार पर प्रान्तीयता की मांग तेजी से निकलने लगी और भारत सरकार उससे बहुत परेशान हो गयी।

श्रीमती गांधी ने जब प्रधानमंत्री का पद भार संभाला तो भाषा के आधार पर पंजाब के विभाजन की मांग तेजी पर थी, एवं आकाली दल के राजनीतिक –धार्मिक नेता संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग पूरी होने तक आमरण अनशन की घोषणा की, तो सरकार के लिए इस मांग का प्रतिकार करना और भी कठिन हो गया। इसे लेकर कांग्रेस स्वयं एक अजीब उलझन में पड़ गयी थी। यदि वह अकालियों की पंजाबी सूबे की मांग को मंजूर कर लेती तो उसका अर्थ यह होता कि वह जिस स्थिति पर अब तक दृढ़ थी, उससे डिग गयी। उसके कारण प्रस्तावित पंजाबी सूबे में हिन्दू समर्थकों को नीचा भी देखना पडता और यदि सरकार वह मांग स्वीकार न करती तो सिख आन्दोलन हिन्सात्मक हो सकता था। केवल भाषायी पुनर्गठन पंजाब की समस्या को हल कर सकेगा।[62]

ऐसा श्रीमती गांधी का विचार था। उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर संत फतेह सिंह ने एक माह के लिए अपना अनशन स्थगित करना मंजूर कर लिया।[63]

63 वही

9 मई को कांग्रेस समिति ने पंजाबी सूबे के गठन का एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया।[64]

सरकार द्वारा गठित शाह कमीशन ने प्रस्तावित नव गठिन पंजाब एवं हरयाणा राज्य की सीमायें निर्धारित करते हुए सरकार को आपनी आख्या 31 मई 1966 को दी। 3 सितम्बर को पंजाब रिआर्गनाइजेशन बिल लोक सभा में रखा गया।[65] जो सात सितम्बर को एक्ट बन गया।[66] नवम्बर 1966 को दोनों राज्यों का अलग अलग अस्तित्व कायम हुआ।[67]

कांग्रेस की नीति में यह आश्चर्य जनक उलटफेर विल्कुल अनापेक्षित था। नेहरू जी इस मांग के बहुत खिलाफ थे।[68]

कांगेस कार्यसमिति की बैठक 10 मार्च में मुरार जी ने इस मांग को साम्प्रदायिक कहा था बीजू पटनायक एवं डॉ0 राजसुभग भी इसके विरोध में थे।[69]

किन्तु मांग ने धीरे धीरे इतना और जोर पकड़ा कि शास्त्री जी के जीवन काल में ही लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जो स्वयं पंजाबी सूबे के कट्टर समर्थक थे संसदीय सभा का निर्माण हो चुका था कार्यसमिति के अन्य सदस्य जिनमें इन्दिरा जी एवं चाह्वाण भी सम्मिलित थे।[70]

इन्दिरा जी के स्वयं शब्दों में "मैं बेहद चिन्तित थी और सब लोगों से मिलती फिर रही थी यह तय था कि एक बार रिपोर्ट आ जाने के बाद उनमें परिवर्तन कठिन होता मेरा हमेशा से मत रहा है कि प्रबल जनमत के दबाव से कोई भी कार्य हो सकता है। यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है कि इस पर अड़ा जाय।[71]

और शायद इन्दिरा जी इस कारण इस प्रस्ताव को मान गयी जो आगे चलकर भारत की एकता के लिए ही प्रश्नचिन्ह बन गया।

कुछ दिनों के लिए सिक्ख आन्दोलन तो टल गया लेकिन दूसरी ओर प्रस्तावित पंजाबी सूबे के हिन्दू अल्पसंख्यकों को लगा कि उन्हें नीचा देखना पड़ा है हिन्दू पुर्नत्थानवादी जनसंघ के उकसाने पर पंजाब और दिल्ली के

अनेक क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। सामूहिक हिंसा इतनी उग्र हो गयी कि दिल्ली के निकट पानीपत में तीन कांग्रेस जन जीवित जला दिये गये।[72]

उनका यह विश्वास था कि उनके इस कदम से कुछ महीनों में अच्छा परिणाम निकलेगा जैसा कि उन्होंने कहा – एक ओर अपनी मांग अचानक मान लिये जाने के कारण सिक्ख खुश थे तो दूसरी ओर पंजाब की हिन्दी भाषी जनता नये राज्य हरयाणा के गठन पर संतुष्ट थी। पुराने पश्चिमी प्रान्त पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ को तत्काल केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय कर इस विवाद को भी परे कर दिया गया। कि चण्डीगढ़ दोनों में किस नये राज्य को मिलेगा।[73]

गलत सिद्ध हुआ क्योंकि इससे न चण्डीगढ़ की समस्या का आज तक कोई समाधान हो सका और न पंजाबी और जाटों में कोई संतुष्ट हो सका। यह अवश्य हुआ कि पंजाब में रहने वाले बेकसूर हिन्दुओं की सुरक्षा जब भारतीय सरकार की प्रथम समस्या बन गयी।

विश्व के दोनों बड़े राष्ट्रों अमरीका और रूस के साथ समान रूप से राजकीय मैत्री भाव स्थायी रूप से बनाये रखने का इन्दिरा जी ने भरसक प्रयास किया। जैसा कि वे इन देशों कि यात्रा पहले भी कर चुकी थीं उन्होंने फ्रान्स से भी अपने सम्बन्ध बनाये वे अपने पिता पं0 नेहरू की विदेश नीति का ही पालन करती रहीं लेकिन इस नीति के कारण उन्हें अक्सर विरोधियों की आलोचना सुननी पड़ी कुछ दक्षिणपंथी भारतीय नेता उनसे ये आशा करते थे कि भारत को उन्हें अमरीका के निकट अधिक लाना चाहिए। और अमरीका से फौजी और आर्थिक सहायता बड़े पैमाने पर प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी ओर अन्य वामपंथी सदा इस बात के लिए चीखते रहे कि अमरीका से सहायता लेकर इन्दिरा जी भारत पर अमरीकी राजनीतिक प्रभाव बढ़ने में साधन बन रही हैं। लेकिन दोनो ही पक्षों की आलोचना से वे विचलित नहीं हुयी और अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ करने में लगी रहीं।[74]

अक्टूबर 1966 में दिल्ली में एक त्रिपक्षीय गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।[75]

मिश्र के राष्ट्रपति नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति कीटो भारत आये।[76]

उनके साथ इन्दिरा जी ने अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम में बम वर्षा की आलोचना की एवं बिना शर्त इसे रोकने की मांग की यह पहला मौका था, जब भारत और अमरीका के सम्बन्धों में तनाव आया परन्तु भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने असंलग्नता की नीति की जो बात कही वही उसका मतलब है।[77]

और उन्होंने उन विरोधियों के मुंह में सीधा तमाचा मारा जो अमरीका यात्रा में वापिस आने के बाद इन्दिरा जी को इसके लिए कोस रहे थे कि उन्होंने अमरीका सहायता के लिए भारत को उसके हांथ बेंच दिया।[78]

चेकोस्लाविया के प्रति रूस के व्यवहार की भी भारत ने सराहना नहीं की।[79]

इन सब के कारण भारत एवं अमरीका के सम्बन्धों में तनाव अवश्य आ गया किन्तु इस त्रिपक्षीय बैठक का यह लाभ भी हुआ कि यह उनका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं गुट निरपेक्ष राज्य की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला था क्योंकि जब तक नव स्वंतन्त्र एवं विकासमान देश विकास की एक आवश्यक अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते है और स्वयं विकसित होने की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेते है तब तक वह तनाव एवं दबावों के शिकार होते रहेगें।[80]

इन्दिरा जी ने इसके अलावा चीन एवं पाकिस्तान से भी अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न किया किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई। चीन एक सुपरशक्ति की तरह बढ़ रहा था।[81]

और भारत को अपना शत्रु समझता था क्योंकि उसके रूस से सम्बन्ध बिगड़ गये थे। रूस एवं अमरीका दोनो ही भारत को संसय की दृष्टि से देख रहे थे।

रूपये का अवमूल्यन हुआ, दो सूखों एवं औद्योगिक मंत्री ने चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर देने के लिए विवस कर दिया। जगह –

जगह विरोधी पार्टियां सर उठाने लगी एवं क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ। छात्रों के आन्दोलन रोजमर्रा की बात हो गये, अनियन्त्रित मुद्रास्फीति और उसके कारण निर्वाह खर्च में लगातार वृद्धि के कारण हिंसक हड़तालें एवं उग्र प्रदर्शन हुये। वर्षा की कमी के कारण अन्न उत्पादन घटा परिणाम स्वरूप चारों ओर उपद्रव हुये।[82]

कुछ भी कहा जाय किन्तु इतना सच है कि 1966 – 67 इन्दिरा जी के लिए यह प्रधानमंत्री के प्रशिक्षण का काल था, इसमें उन्होंने बहुत सी गलतियां की।[83] उन्होंने इसे स्वीकार भी किया।[84] और उन्हें सुधारने का प्रयत्न भी। कभी तो ऐसा लगा कि कांग्रेस उन्हें नेतृत्व पद से हटा देगी।[85] और कभी उन्हेंाने स्वयं त्याग पत्र देने की घोषणा की और दूसरे नेता चुनने की बात कही।[86]

इन चुनौतियों को स्वीकार करने की आलोचकों की हिम्मत न हुयी। अख़बारों ने उनके इस आचरण की खूब सराहना की उन्होंने इसे नेहरू चरित्र के प्रात्यावर्तन की संज्ञा दी।[87]

कांग्रेस के समक्ष भी कोई विकल्प नहीं था। कामराज यह समझते थे कि इस समय इन्दिरा जी कांग्रेस की केवल आशा है।[88]

आम चुनाव एवं इन्दिरा जी द्वारा चुनाव अभियान :

नया चुनाव आ गया जिसे फरवरी, 1967 में होना था। इन्दिरा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के चुनाव के प्रचार का नेतृत्व किया। 15,200 मील के दौड़े के साथ 160 आम सभाओं में उन्होंने भाषण दिया। सभाओं में भारी भीड़ एकत्र हुयी।[89]

किन्तु चुनाव परिणाम इन्दिरा जी के पक्ष में नही हुए। स्वतंत्र पार्टी जिसे कांग्रेस के ही एक महान नेता राजगोपालाचारी ने खड़ा किया था। वह राजस्थान एवं उड़ीसा में कांग्रेस के विरूद्ध काफी शक्तिशाली सिद्ध हुयी मद्रास में डी0एम0के0 नाम से एक क्षेत्रीय पार्टी तैयार हो गयी थी, जिसका नारा एक अलग स्वायत्तशासी राज्य स्थापित करना था।

पश्चिमी बंगाल एवं केरल राज्य में कम्युनिस्ट संबल हो रहे थे।[90]

इन्दिरा जी के अधिक प्रयास के बावजूद कांग्रेस इस चुनाव में अच्छी स्थिति न बना सकी। इन्दिरा जी एवं मोरार जी देसाई को छोड़कर करीब करीब सभी पुराने नेता इस चुनाव में हार गये। इसमें मुख्य हार कांग्रेस के नेता कामराज नायर एवं एस0के0पाटिल, अतुल घोष की हुयी।[91]

बंगाल में भी जनता ने अवमूल्यन के जिम्मेदार शचीन्द्र चौधरी को हरा दिया।[92]

यद्यपि कांग्रेस जीत गयी लेकिन उसे केवल बहुमत से पांच प्रतिशत ही अधिक स्थान मिले जो संख्या से केवल 40 अधिंक थे।[93]

और फिर जिन सत्रह राज्यों में चुनाव हुये उनमें कांग्रेस केवल आठ में सरकार बना पायी। बाकी जगह विरोधी अथवा मिली जुली अन्य दलों की सरकारें बनी किन्तु इतने कम संख्या में कांग्रेस की विजय और पार्टी के डावांडोल स्थिति के कारण सदस्य बहुत कुछ स्वतंत्र एवं अवज्ञाकारी हो गये। और उच्च शिखर पर बैठे हुए, कांग्रेसी भी यह सोचने लगे कि कुछ सदस्य दल बदल कर सकते हैं। किन्तु फिर भी उनमें शक्ति की लड़ाई एवं आपस की रस्साकसी में कोई कमी नहीं आयी। एक बार पुनः मोरार जी भाई प्रधानमंत्री की दौड़ में प्रत्याशी बनने को तैयार हो गये। कामराज स्वयं चुनाव हार चुके थे और उनके लिए श्रीमती गांधी का चुनाव निश्चित था, हमेशा की भांति कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एकता की बात दुहराई गयी, क्योंकि नेतृत्व की तरह वह भी कमजोर हो गयी थी।[94]

अतुल्य घोष, एस0के0पाटिल, कामराज एवं संजीवरेड्डी एवं निजिलिंगप्पा कुछ शक्ति रखते थे, और वे श्रीमती गांधी को पुनः नेता चुनने के पक्ष में नहीं थे किन्तु वे इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि वह इस सत्य को स्वीकार न करेगें कि "इन्दिरा गांधी के साथ सांसदों का बहुमत है। राष्ट्रीय छवि है।[95]

एवं चाह्वाण एवं देसाई कभी भी एक नही हो सकते अतः अब वह यह चाहते थे कि श्री देशाई कैबिनेट में रहें एवं श्रीमती गांधी को प्रतिबन्धित करें।[96]

इन्दिरा गांधी किसी सौदे के आधार पर एकता की पक्षधर नहीं थी। देशाई एकता चाहते थे परन्तु प्रधानमंत्री बनने का आखिरी मौका वह छोड़ना नहीं चाहते थे। काराज के समक्ष कोई विकल्प न था। 13 मार्च संसदीय दल के नेता के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गयी तथापि कामराज ने अपनी एकता के प्रयत्न बन्द न किये।[97]

तमाम प्रयत्नें के बाद समझौता इस बात में हुआ कि मुरार जी देशाई को उप प्रधानमंत्री बनाया जाय, और उनकी यह बात नही मानी गयी कि उनको साथ में गृह भी दिया जाय, बल्कि उसकी जगह उन्हें वित्त दिया गया। उप प्रधानमंत्री की स्थिति भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गयी। संघर्ष टल गया, परन्तु श्रीमती गांधी के समर्थक इससे प्रसन्न नहीं हुए। अन्तः शायद श्रीमती गांधी ने भी उसे कोई महत्व नहीं दिया अपनी कैबिनेट के साथियों के चुनाव में मुरार जी भाई से कोई सलाह नहीं ली गयी। इस प्रकार तीसरा राज्यारोहण का युद्ध भी समाप्त हुआ। मुरार जी देशाई पुनः हार गये। वह कर भी क्या सकते थे। उनका उत्तर "हाऊ बुड हैब डिफीटेड हर व्हेने गाड वाज ओवर हर साइड"।[98]

और यहां से कोंग्रेस के अन्दर शीत युद्ध प्रारम्भ हुआ। यद्यपि श्रीमती गांधी ने कहा कि मोरार जी देशाई ने मुझे पूर्ण एवं बिना शर्त सहायता का वचन दिया है और मुरार जी भाई ने कहा कि अब हमें प्रसन्न टीम की भांति काम करना चाहिए।[99] तथापि वे एक न हो सके और अन्ततोगत्वा यह दरार धीरे – धीरे बढ़ने लगी, जिसने आगे टूट कर कांग्रेस को विभक्त कर दिया।

संघर्ष का काल (1967-70) :

श्रीमती गांधी यद्यपि प्रधानमंत्री चुन ली गईं किन्तु उनका यह काल काफी संघर्षमय रहा। स्वयं कांग्रेस दल में एक 'शीत युद्ध' प्रारम्भ हुआ। मोरार जी अपनी हार को पचा न सके और सिण्डीकेट के वे घाघ, जिनमें स्वयं कामराज नाडर सम्मिलित थे, इसके लिए तैयार न थे कि इन्दिरा अपनी शक्ति को सरकार एवं दल दोनों में प्रतिष्ठित करने में सफल हो सके। उनके वे

साथी, जिन्होने इन्दिरा जी को संसद दल के नेता के चुनाव में सहायता तो की थी, जिसका कारण उनके समक्ष कोई दूसरा विकल्प न था, औरवे मोरार जी भाई को पसन्द न करते थे, अब वे ही इन्दिरा जी के खुले विरोध में आने लगे। वह संघर्ष 1969 में कांग्रेस के बृहत विभाजन के रूप में सामने आया।

इन्दिरा जी ने दूसरी ओर यह भी अनुभव किया कि उन्हें भी अपने को रूढ़वादियों के चंगुल से छुड़ाना होगा और तभी वे कांग्रेस की खोयी हुयी ख्याति को पुनः वापस प्राप्त कर सकने में सफल हो सकेगी।

उन्हें इस दूसरे चरण में और समस्यायें भी शेष नाग की तरह अपने फन फैलाये खड़ी थीं। चाइना और पाकिस्तान सीमा पर देश को परेशान कर रहे थे। दक्षिण में हिन्दी विरोधी आन्दोलन सक्रिय थे। पंजाबी अलग पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे, तो दूसरी ओर जनसंघ दिल्ली में सिक्खों के लिए अलग सूबा न देने के लिए आन्दोलित था।

दल बदल के कारण प्रान्तीय सरकारों में भी स्थिरता नहीं थी।[103]

दूसरी ओर इन्दिरा जी अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्प थी और उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अपनी नीति का एक बिन्दु बना लिया था।[104]

श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं विदेश नीति :

श्रीमती गांधी विदेशी नीति के सम्बन्ध में पूर्णतया अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की घोषित नीतियों की समर्थक थीं।[105]

विदेशी नीति के सम्बन्ध में उनका स्पष्ट विचार था कि वैदेशिक नीति कभी भी आन्तरिक नीति से तलाक नहीं ले सकती है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है और इट इज ए रिफलेक्शन ऑर अवर डोमेस्टिक प्री अक्यूवेशन"[106]

उनके अनुसार भारतीय वैदेशिक नीति के 'कार्डियल प्रिंन्सिपल' विश्व शांति की स्थापना है। उनका विचार था कि आपसी मतभेंदों का निराकरण आपसी विचार विमर्श के द्वारा होना चाहिए, न कि हिंसा से।[107]

और इसलिए इन्दिरा जी के लिए नीति मित्रता को प्रगाढ़ता देना, मतभेदों में परिवर्तन कर मित्रता की ओर बढ़ना और 'हासटेलिटी' बिगाड़ जितना भी है, उसको कम करना।[108]

इसका प्रमाण उनके वक्तब्यों से स्पष्ट था, जो इन्होंने इसी वर्ष अपने मारिसस एवं लुसाका भ्रमण में दिये। लुसाका में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन में : 9–9–70 : इन्दिरा जी ने अमेरीका से अपील की थी कि वह हिन्दचीन से अपनी सेनाएं पुनः हटा ले।[109]

इसी वर्ष न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की रजत जयन्ती में भाग लेते हुए, इन्दिरा जी ने भारत की गुट निरपेक्षता को वर्तमान के सम्बन्ध में अपने व्यवस्थापित किया। अरब राष्ट्रों एवं इजराइल के बीच हुए संघर्ष में उन्होंने गुटबन्दी की मांग की और अरब देशों की वकालत की।[110]

किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि उन्होंने इजराइल के अस्तित्व पर कोई चिन्ह लगाया।

रोमानियां में एक प्रेस कान्फ्रेन्स में एक पत्रकार ने इन्दिरा जी से सीधे प्रश्न किया था कि क्या आप इजराइल के अस्तित्व के बने रहने का समर्थन करती है तब इन्दिरा जी ने कहा :–

"इजराइल के अस्तित्व के बने रहने के अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्वीकार किया। अतः मैं नहीं समझ सकती कि इस समस्या के सम्बन्ध में अधिक टीका – टिप्पणी की जरूरत रह जाती है। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई अब महत्व नहीं है कि पहले हम लोगों की क्या राय थी, इजराइल के निर्माण के समय का इसी तरह, लेकिन अब जब संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा इजराइल को मान्यता मिल चुकी है, और मान्यता में हमारा भी समर्थन रहा है। तब अब इजराइल को एक राज्य के रूप में न माने ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम सब यही चाहते है कि कोई हल निकले और वह ऐसा हल निश्चित रूप से अरब राष्ट्रों को मान्य होने जैसा होगा। किन्तु इसका तात्पर्य नहीं था कि भारत की विदेश नीति अपने में स्वतंत्र असंलग्न एवं तटस्थ नहीं थी। उन्हें यह भी देखना था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कहीं ऐसा रूप न ले

ले जो राष्ट्र हित के ही विरूद्ध हो और इसलिए उन्होंने अपने अंग्रेजों से कहीं अलग रूख भी अपनाया। उनका कहना था कि भारत को अपनी रक्षा हेतु अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी होगी।[111]

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जब 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद पर कार्यभार ग्रहण किया तो भारतीय विदेश नीति में ताशकन्द समझौता : 11 जनवरी 1966 को हो जाने के बाद काफी गतिशीलता आ गयी।[112]

श्रीमती गांधी के लिए आन्तरिक राजनीति से अधिक चिन्ताजनक बात यह थी कि भारत के पड़ोसी हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने 1966 के बाद अपनी रक्षा शक्ति को बढाने के लिए, विदेशों से हथियार खरीदने शुरू कर दिये। पाकिस्तान ने पुनः काश्मीर की समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए राग अलापना शुरू कर दिया था। 10 मई 1967 को श्रीमती गांधी ने कहा कि काश्मीर की समस्या कुछ भी नहीं है और न ही इस पर कोई समझौता की जरूरत है।[113]

भारत – चीन के साथ भी सम्बन्ध सुधारना चाहता था तथा भारत ने चीन को हमेशा ही 'कोलम्बो प्रस्ताव मान लेने के लिए कहा' लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव की ने केवल अनसूनी की बल्कि लद्दाख क्षेत्र में सैनिक छावनी की स्थापना करने लगा, तथा सिक्किम और भूटान में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिये। चीन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ – साथ 17 जुलाई 1967 को हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया।[114]

1966 तथा 1968 के बीच भारत ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री पूर्ण सम्बन्धों को और भी बढ़ाने के प्रयास जारी रखे जैसे जापान, थाइलैन्ड, इरान, टर्की आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैन्ड। भारत ने पूर्वी तथा पश्चिमी सैनिक गुट में शामिल होने के लिए साफ मना कर दिया।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और भी शक्तिशाली बनाने के लिए अक्टूबर 1966 को दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें राष्ट्रपति नासिर तथा भूतपूर्व युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने भाग लिया।[115]

भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखे। नेपाल के साथ आर्थिक सम्बन्ध सुधारने के लिए वित्तीय संधि की गयी।[116]

1968 तथा 1969 तक भारत के चीन तथा पाकिस्तान से सम्बन्ध मधुर नहीं हो सके। इसका प्रमुख कारण था – चीन के द्वारा विद्रोहियों को प्रशिक्षण। चीन में करीब 1500 नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण कराके भारतीय सीमा में तोड़ फोड कराने को भेज दिया था। पाकिस्तान भी पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से मिजो तथा नागा विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रहा था।[117]

आन्तरिक गुटबाजी :

आन्तरिक गुटबाजी का शुभारम्भ डॉ0 राधाकृष्णन के त्यागपत्र व उनके उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर प्रारम्भ हुआ। सामान्यतया ऐसी प्रथा का निर्माण हो चुका था, कि भारतीय उपराष्ट्रपति को ही कांग्रेस के राष्ट्रपति हेतु मनोनीत सदस्य मान लिया जाय।[118]

उस समय डॉ0 जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति थे। अतः उन्हीं को कांग्रेस दल द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए था। किन्तु कांग्रेस के प्रमुख पुराने नेता इसका इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनको भय था कि जनता एक मुसलमान को स्वीकार करने के लिए तैयार न होगी।[119]

कुछ ऐसे प्रमाण भी पाये गये, जिससे लगा कि राष्ट्रपति राधाकृष्णन भी किसी मुस्लिम को इस पद के लिए नामांकन हेतु चिन्तित थे एवं उन्हें शी जीत की आशंका थी कि उन्होंने एक योजना भी सुझायी जिसके तहत राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें पुनः नामांकित कर दिया जाय और वे 6 माह बाद स्वतः त्याग पत्र दे दे, जिससे कि बिना किसी चुनाव के खतरे के डॉ0 जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया जा सके, श्रीमती गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुई।[120]

उन्हें इस योजना से आभास हुआ कि वह (सिण्डीकेट) श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही बाहर करना चाहते है, जैसा कि उन्होनें डा0 हुसैन की मृत्यु के बाद आये हुए अवसर का श्री मती गांधी को संज्ञाहीन बनानें के लिए प्रयोग किया था। [121]

किन्तु इससे कोई विशेष संघर्ष नही हुआ और अन्तोगत्वा उनके कांग्रेसी साथी इसके लिए राजी हो गये किन्तु इन्होनें अवश्य कहा कि डा0 हुसैन एक कमजोर प्रत्यासी है न कि मुसलमान ओर वे चुनाव न जीत सकेगे। श्रीमती इन्दिरा गांधी का उत्तर था लेट्स लूज बट बी शुड स्टिल ट्राई।[122]

और वे जीत गये किन्तु इसका यह तात्पर्य नही था कि कांग्रेस में फूट न थी स्वयं श्री मती इन्दिरा गांधी नें इसे स्वीकारा।

Never the less after the 1967 election there was definit spit in the party it was not obrious to all but it was obrious to us to every body here because every time hed a meating of executive of parlimentary party there would be tension and some people and deliverately try I want say insult all though it was pretly near but needle me on any small point and make it as unpleasant as possible .[123]

1967 में कांग्रेस में बैक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में यक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसका देशाई एवं उनके रूढ़वादी समर्थकों ने खुला विरोध किया यहा तक देशाई नें यह भी धमकी दे डाली कि यदि कांग्रेस दल नें इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके क्रियान्वन पर जोर दिया तो वे दल से त्याग पत्र देदेगें।[124]

1967 के 72वें कांग्रेस अधिवेसन में काग्रेंस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा नें सरकार की नीतियों की जिनमें भाषा सम्बन्धी नितियों को समाप्त कर आर्थिक आधार पर राष्ट्र का ढाँचा खड़ा करना था कि तीव्र आलोचाना की। [125]

ये वे नीतियाँ थी जिनकी स्वतंत्र एवं जनसंघ द्वारा वकालत की जा रही थी[126]

और स्पष्ट कर रही थी कि कांग्रेस में यह विभाजन केवल पार्सोनाल्टी डिवीजन का द्रयोतक नहीं था वरन यह आडियो डिफरेन्सेज का स्पष्ट प्रमाण भी है। 127

पुनः राष्ट्रपति का चुनाव एवं कांग्रेस में विभाजन :

डा0 जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति पद के ग्रहण करनें के दो वर्ष के अन्दर ही उनकी मृत्यु एवं उनके उत्तराधिकारी के नामांकन के प्रश्न को लेकर कांग्रेस का अन्तरिक विवाद उभर कर फिर सामनें आ गया

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी नें पूर्वपरिपारी के आधार पर श्री वी0बी0 गिरि जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे को राष्ट्रपति हेतु कांग्रेस का प्रत्याशी बनानें की बात दोहरायी। 128

इस बार सिण्डकेट दबनें को तैयार न थे सिण्डकेट ग्रुप में ए0आई0सी0सी0 के बंगलौर अधिवेसन में एन0 संजीव रेड्डी को अपना प्रत्यासी बनाया और इसके लिए उन्होनें कांग्रेस दल से सम्बन्धित लोगों को हिवंप सचेतक जारी करनें का फैसला किया इन्दिरा जी नें इसे गम्भीरता से लिया एवं उन्होनें स्वतंत्र वोट देनेंकी वकालत की।129

उनका विचार था कि इस समय स्वतंत्रता इस लिये भी आवश्यक है, क्योंकि इस चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव से कहीं अधिक मुद्दे निहित है। यह मुद्दे सिडीकेट के संजीव रेड्डी एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी के श्री वी0बी0 गिर के चुनाव से अधिक राजनैतिक एवं आर्थिक नीतियों पर अधिक आधारित है। 130

कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गयी एक कांग्रेस ओः जिसमें पुराने कांग्रेसी जिसमें कम से कम दो राज्य गुजरात एवं मैसूर एवं दूसरे कांग्रेस आई जिसे इन्दिरा कांग्रेस कहा गया। एवं जिसमें बहुत थोड़े से बहुमत के साथ कांग्रेस ओः से वह आगे थी और अवशेष दूसरे राज्य थे। 131

श्री रेड्डी को जनसंघ स्वतंत्र आदि दलों का समर्थक भी प्राप्त था। 132

राष्ट्रपति का यह चुनाव एक प्रकार से प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी शक्तियों के टकराव का प्रतीक बन गया। 9 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति पद के लिए श्री वी0वी0 गिरी चुन लिये गये। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रथम विज़य थी।[133]

संघर्ष के इन्ही दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजिलिंगप्पा नें अर्जुन अरोड़ा कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य को कांग्रेस की सदस्यता से वंचित कर दिया एवं श्रीमती गांधी एवं उनके विशेष सहयोगियों से राष्ट्रपति पद के लिए दल के प्रत्यासी के विरूद्ध कार्य करनें के आरोप में उत्तर मांगा। श्री देशाई नें श्रीमती इन्दिरा के इस आचरण को अनुशासन हीनता बताया और यहाँ तक कहा कि श्री मती गांधी को उनकी दल विरोधी नीतियों के कारण काग्रेस कार्य समिति द्वारा निलंबित कर दिया जाय तो वे प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बनी रह सकती। 134

प्रतिक्रिया स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के 708 सदस्यों में 408 सदस्यों में 408 सदस्यों नें हस्ताक्षर करके मांग की कि निजिलिंगप्पा के स्थान पर नये अध्यक्ष के चुनाव के लिये कांग्रेस महासमिति की बैठक तुरन्त बुलाई जाय। 135

इसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हुयी और 12 नवम्बर 1969 को उन्होनें सीधे एक घोषणा द्वारा इन्दिरा गांधी को कांग्रेस दल से उनके 167 सहयोगियों के साथ निस्कासित कर दिया और संसद के कांग्रेस दल को आदेश दिया कि इन्दिरा गांधी के स्थान पर संसदीय दल का दूसरा नेता चुना जाय। 136

वार्किंग कमेटी में निजिलिगप्पा के एवं 10 श्रीमती गांधी के समर्थक थे अतः वह कोई भी निर्णय लेने में सफल हो जाते।

लेकिन कांग्रेसी संसद सदस्यों नें निजिलिंगप्पा के इस आदेश को अनसूना कर दिया। 137

इसके पहले ही श्रीमती इन्दिरा गांधी के 248 समर्थक सांसदों ने श्री निजिलिंगप्पा को चेतावनी दी कि यदि श्रीमती गांधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी तो वह उसका मुहतोड़ जवाब देगें।[138]

निजिलिंगप्पा की इस अनुत्तरदायी कार्यवाही से वातावरण एकदम बोझिल हो गया। सिंडीकेट नें नया चुनाव करा डाला। श्रीराम सुभग सिंह को लोक सभा का नया नेता घोषित किया गया। श्री एस0एन0 मिश्र राजसभा के नेता बनाये गये एवं श्री मोरार जी देशाई संसदीय दल के अध्यक्ष हुए। कांग्रेस दल का विघटन हो गया। पहले ही बैंक के राष्ट्रीयकरण के मसले में श्री मोरारजी देशाई को वित्त मंत्री के पद से हटाया जा चुका था और उनके पक्ष में चार वरिष्ठ मंत्रियों नें जिनमें श्री सुभग सिंह जो अब कांग्रेस ओ के लोक सभा के नेता बनाये गये अपना त्यागपत्र दे इन्दिरा जी मंत्रिमण्डल से बाहर आ चुके थे।[139]

इन्दिरा जी का संसदीय दल में बहुमत समाप्त हो चुका था और उन्हें सरकार चलानें के लिए डी0एम0के0 कम्यूनिस्ट अकाली एवं भारतीय क्रान्ति दल पर भरोसा करना पडा।[140]

यद्यपि कांग्रेस कार्यकारिणी के आधे से अधिक प्रबन्ध समिति 10 सदस्य कांग्रेस सांसदों के तीन चौथाई तथा अधिकतम मुख्य मंत्री एवं राज्यों के कांग्रेस विधायक इन्दिरा जी के साथ आ गये तथापि 84 वर्ष पुरानी अखण्डित कांग्रेस दल में दरार पड़ गयी सब समाप्त हो गया।[141]

इन्दिरा समर्थकों ने श्री सी0 सब्रामनियम को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया।[142]

इन्दिरा समर्थक कांग्रेस दल दूसरा आर्गनाइजेशन कांग्रेस ओ0 के नाम से जाना जानें लगा यह लड़ाई 1970 में पुनः एक बार उभरी जब कांगेस आर नें श्री जगजीवन को अपना अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस ओ नें यह आरोप लगाया कि 10 वर्ष से श्री जगजीवन राम नें आयकर का कोई पैसा अदा नहीं किया किन्तु श्री मती इन्दिरा गांधी नें इस ओर कोंई ध्यान नहीं दिया। एवं वें राष्ट्र को समाजवादी रास्ते पर ले जानें के लिए कार्यक्रम में लगी रही।

हरित क्रान्ति :

श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने प्रारम्भ के प्रधानमंत्रित्व काल में सूखे का विकराल तांडव देख चुकी थी। अतः वे इस बात के लिए पूर्णतया प्रयत्नशील थी कि खाद्य के सम्बन्ध में उनका देश स्वावलम्बी बने, इसलिए इन्दिरा अपने बजट में कृषि को प्राथमिकता दी। भारत बहुधा अपनी खेती के लिए अनिश्चित मानसून पर निर्भर करता है। सौभाग्य से 68—70 में अच्छी मानसून हुई, जो हमारी खेती के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। गेंहू की अतिरिक्त उपज हुयी। इसका बंफ़र स्टाक किया गया, ताकि भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित समय में इसका प्रयोग किया जा सके। चावल अब भी कम था, किन्तु इसकी पूर्ति के लिए पूरे साधन मुहैया किये गये। अन्तर्राज्य व्यापार को बढ़ावा दिया गया। किसानों को लगान मे छूट दी गयी उन्हें मुफ्त खाद वितरित की गयी। ट्रैक्टर खरीदने के लिए उन्हें ऋण भी दिया गया और छूट भी दी गयी। ऐसे सभी प्रोत्साहन दिये गये, ताकि किसान खेती में रूचि ले और पैदावार को बढ़ावें। सरकारी आदेश द्वारा ब्लाक स्तर पर खेती को वैज्ञानिक स्तर पर कैसे बढ़ाया जाय इसके विशेषज्ञ रखे गयें, जिनका कार्य यह था कि वे कृषि के सम्बन्ध में किसानों की सहायता करें। ब्लाक स्तर पर कीटाणु नाशक दवाइयॉ भी उपलब्ध करायी गयी जिनका किसान निःशुल्क प्रयोग कर सके, यह सब इसलिए किया गया ताकि खाद्य की पैदावार बढ़ायी जा सके और भविष्य में खाद्य समस्या किसी भी भुखमरी का कारण न बन सके। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए अलग से इनाम की घोषणा भी की गयी, यह सब प्रयत्न इतने सफल हुए कि खाद्य के मामले में भारत दो ही वर्षों में स्वावलम्बी हो गया और इतने संघर्षों के बावजूद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी "हरित क्रान्ति" के माध्यम से कम से कम गरीब जनता के प्रारम्भिक आवश्यकता को पूरी करने में कुछ सफलता प्राप्त कर सकी। यद्यपि अभी भी एक समस्या थी कि और वह थी, बड़े किसानों द्वारा बड़े फार्मों का निर्माण जो कि एक "कृषि इस्टेट" के रूप में परिवर्तित किये जाते थे और जिनके कारण छोटे किसान अपने जीवन यापन का भी गल्ला पैदा करने में असमर्थ थे और इन बड़े किसानों पर अपने परिवार के परवरिस के लिए निर्भर करते थे। प्रधानमंत्री की पहली समस्या थी, खाद्य

की उपज में बृद्धि करना, जो उन्होंने हल कर ली थी और इससे सम्बन्धित दूसरी समस्या का हल उन्हें करना था।[143]

इन्दिरा जी की आर्थिक नीतियां एवं समाजवादी कदम :

आर्थिक रूप से वह राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने हेतु कृत संकल्प थी।[144]

उन्होंने देश की निर्धन जनता की स्थिति को सुधारने के लिए दस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के प्रीवीपर्स की समाप्ती की कार्यवाही भी सम्मिलित थी। बंगलौर के 1 जुलाई 1968 को कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण नगरीय सम्पत्ति सीमा नियंत्रण एवं मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारण विषय निर्णायार्थ रखे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सदस्यों में गहरा मतभेद हो गया।

मुरार जी देशाई ने अपने वित्त मंत्री पद पर रहने तक इसे क्रियान्वित न होने देने तक की बात कही। एस0के0 पाटिल ने उसके विरूद्ध प्रेस वक्तब्य दिया, तथापि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस प्रस्ताव को पारित कराने में सफल रहीं। [145]

और उन्होंने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा 19 जुलाई 1969 को कर दी।[146] और उससे पहले 16 जुलाई 1969 [147] को मुरार जी देशाई से वित्त मंत्रालय छीन लिया गया। ताकि इस घोषणा के क्रियान्वयन में कार्य बांधा न आ सके। [148] किन्तु श्री मोरार जी देशाई ने अपना अपमान समझ मंत्रीमण्डल से भी त्याग पत्र दे दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ऐसा कदम था, जिससे जनता में पर्याप्त आत्म बल पैदा किया और उनका आत्म विश्वास वापस लौटने लगा था। वे जानती थी कि यदि जनता में आत्म विश्वास आयेगा तो आत्म निर्भरता भी आयेगी, और एक हद तक अपनी समस्याओं का खुद भी हल खोजने और अपनी सहायता खुद ही करने में लोग सक्षम और समर्थ हो सकेगें।

बैंको का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रपति के अध्यादेश से भारतीय जनता बहुत प्रसन्न हुयी किन्तु पूंजी पतियों को बहुत पीड़ा हुयी और वे मामलें को सर्वोच्च न्यायालय में ले गये जहां निर्णय उनके पक्ष में हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जून 1969 तक आंशिक स्थगित कर दिया, किन्तु इन्दिरा जी ने इसे जनहित का कार्य मानकर इसे क्रियान्वित करने का फैसला कर लिया एवं एक दूसरे अध्यादेश द्वारा उनका स्थायी रूप से सरकारी अधिग्रहण करा लिया। इस प्रकार बैंक स्वायत्तशाषी तो रहे परन्तु उन पर सरकारी नियंत्रण हो गया।[149] बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बनिधत बिल "एक्बीजीशन एण्ड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटकिंग्स बिल" के नाम से लोक सभा में 26 जुलाई 1969 को एवं राज्य सभा में 7 अगस्त, 1969 को प्रस्तुत किया गया और वृहतवाद–विवाद के पश्चात् यह बिल पारित भी हो गया। इसमें भारत के 74 बैंकों में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनमें विदेशी बैंकों को सम्मिलित नहीं किया गया था इसका कारण यह था इन बैंकों के माध्यम से भारत का आपात पूँजी का लाभ मिलता था और इससे भारत में लगे निर्यात व्यवसायियों को भी काफी लाभ था किन्तु भारत का दुर्भाग्य था कि उन्हें 8 सितम्बर, 1969 को पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को स्थगित कर दिया जबकि ये बिल दोनो सदनों से पारित हो चुका था और अपने अन्तिम आदेश से फरवरी 1970 को न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था कुछ लोगों के हाथों से बैंकों के नियंत्रण को मुक्त करना एवं खेती छोटे स्तर के उद्योग एवं निर्यात हेतुं ऋण का प्राविधान कर इसे जनमानस के हित में प्रवेश करना।

Banks play a Vital role in the function of any economy to those who have money to spare Banks are the Cuslodions of their savings on which a good return can be earned by wise and ebbicient managment so the Millions of small farmers artisans and other Selfemployed persons A bank can be a source of credit which is the very basis for any effort to improve their meagre economy Let..... or our growing number of

educated young men and women banks after an opportunity for employment which at the same time is an opportunity for service to Society [150]

उनका कहना था कि गत एक दशक पूर्व से हमारी संसद भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम करने में कटिबद्ध है, और यह भी सरकार का मुख्य उद्‌देश्य राष्ट्र को "सोसिएलाइस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी" के लक्ष्य की ओर अग्रसित करना है और इसके लिए यह आवश्यक है कि अर्थ व्यवस्था के महत्त्व पूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का प्रभुत्व एवं नियंत्रण रहें।[151]

समाजिक असमानताओं पर ध्यान :-

अपने प्रथम सुधारात्मक कदम के पश्चात् श्रीमती गांधी ने यह पाया कि उनके विरोध्यिों ने इसका निर्णय ले लिया कि वे प्रत्येक परिवर्तन में चाहे इसका कोई भी उद्‌देश्य क्यों न हो प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ेगें। श्रीमती गांधी का दूसरा परिवर्तन यद्यपि गौड़ एवं अप्रधान था किन्तु उसका कड़ा विरोध हुआ। यह श्रीमती गांधी का "बुरा राजनैतिक निर्णय था, जबकि वे विरोधियों के चरित्र एवं मनोदशा से पूर्ण परिचित थीं। यह विधेयक इण्डियन सिविल सर्विस : आई0सी0एस0 से सम्बन्धित था। ये भारतीय स्वतंत्रता के पहले आई0सी0एस0 रूल से नियंत्रित थे और उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय मालिकों के प्रति हो सकता है कि प्यार इतना न हो तथापि वे नियमों में पूर्ण पारंगत थे और नई शासन व्यवस्था के लिए काफी उपयोगी थे। जिनमें उनके वेतन एवं विशेषाधिकार आज भी ब्रिटिश शासन की भांति सुरक्षित थे जिनमें "होम लिब आर लिब इन ब्रिटेन भी सम्मिलित था। उनकी नयी पीढ़ी भारतीय प्रशासकीय सेवा : आई0ए0एस0 को न कोई विशेषाधिकार ही प्राप्त थे और न वे उच्च वेतनमान में रखे गये थे।[152]

भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह विचार किया था कि पच्चीस वर्षों में यह कैडर स्वतः समाप्त हो जायेगा और तब भारतीय प्रशासन स्वतः ही नयी पीढ़ी के अधिकारियों द्वारा संचालित होगा। किन्तु श्रीमती गांधी ने यह विचार

किया कि ये "ओल्ड स्कूल टाई क्राप्स" पुराने विचारों एवं प्रवृत्तियों रो घिरे हुए हैं। इन पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर है, ये स्वतंत्र भारत के लिए अनुकूल नहीं प्रतीत होते एवं उसके हित में कार्य करने में सफल भी नहीं है। श्रीमती गांधी इसे पुराने एवं नये के अन्तर को आई0सी0एस0 को दिये गये विशेषाधिकारों को कम कर समाप्त करना चाहती थी, जिसके लिए संसद के माध्यम से गुजरना आवश्यक था। क्योंकि ये सारी व्यवस्थायें ब्रिटेन द्वारा शक्ति स्थानान्तरण के समय की थी। प्रधानमंत्री इस कार्यवाही को संसद में पूरा न कर सकी। उन्हें उससे बड़ा धक्का लगा किन्तु यह अस्थाई था।[153]

प्रिवीपर्स की समाप्ति के लिए कदम : -

वाद में उन्होनें एक बड़ी असमानता पर विचार किया, जिसका सम्बन्ध भारतीय राजकुमारों के विशेषाधिकारों से था, जो कि आज भी समन्तवादी व्यवस्था बनाये हुये थे। इन्हें आज भी भारतीय कोषागार से थैलियां मिलती थी, जो कि उनको उनके पूर्वजों के द्वारा अपनी रियासतों को देश की स्वतंत्रता के बाद 1947 के एक्ट के अनुसार भारत में विलय करने के एवज में अनुबन्धित हुयी थी। वे ब्रिटिश शासन के समय प्रदत्त अन्य विशेषाधिकारों जिनमें अलग से व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार था।[154] का भी उपभोग कर रहे थे, इतना ही नहीं स्वतंत्रता के इन 25 वर्षों के बाद भी वे भारतीय कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर थे, यहां तक कि किसी की हत्या करने का उन्हें अधिकार था। और इसके लिए व न गिरफ्तार किये जा सकते थे, और न उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था यह कितनी अविश्वसनीयता की बात थी कि प्रजातन्त्र एवं समाजवाद के बारे में सोचने वाली सरकार न ऐसे विशेषाधिकारों को अब तक इस देश में जीवित रखा था।[155]

भारत में इस समय 554 प्रिंसली स्टेट्स थी, जो आज भी आयकर मुक्त, बिना कार्य किये, राजसी ठाठ का जीवन यापन कर रहे थे, इनमें "प्रिंसली स्टेट्स" को मनमानी थैलियां प्राप्त थी, जो कि निम्नलिखित चार्ट से स्पष्ट है।[156]

क्रम सं0	राज्य	आयकर मुक्त धन
1.	हैदराबाद	4,30,000.00
2.	बडौदा	2,65,000.00
3.	मैसूर	2,60,000.00
4.	ग्वालियर	2,50,000.00
5.	जयपुर	1,80,000.00
6.	ट्रावनकोर	1,75,000.00
7.	जोधपुर	1,70,000.00
8.	बीकानेर	1,70,000.00
9.	पटियाला	1,70,000.00
10.	इन्दौर	1,50,000.00
11.	भोपाल	1,10,000.00

ऐसा करना देश के करोड़ों लोगों के प्रति अन्याय था। उनका शोषण था। जिस देश में करोड़ों लोग आधे पेट, खुले आकाश के नीचे नंगे शरीर सोते हों वहां कुछ बिना कुछ किये करोडों की सम्पत्ति का उपभोग करें। यह न्यायोचित नहीं था। श्रीमती इन्दिरा गांधी इस भयंकर असमानता को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थीं। यद्यपि आई0सी0एस0 के मसले में उन्हें मुंह की खानी पड़ी फिर भी उन्होंने देश हित में साहस के साथ सित0 1970 में लोक सभा में राजाओं की थैलियां समाप्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। प्रारम्भ में श्रीमती गांधी यह विचार करती थी कि 4 करोड़ रूपया जो कि भारतीय एक्सचेकर से राजाओं को दिया जाता था। इतनी बड़ी रकम नहीं है, जिसके लिए संघर्ष किया जाय, किन्तु बाद में उन्होंने यह एहसास किया कि धीरे – धीरे यह पुरानी व्यवस्था का प्रतीक बनता जा रहा है, जिसके बारे में कांग्रेस ने हमेशा कठोर रूख अपनाया था। और इसके लिए आवश्यक समझा गया कि इस व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाय। [157]

लोक सभा में यह विधेयक ताली गडगडाहट के मध्य पारित हो गया, वहां की उपस्थिति भी कीर्तिमान रही किन्तु यह राज्य सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने में एक वोट से असफल रहा।[158] तब श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 7 सितम्बर[159] को 550 राजाओं को अमान्य करार करा दिया।[160] राजे महाराजे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गये। 27 नवम्बर को न्यायालय ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया।[161]

श्रीमती गांधी जनता को दिये गये अपने वचनों से बंधी थी और उन्हें वह सब आश्वासन, जो उन्होंने जनता को अपने चुनाव अभियान में दिये थे, पूरा करने थे।[162]

अतः आम चुनाव के लिए 14 महीने अवशेष होने के बावजूद भी, उन्होंने राष्ट्रपति से संसद भंग कर नये चुनाव कराने की सिफारिस कर दी।[163]

प्रधानमंत्री की यह धारणा थी कि उन्हें यह बात स्पष्ट जाननी चाहिए कि क्या जनता यह चाहती है, कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अपनी प्रगतिशील नीतियों से देश को आगे बढ़ाये या पद त्याग करें। यदि भारतीय संविधान प्रगतिशील विधायन की स्वीकृति नहीं देता, तो उनका विचार था कि उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए।[164]

Among the issues on which Gandhi and her Govt. would seek populer Ducking she said were the abolition of privy purres and privilegess and bank national Izations she Charged that Vested Interests hed tired to block her Policies of social and economic reform indeed the fores of conservation aided and abetted by the Judicary hed begun to coalesce they emerged from the shadows ready to battle the stage was set for the dramictic 1971 election and far all follwed' [165]

और मध्यावधि चुनाव की घोषणा के साथ 27 दिसम्बर 1970 को संसद भंग कर दी गयी।[166]

संक्षेप में श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद का यह काल परवीक्षा एवं परीक्षा काल था। इसे दो चरणों में बांटा गया है। प्रथव वह काल जिसमें

उन्होंने शास्त्री जी के उत्तराधिकारी के रूप में शासन सत्ता सम्भाली एवं दूसरा वह जिसमें आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया। इन दोनों चरणों में श्रीमती गांधी का नेतृत्व डगमगाया सा लगा। कुछ तो इसलिए कि जिस समय शासन सत्ता सम्भाली थी, देश विभिन्न समस्याओं से ग्रसित था। फिर उनके द्वारा जल्दी अवमूल्यन का लिया गया निर्णय भी गहन आलोचना का विषय बना। कांग्रेस में उनके विरोधी तो यह समझ बैठे कि उन्हें अपदस्थ कराने का यह अच्छा अवसर है, यहां तक श्रीमती गांधी भी, एक अवसर पर त्याग पत्र देने की स्थिति में आ गईं, किन्तु आम चुनाव सर पर थे, और आज भी समस्या वही पुरानी थी, कि राष्ट्रीय नेता के रूप में कांग्रेस के पास वह कौन है जो इस विषम परिस्थिति में उनका नेतृत्व कर सके, और जिसका उत्तर, दक्षिण दोनों में समान असर हो।

यद्यपि यह चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया परन्तु परिणाम कांग्रेस के पक्ष में कम गये। सूक्ष्म बहुमत से कांग्रेस केन्द्र में तो आ गयी परन्तु प्रान्तों में उसे भारी असफलता मिली फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष एवं उनके साथियों के समक्ष कोई दूसरा विकल्प न होने से श्रीमती गांधी पुनः चुनी गयी और मोरार जी भाई हार गयें। तुष्टिकरण नीति के तहत वे उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री बनाये गये। कांग्रेस में शीत युद्ध का प्रारम्भ हुआ। श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री पद सम्भालने के पश्चात् जनसंघ नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कानपुर की एक आम सभा में टिप्पणी की थी, कि प्रधानमंत्री महिला हो या पुरूष : कांग्रेस संसदीय दल का नेता कोई भी हो हमें सरोकार नहीं है, हम सभी को यह देखना है कि भारत का प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आता है या नहीं, आज श्रीमती गांधी के समक्ष उनका यह कथन एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा था।

अपने पिता के समाजवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना जिसे कांग्रेस भी अपने आबादी सम्मेलन में स्वीकार कर चुकी थी भी साकार करना, श्रीमती गांधी का कृत कर्तव्य था। बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कांग्रेस का एक वर्ग जो मुरार जी देशाई के साथ था, इसका विरोधी था। राष्ट्रहित में

श्रीमती गांधी के समक्ष भी वित्त मंत्री के पद से मुरार जी देशाई को हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प न था। वह हटा दिये गये और बैंक राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी गयी। सिण्डीकेट भी इससे परेशान हुए उनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने की पद्धति ने उन्हें परेशान कर दिया। राष्ट्रपति के चुनाव के प्रश्न को लेकर यह मतभेद और उग्र हुये। कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी श्री संजीव रेड्डी श्रीमती गांधी समर्थित प्रत्याशी श्री वी0वी0 गिरि से हार गये। कांग्रेस आलाकमान ने इसे गम्भीरता से लिया। श्रीमती गांधी कांग्रेस से निकाल दी गयी, और कांग्रेस का विभाजन हो गया उनका संसद से बहुमत समाप्त हो गया फिर वामपन्थी की सहायता से अपने पद पर बरकरार रहीं। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिये प्रिवीपर्स के उन्मूलन का कदम उठाया गया किन्तु यह विधेयक भी राज्य सभा में पारित न हो सका। अन्ततोगत्वा जनादेश हेतु संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गयी।

जनता ने क्या निर्णय लिया इसका विस्तृत विवरण शोधकर्ता द्वारा अगले अध्याय में किया गया है। किन्तु इस संक्रमण्र काल में उनके द्वारा किये गये कार्य कलापों एवं लिये गये निर्णयों से इतना तो स्पष्ट रूप से उभर कर आया है कि श्रीमती गांधी में नेतृत्व करने की अद्भुत योग्यता थी। वे समाज से असमानता को हटाने के लिए कृत संकल्प थी चाहे इसके लिए उन्हें इसी प्रकार के खतरे को मोल ही क्यों न लेना पड़े।

अध्याय – तृतीय

श्रीमती गाँधी एक राष्ट्रनेता के रूप में

1971 का मध्यावधि चुनाव :-

इन्दिरा जी के नारे "गरीबी हटाओ" एवं विरोधियों "इन्दिरा हटाओं" नारे के बीच मध्यावधि चुनाव भारत में एक मार्च 1971 को सम्पन्न हुए, जिसमें श्रीमती गांधी को आशातीत सफलता मिली। उन्होंने संसद की 521 सीटों में 350 सीटों पर कब्जा कर लिया तो 2/3 बहुमत से भी अधिक था। कांग्रेस संगठन, जनसंघ एवं समाजवादी पार्टी, बृहत्त गठबंधन ग्राण्ड एलायंस बुरी तरह से असफल रहा, और केवल उन्हें 49 सीटें ही प्राप्त हो सकी। शेष सीटें कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों को प्राप्त हुयी जो इन्दिरा जी के नीतियों के प्रति उदार थीं।[2]

इस चुनाव से स्पष्ट हो गया कि जनता सामंतशाही एवं प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरूद्ध समाजवादी कार्यक्रमों में विश्वास करती थी, और इसीलिए उसने इस आदेश के द्वारा श्रीमती गांधी को ऐसे किसी भी परिवर्तन, जिसमें समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके, के लिए अधिकृत कर दिया।

इस चुनाव में विरोधियों में श्री मोरार जी देशाई को छोड़कर उनके सभी विरोधी करीब, करीब हार गये थे।[3]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तीसरी बार पुनः 18 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार वे एक कमजोर प्रधानमंत्री, जिन्हें नेता पद के लिए किसी का मुंह देखना पड़ा हो या जो किसी सहानुभूतिवश इस पद पर बैठायी गयी हों, के रूप में नहीं वरन् दल की, संसद की और जनता की सर्वमान्य नेता के रूप में इस पद पर प्रतिष्ठित हुयी थीं। तदापि यह काल उनके चुनौतियों का काल था। जहां एक उन्हें अपने उन तमाम वादों को जिन्हें पूरा करने के लिए वे जनता से वचनबद्ध थी, क्रियान्वित करना था, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान शांतिप्रिय भारत पर युद्ध लादनें का कुचक्र चला रहा था। जो कि करीब नौ माह तक चलता रहा और अन्ततः 2 दिसम्बर 1971 अर्द्धरात्रि को पाक ने उत्तरी भारत के आगरा, अम्बारा, अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अक्तिपुर, उत्तरलाई एवं जोधपुर शहरों पर अचानक बमवर्षा प्रारम्भ कर दी थी।[5]

इन्दिरा गाँधी एवं बँगला देश का मुक्ति संग्राम :-

दिसम्बर 1970 में जिस समय भारत में मध्यावधि चुनावों की घोषणा हुयी थी उसी समय पाकिस्तान में संविधान सभा की 313 सीटों में पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से की 169 सीटों में से 167 सीटें लीग को मिली। [6] और इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान में शेष भुजीबुर्ररहमान के दल को पूर्ण बहुमत मिला। उधर पश्चिमी पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी ने जेड0ए0 भुट्टो के नेतृत्व में 144 में से 88 सीटें जीती। कुल मिलाकर बहुमत के दृष्टिकोण से आवामी लीग काफी आगे थी।[7]

शेष मुजीब की जाति के फलस्वरूप तत्कालीन फौजी शासक याहियां खां ने उन्हें बधाई दी और भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें याद भी किया। 3 मार्च 1971 को ढ़ाका में पाकिस्तान नेशनल असेम्बली के अधिवेशन के उद्घाटन की घोषणा की गयी।[8]

श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस चुनाव में काफी आशाएं थी उनको विश्वास था कि इस चुनाव में वर्षों से पाकिस्तान की जनता के दबे हुए अधिकार उन्हें पुनः प्राप्त हो सकेगें उनका विश्वास इससे और भी दृढ़ हुआ था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के वे ही राजनैतिक दल विजयी हुए थे जो कि उस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व करते थे।[9] किन्तु एकाएक घटित घटना चक्र से सारी स्थिति ही बदल गयी अचानक ही एक मार्च को याहियां खां ने इस अधिवेशन को अनिश्चित काल तक टालने की घोषणा कर दी। पूर्वी पाकिस्तान के गर्वनर के स्थान पर जनरल टिक्का खां को नियुक्त कर दिया गया ऐसा महसूस हुआ कि यह कदम पीपुल्स पार्टी के नेता जेड0ए0 भुट्टो द्वारा नेशनल एसेम्बली के बहिष्कार करने की धमकी के कारण उठाया गया।[10]

पूर्वी पाकिस्तान की जनता इस अन्याय को सहन करने के लिए तैयार न थी। उसे अनुभव हो रहा था कि वे आजाद नहीं हैं। तभी उसने आत्मविश्वास के साथ निर्णय लिया कि उसे अपनी आजादी के लिए ऐसी

जिन्दगी से मरना पसन्द है। शान्ति प्रिय मुजीब युद्ध नही चाहते थे उन्होंने कहा वास्तव में आवामी लीग सत्ताधारी हैं परन्तु हम स्वायत्तता से भी संतुष्ट हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामले केन्द्र अपने हांथ में रखे। पूर्वी भारत को स्वायत्ता प्रदान कर दें। परन्तु इतनी बात भी स्वीकार नहीं की गयी। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के पूर्वी भाग की जनता का धैर्य टूट गया।[11]

याहियां खां यद्यपि चाहते थे कि किसी तरह से पूर्वी और पश्चिम के झगड़े को शान्त किया जा सके इसके लिए उन्होंने मार्च 10, 1971 को एक गोलमेज सम्मेलन का आह्वान किया, भुट्टों एवं पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया किन्तु मुजीब ने इसे कुएल जोक की संज्ञा देते हुए इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।[12]

याहिया ने 6 मार्च को जनता के नाम संदेश प्रसारित किया। तो मुजीब ने 7 मार्च को जनता का संघर्ष के लिए आह्वान किया।[13]

ढ़ाका में हडताल हिंसात्मक हो उठी वहां अव्यवस्था फैल गयी। जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। याहिया ने पुनः घोषणा की नेशनल असेम्बली 25 मार्च को आहुत की जायेगी किन्तु इसे भी मुजीब ने स्वीकार नहीं किया उनका कहना था कि पहले मार्शल ला हटाया जाये और सत्ता शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हांथों में सौंपी जाये। इसके पहले 20 – 22 मार्च को हुयी थी जिसमें 22 मार्च को भुट्टों ने भी हिस्सा लिया था जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। बांगलादेश में 23 मार्च जो "पाकिस्तान है" के नाम से मनाया जाता रहा है, इस बार रेजिस्टेन्स हे के रूप में मनाया गया। उसी दिन बंगलादेश का झण्डा भी फहराया गया।[15]

भुट्टो और याहिया पुनः 24 मार्च को मिले और 25 मार्च को याहिया खां ढ़ाका से वापस चले गये और इस प्रकार वार्ता के सारे प्रयास असफल हो गये।

भारत में शरणार्थी समस्या :-

25–26 मार्च की अर्धरात्रि पूर्वी पाकिस्तान के लिए भयानक कत्लेआम की घड़ी थी। पूर्वी पाकिस्तान के गर्वनर को पहले ही वापस बुला लिया गया था, क्योंकि उनका रुख पूर्वी पाकिस्तान के प्रति उदार था।और इस तूफान का दमन करने के लिए जनरल टिक्का खां को बुलाया गया था। जिन्हे बलुचिस्तान में विद्रोह की कड़ाई से दमन करनें का श्रेय प्राप्त था।वे 'बूचर आफ बलुचिस्तान' कहलाते थे।चूंकि याहिया खुद सैनिकों के हाथएक कैदी और वहां फौज के ही हाथ मे यह ताकत थी, कि वे राजा बनाती और बिगाड़ती थी । फौज पंजाब के सामंतो एवं कुलीनों के हितों की रक्षा करती थी।जिसके कारण याहिया चाह कर भी कुछ करने में असमर्थ थे।परिणाम यह हुआ कि आवामी लीग की स्वायन्तता की मांग को विद्रोहकरार किया गया। और उसका दमन बड़ी निर्दयता के साथ किया गया।इस क़त्ले आम से सैनिकों नें बर्बर युग की बर्बरता को भी मात दे दी। बड़े नाटकीय ढंग से मुजीबुर्रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये भी नही पता कि ये कहां कैद है। और जिन्दा भी या मुर्दा। बंगाली हिन्दू और मुसलमान दोनों ही शरण के लिए सीमा पार कर भारत की ओर भागे और अप्रैल 17, 1971 तक 119566 शरणार्थी भारत सीमा के अन्दर घुस आये और इसके बाद भी 60,000 प्रतिदिन की तादाद में बंगलादेशीय शरणार्थी भारत में घुसते रहे और इस प्रकार इन शरणार्थियों की संख्या 6,55874 हो गयी जो भारत के लिए एक गहन समस्या का कारण बनी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे भारत की सुरक्षा, स्थायित्व एवं अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर चुनौती बताया।[17]

वैसे भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध जनवरी 1971 से तेजी से बिगड़ते जा रहे थे, और इसी महीने की 30 तारीख को इन्डियन एयर लाइन्स का "फोकर एयर क्राफ्ट 'गंगा'" जब वह श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था, कुछ पाकिस्तानियों द्वारा हाइजेक कर लिया गया, और इसे लाहौर ले जाया गया। पाकिस्तान में हाइजैकरों का स्वागत 'हीरो' की तरह किया गया। भारत ने इस

पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय भूमि से होकर उडने पर रोक लगा दी।

पाकिस्तान ने इसकी शिकायत भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से की। किन्तु भारत इस मामले में झुकने को तैयार नही था। दोनो तरफ की फौजे आमने सामने आ गयी। मार्च के समझौते में उनकी वापसी, की बात तय हुयी थी किन्तु इससे पहले कि यह समझौता क्रियान्वित किया जाय पूर्व पाकिस्तान में हुयी घटना ने पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया और समस्यायें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहीं।[18]

भारत में बंगलादेशी शरणार्थियों का इस प्रकार उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अनचाहा और अनजाना खतरा बन गया। इन शरणार्थियों पर आया खर्चा 330 करोड़ से भी अधिक था जिसे भारत के वित्त मंत्री ने दो अतिरिक्त प्राविधानों में स्वीकार करवाया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं ही स्वीकार किया था कि इतने शरणार्थियों के एकाएक आ जाने से कोई छोटा राज्य धराशायी हो सकता था।[19]

भारत के लिए यह एक ऐसा खतरा था, जिसके रूकने के कोई आसार नहीं दिखायी दे रहे थे। भारत जो बड़ी मुश्किल से अपने को सम्हाले था, के लिए एक गम्भीर स्थिति थी जिसे रोकना आवश्यक था। दूसरी ओर पाकिस्ताने ने इस मुद्दे को और भी उलझा दिया। उसने हाल में हुयी समस्त घटनाओं का जिम्मेदार भारत को ठहराया और भारत पर आरोप लगाया कि वह (भारत) उसके (पाकिस्तान) आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है।[20]

उसका आरोप था कि भारत पाकिस्तान के कुछ प्रथकतावादी लोगों को संगठित कर उनसे पूर्वी पाकिस्तान में यह कार्यवाही करवा रहा था।[21]

श्रीमती गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के इस संकट में हस्तक्षेप एवं तटस्थता की नीति अपनायी यद्यपि उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूर्वी पाकिस्तान के मामले में शान्ति पूर्ण एवं सहयोग के आधार पर निर्णय करने के लिए कई निवेदन किये।

श्रीमती गांधी का समस्या के समाधान हेतु विदेश भ्रमण :-

श्रीमती गांधी ने अत्यन्त विषम परिस्थितियों में धैर्य से काम लिया और बड़ी सूझ बूझ से प्रतिरक्षा, राजनैतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को समझा। उन्होंने कुशलता पूर्वक भारत के पक्ष में विश्व जनमत तैयार करने के उद्देश्य से नवम्बर 1971 को विश्व नेताओं के नाम एक अपील जारी की इसमे उन्होंने यह सहायता मांगी कि वे पाकिस्तान सरकार पर ये दबाव डाले कि इस समस्या का समाधान विवेक पूर्ण एवं व्यवहारिक राजनैतिक समस्या के रूप मे करें। इसके पहिले भी सितम्बर 1971 में जबकि भारत एक साथ अपने आन्तरिक आर्थिक संकट और वंगलादेशी शरणार्थियों के आगमन से उत्पन्न संकट से जूझ रहा था, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विभिन्न देशों का भ्रमण कर उनके समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की वे रूस, बेल्जियम, आस्ट्रिया, इंग्लैण्ड, अमेरीका, फ्रान्स एवं पश्चिमी जर्मनी पहुंची। अपनी इस लम्बी यात्रा में उन्होंने 80 लाख बेसहारा शरणार्थियों की समस्या और अपने देश की स्थिति को स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न किया।[28]

श्रीमती गांधी जब विदेश यात्रा से वापस लौटी तब तक शरणार्थियों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच चुकी थी। संकट छोटा नहीं था किन्तु श्रीमती गांधी जानती थी कि संकट का सामना धैर्य व साहस के साथ ही किया जा सकता है, जैसा कि उन्होंने किया भी और उन्होंने जनता को भी साहस और धैर्य के साथ एक जुट होकर संकट काल में कार्य करने की सलाह दी।[28अ]

इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही अपने सहयोगियों को एक संदेश भेज दिया कि वे स्वतंत्र बंगला देश के निर्माण की घोषणा करें। 10 अप्रैल को आवामी लीग द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गयी जो 26 मार्च 1971 से लागू कर दी गयी। सैयद नजरूल इस्लाम को बंगला का उपराष्ट्रपति एवं ताजुद्दी अहमद को प्रधानमंत्री बनाया गया जिन्होंने मुख्य फौज की गठन की घोषणा की। वह बाद में मुक्ति वाहिनी कहलायी, इसके सेनाध्यक्ष, कर्नल ए0जी0 उस्मानी नियुक्त किये गये। इस सेना में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सगे विद्रोही जवान सम्मिलित थे। इनके साथ

पुलिस अन्सार मुजाहिर और अवामी लीग के हजारो जवानों के साथ अन्य अनेक स्वयं सेवक भी थे, 19 अप्रैल को उन्होंने "मादेपारा" गांव में प्रजातांन्त्रिक, गणतान्तत्रिक, बंगलादेश की घोषणा की। यह गांव बाद में मुजीब नगर के नाम से जाना जाने लगा। यह भारतीय सीमा चौकी से केवल एक मील दूर था।[29]

20 जवान इसकी सुरक्षा को तत्पर थे। इन्होंने मानवता के आधार पर जहां दूसरे देशों से शरणार्थियों के लिए सहायता मांगी, वहीं हथियारों की सहायता मांगी जो बंगलादेश की पवित्र भूमि की रक्षा एवं आक्रान्ता पाकिस्तान को देश से बाहर करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने भारत से यह भी प्रार्थना की कि बंगलादेश सरकार को विधिवत मान्यता प्रदान की जाय।[30]

श्रीमती गांधी ने प्रवासी सरकार की मांग पर अपनी सरकार के निर्णय को इसलिए स्थगित रखा क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि पाकिस्तान परिस्थिति गत वास्तविकता को स्वीकार करेगा, और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस समस्या का सीधा खोज निकालेगा।[31]

किन्तु यह सारे प्रयत्न निष्फल रहे। श्रीमती गांधी के विदेश भ्रमण का भी सीधा प्रभाव नजर न आया। उनके विदेश भ्रमण से लौटने तक बंगलादेश में मुक्तिवाहिनी एवं पूर्वी पाकिस्तान की फौजों से घमासान युद्ध जारी था, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रवासी शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि स्वाभाविक थी। श्रीमती गांधी विदेश से प्रत्यागमन के बाद बिना विश्राम किये कलकत्ता पहुंच गयीं। 3 दिसम्बर को जब वह कलकत्ता में एक निजी बैठक सम्बोधित कर रही थीं, तीसरा भारत पाक युद्ध प्रारम्भ हो गया।[32]

श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं के शब्दों में, मै जब छोटे समाचार पत्रों के सम्पादको की एक छोटी टोली के साथ थी, जो बड़े अखबारों के बारे में शिकायते कर रहे थे, तभी एकाएक सहायक चुपचाप यह खबर लेकर आया कि हमारे नगरों में से सात पर बमबारी हो रही है।[33]

वह तुरन्त दिल्ली लौटीं और 4 दिसम्बर को उन्होंने सबेरे राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित किया।[34]

पाक द्वारा आक्रमण एवं बंगलादेश को मान्यता :-

पाकिस्तान द्वारा किये गये इस अचानक आक्रमण के पश्चात् श्रीमती गांधी ने बंगलादेश सरकार को मान्यता देने के प्रश्न को और अधिक देर तक स्थगित रखना उचित न समझा।[35]

6 दिसम्बर को भारत सरकार ने "पीपुल्स रिपब्लिक आफ बंगलादेश" को मान्यता प्रदान कर दी।[36]

मान्यता प्रदान करते समय श्रीमती गांधी ने स्पष्ट शब्दो में कहा "कोई एक देश को एक कौम को खत्म कर दे यह अन्दरूनी मामला नहीं हो सकता, भारत कैसे खड़ा देखता रह सकता है कि हमारे पड़ोसी देश में इस तरह से लाखों की संख्या में लोगों को मारा जाय, उनके आदमियों को कुचला जाय,उनकी सभ्यता को खत्म किया जाय यह सम्भव नहीं था।[37]

यहां दो प्रश्न सन्निहित थे। प्रथम मानवीय मूल्यों का प्रश्न था यानि की मानवता को कहीं नष्ट किया जाय और कोई प्रजातांत्रिक देश महज चुपचाप देखता रहे। और दूसरा स्वयं देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रश्न था। भारत के समक्ष युद्ध का जवाब युद्ध से देने के अलावा और कोई विकल्प था ही नहीं। भारत ने ऐसा ही किया, और उसके जवान बंगलादेश में घुस कर मुक्ति वाहिनी को सहायता करने लगे। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी आक्रमण को पूरी शक्ति के साथ नष्ट कर दिया। इस प्रकार यह युद्ध पूर्व और पश्चिम दोनों ही सेक्टरों में लड़ा गया और पाशविक बल पर आधारित पाकिस्तानी फौज भारत के विरूद्ध ज्यादा देर तक टिक न सकी। 16 दिसम्बर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के कमाडंर ने पूर्वी सेक्टर के ओ0सी0–इन– सी0 लैफ्टीनैंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्म सपर्पण कर दिया।[38]

इसी आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने कैबिनेट सहयोगी डा0 स्वर्ण सिंह द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को एक सन्देश भेजा जिसमें उन्होंने कहा – We have rpeatedly declared that,India has no territorial ambition now as the Pakistani armed forced have - Surrendered is Bangla desh and now Bangla desh is free, it is pointless in our view to,

continue the present conflict , there fore, in order to stop further blood shed and unnecessary loss of life , we have ordered our armed forces to cease-fire every where on the western front with effect from 20,00 hours ,I.S.T. onb friday Dec.17 1971 it is our hope that ther will be a coressponding immidiate response from the Goverment of Pakistan.[39]

17 दिसम्बर 1971 को याहिया खॉं ने भी भारत द्वारा घोषित युद्ध बंदी को स्वीकार कर दिया। इस तरह बंगलादेश 14 दिन में ही आजाद करा लिया गया।

यह एक निर्णायक सैनिक विजय थी। जिसका श्रेय श्रीमती गांधी को ही था। यह उनके और सेना के बीच अच्छे तालमेल का प्रतीक था। इस समर्पण के तुरन्त बाद श्रीमती गांधी ने युद्ध विराम का एक पक्षीय निर्णय लिया। यह निर्णय अत्यन्त शीघ्रता पूर्वक किन्तु सैनिक कमांडरों, कैबिनेट सहयोगियों एवं विरोधी दल के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श के बाद ही लिया, और इसकी घोषणा उन्होंने 17 तारीख को साढ़े आठ बजे आकाशवाणी पर भी कर दी। इससे इन्दिरा जी की ख्याति चारो ओर फैल गयी उन्हें 'इम्प्रेस ऑफ इण्डिया' कहा जाने लगा यहां तक कि तत्कालीन जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उन्हें राष्ट्र की नेता और दुर्गा के नाम से पुकारा तथा उन्हें 'सेवअर ऑफ इण्डियन आनर एण्ड डिग्नीटी' बताया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में परिवर्तन आया और वहां जुल्फिकार अली भुट्टों ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संम्भाला जिनके कार्यकाल में भारत – पाक सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ।[40]

बंगलादेश के नेता मुजीबुर रहमान छोड़ दिये गये 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के दौरान श्रीमती गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्तता से उभरी। भारत की जनता नें उन्हें 'दुर्गा' माना।[41]

" Standing on the Shimla sammit she looked seven feet tall, by virtue of her strength and wisdom . which was the strength and wisdom of her country and her people. "

भारत के आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम :-

उधर इन्द्रिरा जी यह भी नहीं भूलीं थी कि उन्हें जनता को दिये गये चुनावी वादों को भी पूरा करना है, राजा, महाराजाओं के विशेष अधिकार को समाप्ति पर बने कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका था। बैंक राष्ट्रीयकरण के मसले पर (प्रापर कम्पसेसन) उचित मुआवजा न देने के सरकार के निर्णय को व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी मूलधिकार। [42]

1. एफ एवं उचित मुआवजा देने सम्बन्धी धारा 31
2. और यहाँ तक कि इसे नागरिकों के समानता सम्बन्धी अधिकार 'आर्टिकल 14' का भी हनन बताया गया था। [43]

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को कि केवल उन्हीं 14 बैंको को, जिनके डिपाजिट 50 करोड़ से ज्यादा हैं, राष्ट्रीयकृत घोषित किया जाय अन्य को नहीं समानता के अधिकार को सीधा हनन बनाया। [44]

यद्यपि इस निर्णय में जो 1 के विरूद्ध 10 मतों से दिया गया था, यह अवश्य स्वीकार किया गया था कि संसद का यह एक्ट निर्माण वैधानिक है।[45]

तथापि मुआवजा की परिभाषा ने सरकार के समक्ष एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी थी। वामपंथी नेताओं ने यह अनुभव किया कि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में परिवर्तन किये बगैर भारत की विकासवादी नीतियों का क्रियान्वयन सम्भव ही नहीं है। जो स्थिति आज आयी उसे समाजवाद के भारतीय जनक पं0 जवाहर लाल जी ने मई 1951 में अनुभव कर लिया था। उन्होंने तब कहा था कि

The social ideaes of the 20th century should be last sight of amid 18th 8-19th century principles of fundamental rights [46].

जनमत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश,[47] के आधार पर मुआवजे की कीमत निर्धारित की गयी। [48] और इस अध्यादेश को 19 जुलाई 1969 से लागू माना गया। इसके आधार पर सरकार को 87–40 करोड़ रूपया देना था।

of Compensation 49

Names of Banks	Amount of Compensation In laksh of Rupees
Central Bank of India	1750
Bank of India	1470
Punjab National Bank	1020
Bank of Baroda	340
United Commercial Bank	330
Canora Bank	360
United Bank of India	420
Dena Bank	360
Syndicate Bank	310
Union Bank of India	310
Allahabad Bank	310
Indian Bank	230
Bank of Mahorastra	230
Indian Overseas Bank	250

किन्तु इससे सरकार को विपक्ष का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा यहाँ तक वह राजाओं के विशेषाधिकार सम्बन्धी संशोधन को पारित कराने में नाकाम रही और सरकार को मध्यावधि चुनाव की घोषणा करनी पड़ी।

इन्दिरा जी ने विशेष रूप से भारतीय प्रजातंत्र में छिपे राजतंत्र के कणों को समूल नष्ट करने के लिए भारतीय संविधान में दो संशोधन चौबीसवां एवं पचीसवां संशोधन पारित कराए।

संविधान के विभिन्न संशोधन

भारतीय संविधान का चौबीसवाँ संशोधन :-

चौबीसवाँ संशोधन जो कि राजाओं महाराजाओं के विशेषाधिकार एवं जेब खर्चों को समाप्त करने के लिए 1970 में प्रस्तुत किया गया, किन्तु राज्य सभा में केवल एक मत से पारित न हो सका। इससे सम्बन्धित अध्यादेश भी उच्चतम् न्यायालय ने रद्द कर दिया। संशोधन बिल दोबारा, परन्तु परिवर्तन रूप में पुनः संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसे अगस्त 1971 को लोकसभा ने 23 के विरूद्ध 384 मतों से पारित कर दिया। लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद राज्य सभा में भी यह भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। अक्टूबर 1971 तक भारत कि अठारह राज्यों में से 10 राज्यों के विधान मंडलों ने अपनी सहमति इसे प्रदान कर दी और 5 नवम्बर 1971 को इसे राष्ट्रपति वी0वी0गिरि की स्वीकृति भी प्रदान हो गयी।[50]

तत्कालीन विधिमंत्री श्री गोखले ने जिन्होंने विधेयक का संचालन किया था, बहस का उत्तर देते हुए कहा कि गोलक नाथ के मामले में उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के कारण जिसके अन्तर्गत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करनें से रोक लिया गया था इस विधेयक को लाना जरूरी हुआ। परन्तु ऐसा करने से हमारा उद्देश्य उच्चतम् न्यायालय से टक्कर लेना नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है, और आशा प्रकट की कि उच्चतम् न्यायालय स्वयं गोलकनाथ मामले पर अपने निर्णय पर पुर्नविचार करेगा।[51]

श्रीमती गाँधी ने भी अपने भाषण में कहा – "मेरा दल हर सम्भव तरीके से नागरिकों को बुनियादी अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जब हम सम्पत्ति के अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध की बात करते हैं तो हमारा इरादा सम्पत्ति को समाप्त करना नहीं है। लेकिन जब यह अधिकार जन कल्याण के मार्ग में बाधक बनता है तो संशोधन आवश्यक है क्योंकि जन कल्याण सर्वोपरि है विधेयक को पास करने का अनुरोध करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि परिवर्तन की आवश्यकता के अनुसार आचरण कर

हम लोक तंत्र एवं संसद की सर्वोच्चता में जनता की निष्ठा को सुदृढ़ बनायेगें। उन्होंने कहा कि ऐसे जनतंत्र को कोई लाभ नहीं जिसका सभी लोगों को लाभ न पहुँचे।[52]

25 वाँ संवैधानिक संशोधन :-

किन्तु आर्थिक एवं सामाजिक न्याय जिसके रास्ते में मूलाधिकारों के उस रुप जो नीतिनिर्देशक तत्वों के क्रियान्वन में बाधा डाल रहा था, जिसने बैंको के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया था। का निराकरण अत्यन्त आवश्यक था। और इसलिये भारतीय संविधान में 25वाँ संशोधन विधेयक लाना आवश्यक हो गया। सरकार के अनुसार इस विधेयक को लाने के कारणों में यही निहित उद्देश्य था।

"In Bank Nationalisation case. the supreme court has held that the constitution guarantees right to compensation i.e, the eguivlent in money of property compulsorily acquried thus in effect the adeguacy of compensation and the relevence of the principle laid down by the legislature for ditermining the compensation has virtaallybecome justiwable in amuch as the court can go in the questions whether the ammount paid to the owner of the property is what may be regarded reasonable as compensation for loss of property in the same case the court has held That a law which seeks to acqiere or request property for a public purpose should also satisfy the requirements of 19 (1) (F) the oill seeks to surmounts the difficulties placed in the way of giving effect to the uirective principles of state policy by the aforesaid interpretation" 53

विधेयक की स्वीकृति के लिए बोलते हुए तत्कालीन कानूनमंत्री श्री एच0 आर0 गोखले ने बताया कि धारा 31सी के बढ़ा देने से संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता मिलेगी यह सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को इस प्रकार सीमित करेगी कि निहित स्वार्थ अब इसकी छत्रछाया

में शरण नहीं प्राप्त कर सकेगें और न ही अब ये किसी प्रगतिशील विधायक के रास्ते में बाधक बन सकेगें। आगे से न्यायपालिका केवल संविधान की विवेचना तक ही सीमित रहेगी, और भविष्य में किसी राजनैतिक स्तर के मसले में निर्णय न दे सकेगी।[54]

कानून मंत्री को शिकायत थी कि न्यायाधीशों की यह आदत सी बन गयी है कि वे अपने राजनैतिक दर्शनों का अपने निर्णयों का अपने निर्णयों में आयात करते हैं और इस प्रकार सम्पत्ति के अधिकार की सिद्धि साधना एवं पवित्रीकरण करते हैं।[55]

उन्होंने विधायन के सम्बन्ध में संसद की शक्ति की विवेचना करते हुए कहा कि – "Parliament should remain the final arbiter in determining what is adequate or can be regarded as reasonable for oequistion should not be blocked by courts by making compulsory the payment of such quantum of compensation as to make social change possible 56

श्रीमती गांधी ने विधेयक को प्रस्तावित करते हुए कहा कि – *The Idea of paying market value at the cost of common man was repngnanat to me . to my party and for the nation,* [57]

उन्होंने इसकी विशेषताओं पर बोलते हुए जोरदार शब्दों में इस बात की पुष्टि की कि यद्यपि यह विधेयक छोटा है किन्तु समाजवाद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कदम है, उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार की अथवा दल की कोई ऐसी धारणा नहीं है, कि न्यायपालिका को कमजोर किया जाय। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका प्रजातंत्र एवं विधि के शासन का अनिवार्य अंग है, किन्तु न्यायपालिका को संसद की शक्तियों को पार नहीं करना चाहिए।[58]

तत्कालीन कानूनमंत्री गोखले ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की मूल नींव है, और उनका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, यदि सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णयों59 बैंक राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के विशेषाधिकारों के कानून के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय

देखिये, इसी शोध ग्रन्थ में पिछला अध्याय पृ. 1 को इन संशोधन के द्वारा मिटाया न गया।[60]

लोकसभा इस विधेयक को 1दिसम्बर 1971 को पारित कर दिया, यह राज्य सभा में 8 दिसम्बर को पारित हुआ।[61]

इस संशोधन विधेयक में केवल दो धारायें जोड़ी गयी प्रथम कम्पन्सेशन के स्थान पर "एमाउण्ट" शब्द लगाया गया, दूसरे अब से व्यक्तिगत सम्पत्ति के सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, यदि ऐसे अधिग्रहण का तात्पर्य राज्य के नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है।[62]

दूसरे शब्दों में विधेयक द्वारा संविधान की कुछ धाराओं में इस प्रकार संशोधन किया गया जिसमं संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप जनहित के किसी सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम के लिए किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण किये जाने पर संसद या राज्य विधान सभा द्वारा उनके लिए जो राशि निश्चित की जाय, उसे किसी न्यायालय के मूलभूत अधिकार के नाम पर चुनौती न दी जा सके। संसद इस अधिकार का केवल दो वर्ष तक ही उपयोग कर सकी थी कि केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य सरकार के मामले को लेकर सुप्रीमकोर्ट में पुनः विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद में संविधान संशोधन अधिकार के क्रम में सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अधिकार को संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया।63 जिसे आगे 42वें संशोधन में पुनः सुधारा गया।[64]

संविधान का 26 वां संशोधन :-

श्रीमती गांधी अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार एवं राष्ट्र के नाम संदेश जिसमें उन्होंने संसद को विघटित कर मध्यावधि चुनाव कराये थे, में राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर राष्ट्र को पूर्ण प्रजातांत्रिक रूप देने के लिए बाध्य थीं अतः उन्होंने 9 अगस्त 1971 को लोक सभा में 26वां भारतीय संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया।[66]

इसका मुख्य उद्देश्य राजा महाराजाओं की थैलियों एवं उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करना था।

The concept of ruler ship with privy purress and speical privleges unrelated to any current functions and social purpose is in compations with an egalitarian social order :
The goverment has therofore decided to terminate the privy purpose and privleges of the rules of farmer indian states [67]

यह एक दूसरा चरण था जो समाजिक एवं आर्थिक सुधार की ओर श्रीमती गांधी द्वारा लिया गया था संसद में 24वें विधेयक को श्रीमती गाँधी ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि –This is a hisloricbill for it represents an important step in the further demoeration of our Society laln esa mUgksaus vkxs dgk fd the Continuance of hereditary titles customary rights Special Priv leges privypurses with our any reliable functions and responsibilties is incompiloble with our democratic constitution the spirt of times and the demand of changed Circumstance [69]

श्रीमती गांधी ने इसकी आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि –

"That in conformity with the democratic spirit of the country it was necessary to change the constitution for obolishing the privy purses and the princely order : [70]

उस समय यह राज्य सभा में एक वोट की कमी के कारण पारित न हो सका, किन्तु इस बार ये 6 के विरूद्ध 381 मतों से लोक सभा में 2 दिसम्बर 1971 को एवं राज्य सभा में 7 के विरूद्ध 167 मतों द्वारा 9 दिसम्बर 1971 को पारित कर दिया गया।[71]

इसे दिसम्बर के अंत तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी एवं प्रथम जनवरी 1972 से राजाओं के जेब खर्चो तथा विशेषाधिकार समाप्त हो गये।[72]

श्रीमती गांधी निश्चित रूप से इस कार्य के लिए बधाई की पात्र हैं। प्रीवीपर्स एवं विशेषाधिकार भारतीय संविधान पर कलंक थे। यह संविधान में

निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के क्रियान्वयन में व्यवहारिक रूकावट थे, ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के असमानता के पवित्रीकरण के द्योतक थे। यह उस कैंसर के समान थे जो नवजात प्रजातंत्र को ग्रसित कर रहा था और यदि उसका तुरन्त इलाज न किया गया होता तो इस देश के प्रजातंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने भारतीय प्रजातंत्र को और अधिक समतावादी एवं लाभदायक बनाने के रास्ते में आने वाली रूकावटों को नष्ट कर दिया। किन्तु दुर्भाग्यवश न्यायपालिका ने पुनः एक बार विशेष वर्ग के लिए हिमयती के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस संशोधन को प्रभावहीन बनाने का प्रयत्न किया।[73]

मध्यावधि चुनाव के विजय के बाद देश के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण व राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारों व विशेष थैलियों की समाप्ति उनके पहले कदम थे। यद्यपि भारत वर्ष पूरे साल पाकिस्तान के झगड़े तथा उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों के कारण आर्थिक अस्त व्यस्तता की स्थिति में रहा तथापि इन्दिरा जी अपने वादों के मुताबिक देश को सामाजिक तथा आर्थिक समानता की दिशा में अग्रसर करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहीं। देश से गरीबी हटे इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश से था। दक्षिणपंथी नेताओं का एक वर्ग जिनके साथ कांग्रेस का वह वर्ग जिसे अब सिंडीकेट के नाम से जाना जाता है, भी जुड़ गया था। इन्दिरा जी की इन नीतियों की कड़ी आलोचना वह कर ही रहा था और उन पर आरोप लग रहा था कि वे देश को साम्यवाद की ओर ले जा रही हैं, भारत को सोवियत रूस के हांथ बेच रही हैं। उनके स्वयं शब्दों में – ''मुझे कम्युनिस्ट अथवा कम्यूनिस्टों का हथियार बताकर निन्दित करने का एक सामूहिक अभियान चलाया जा रहा है।''[74]

लोकतांत्रिक पद्धति में यह खेल, शायद एक अनिवार्यता है। हर दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का यह खेल सतत खेलता रहता है। लेकिन जनता को यह भी देखना चाहिए कि आक्रमण कहां तक उचित है अथवा अनुचित।

श्रीमती गांधी समाजवाद के उस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध थीं जिस सपने को वे अपने पिता पं0 नेहरू एवं राष्ट्रपिता गांधी जी की स्नेहमयी गोद से लेकर आज तक देखती आ रही थीं। 1972 में स्वतंत्रता दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि "हम एक ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं, जिसमें सब मिलकर मेहनत करें, कोई काम छोटा न समझे मै मानती हूँ कि भारत की आजादी तभी पूरी होगी जब ऐसा मौका अपनी जनता को दे सकें। श्रीमती गांधी देश में सक्रिय साम्राज्यवादी, सांमतवादी और पूंजीवादी शक्तियों की उपेक्षा करके दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील थीं।[75]

उन्होंने कहा – "यह भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अनाज देना रोका। जब जनता को अनाज की कमी है तो चाहे हमारी नीति किसी को अच्छी लगे या बुरी क्या यह हमारा पहला कर्तव्य नहीं कि अनाज बाहर से आये जिससे सामान्य जनता को गरीब आदमी को कठिनाई न पड़े। वह भूखा न रह जाय यह कर्तव्य सारी जनता का है।"[76]

हरित क्रान्ति :-

1963 में यद्यपि विश्व बैंक ने भारतीय कृषि को अपनी वित्तीय सहायता "यू0एन0 एण्ड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन" के माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था की थी, किन्तु सरकार इसका कोई भी प्रत्यक्ष लाभ लेने में सफल न हो सकी। इस समय सरकार का मुख्य उद्देश्य बड़ी–बड़ी फैक्टरियों का विकास करना था। वह शायद यह भूल गयीं कि वे बिना खाद्य आवश्यकता की पूर्ति किये उनकी कोई भी योजना व्यवहारिक न हो सकेगी। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने ब्याज के माध्यम से 178 करोड़ रूपये प्राप्त किया किन्तु इसका 3 प्रतिशत ही कृषि में लगाया गया जबकि इस तमाम आय का श्रोत 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र था।[80]

श्रीमती गांधी के शासन ने इस बात का अनुभव 1966–67 में ही कर लिया था और तभी से वे उसमें प्रयत्नशील थी। 1969–70 का वर्ष खेतिहरों के

लिए एक अच्छा वर्ष था। हरित क्रान्ति के माध्यम से भारत वर्ष में पैदावर तो अच्छी हुयी थी। बम्फर स्टाक के रूप में सावधानी के तौर पर किसी भी खतरे से बचने के लिए बहुत सा अनाज जमा कर लिया गया था। साथ में श्रीमती गांधी ने गरीबों के सामाजिक स्तर में सुधार के लिए और भी कई नए विधान बनाये, यद्यपि 1951 में ही सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया था, किन्तु किसानों की जमीनों पर किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि पुराने सामंतो ने नये रूप में सामंती व्यवस्था की स्थापना की कुलंक किसानों के रूप में उन्होंने बड़ी–बड़ी जमीनों को स्वयं हथिया लिया था, और उनके मालिक बन बैठे।

श्रीमती गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस ओर विशेष ध्यान दिया। भूमि सीमा निर्धारित की गयी जिसमें अधिक भूमि किसी एक व्यक्ति के लिए रखना ही वर्जित कर दिया। चौदह दिन की बांगला देश की लड़ाई के बाद जो पहला कार्य श्रीमती गांधी के द्वारा किया गया वह यह था कि ऐसी जोतने योग्य जमीन जो बेकार पड़ी हुयी थी।उसेभूमि हीन किसानों के बीच वितरित करने की व्यवस्था की थी। 1970 में एक केन्द्रीय भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कृषि मंत्री तथा सदस्य बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री थे। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। और जिसके फलस्वरुप राज्यों में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इन्हे यह भी आदेश दिये गये कि कृषि व्यवस्था में पनप रहे शोषण एवं अन्याय को रोकने की तुरन्त व्यवस्था की जाये। और इस शोषण को पूर्ण रुप से नष्ट करने के कदम उठाये जायें ।[81]

इतना ही नही बहुत से राज्यों में खेती में बटाई एवं किराये की व्यवस्था को समाप्त कर जोतनें वाले को ही उनके खेतों का मालिक बना दिया गया। इस प्रकार 30 लाख ऐसे किसानों को उनके द्वारा जोती जा रही जमीनों पर स्वामित्व प्राप्त हो गया। [82]

भारत-रुस आर्थिक तथा तकनीकी समझौता :

श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बड़े देशों के प्रति भी अपनी नीति स्पष्ट रखी एवं बड़े सूझ–बूझ से भारत के लिये उनका फायदा लिया सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव लियोनिद ब्रेजनेव नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में भारत की यात्रा पर आये। इस यात्रा के फलस्वरूप भारत एवं रूस ने 15 वर्षीय आर्थिक एवं वाणिज्य समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत एवं अमरीका के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये थे। अमरीकी गेंहू के आयात पर प्रतिबन्ध तथा बंगला देश के निर्माण में भारत की सक्रिय भूमिका के कारण भारत और अमरीका के सम्बन्धों में बिगाड़ हो चुका था। अमरीका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता स्थगित करने की घोषणा की जा चुकी थी। अतः इस विषम परिस्थितियों में इन्दिरा गांधी के लिए यह एक आवश्यक हो गया था, कि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनाये रखने के लिए सोवियत रूस से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखें। 30 नवम्बर 1973 को भारत एवं रूस के बीच 15 वर्षीय आर्थिक एवं तकनीकी समझौता हुआ।[93]

इस समझौते के उद्देश्यों के अतिरिक्त कृषि को भी सम्मिलित किया गया। समझौते का उद्देश्य आत्म निर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को द्रुत करना था।[94]

इस समझौते के सन्दर्भ में संयुक्त समाजवादी दल ने एक विज्ञप्ति में आरोप लगाते हुए कहा ''भारत और सोवियत संघ के बीच हाल ही में आर्थिक समझौते से भारत को सूक्ष्म प्रकार की तकनीकी सम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद की गंध आयी है। यह आर्थिक समझौते भारत को कोमिकान : साम्यवादी देशों के आर्थिक संगठन का एक सदस्य बना देंगे ।[95]

ब्रेजनेव की भारत यात्रा से अमरीकी राजनीतिक संशकित थे। लेकिन बाद में इन्दिरा गाँधी की प्रशंसा में टिप्पणी छपी कि उन्होने घुटने टेंके बगैर रुस से आर्थिक सहायता कबूल करवा ली। 96

अमेरकी समाचार साप्ताहिक न्यूज वीक में लिखा गया है पिछले सप्ताह लियोनिद ब्रेजनेव की यात्रा के अवसर पर श्री मती गाधी ने हिन्द महासागर के

तट पर रुसी नौसेना की सुविधायें देने की माँग ठुकरा दी और विदेशी सहायता का आश्वासन प्राप्त कर लिया। इस तरह श्री मती गाधी ने उनका फूल मालाओं से सार्वजनिक स्वागत किया और उनसे उन्हे अपना समय देने की भारी कीमत वसूल की। 12 घन्टे की बातचीत में श्री मती गाधी ने 15 वर्षीय आर्थिक समझौते का मोर्चा जीत लिया इस समझौते में रुस ने दुतरफा व्यापार बढ़ाने और इस्पात कारखाने से लेकर कलकत्ता की भूमि गत रेल व विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सहायता देने का वचन दिया।

इसके अलावा भी ब्रेजनेव भारत को दुर्लभ पदार्थ देनें को भी सहमत हुए, जैसे रासायनिक खाद, रसायन और कच्चा माल। वे पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें सोवियत संघ अन्यत्र बेंचकर विदेशी मुद्रा कमा सकता था। भारत की आवश्यकता की तुलना में सहायता के रूसी वायदे बहुत कम है, फिर भी इस विश्लेषण का निष्कर्ष है कि इस समझौते में रूसी नेता नहीं, श्रीमती गांधी फायदे में रही हैं।[97]

श्रीमती गांधी ने भी आलोचकों को जवाब देते हुए कहा भारत विदेश नीति के सम्बन्ध में किसी प्रकार परतंत्र नही हैं। रूस या किसी अन्य देश से तकनीकी या आर्थिक सहायता लेने का मतलब किसी भी प्रकार अपने मौलिक सिद्धान्तों से समझौता करना नही है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक एवं तकनीकी जानकारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।[98]

इन्दिरा गांधी के हरद्वार की आम सभा 2.12.1973 को उनके भाषण का सारांश :-

इस प्रकार इसमे कोई संशय नही है कि विषम परिस्थितियों में श्रीमती गांधी ने देश को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने संवैधानिक संशोधनों द्वारा अमीर या गरीब के अन्तर को नष्ट करने का प्रयत्न किया, देश में आर्थिक कार्यक्रम लागू कर गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के सभी उद्यम अपनाये, विदेशों मं आर्थिक एवं तकनीकी

सहायता लेकर देश को उन्नतशील देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का सफल प्रयास भी किया।

संघ की इकाइयों में चुनाव तथा कांग्रेस की भारी विजय :

इसी प्रकार बंगला देश की स्थापना एवं पाकिस्तान के विरूद्ध भारत की विजय एवं 1971 के चुनाव के तत्पश्चात् सरकार के तेजी से उग्र सुधारवादी निर्णयों के कारण कांग्रेस की स्थिति भी सुदृढ़ एवं मजबूत होने लगी। राज्य विधान सभा के पांचवे आम चुनाव में इन्दिरा गांधी के विरोधी ऐसे उडे कि उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया।[99]

देश के सोलह राज्यों एवं दो यूनियन टेरिटरीज में राज्य विधान सभाओं के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस 2529 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसे 1927 सीटों पर विजयी हुयी। उसे कुल वोटों के 70–77 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ी उसके अनुसार उसे 76–33 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए।[100]

चुनाव विश्लेषण से स्पष्ट था कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति में उन्नति की थी। दूसरे केन्द्रीय राजनैतिक दल तो बहुत से प्रान्तों में प्रतिनिधित्व ही नहीं प्राप्त कर सके। संगठन कांग्रेस बिहार, गुजरात, हरियाणा एवं मैसूर के अलावा सब जगहों से समाप्त हो गया, यही स्थिति करीब–करीब जनसंघ की हुयी उसे दिल्ली में जहां उसका बहुमत था, मुंह की खानी पड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं हिमांचल प्रदेश में भी उसकी स्थिति कमजोर हुई। स्वतंत्र पार्टी बिल्कुल ही मिट गयी। यही इतिहास शोसलिस्ट पाटी एवं सी0पी0एम0 का रहा, उनकी स्थिति भी कमजोर हुई। कम्युनिस्ट पार्टी सी0पी0आई0 में अवश्य थोड़ा सुधार आया। इसका कारण यह भी था कि 1971 के चुनाव में केन्द्र में सुदृढ़ सरकार की स्थापना की गयी थी। जनता का विश्वास था कि विदेशी आक्रमण एवं सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में त्वरित समाधान हेतु जिस प्रकार शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना 1971 में की गयी थी, उसी प्रकार प्रभावी निर्णयों के लिए राज्यों में भी शक्तिशाली सरकारे होनी चाहिए।

इसके साथ ही जनता को मिली जुली सरकारें और उनकी अस्थिरता की कटु अनुभव पहिले हो चुका था।

किन्तु इन्दिरा जी के यह महिमामंडित क्षण अधिक दिन न रह सके। कांग्रेसियों ने उन्हें दुर्गा का अवतार कहकर उनकी प्रशंसा और गुणगान कुछ इस प्रकार किया कि उनका जन्म ही संसारिक बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ है।[101]

चुनाव में उन्हें इसका लाभ अवश्य मिला।[102] किन्तु आर्थिक क्षेत्र में सरकार की असफलता ने विरोधियों के भी हौसले बढ़ाये। उन्होंने तिल को पहाड़ बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया।[103] और इन्दिरा जी की नीतियों की कड़ी आलोचना प्रारम्भ हो गयी।

विरोधी आन्दोलन :

दूसरी ओर विरोधियों जो अपनी शर्मनाक पराजय के कारण कुंठाग्रस्त थे, ने इस विषम स्थिति में एक ऐसा अवसर देखा जिसमें वे जनता के आक्रोश को अपने हित में प्रयोग कर सकते थे ओर अपने स्वार्थ साधन हेतु परिस्थितियों का इच्छानुकूल दोहन कर सकते थे।[108]

श्रीमती गांधी का इसमें कोई कसूर न था, क्योंकि सरकार पर इतना आर्थिक बोझ यकायक आ पड़ा था कि कीमतो में अप्रत्याशित उछाल आ जाना स्वाभाविक था। मुद्रा स्फीति अपनी ऊँचाई पर थी और बेरोजगारी तीव्रगति से बढ़ रही थी, यद्यपि श्रीमती गांधी ने इस पर नियंत्रण और अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रयास किये कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया अनाज का थोक व्यापार अपनें हाथ में ले लिया एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सरकारी नियंत्रण किया।[109]

विरोधियों ने श्रीमती गांधी के इन कदमों को दूसरे रूप में देखा और निहित स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण वे इस बात का ज्यादा प्रयत्न करते रहे कि इन्दिरा जी परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सफल न हो सकें।[110]

देश में अर्न्तविरोध पैदा हो गये। 1974 में विरोधियों द्वारा अनेक प्रदर्शन किये गये। बिहार में छात्र दंगे शुरू हुए, एक छात्र मारा गया। पुलिस कार्यवाही के विरूद्ध प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने रेलवे स्टेशनों में आग लगाई। पुलिस चौकियों पर हमले किये गये और कई जगहों पर पुलिस पर पत्थर चलाये। इस प्रकार अन्य कई जगहों पर केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु में भी बलवे हुए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री शंकर दयाल शर्मा ने इसे सी0आई0ए0 का कार्य बताया जो कि बांगला देश एवं भारत के बीच मतभेद पैदा करना चाहता था। श्रीमती गांधी ने गांधी जयन्ती के दिन सी0आई0एफ0 को भारत में नागरिक उपद्रवों के लिए दोषी ठहराया।[111]

किन्तु इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। नागपुर में 18 अप्रैल 1973 को खाद्य संकट के कारण दंगा हुआ। प्रदर्शनकारियों द्वारा अनाज, कपड़े, मिठाइयों एवं शराबों की दुकाने लूट ली गयीं। ऐसे दंगे बम्बई एवं मनीपुर में भी हुए। हिंसक कारनामों की वजह से सेना बुलानी पड़ी। राजधानी में 6 नवम्बर को पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया गया। क्योंकि सरकार ने अरब एशिया संकट के कारण तेल की कमी को लेकर उसकी कीमते बढ़ाई थीं। यहां तक कि ट्रान्सपोर्ट, असैनिक कर्मचारियों एवं डाक्टरों ने भी असहयोग किया एवं अपने काम से बाहर रहे। रेस्टोरेन्ट, स्कूल भी बन्द रहे, विरोधियों ने इन्द्रा सरकार से त्यागपत्र की मांग की। क्योंकि वे इस बढ़ते हुए कीमत को नियंत्रण करने में असफल रही थीं।[112]

उनका कहना था कि जब अरब देशों ने कूट आयलः कच्चे तेल की पूर्ति में 10 प्रतिशत की कटौती की तो इसमें सरकार की क्या बुद्धिमानी है कि वह अरब देशों की लड़ाई में उसका साथ दे रहा है। श्री अटल बिहारी बाजपेई ने सरकार पर दोषारोपण करते हुए कहा कि – By Rusing to hold is cail responsible for the present war (Oct. 1973) our goverment had destroyed the little possibility ther war for the play of constructive Diplomacy.[113]

22 फरवरी 1973 को जी0ओ0आई0 वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण जो कि संसद में प्रस्तुत किया गया कि आख्या के अनुसार 1972–73 का वर्ष आर्थिक

दृष्टि से बहुत कठिन वर्ष था। इस वर्ष खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बहुत कमी आयी। कीमत बहुत बढ़ी थी, राष्ट्रीय आय भी बहुत असंतोषजनक थी।[114]

इससे भी कठिन स्थिति थी कि मध्य एवं पश्चिमी भारत में जबरजस्त अकाल पड़ा था। सरकार ने फिर भी इस स्थिति को स्वीकारा नहीं उसने यू0एन0 डिस्लर रिलीफ आफिस जनेवा को सूचित किया कि भारत में कोई खाद्य समस्या नही है। और उसे कोई बाहर से आवश्यकता नहीं है। [115]

इन्दिरा जी ने भी स्थिति को केवल क्षणिक अवस्था :परिसंग फेसः बताया जबकि सरकार समाजवादी रास्ते से हट रही थी एवं आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई थी। [116] कांग्रेस कार्य समिति की अप्रैल 28, 1974 की बैठक में स्थिति से निपटने के रास्तों को ढूँढ़ने के बजाय इसे कठिन ''आर्थिक स्थिति'' की जगह कठिन राजनैतिक स्थिति की संज्ञा देते हुये अपने कार्यकर्ताओं को इन्दिरा गाँधी के प्रति विरोध से निपटने का आवाहन किया और इस स्थिति को फासीवादी प्रतिक्रियावादी एवं निहित स्वार्थों में लिप्त लोगों की राजनैतिक कार्यवाही बताते हुये उन्होनें विरोधियों को तमाम अशान्ति के लिये उत्तरदायी ठहराया दूसरी ओर कांग्रेस में ही एक युवा वर्ग जो यूवा तुर्क के नाम से जाना जाता था ने स्पष्ट आरोप लगाते हुये इसे कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने का केवल एक प्रयत्न बताया। [117]

आणविक उपलब्धि :-

वास्तव में उसी समय भारतीय सरकार की आणुविक उपलब्धि की सफलता ने इन्दिरा जी की महिमा एवं उनके चमत्कारिक शक्ति को एक बार पुनः गौरवान्वित किया। भारतीय वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग नें भारत को आणविक शक्तियों के बीच ला खड़ा किया , और इन सब का श्रेय श्रीमती इन्दिरा गाँधी को प्राप्त हुआ।[120]

हड़ताली भी बहुत कमजोर हुये और जनता के सहयोग के अःभाव में यह हड़ताल असफल हुई। सरकार को इससे बल मिला। किन्तु इस जीत के गर्व ने उसे और निरंकुश बना दिया और कांग्रेसी अपने को सुधारने के बजाय

विरोध को नष्ट करने के उपाय खोजते एवं उन्हें क्रियान्वित करते रहे। जनता में जैसे भी अणु विस्फोट एवं पाकिस्तान विजय का सुख बोध समाप्त हुआ आर्थिक समस्याओ के ज्वर ने उसे पुनः पकड़ लिया।[121]

सरकार के सारे प्रयत्न नाकाम रहे और असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी को आगे चलकर देश की आन्तरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये आपात काल की घोषणा का सहारा लेना पड़ा।

संक्षेप में इस काल में श्रीमती इन्दिरा गाँधी एक प्रधानमंत्री से अधिक राष्ट्रनेता के रुप में उभर कर सामने आयी। 1971 में होने वाले चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की आसातीत विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता उनके साथ है। कांग्रेस संगठन केवल कागजी संगठन मात्र बनकर रह गया दूसरी ओर भारत पाक युद्ध में भारत की विजय ने विशेषकर जिस कूटिनीतिज्ञता सेश्रीमती इन्दिरा गाँधी ने पूर्वी पाकिस्तान का एक रूवतंत्र बांगलादेश के रूप में निर्माण कराने में सफलता प्राप्त की, ने उनकी ख्याति को और चार चाँद लगा दिये। वे राष्ट्र जो उनके प्रधानमंत्री बनने के समय उनकी सफलता को सन्देहात्मक दृष्टि से देख रहे थे, अब उनके पक्ष को लालसा करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अब तक एक महत्वपूर्ण स्थान में पहुँच गया।

आर्थिक एवं सामाजिक दिशा में भी उनके द्वारा उठाये गये कदम क्रान्तिकारी थे। चौबीसवें पच्चीसवें एवं छब्बीसवें संशोधन कर उन्होंने सामाजिक असमानताओं को दूर करने एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के सफल क्रियान्वयन हेतु कदम उठाया देश की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं सुदृढ़ता लाने हेतु सरकारी स्तर पर बड़े राष्ट्रों के सहयोग से उन्होंने भारी उद्योगों की स्थापना की। आणुविक प्रयोग की, सफलता से भी भारत को विश्व के इने गिने राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया।

यद्यपि यह भी सही है कि शरणार्थी समस्या एवं युद्ध में आये व्यय में भारत की आर्थिक स्थिति को रौंद कर रख दिया। जिसके फलस्वरूप दंगे

लूटपाट एवं हड़ताल की घटनाएं भी राष्ट्रव्यापी बन गयीं और कुछ ही दिनों में लोग भारत विजय के हर्ष को भूलने लगे, तथापि ये भी निर्विवाद सत्य है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जिस योग्यता, धैर्य एवं साहस से भारत ऐसे विशालतम गणतंत्र के पोत को इन्दिरा जी ने सम्हाला, वह उनके जन्म जात राजनेता एवं कूटनीतिज्ञ होने का द्योतक है।

अध्याय – चतुर्थ

जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन

जय प्रकाश नारायण जी ने 1954 में सक्रिय राजनीति को त्याग कर सर्वोदय आन्दोलन में प्रवेश किया था। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि "दल राजनीति एवं शक्ति राजनीति किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक ढाचे में कोई भी मूलभूत परिवर्तन करने में किसी भी प्रकार सक्षम नही है। और इसलिए करीब डेढ़ दशक तक वे सर्वोदय के प्रसार मे अपनी शक्ति को समर्पित करते रहे एवं भूदान, ग्राम दान, एवं ग्राम स्वराज्य के विनोबा जी के सिद्धान्तों के प्रचार एवं प्रसार में लगे रहे। 1970 मे जब वे बिहार के मुजफ्फरपुर के मसहरी विकास खण्ड मे कार्य कर रहे थे। इस आन्दोलन के प्रति उनमे संदेह जागृत हुआ उन्हे ऐसा लगा कि महात्मा गाँधी के ग्राम दान एवं स्वराज्य के क्रान्तिकारी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विनोबा द्वारा प्रचिलित "सौम्य अनुनय" की यह नीति विचारणीय है और इसके समक्ष एक प्रश्न वाचक चिन्ह लगा है।[3]

जयप्रकाश नरायण जी ने अपने महत्वपूर्ण पम्पलेट मे थ्बम जव बिम में लिखा है।

" I had been feeling for quite some time past that our movement was losing its fire and we, its workers were state and flabby of spirit ,"

जयप्रकाश नरायण मसहरी इसलिये गये थे कि वहाँ सर्वोदय के दो कार्यकर्ताओं का जीवन तत्कालीन नक्सलवादी आन्दोलन का बलि चढ़ गया था। यही उनमे यह विचार भी जागृत हुआ कि विनोवा का यह सिद्धान्त जो कोमल विनय पर आधारित है सक्षम स्तर पर जनता को समझाने के प्रयास में अक्षम है। उन्होंने अपनी पत्रिका "फेस" में लिखा है।

यदि इस प्रजातंत्र में कमिया हैं और हिंसा उसका कोई लक्ष्य नहीं तो फिर इसका क्या उपाय है? इसके रास्ते के लिए हमें एक बार फिर गाँधी जी के रास्ते पर जाना होगा, जिसकी आवश्यकता है बड़े पैमाने पर सत्याग्रह।[5]

जय प्रकाश जी केवल सामाजिक एवं आर्थिक गिरावट से ही परेशान नहीं थे। उन्होंने यह भी देखा था कि भारत में शिक्षा के स्तर पर भारी गिरावट आई है।[6] और इन सबका मुख्य कारण चुनाव में बढ़ती हुई कीमत जिसके

कारण बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, जो कि चुनाव प्रणाली का प्रमुख अंग बनकर रह गया था, और जिसके कारण प्रजातंत्र ने अपने श्रोत में ही लड़खड़ाना प्रारम्भ कर दिया।[7]

उन्होंने अनुभव किया था कि वे परिस्थितियों में जिसमें सबसे पहले परिवर्तन की आवश्यकता थी उन्होंने, ''राष्ट्र के युवा'' के नाम एक खुला पत्र लिखा,8 जिसमें उन्होंने भारत का प्रजातांत्रिक प्रणाली की रक्षा एवं उसे भ्रष्टाचार से बचाने के लिए समस्त युवाओं से एक प्रजातांत्रिक आन्दोलन के शुभारम्भ की अपील की और उनसे सीधा प्रश्न पूछा कि क्या मूक दर्शक की भाँति चुनाव जीतने की इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जो कि शक्ति एवं धोखे पर आधारित है, का इसी प्रकार गलाघुटते देखते रहेगें। उसी समय गुजरात 1974 के छात्रों द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की सरकार से त्याग पत्र की मांग की गयी। यह तो शत प्रतिशत नहीं कहा जा सकता कि यह युवा आन्दोलन जय प्रकाश के आह्वान पर गुजरात से प्रारम्भ हुआ, परन्तु वहां उसका स्वरूप पूर्णतः वही था, जिसे जय प्रकाश जी ने दर्शाया था। विधायकों का घेराव हुआ, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया गया। उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। पूरी तौर पर लड़ाई गुजरात के छात्रों की कांग्रेस मंत्रिमंडल में बैठे हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। उन्होंने कुछ दिनों के लिए जबकि यह आन्दोलन तेजी में था, गुजरात का भ्रमण भी किया। उन्हीं दिनों 11 मार्च 1974 गुजरात मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के मांग को लेकर श्री मोरार जी देशाई आमरण अनशन पर बैठ गये।[9] श्रीमती गांधी ने पहले तो कड़ा रूख अपनाया, किन्तु अन्त में वे झुक गयी और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।[10]

गुजरात के बाद जयप्रकाश ने अपना ध्यान बिहार के छात्र आन्दोलन की ओर केन्द्रित किया। यहां भी स्थिति वैसी ही थी। छात्र काफी आन्दोलित थे किन्तु मार्च 18, 1974 को स्थिति ज्यादा बिगड गई जब इन छात्रों पर गफूर सरकार की पुलिस ने निर्ममता से प्रहार किया और उसी के साथ बड़े भद्दे

ढ़ंग से सरकार समर्थित गुण्डों द्वारा 'सर्च लाइट' अखबार के कार्यालय में आग लगा दी गयी एवं तमाम दुकानें लूटी गयीं।[11]

छात्र दूसरे दिन जय प्रकाश जी से मिले। यद्यपि वे अपनी बीमारी से उस समय भी लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने उसे बहुत सी गम्भीरता से लिया। उनके मस्तिष्क में यह बात आयी कि प्रशासन एवं राजनैतिक प्रणाली में मूल भूत परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि बावजूद इसके कि सरकार में ब्यापक भ्रष्टाचार है, गया एवं पटना में छात्र आन्दोलन के अधिनायकवादी तरीके से दबाने की भूल की गयी और राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली में आमूल्य परिवर्तन की आवश्यकता है।[12]

आगे चलकर उन्होंने इस मांग को भी जोड़ लिया कि विधान सभा को तुरन्त भंग कर दिया जाये और नये चुनाव कराये जायें। उन्होंने जनता से अपील की कि छात्रों ने जिस चुनौती को स्वीकार किया है। उसमें जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। 3 फरवरी 1974 को जयप्रकाश जी ने कानपुर में छात्रों की एक आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा।

"देश नई क्रान्ति की ओर तेजी से अग्रसित हो रहा है। यह एक दूसरा 1942 का आन्दोलन है जो इतिहास की धारा में परिवर्तन करना चाहता है। ....देश में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जनता का दलों से उनके नेताओं से विश्वास उठ गया है, क्योंकि उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए उसका शोषण किया है।[13]

9 अप्रैल 1974 को पटना के गांधी मैदान की सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने माओ के इस सिद्धान्त "पावर कम्स आउट आफ वैरेल आफ एगन" का समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा है और यदि मुझसे यह पूछा जाय कि आप रूस एवं चीन में किसे पसंद करेगें तो मैं अवश्य ही चीन को पसंद करूंगा।"[14]

जय प्रकाश जी ने बिहार बन्द के दौरान इस बात पर जोर दिया कि उनका यह संघर्ष केन्द्रीय सरकार के प्रति है न कि बिहार सरकार के प्रति क्योंकि बिहार सरकार की न तो कोई स्थिति है और न उसमें शक्ति है।[15]

और यहीं से जयप्रकाश जी का इन्दिरा जी से सीधा विरोध हुआ। 12 मई 1975 को कोचीन में उन्होंने घोषणा की सैनिकों एवं पुलिस दल का दायित्व है कि वह प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों एवं भारतीय संविधान की रक्षा करें, जिसके लिए प्रधानमंत्री अपवाद नहीं है। यहां तक कुरूक्षेत्र में उन्होंने कहा "अर्जुन की भाँति मैं मछली की आँख देखता हूँ, मै सिर्फ इन्दिरा गांधी को देखता हूँ। [16]

श्रीमती इन्दिरा गांधी इस मांग के आगे झुकना नहीं चाहती थीं। इसका मुख्य कारण यह था कि गुजरात में उनके झुकने के कारण सरकार के सम्मान को काफी धक्का लग चुका था और इससे कांग्रेसियों का मनोबल भी काफी गिरा था। दूसरे यह कि यहाँ भी गुजरात की भांति वे झुक जाती तो इस बात की पूर्ण सम्भावना थी कि अन्य कांग्रेसी सरकारों के समक्ष भी यह समस्या आती जिसके काफी गम्भीर परिणाम हो सकते थे। अतः वे इस बात के लिए दृढ़ हो गयी थीं कि इस आन्दोलन के समक्ष किसी भी परिस्थितियों में झुकेगी नहीं।[17] यद्यपि यह आन्दोलन काफी तीव्र रहा और उसका असर पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से पड़ा भी। समस्त विरोधी दलों ने इस आन्दोलन को गैर राजनीतिक आन्दोलन के रूप में मानकर इससे पूरा सहयोग किया।

इन्दिरा जी फिर भी नहीं झुकी। अन्ततोगत्वा जयप्रकाश जी ने इस आन्दोलन को व्यापक रूप दिया। उन्होंने समस्त देश का भ्रमण किया और अपने भाषणों में सम्पूर्ण क्रांति की मांग की। इस आन्दोलन की चरम सीमा 6 मार्च 1975 थी, जब उन्होंने नयी दिल्ली में एक विशाल "मार्च रैली" का आयोजन किया जो इतनी विशाल थी कि इससे पूर्व कभी नहीं देखी गयी। इसमें संसद के नाम एक "अधिकारों का मांग पत्र" लोक सभा अध्यक्ष को दिया गया। इसे "भारतीय मैग्ना कार्टा" के नाम से सम्बोधित किया गया जिसमें इस बात की जोरदार मांग की गयी कि भ्रष्ट मंत्रियों को निकाला जाय, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल भूत परिर्वतन किये जायें कार्यक्रमों में मितव्यता बरती जाय और संविधान के आपातकालीन घोषणा के नियमों में कठोरता लायी जाये, बिहार में पुनः चुनाव कराये जायें।[18]

सरकार ने सभी मांगों को ठुकरा दिया।[19] इस ''जन मार्च'' को विरोधियों की ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की भी श्रद्धा प्राप्त थी। कांग्रेस के एक भाग ने जिसका नेतृत्व चन्द्रशेषर जी कर रहे थे, इन्दिरा जी को यह सलाह दी कि जय प्रकाश जी से किसी प्रकार का टकराव न लिया जाय। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्री मोहनलाल धारिया ने जयप्रकाश जी से अपने सम्बन्धों को केवल स्वीकारा ही नहीं वरन् उन्होंने यह भी कहा कि उनके (जे0पी0के) सुझावों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने संसद में स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्र संकट में है और यहां अराजकता की स्थिति है। कांग्रेस को चाहिए कि ऐसी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कसाव के समय समझदारी से काम ले। सरकार ने धारिया जी के इन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकों मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा।[20]

इसी समय 8 मई 1974 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। उस समय शोसलिस्ट नेता जार्ज फर्नाड़ीज कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन के नेता थे। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब ही थी 1972–73 के सूखे के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक राहत सामग्री, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुँचाने का सुलभ साधन भी रेलवे ही था। जिसको रोककर भूखी जनता को ज्यादा दिनों तक भूखा एवं नंगा रखकर उन्हें सरकार के विरूद्ध लड़ने के लिए बाध्य करना ही इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य था। अन्यथा उसके लिए कोई अन्य समय भी चुना जा सकता था। जार्ज फर्नाडीज ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेलवे हड़ताल 20 दिनों तक चलाई। सरकार ने भी इस हड़ताल को तोड़ने के लिए सभी हथकण्डे अपनाये और तब जाकर वह हड़ताल समाप्त करने में सफल हो पायी। इस हड़ताल से विरोधियों को दोहरा लाभ और सरकार को दोहरा नुकसान हुआ। रेलवे कर्मचारियों की सद्भावना तो विरोधियों को मिली और नाराजगी मिली सरकार को।

इन कठिन परिस्थितियों में भी इन्दिरा जी देश को आगे बढ़ाने में लगी रहीं। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन नामक स्थान पर भारत ने

भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।[21] सारे विश्व ने भारत की इस उपलब्धि को आश्चर्य से देखा। भारत की जनता का भी ध्यान जे0पी0 के आन्दोलन और रेलवे हड़ताल से कुछ समय के लिए हट गया। वैसे भी यह परीक्षण भारत की जनता के लिए गौरव की बात थी। इस परीक्षण द्वारा इन्दिरा जी ने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया।

किन्तु आन्दोलन के बाद, जो कटुता उत्पन्न हुयी थी, उसे भर पाना आसान नहीं था। सरकार का बहुत बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के कोप का भाजन बनना पड़ा था और सरकारी राजस्व में इस हड़ताल के कारण लगभग 50 करोड़ का घाटा हो चुका था। जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को काफी जर्जर कर दिया था।

उधर जे0पी0 ने बिहार के साथ ही हरियाणा में भी छात्रों को आन्दोलन के लिए तैयार किया। वस्तुतः उन्होंने छात्रों के माध्यम से सम्पूर्ण देश को उत्तेजित करने का प्रण रखा था। बिहार और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था। जे0पी0 ने छात्रों से एक वर्ष तक विद्यामन्दिरों से बाहर आकर आन्दोलन में खुलकर भाग लेने का आह्वान किया।"[22]

अनेंक कालेज एवं विश्वविद्यालय बन्द हो गये और छात्रगण इस राजनीति के अधीन सड़कों पर निकल आये, जिससे सारी परीक्षाएं एक वर्ष पिछड़ गयीं।[23]

जे0पी0 का उद्देश्य सत्ता से कांग्रेस को हटाना ही था। इन्दिरा के शासन को गिराना ही अब उनका उद्देश्य हो गया था। बढ़ती लोकप्रियता और प्रभावशाली छात्र आन्दोलन के प्रसार तथा विपक्षी दल के सहयोग से उनके उत्साह में काफी वृद्धि हुयी थी अतः उनको सब कुछ सन् 1976 के पूर्व ही कर लेना था, क्योंकि 1976 में चुनाव होने वाले थे। उसी कारण उन्होंने "इन्दिरा हटाओ" के राजनीतिक आन्दोलन में "साध्य और साधन की पवित्रता" के सिद्धान्त को बलाये ताक रख कर विधान सभा के सदस्यों से छात्रों के द्वारा जबरजस्ती त्याग पत्र मांगने की नीति का जोरदार समर्थन किया। गुजरात में तो छात्रों ने हिंसा और जबरजस्ती के आधार पर बहुत से सदस्यों से त्यागपत्रों

पर हस्ताक्षर करवाये। बिहार में छात्र आन्दोलन ने यही रूख पकड़ा जिससे कानून एवं व्यवस्था में काफी गिरावट आयी।

इन्दिरा सरकार जे0पी0 के बढ़ते प्रभाव एवं कानून तथा व्यवस्था की गिरती हुई हालत से चिन्तित थी। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार एवं चोर बाजारी आदि को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय सोच रही थी। उसी समय राष्ट्रपति बी0वी0 गिरि की जगह श्री फखरूद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा चुके थे। इन्दिरा सरकार ने तस्करों से निपटने के लिए Conservation of Foreign exchange and prevention of smuggling activities act cofe posa (कोके पोसा) 19दिसम्बर 1974 को पारित किया।

इस एक्ट के अन्तर्गत सैकड़ों तस्करों को पकड़कर जेल में डाल दिया। जैसे हाजी मस्तान, नारंग, पटेल, इत्यादि। देश की सुरक्षा और प्रशासन व्यवस्था को चुस्त बनाये रखने के लिए इन्दिरा सरकार ने मीसा और डी0आई0आर0 अध्यादेशों द्वारा सैकड़ों अपराधियों को जेल में डाल दिया। इन अध्यादेशों के अन्तर्गत कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी जेल में डाले गये।

जयप्रकाश तथा उनके समर्थकों को उपरोक्त अध्यादेशों से संतोष नहीं हुआ। उस समय फैले हुए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने का एक ही उपाय, उन्हें नजर आ रहा था। वह था सरकार को किसी तरह अपदस्थ करना। इसी बीच जे0पी0 ने एक नारा दिया कि लोग सरकार को लगान् और कर देना बन्द कर दें। ऐसा करने से उनका सोचना था कि सरकार का राजस्व घटेगा। वह अपने कर्मचारियों का वेतन न दे सकेगी और सारा काम काज ठप्प हो जायेगा। इतना ही नहीं उन्होंने बिहार में एक और परीक्षण करना चाहा वह था कि एक समानान्तर सरकार का गठन किया जाय।[25]

बिहार राज्य के कुछ जिला इकाइयों, तहसीलों, ब्लाकों आदि में समानान्तर सरकार का गठन किया जाय और इस समानान्तर सरकार की व्यवस्था थी कि सारी प्रशासनिक इकाइयों का समानान्तर गठन कर सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाय। इस आन्दोलन में जय प्रकाश को सफलता भी मिली।[26]

उधर इन्दिरा सरकार इसमें थी कि किसी तरह देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। जनता में षड़यंत्र पूर्ण तरीकों से सरकार की जो साख गिरायी जा रही है, उसका करारा जवाब दिया जा सके। उन्होंने कई उपाय किये। श्री डी0पी0 धर की सलाह पर इन्दिरा जी ने 1 जनवरी 1974 को जे0पी0 से भेंट की थी।[27] किन्तु जे0पी0 इस बात पर अड़े रहे कि बिहार विधान सभा को भंग कर दिया जाय। इन्दिरा जी का कहना था कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जे0पी0 सरकार की मदद करें तथा उन मांगों के लिए अपना आग्रह छोड़ दें, जिनसे कि हिंसा को बढ़ावा मिल रहा था। इन्दिरा जी का आग्रह यह भी था कि चुने हुए लोगों के साथ जोर जबरजस्ती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह असंवैधानिक तरीका है। जे0पी0 किसी भी रूप में अपने आन्दोलन को वापस लेने में तैयार नहीं हुए। यद्यपि इन्दिरा जी इस बात के लिए तैयार हो गयीं कि वे बिहार विधान सभा को भंग कर देगीं, यदि वे आगे अपनी मांग न रखे।[28]

उधर लोहिया समाजवादी, जिनके नेता जार्ज फर्नाड़ीज थे वे रेलवे की हड़ताल पर हुयी विफलता से तिलमिला गये, उन्होंने दिसम्बर 1974 में केरल में एक अधिवेशन किया। वहां पर इन नेताओं ने अपने जोशीले वक्तब्यों द्वारा देश के नवयुवकों को हिंसात्मक आन्दोलनों के लिए प्रेरित किया। जे0पी0 शान्तिपूर्वक आन्दोलन के पक्षधर माने जाते थे और उनके अनुगामियों द्वारा जो छिटपुट हिंसात्मक कार्य होते थे, वे संगठित और सुनियोजित नहीं होते थे, किन्तु समाजवादियों के उनके साथ आने की जो प्रक्रिया आरम्भ हुयी थी, उससे जे0पी0 के आन्दोलनों को भी हिंसात्मक मोड़ दिये जाने की सम्भावना देश में बन रही थी। विश्वविद्यालयों के बन्द होने से छात्र असंतोष बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 1975 में जे0पी0 ने दिल्ली में सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी नाम से एक राजनैतिक संगठन बनाया। कहने के लिए इनके उद्देश्य महान थे, लेकिन उसकी प्रेरणा का जो श्रोत उन्होंने ढूंढा वह गुजरात का छात्र आन्दोलन था, चुने हुए विधान सभा सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करने से लेकर सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने और छात्रों को हिंसा तक के

लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह संगठन बनाया गया था, जिसके कार्यक्रम निम्नलिखित थे :–

1. स्कूलों तथा कालेजों व परीक्षाओं का बहिष्कार करना।
2. विधान सभा सदस्यों का घेराव व इस्तीफे देने के लिए बाध्य किया जाना।
3. विधान सभा सदस्यों का बहिष्कार
4. समानान्तर सरकार की स्थापना।
5. सरकारी कार्यालयों में काम को पंगु एवं ठप्प करा देना।
6. टैक्स न देना।
7. यायालयों का बहिष्कार
8. समानान्तर सरकार एवं अदालतों के रूप में जनता सरकार और अदालतों का निर्माण।
9. पुलिस सेना सरकारी अधिकारियों को सरकारी आदेशों के विरूद्ध भड़काना।

विभिन्न दलों की बैठकें चल रहीं थी। देश की आर्थिक स्थिति अब बिगड़ने लगी थी। जे0पी0 के राजनैतिक आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी के ही युवा तुर्क के नाम से कहे जाने वाले नेतागण जैसे – चन्द्रशेषर, मोहन धारिया, रामधन आदि जिन्हें कांग्रेस से सन् 1973 के आरम्भ में निष्कासित किया जा चुका था, भी जे0पी0 के राजनैतिक आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। इस प्रकार इस राजनैतिक आन्दोलन में जे0पी के चारो ओर वे सभी लोग और दल इकट्ठे हो गये जिन्हें इन्दिरा जी के नाम से चिढ़ थी और जो इन्दिरा के बढ़ते गौरव[30]' से ईर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि आर0एस0एस0 और आनन्द मार्गी जैसे संस्थाओं ने जे0पी0 का समर्थन किया। जो उन्हें कभी राष्ट्रद्रोही, गद्दार, नास्तिक और न मालूम क्या कह चुके थे।''[31]

जे0पी0 का यह राजनैतिक आन्दोलन अपने बढ़ते प्रभाव के साथ–साथ हिंसात्मक स्वरूप भी लेने लगा। ऐसे अवसर पर ललित नारायण मिश्र जो बिहार से संसद सदस्य हो गये थे और वे उस समय रेल मंत्री थे उन पर समस्तीपुर में बम फेंका गया, जिससे आहत हो 3 जनवरी 1975 को उनका

देहान्त हो गया। बिहार में इस आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। अब सभी आन्दोलन की प्रतीक्षा में लग गये, जिसे देशव्यापी स्वरूप दिया जा सके।

उपरोक्त वर्णन से यही निष्कर्ष निकलता है कि मई 1975 तक जयप्रकाश जी के आन्दोलन ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था और इन्दिरा सरकार के समक्ष अपने अस्तित्व एवं देश के कानून एवं व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हो गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय :

भारत के राजनीतिक क्षितिज को लगे ग्रहण की कालिमा को और गहराने वाला जो दूसरा कारण था वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था, जो माननीय न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरूद्ध दिया था। इस ऐतिहासिक मुकदमे में राजनरायण बनाम इन्दिरा गांधी के निर्णय से भारतीय राजनीति में एक भयंकर भूचाल आ गया, जिससे कि आगे चलकर 26 जून 1975 को इन्दिरा सरकार को आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

लोक सभा के 1971 के चुनावों में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से श्री राजनरायण तथा अपने अन्य विरोधी उम्मीदवारों को पराजित कर श्रीमती इन्दिरा गांधी निर्वाचित घोषित की गयीं थी। राजनरायण ने इस निर्वाचन के विरूद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें अन्य आरोपों के साथ–साथ कदाचार का आरोप भी लगाया गया था। उदाहरण के लिए बछड़े का चुनाव चिन्ह, सीमा से अधिक धन का व्यय, चुनाव के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग, चुनाव में जीतने के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग आदि था। श्री राजनारायण का आरोप था कि प्रधानमंत्री सचिवालय के एक कर्मचारी श्री यशपाल कपूर, ने जिन्हें राजकीय कोष से वेतन दिया जाता था, इन्दिरा जी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली जाकर, उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जब इन्दिरा अपने चुनाव क्षेत्र में

गयीं तो उनके मंच बनाने तथा माइक आदि के प्रबन्ध के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली गयी।

न्यायाधीश श्री जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि "मैं जिस निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ उन्हें देखते हुए यह याचिका स्वीकार की जाती है और लोकसभा के लिए प्रतिवादी संख्या1 श्रीमती इन्दिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है।[32]

न्यायाधीश महोदय ने आगे फैसला दिया कि "तदानुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8क के प्राविधानों के अनुसार प्रतिवादी संख्या1 इस आदेश की तारीख से 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मानी जायेगी।[33]

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि "कथित आदेश की कार्यवाही तदनुसार 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उच्चतम् न्यायालय में अपील दायर होने तक इनमें जो भी पहले हो यह आदेश प्रभावी हो जायेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा श्रीमती गांधी का चुनाव रद्द होने के बाद सारे देश में और विशेषकर दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियों में तेजी आ गयी। इन्दिरा जी के पक्ष और विपक्ष में दिल्ली और दिल्ली से बाहर अनेंक राजनैतिक प्रदर्शनों, रैलियों और सभाओं के आयोजन किये गये। 24 जून 1975 को उच्चतम न्यालय के न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अप्यर ने इन्दिरा गांधी की अपील पर ससर्त फैसला दिया इस फैसले के द्वारा यद्दपि श्रीमती इन्दिरा गाँधी को प्रधानमंत्री के रुप में कार्य करने में रोका नही गया था। तथापि वे संसद में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दी गयीं। फिर भी इन्दिरा जी के राजनीतिक विरोधियों ने नैतिकता के आधार पर उनसे त्याग पत्र की माँग की थी। श्रीमती इन्दिरा जी को अपने सूत्रों से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी कि उनसे विरोधी देश व्यापी आन्दोलन का आह्वान करेगे और वे समानान्तर प्रशासन समानान्तर न्यायालय छात्रों एवं स्कूल कालेजो और विश्वविद्यालयों का बहिष्कार तथा सशस्त्र सेना तथा पुलिस जवानों को गैर कानूनी आदेशों का पालन नही करने के लिये प्रोत्साहित करेगें। जिस

प्रधानमंत्री को संसद का प्रचंड बहुमत प्राप्त था और जिसे जनता ने 1971 के चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया था। उनको अपदस्त करने का यह तरीका किसी भी रुप में प्रजातांत्रिक अथवा संवैधानिक नही कहा जा सकता, कम से कम उस समय जबकि न्यायालय के फैसले के विरुद्धवादी को अपील करने का अधिकार स्वयं माननीय न्यायाधीश के माध्यम से जनता में बदनाम करना शुरु कर दिया उन्होंने इन्दिरा जी के मौलिक अधिकार को उनके सत्ता से मोह का पर्याय मान लिया। इन लोगो का यह विचार था कि इन्दिरा जी तुरन्त स्तीफा दे दें। और चुनाव लड़ें जे0 पी0 के कोशिशों के कारण लोंगों के मन मे इन्दिरा जी के प्रति कुछ कडुवाहट भले ही पैदा हो गयी हो किन्तु सभी जानते थे कि बिना सिद्धान्तों के एक जुट होने वाली पार्टियां सत्ता मे नही आ सकती और अगर आ भी गयी तो सरकार को चला नही सकती। अतः तब भी हवा का रुख इन्दिरा जी के पक्ष में ही था।

इन्दिरा जी के पीछे सोर विरोधी दलों का एक जुट हो जाने के कारण यह नही था कि वे सभी सन्तों या सज्जन या साधू महात्माओं के दल थे। राजनीतिक लाभ का लोभ ही उन्हे एक जुट कर रहा था और इसी कारण उन्होने एक जुट हो कर तुरन्त अपना कूटनीतिक युद्ध आरम्भ कर दिया। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि इन विरोधी दलों ने जे0पी0 की सहमति लिये बिना उनके नेतृत्व मे संसद के घेराव की तथा लोक तंत्र को मिट्टी में मिलाने की योजना का एलान कर दिया। 12जून के फैसले के बाद से लगभग सभी विरोधी दल राष्ट्रपति भवन के बाहर धरने पर बैठ रहे थे। 17 जून को श्री जयप्रकाश को विरोधी दल वालों ने एक संदेश द्वारा अपनी रैली का नेतृत्व करने के लिये बुलावा भेजा था। वे नही आये क्योंकि वे सुप्रिम कोर्ट से इसमामले का क्या फैसला हुआ ,यह भी जान लेना चाहते थे किन्तु राजनरायण के अथक प्रयास एवं अनुनय विनय के कारण श्री जे0पी0 जी 21–22 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में भाग लेने को तैयार हो गये और उन्होंने रैली में भाग लेना स्वीकार लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 17 जून तक जिस बात को जिस मांग को श्री जयप्रकाश नारायण अनुचित

और अनैतिक मान रहे थे वही मांग राजनारायण के समझाने पर नैतिक और उचित बन गयी।

सत्ता पक्ष में निर्णय की प्रतिक्रिया :-

दूसरी ओर सत्ता पक्ष में जैसे ही यह खबर आयी श्रीमती गांधी के यहां पहुंचने वालों का ताता लग गया सर्वप्रथम पहुंचने वालों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे इन्दिरा कांग्रेस के अध्यक्ष देवकान्त वरूआ प्रथम थे उनके चेहरों में व्याकुलता के भाव स्पष्ट थे, किन्तु वह कुछ न कह सके। किन्तु परिस्थितियॉ बदल गयी जब सिद्धार्थ शंकर रे एवं कानून मंत्री एच0आर0गोखले ने इस बात की पुष्टि की कि जस्टिस सिन्हा ने अपने निर्णय में वादी को 20 दिन का समय दिया है जिसके अर्न्तगत वह निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी कर सकती है थोडी ही देर में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने छोटे पुत्र संजय के आने के बाद अपने परिवार के साथ इस सम्बन्ध में बात चीत की इन्दिरा जी का विचार था कि इस समय यदि वे त्याग पत्र दे देती है। और कुछ दिनों के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय उन्हें इस अपराध से मुक्ति कर देगा और वह वापस आयेगी तो यह उनके उन विरोधियों को जो उन्हें सत्ता प्रेमी कहते है चुपकर देगी इतना ही नहीं सम्पूर्ण विश्व द्वारा साधुवाद मिलेगा और वे इतनी उॅची उठ जायेगी कि उन्हें दूसरे किसी चुनाव में वैसी ही सफलता प्राप्त होगी।

जैसे कि उन्हें1971 में प्राप्त हुयी थी किन्तु उनके दोनो बेटे अस्थायी तौर पर उनके त्याग पत्र के पक्ष में नही थे उनका विचार यह था कि सर्वोच्च न्यायालय का निणर्य उनकी पक्ष में न गया तो समय 6 वर्ष का इतना अधिक है कि स्थिति निश्चिय ही उनके परिवार के पक्ष में न रहेगी उन्हे अपने विरोधियों से अधिक डर अपने दल के उन महात्वाकांक्षी व्यक्तियों से था जो सत्ता की होड में इस अवसर पर पूरा लाभ उठाना चाहते थे।[39]

उसका प्रमाण तो उसी समय मिल गया जब 104 कांग्रेसी सदस्यों ने चन्द्रशेखर के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर युक्त (कम्वेन) अभियान प्रारंम्भ कर दिया।

40 जो परिर्वतन बादी थे और उस स्थिति में प्रधानमंत्री का त्यागपत्र चाहते थे, उन्होंने विकल्प के रुप जगजीवन राम को चुना भी किन्तु उन्होने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। चन्द्रशेखर अधिक उतावले थे निर्णय शीघ्र चाहते थे। कुछ लोगों ने उनका नाम भी सुझाया, किन्तु वे उनके लिए तैयार न हुए। इसमें एक नाम स्वर्ण सिंह का भी आया जो उस पद को धारण करने के लिए तैयार नहीं थे। किन्तु परिवर्तनवादियों के इस सुझाव से अब अवश्य सहमत हो गये कि वे प्रधानमंत्री को कांग्रेस संसदीय दल के इन सदस्यों की भावनाओं से अवश्य अवगत करा देगें।

उसके लिए उन्होंने गलत अवसर चुना और जब वे प्रधानमंत्री से मिलने गये उस समय इन्दिरा जी सर्व श्री सिद्धार्थ शंकर रे, ज्ञानी जैल सिंह, एवं कैविनेट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर रही थी। उस समय वहाँ संजय गांधी भी उपस्थित थे।[41]

यद्यपि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और उन पर विचार करने के लिए कहा भी, तथापि वहां के वातावरण से स्वर्ण सिंह को यह आभास हो गया कि इन्दिरा जी फिलहाल त्याग पत्र देने के पक्ष में नहीं है। अतः स्वर्ण सिंह जी ने वहाँ से लौटने के बाद परिवर्तन वादियों को स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी इन्दिरा विरोधी कार्य में उनका साथ न देगें।[42]

तमाम बहस मुबाहसे के बाद यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस समय प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देना उचित नहीं है। क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के विरूद्ध बीस दिन में उच्चतम् न्यायालय में अपील का अधिकार दिया है और इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से उस आदेश का स्थगन आदेश भी है। दूसरे भारतीय संविधान की धारा 88 के अनुसार कोई भी मंत्री या महाधिवक्ता, जिसे संसद में भी वोट डालने का अधिकार न भी हो संसद में बोल भी सकता है, और उनके वाद विवाद में भाग भी ले सकता है। परिस्थिति के देखते हुए यह लगने लगा कि इस कठिन स्थिति में दल के नेता को लेकर तमाम

असंभावित समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कांग्रेस दल की प्रतिष्ठा को आघात लगेगा एवं विरोधी उनका अनुचित लाभ उठा सकते हैं।[43]

दूसरी ओर जन आन्दोलन का भय था, और इस बात की आशंका की जाती थी कि विरोधी दल द्वारा आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है।

गोखले एवं सिद्धार्थ शंकर रे के परामर्श ने नये विचार को जन्म दिया कि भारतीय संविधान की धारा 352, 354, 356, 358 का प्रयोग कर आन्तरिक असान्ति की सम्भावना का आधार लेकर आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाय।[44]

श्रीमती इन्दिरा गांधी 25 जून, 1975 रात्रि आठ बजे राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से मिलीं एवं उन्हें वस्तुस्थिति एवं अपने विचारों से अवगत कराया। श्री अहमद, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की इस बात से सहमत थे कि राष्ट्र में संकट की स्थिति है, और भारत के रूग्ण प्रजातंत्र को सम्भालने के लिए दवा की एक शक्तिशाली खुराक की आवश्यकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में कैबिनेट की राय भी ले ली जाय, राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया।[45]

मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में संजय गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे एवं गोखले तीनों का विचार था कि इससे निर्णय कि क्रियान्वयन में विलम्ब की आशंका है, जब कि श्रीमती इन्दिरा गांधी मंत्रिमंडल के बगैर अनुमोदन के आपात कालीन घोषणा के कानूनी पक्ष पर अभी आशंकित थी। अतः वे सैनिक अधिकारियों से भी विचार विमर्श करना चाहती थीं। रे का विचार था कि जैसे ही नेता जेल में ठूँस दिये जायेगें, उनके अनुयायी स्वतः समर्पण कर देगें, गोखले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आशंका कर रहे थे, क्योंकि उनका विचार था कि विरोधियों के साथ "उत्कृष्ट कानूनी मस्तिष्क है। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सैनिक प्रधान एवं मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर लें।"[46]

सेनाध्यक्ष जनरल रे एवं मुख्य न्यायाधीश से बातचीत के बाद श्रीमती गांधी के चेहरे में एक मुस्कराहट थी। उसी दिन "25 जून, राष्ट्रपति ने 11

बजकर 45 मिनट पर आपातकालीन उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये। घोषणा में कहा गया –

इस घोषणा में सरकार को प्रेस सेन्सर के लिए अधिकृत किया गया और नागरिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।47 बाद में इसे मंत्रिमंडल की बैठक में पारित करा दिया गया, जो एक औपचारिकता थी।"48

प्रमुख विरोधी दलों के नेताओं को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिये सख्त आदेश दे दिये गये सूचना प्रधान ए0 आर0 बाजी को प्रेस पर कड़ी दृष्टि रखने को कहा गया।

आपातकाल की घोषणाः-

26 जून 1975 भारत वर्ष का एक सर्वाधिक अन्धकारमय दिन था। इससे केवल भरतीय प्रजातंत्र पर ही ग्रहण नही पड़ा बल्कि राष्ट्र एक भयावह स्थिति मे आ गया। श्रीमती गांधी ने 25 जून की अर्धरात्रि मे भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आन्तरिक उपद्रवों एवं भारत की सुरक्षा के लिए आसन्न खबरों के सन्दर्भ में भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह दी जिसके आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने उसी रात आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये।

यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ इसका कोई अकेला कारण नहीं था। बल्कि यह तमाम राजनीतिक घटनाओं का अम्बार था। यह एक वह प्रक्रिया थी जिसका सूत्रपात 1973 में ही हो गया था और जिसमें जय प्रकाश जी का सक्रिय राजनीति में पुनः आगमन भी एक महत्वपूर्ण कारण था चूंकि आपातकाल के कारण प्रेस सेन्सर था बड़े विरोधी नेतागण जेल में थे अतः इन्दिरा गांधी द्वारा संकट काल की घोषणा के पक्ष में उनके द्वारा दिये गये तर्कों एवं जय प्रकाश जी के इस पत्र को जो उन्होंने उन्हें जेल में 27 जुलाई,

1975 को लिखा था। विरोध का प्रतिनिधित्व मानकर आपातकालीन के औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार किया जा सकता है। यदि इस पत्र को ही सही मान लिया जाय तो यह बात स्पष्ट है कि बिहार में सामान्तर सरकार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी जिसे जय प्रकाश जी ने अपने इस पत्र में स्वीकारा है। इन्होंने इसमें कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पहले तक बिहार में गाँव से ब्लाक स्तर तक जनता की विकल्प सरकारें स्थापित हो चुकी थीं और इसके बारे में जिला एवं राज्य स्तर पर गठित होना था। इन्दिरा जी की एक प्रश्न की चुनी हुयी सरकारें एवं चुने हुए विधायकों के त्यागपत्र देने के लिए विरोधियों द्वारा बाध्य किया जा रहा है। का उत्तर भी उन्होंने दिया है और इसके औचित्य को यह कहकर उचित ठहराने का प्रयत्न किया है कि प्रजातंत्र में जनता को चुनी हुई सरकारों से त्याग पत्र मांगने का अधिकार है, यदि वह सरकार भ्रष्ट हो गयी हो और यदि कुशासन कर रही हो। उन विधायकों को जाना ही चाहिए, जो ऐसे सरकार की सहायता कर रहे हैं, ताकि जनता अच्छे प्रतिनिधि चुन सके।

जहाँ तक इसके सैद्धान्तिक पहलू का प्रश्न हैं, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रजातंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। किन्तु जनता क्या है? उसकी जनसंख्या का कितना भाग सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधि माना जाय अथवा वास्तविक जन–इच्छा क्या है, और राष्ट्रीय हित में इसको कैसे समाहित किया जाय? इसके सम्बन्ध में स्पष्ट रेखांकन सम्भव नहीं है। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रीन भी जब यह कहते हैं कि "इच्छा न कि शक्ति, राज्य का आधार है।" तो वह भी इच्छा को "सामान्य जनता की सामान्य चेतना कहते हैं, यह रूसो की "वास्तविक इच्छा के समान है, जो कि मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा के समरूप भी हो सकती है। और विरोधी भी जय प्रकाश जी का कुशासन के आधार पर "सरकार गिराओ" नारा प्रजातंत्र के इन सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता।

भृष्टाचार के आधार पर भी जन सरकारों से, जो केवल तीन वर्ष पूर्व ही जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा संसदात्मक प्रणाली के आधार पर गठित

की गयी हो, त्याग पत्र दी जाने की जबरजस्ती की जाय अथवा उनको भंग करने की मांग की जाय तर्क संगति नहीं प्रतीत होती और न ही विधायकों से जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। जबरजस्ती त्याग पत्र माँगा जाय, युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, दबाव का आधार नैतिकता होना चाहिए और इसकी पहल विरोधी दल में जो जय प्रकाश जी के नेतृत्व में यह साहसिक संग्राम लड़ रहे थे द्वारा होनी चाहिए थी। उन्हीं के दल के विधायकों द्वारा त्याग पत्र दिया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बिहार के कुछ दलों द्वारा यह आश्वासन कि उनके विधायक जय प्रकाश जी के आन्दोलन को बल देने के लिए त्यागपत्र देने का पूरा न हो सका। वे अपने विधायकों से त्यागपत्र नहीं दिला सके। कठोर साम्प्रदायिक भावनाओं से ओत प्रोत सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन, जिनका जय प्रकाश जी स्वयं विरोध करते थे, भी इस आन्दोलन में उनके साथ आ गये उन्होंने उनका खुला समर्थन किया।

इतिहास अभी इस बात को भूला नहीं है, कि देश के स्वतंत्रता के कर्णधार पूज्य बाबू ने अपने असहयोग आन्दोलन को केवल इस लिए स्थगित कर दिया था कि चोरी–चोरी हत्याकांड हिंसा का द्योतक था और अंहिसात्मक आन्दोलन का विरोधी। इतिहास में इस बात का प्रमाण है कि विशुद्ध विदेशी सरकार के खिलाफ भी हमने पहले संवैधानिक कदम ही उठाये और जब हमें यह विश्वास हो गया था कि शायद यह तरीका उन्हें यह स्वीकार नहीं है।

तब ही कुछ अतिरिक्त जोशीले किन्तु अधीर लोगों ने हिंसा का सहारा लिया, किन्तु बहुमत से उनका अनुकरण भी नहीं किया था, वह अभी भी अहिंसात्मक रवैये पर विश्वास करती थी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी अपनी सरकार थी, जिसे हमने चुना था, जिसे हम बैलेट से बहुत आसानी से बदल सकते थे, जैसा कि हमने आगे 1977 के आम चुनाव में किया भी और वे केवल डेढ़ साल से अन्तराल का संयम से इन्तजार करके उस समय भी किया जा सकता था। ऐसा हो पाना भी असम्भव न था, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों में विरोधी सरकारें आ चुकी थी। इस जल्द बाजी के कारण समझ से परे है,

क्या उसे केवल इस मनीषी का, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक लम्बा संग्राम लड़ा था, अन्त नहीं कहा जा सकता।

भारत एक गणतंत्रात्मक सार्वभौम प्रजातंत्र है, इसका एक संविधान है, जिसका निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के बड़े–बड़े महारथियों ने निःस्वार्थ भावना से काफी लम्बे वाद विवाद एवं तर्क के आधार पर किया था। शायद भारतीय परिस्थितियों के कारण ही उन्होंने उस संविधान में :री काल : प्रत्यावाहन का प्राविधान नही रखा होगा। क्योंकि विशेषकर बड़े देशों में इसको व्यवहार में लाना यदि असम्भव नहीं कठिन अवश्य है।

फिर किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किये जाये इसे भी निश्चित करना आवश्यकत होता है, जिसके अभाव में इसके क्रियान्वयन का तात्पर्य होगा अराजकता एवं संवैधानिक संकट को स्वतः नियंत्रण देना। संवैधानिक प्रणाली यह होती है कि जो दो वर्ष चुनाव के लिए शेष थे, उसमें जन जागृति की जाती और उसका माध्यम होता केवल शान्तिपूर्ण प्रचार। जनता का जय प्रकाश जी पर विश्वास था, उनके उद्‌देश्य पवित्र थे, उनमें जन जागृति पैदा करने की शक्ति एवं अनुभव दोनों ही थे किन्तु जल्दबाजी में अपने अहं की पुष्टि हेतु उन्होंने उन लोगों को जिनमें अधिकांश व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण इन्दिरा विरोधी या ठोस साम्प्रदायिक थे, साथ लिया, उनके ऐसे महानतम् नेता का उचित कदम नहीं कहा जा सकता। विशेष तौर से तब जबकि आम–चुनाव के लिए कुछ ज्यादा समय अवशेष न हो और उस समय जन चेतना के आधार पर संवैधानिक तरीके से सरकार परिवर्तन भी सम्भव हो।

हाईकोर्ट निर्णय के बाद ही इन्दिरा जी द्वारा त्याग पत्र देने की मांग करना और न देने पर उनको हटाने क`लिए हिंसात्मक आन्दोलन को संगठित करना तथा संसद का घेराव करना मार्च एवं रैलियों का आयोजन करना भी प्रजातांत्रिक प्रणाली पर सीधा आघात था, हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपील का अधिकार देता है। यह अधिकार इन्दिरा जी को स्वयं उसी न्यायालय ने प्रदान किया था जिसने उन्हें दोषी ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी 24 जून को अपने अन्तरिम

आदेश में इन्दिरा जी को प्रधानमंत्री के रूप में उच्चतम न्यायालय के अन्तिम आदेश तक ससर्त कार्य करने का आदेश दिया था। 57

ऐसी स्थिति में भी विरोधी द्वारा अपनी मांग को अग्नि देना तथा भारतीय न्याय व्यवस्था का सीधा अपमान नहीं था। क्या यह इस बात का प्रतीक नहीं था कि भारत में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी? ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं होता कि वह देश के कानून (ला आफ लैण्ड) की रक्षा करे और उसकी सुरक्षा के लिए संविधान में निहित कदम उठाये।

हम विदेशों में प्रचलित कुछ प्रजातंत्रों का उदाहरण भी ले तो क्या यह तर्क संगत प्रश्न नहीं है कि लिंकन, एजबेल्ट, कैनेड़ी ओर चर्विल ने भी ऐसी ही परिस्थितियों में जब कि देश की अखण्डता खतरे में थी, क्या किया? इतिहास का उत्तर इसको स्वतः सिद्ध करता है। लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र की अखण्डता की रक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों के प्रथक वादियों के विरूद्ध एक लम्बी लड़ाई छेड़ी। एजबेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय व्यक्तिगत अधिकारों में कटौती की। कैनेडी प्रशासन ने ड्राफ्ट का विरोध करने वाले कर्त्तव्यनिष्ठ ईमानदार विरोधियों को भी जेल में डाल दिया। चर्चिल ने ब्रिटेन की अखण्डता की रक्षा के बहुत ही कठोर कदम उठाये। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि देश के हित सर्वोपरि हैं, चाहे उससे समाज के कुछ वर्गों के लिए अस्थायी कठिनाइयाँ क्यों न आयें इस सम्बन्ध में कृष्णा मेनन मेमोरियल लेक्चर का एक अंश का उद्त किया जा सकता है, जिसमें श्रीमती ली ने अपने इस भाषण में भारतीय परिस्थिति की ओर इंगित करते हुए ब्रिटेन अपने दोस्तों से यह प्रश्न किया कि ब्रिटेन में क्या होगा, यदि लन्दन में विरोधी दल का नेता प्रतिरक्षा सेवाओं से विद्रोह करने के लिए कहे? निश्चित रूप से वह जेल जायेगा। 58

भारत के प्रधानमंत्री के रुप में श्रीमती गांधी ने वही किया जो उन्हे करना चाहिये था। क्योंकि उस समय इसके अलावा कोई विकल्प नही था।

इससे यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला एक कानूनी फैसला था और उसका लोकतंत्र तथा नैतिकता से कोई सम्बन्ध नही था। अतः श्रीमती गांधी के राजनैतिक विरोधियों ने बहुमत दल के विधिवत निर्वाचित नेता को हटाने के लिए जो मार्ग चुना था। उसे लोकतांत्रिक सिद्धान्त के आधार पर उचित नही ठहराया जा सकता। अतः इस घोषणा को संवैधानिक दृष्टि से राजनीति से प्रेरित घोषणा कदापि नही कहा जा सकता है।

तथ्यों के संकलन तथा सूक्ष्म परिक्षण से यह भी स्पष्ट है कि इन्दिरा गांधी के विरुद्ध राजनीतिक विरोधियों द्वारा चलाये गये चरित्र हनन तथा निन्दा अभियान से भारतीय राजनीतिक दूषित हो चुकी थी। और लोकतांत्रिक पद्धति के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्रुत्थान के लिए कठोर संवैधानिक कदम उठाने आवश्यक थे। आपात स्थिति के घोषणा के औचित्य के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने शाह आयोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण लिखित बयान पढ़ते हुये कहा था।

प्रधानमंत्री के रुप मे मै आने वाले संकट को रोकने के उत्तरदायित्व को सिर्फ इस भय से नही त्याग सकती थी। कि आपात स्थिति उद्घोषित करने पर मेरे उद्देश्य पर संदेह प्रगट किया जायेगा। जब एक राष्ट्र की लोकतांत्रिक संस्थाए खतरे में पड़ जाये और समकालीन सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिये कदम उठाये तो कुछ व्यक्तियों की कुछ आजादी प्रभावित हो सकती है वास्तव मे संविधान के अनुच्छेद 352 का जो आपात स्थिति को घोषणा का अधिकार प्रदान करता है, यही तर्क आधार है। आपात स्थिति का उद्देश्य कष्ट देना नही था और किसी को भी कष्ट पहुँचा हो उसके लिए मैने गहरा दुःख प्रगट किया है। [59]

इस सम्बन्ध मे शाह आयोग में रिपोर्ट का यह अंश जिसमे घोषणा की प्रकिया पर संदेह प्रकट किया गया है वह भी विचारणीय है। चूकि संविधान मे उल्लिखित आपात स्थिति की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कार्य ग्रह मंत्रालय को दिया हुआ है। अतः आपात स्थिति की उद्घोषणा से सम्बन्धित प्रस्ताव सामान्यतः उसी मंत्रालय से आना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब कि

आपात स्थिति की घोषणा आन्तरिक उपद्रवों के आधार पर की गयी हो यह और भी आवश्यक है कि इसका सूत्रपात गृह मंत्रालय से हो, क्योंकि गृह मंत्रालय का सूचना ब्यूरो राष्ट्रीय एकता एवं नजरबन्दी के कार्य को देखता है। गृह मंत्रालय ही कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकारों की सम्पर्क में रहता है। लेकिन 25 जून 1975 को जब उद्घोषणा की गयी, उसके बारे में मंत्रिमण्डल सचिवालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।"[60]

शाह आयोग इस टिप्पणी को करते समय शायद यह भूल गया कि जिस प्रक्रिया की ओर उनका संकेत है, वह साधारण स्थिति से सम्बन्धित है। उस स्थिति में जब राष्ट्र में एक ऐसी स्थिति हो जिसमें वहा के बड़े बड़े विरोधी नेताओं द्वारा सरकार के विरूद्ध विरोध का नारा दे दिया गया हो और प्रजातंत्र को भी खतरा हो तो सरकार का कर्त्तब्य है कि उसको दबाने के लिए नौकरशाही के लाल फीते में कागजों के चलने का इन्तजार करने के बजाय तुरन्त कार्यवाही की जाय। वास्तव में आपात स्थिति की घोषणा के पीछे उस समय की परिस्थितियां एवं घटनायें उत्तरदायी थी, जिन्होंने काफी समय तक विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को ठप्प कर दिया था।

अतः राजनैतिक घटना के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व को इतिहास के पृष्ठों से लुप्त नहीं किया जा सकता है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपात् स्थिति की घोषणा के पूर्व श्रीमती गांधी के राजनीतिक विरोधियों द्वारा चलाये गये चरित्र हनन तथा निन्दा के भयंकर अभियान ने सारे सैद्धान्तिक विवादों को ताक में रखकर भारतीय राजनीति को नंगा करके रख दिया था हमें यह कटु सत्य स्वीकार करने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आपात स्थिति की घोषणा ने देश के लोकतांत्रिक ढ़ाचे को गिरने से बचा लिया। हम यहाँ श्रीमती गांधी के उस वक्तब्य से, जो उन्होंने आपात स्थिति की घोषणा की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालते हुए शाह आयोग द्वारा गवाही हेतु भेजे गये पत्र के जवाब में 2 दिसम्बर 1977 को लिखा था, से पूर्णतया सहमत हैं। इस सम्मानित आयोग के अनुसार आपत स्थिति की घोषणा एक ज्यादती

हो सकती है, जिसकी जाँच आवश्यक हो लेकिन वास्तव में यह इस आयोग के विचार क्षेत्र के अन्दर नहीं आता। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा एक संवैधानिक कदम था। यह मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित तथा संविधान के अनुच्छेद 352(2) के अनुसार संसद के दोनों सदनों ने इसकी अभिपुष्टि की थी। अभिपुष्टि के बाद यह घोषणा जिसका स्वस्थ्य राजनीतिक उद्देश्य था, संसद का एक अधिनियम बन गयी।"[61]

बीस सूत्रीय कार्यक्रम :-

लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्व इस बात में निहित है कि यह अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा समाज की तथा सब व्यक्तियों की योग्यताओं के विकास में अधिक सहायक है। समाज की उन्नति की सम्भावनायें तब तक अपने चरम विकास को प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक सब व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं का विकास करने का समान अवसर न मिले। ऐसा विकास होने पर समाज सभी व्यक्तियों की योग्यताओं का लाभ उठाकर उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। लोकतंत्र का आधार मानवीय प्रकृति की योग्यता में विलक्षण विश्वास रखना तथा इसे विकास का अवसर देना है। सौभाग्य से भारत को श्रीमती गांधी के रूप में ऐसा नेता प्राप्त था, जिसने सदैव भारतीय जनता की मानवीय प्रवृत्ति की योग्यता में विलक्षण विश्वास रखा तथा सम्पूर्ण भारतीय समाज को संसदीय लोकतंत्र के अधीन विकास करने के लिए एक बीस सूत्रीय कार्यक्रम दिया। इस कार्यक्रम ने पुनः एक बार भारतीय लोकतंत्र के इस दृष्टि विश्वास को व्यक्त किया कि इन्दिरा शासन का उद्देश्य भारतीय जनमानस के विश्वास में सहायक होना था, न कि बाधक होना।

यदि जनमानस ने नवीन कार्यक्रम के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया था, तो इसलिए नहीं कि यह एक शासन के प्रमुख द्वारा दिया गया था, अपितु इसलिए कि यह नागरिकों को उत्तम जीवन व्यतीत करने में तथा उनका कल्याण तथा सामाजिक एवं नैतिक विकास करने में सहायक था।

यह कार्यक्रम समाज के विभिन्न संगठनों में समन्वय स्थापित करने वाला था। भीषण आर्थिक मन्दी के वातावरण में इस कार्यक्रम ने एक नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात किया। इस कार्यक्रम में करोड़ों भारतीयों के मस्तिष्कों को उद्दीप्त किया एवं उनकी काल्पनिक क्रान्तिकारी भावनाओं को सृजन के मार्ग पर मोडा। इस कार्यक्रम में विवेकहीन, और प्रतिक्रियावादी तत्वों से निर्मित होने वाले एक नवीन विनाशकारी राजनीतिक दर्शन के निर्माण को जन्म लेने की सम्भावनाओं को रोका है। यह कार्यक्रम भारतीय जनमानस को उसके स्वाभाविक अधिकार प्रदान करने वाला एक अहिंसक आन्दोलन है। राष्ट्रीय सम्पत्ति के वितरण के न्यायपूर्ण पद्धति को स्थापित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षात्मक विश्लेषण :-

1. संसदीय प्रजातंत्र के रूप में भारतवर्ष में बडी समस्या इस बात की है कि कुशलता तथा सर्वाधिक विकास के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित किया जाय। इसलिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत शहरी भूमि के समाजीकरण करने के लिए कानूनी कदम उठाने की व्यवस्था भी की गयी है।
2. श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने जनता को कर्तब्य के प्रति जागरूक किया है तथा इसमें राजनीतिक चेतना जागृति की चेष्टा निहित है। इस जागरूकता और राजनैतिक चेतना के कारण लोग ये समझने लगे कि राष्ट्र के लिए रचनात्मक कार्य करना उनका एक पवित्र कर्तब्य है।
3. इस कार्यक्रम में आत्म निर्माण तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है।
4. श्रीमती गांधी के द्वारा शासनकर्त्ताओं को लोक कल्याण के प्रति सदैव सजग और क्रियाशील रहने के लिए सतर्क किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र में शासन का

अधिकार एक धरोहर के रूप में होता है, जो उन्हें जनता से इस आधार पर मिलता है कि वे उसका प्रयोग, जनता के हितों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, और उनकी इच्छा के अनुसार करेगें।

5. इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय राज्य को पहली बार लोक हितकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसित किया गया, भारतीय संविधान का अन्तिम लक्ष्य है, लोकहित का तात्पर्य राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर सम्बन्धी असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है।

6. श्रीमती गांधी ने अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक हित को मूल आधार मानकर भारत में न्याय की व्यवस्था जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा एवं सामाजिक जीवन की आधार शिला रखने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय राजनीति में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के रूप में एक ऐसे पुल का निर्माण किया, जिस पर चलकर नागरिक निःकृष्ट जीवन से निकल कर श्रेष्ठ जीवन में पर्दापण कर सकें।[63]

7. उनका विश्वास था कि "अर्थव्यवस्था के महत्व पूर्ण अंश ऐसे व्यक्तियों के हांथ में न हो जो थोड़े से लोगों के लाभ के लिए उस स्थिति का अनुचित लाभ उठाये, बल्कि उनका नियंत्रण सरकार के हांथ में हो, ताकि वह साधनों का उपयोग राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए कर सकें।"[64]

8. इन्दिरा गांधी ने अच्छी शिक्षा के प्रबन्ध के लिए अपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सभी स्कूलों कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों और लेख–लेखन पुस्तकायें आदि उचित दामों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।

9. पूँजी लगाने के तरीके को आसान बनाना, रोजगार एवं प्रशिक्षण व्यवस्था के विस्तार एवं अप्रेंटिस योजना के अन्तर्गत देश के युवा वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रवृत्ति को बल मिलता है जो वे रोजगारी की समस्या का स्वचालित हल भी है।

इस प्रकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की मान्यताओं का एक प्रगतिशील दर्शन है। पहली बार राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं के प्रति एक सक्रिय प्रयास करने हेतु कदम उठाया गया था। देश की बहुसंख्यक जनता से श्रीमती गांधी को जनादेश प्राप्त हुआ था इसलिए सामाजिक जीवन में प्रगतिशील परिवर्तन लाने के लिए प्रतिगामी ताकतों से वैधानिक संघर्ष का मार्ग अपनाना उनके लिए आवश्यक था। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वप्रथम उन्होंने ही इस तथ्य को उद्घाटित किया कि केवल प्रजातंत्र के चिन्तन से ही देश का बहुसंख्यक जनता का हित नहीं हो सकता है, बल्कि आक्रमण गतिशीलता ही शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर सकती है। यह एक कटुसत्य है कि गुलाम भारत की गुलाम मानसिकता का दर्शन, जितना गुलामी में होता था, उससे कई गुना ज्यादा स्वाधीनता के बाद होने लगा। इस गुलामी का अनुपात आर्थिक एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र भारत की इस गुलामी को समूल नष्ट करने के लिए ही तत्कालीन विषम राजनीति परिस्थितियों में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संकटकाल की घोषणा एवं 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से कडी संवैधानिक घोषणा की। बहुसंख्यक जनता जो उच्च वर्ग, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा एवं उसका क्रियान्वयन एक विवेकपूर्ण एवं साहसिक कदम था, जिसने स्वतंत्र भारत से निषेधवाद, निष्क्रियता निर्भीकता और निराशावाद को समूल नष्ट करने के लिए बहुत कुछ किया।

आपात काल एवं संजय गांधी :

इन सबसे अधिक जिनके लिए इन्दिरा जी बदनाम हुई वह उनके द्वितीय पुत्र संजय गांधी का राजनीति में प्रवेश। प्रशासन में रोज व रोज दखल एवं उनके कुछ उत्साही कार्यक्रम जिनमें सुन्दरीकरण एवं परिवार नियोजन विवाद चर्चा के विषय बने। संजय के आलोचकों का कहना है कि आपात काल के अभ्युदय से संजय का अभ्युदय भी हुआ। वह किसी भी उत्तरदायित्व के बगैर

विस्मयकारी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। वह एक वायुमण्डलीय उल्का की भाँति उदय हुआ जो उसी प्रकार आगे चलकर विलीन भी हो गया।[83]

माँ का यह स्वप्न था कि उसका पुत्र प्राकृतिक रूप से उनकी गद्दी को वंशानुगत आधार पर प्राप्त कर लें और यही असुरक्षा की भावना माता और पुत्र के बीच एक शक्तिशाली कड़ी बनी।[84] किन्तु वास्तविकता यह है कि संजय का भारतीय राजनीति में महत्व बढ़ने का विशेष कारण यह था कि उसने इन्दिरा जी को उस समय मदद की जब वह गहरे संकट में थीं और भारत में नेहरू साम्राज्य की नींव को इलाहाबाद उच्चन्यायालय के इस निर्णय ने जिससे प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया था, हिला दिया था, इससे कांग्रेस दल की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा और श्रीमती गांधी ऐसी धैर्यवान एवं कुशल नेत्री भी इस अभूतपूर्व स्थिति में निश्चयात्मक निर्णय लेने में अक्षम प्रतीत होने लगीं।

ऐसी अनिश्चित कालीन स्थिति में जब कि इन्दिरा गांधी को स्वयं के मित्र और सहयोगी संदिग्ध दिखायी दे रहे हों और चापलूस दरबारी उनके अपने मित्रों के प्रति संशय और डर की भावना उत्पन्न कर रहे हो तो उनके अपने पुत्र के अलावा, कोई दूसरा विकल्प कैसे दिखायी देता? इस परिस्थिति में संजय ने धैर्य और साहस के कार्य किया एवं त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने में माता की मदद की। माता के मन में पुत्र की इस निर्भीकता ने उसे एक शक्तिशाली युवराज़ के रूप में परिणित कर दिया यदि ये सत्य है कि आपात कालीन स्थिति के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की पराजय का मुख्य कारण संजय था तो यह भी सत्य है कि जनता शासन को बीच में विफल कर अपनी चतुराई से इन्दिरा गांधी को वापस सत्ता में लाने का श्रेय उसी को ही है।[85]

उसने अपने युवादल द्वारा जनतापार्टी का शसक्त विरोध किया। उसकी पत्नी मेनका ने पत्रकारिता के माध्यम से इन्दिरा गांधी की कीर्ति को बुझने से बचा लिया। उसके दृढ़ संकल्प से इन्दिरा गांधी के बुरे दिनों में भी उनके मनोबल को गिरने नहीं दिया और अपने छोटे से राजनीतिक जीवन :

1975–1982 में उसने भारतीय इतिहास के राजनैतिक पृष्ठों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करा लिया।

प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के वाद रांजय ने भी अपने पाँच सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। बीमार भारत के लिए वे औषधि के रूप में सिद्ध हुए इनका प्रचार एवं क्रियान्वयन युवा कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बहुत लगन से किया। इसने गति पकड़ी बुझे हुए कांग्रेसी नेताओं में भी रक्त का संचार हुआ और वे भी इन कार्यक्रमों को व्यापक रूप देने में लग गये। वास्तव में देखा जाय तो उनका लक्ष्य वे सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनका निवारण देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। यह देश में फैली हुयी विघटन की संक्रामक बीमारी की रोकथाम का प्राकृतिक आधार है। ये वे आधार है, जिनके बगैर सरकार की बीस सूत्रीय कार्यक्रम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। ये कार्यक्रम हैं :–

दहेज प्रथा को समाप्त करना
जातिवाद को समाप्त करना
परिवार नियोजन को लागू करना
वनों का विकास करना व पेड़ लगाना एवं
नगरों का सुन्दरीकरण करना।

इन्हें क्रियान्वयन करने का जिन्हें किया जाना चाहिए का दायित्व संजय ने अपने ऊपर लिया। यद्यपि यह बात ऐसे ही स्पष्ट थी जैसे दिन का उजाला, कि इसके लिए उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं मिलना है।[87] इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अपनी युवाशक्ति के साथ–साथ सरकारी तंत्र का भी खुला प्रयोग करवाया गया जो आगे चलकर कटु आलोचना का विषय बना।

उनपर यह आरोप लगाया गया कि संजय किसी भी संवैधानिक पद के बगैर असीमित शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी चौकड़ी के साथ जिसमें वंशीलाल, विद्याचरण शुक्ल एवं ओम मेहता भी सम्मिलित थे, आपात काल को व्यक्तिगत एवं विभाजित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका दुरूपयोग कर रहे थे।[88] उस समय वे अकेले ही अपने विश्वास पात्र थे। अतः कोई भी चाहे वह

मंत्री हो, अधिकारी हो या व्यवसायी या जीवन के किसी क्षेत्र से सम्बन्धित हो प्रधानमंत्री तक पहुँचने के लिए उन्हें संजय के माध्यम से जाना पडता था अतः प्रधानमंत्री की कृपा को पाने के पहले सभी संजय की कृपा की ओर निहारने लगे। मुख्यमंत्रियों ने संजय को प्रधानमंत्री का एक मात्र उत्तराधिकारी मान उन पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया। और उन्हें राष्ट्र के "नये मसीहा" के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा।[89]

इधर संजय के पाँच सूत्रीय कार्यक्रमों को सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के साथ संलग्न कर दिया गया।[90] और उन पर जोर दिया जाने लगा।

संजय ने अपने इन कार्यक्रमों पर परिवार नियोजन और शहर सुन्दरीकरण पर बहुत जोर दिया। परिवार नियोजन को एक रूप से अनिवार्य बनाया गया और इसे भयावह जनंसख्या–विस्फोटक स्थिति का निदान और प्रतिउत्तर माना गया। इसे खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश विशेषकर हिन्दी बोलने वाले प्रान्तों में बहुत तेजी से लागू किया। इसको लागू करने में राज्यों के अधिकारी ये भूल गये कि वह किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी जनता पर क्या प्रतिक्रिया होगी।[91]

नसबन्दी के मामले को लेकर अधिकारियों ने तहलका मचा दिया। नसबन्दी करने के लिए अधिकारियों को भी दबाया गया उनके लिए कोटा निर्धारित किया गया। और नियुक्ति, तबादला, तरक्की, के नाम पर यह पूछा जाने लगा कि उनके द्वारा कोटा की पूर्ति हुयी है या नहीं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, पटवारियों, और ग्रामरक्षकों जैसे नीचे स्तर के अधिकारियों पर जोर डाला गया कि नसबन्दी कराने के लिए लोगों को पकड़–पकड़ कर लायें और इस बात का सबूत दें कि नसबन्दी के काम को पूरा करने में उनका बड़ा योगदान रहा है।[92]

परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में आतंक सा फैल गया। ऐरो लोगों की नसबन्दी कर दी गयी जिनकी नसबन्दी कराने का कोई औचित्य नहीं था। बूढ़े आदमियों, सन्यासियों तक की नसबन्दी जबरजस्ती पकड़ कर करा दी

गयी। ऐसे छोटे उम्र के लोगों की भी नसबन्दी करायी गयी। जो अब तक किशोरअवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। प्रान्तीय सरकारों ने नसबन्दी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। सत्ताधारियों को प्रसन्न करने के लिए अधाधुन्ध कार्यवाहियां की गयी और कहीं कहीं तो इस कारण इतना जनक्षोभ फैला कि उपद्रव भी हो गये।[93]

स्पष्ट है कि इमरजेन्सी से जितना लाभ हुआ उससे अधिक कहीं नुकसान भी हुआ क्योंकि जनमानस में असीम क्षोभ उत्पन्न हो गया था।[94] इससे भी अधिक हानि इन्दिरा गांधी को संजय के शहर सुन्दरीकरण अभियान के प्रति अति उत्साह से हुआ। इसमें कोई भी शक नहीं है कि मलिन बस्तियों की स्वच्छता पर ध्यान दें, संजय ने गरीबों के हित के लिए एक अच्छा कदम उठाया था, किन्तु प्रशासन की लापरवाही से इसके भी परिणाम अच्छे नहीं निकले। ऐतिहासिक जामा मजिस्द के आस पास बहुत से सड़क पर बेचनें वालों ने अस्थायी से अपनी झोपडियां बना लीं थी। वे वहां पर वर्षों से रहते थे और उनके परिवार का पालन उस छोटे से व्यापार से जो उन्होंने वहाँ स्थापित कर रखा था, जल्दी में लिये गये निर्णय से उन्हें वहां से दूर बसाया जाना था। वहाँ उन्हें 25 वर्ग गज प्लाट भी दिया गया था। परिवार इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि वे बस्तियां जो उनके लिए बसाई जा रहीं थी, वहां से काफी दूर थी, और वहां पानी और अन्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके द्वारा इसका विरोध करने पर एक ही रात में उनकी झोपड़िया बुल्डोजर से गिरा दी गयीं। वहां वर्षा के कारण प्रशासन भी उनकी कोई मदद न कर सका, परिणाम यह हुआ कि इन गरीब परिवारों को कई महीने बड़ी तकलीफों में बिताने पडे। ऐसा करीब उन 6 लाख लोगों के साथ हुआ जो दिल्ली में वर्षों से झुग्गी झोपड़ियो में रह रहे थे, बेघर वार कर दिये गये।[95]

यह भी हुआ कि संजय गांधी के नाम पर युवा कांग्रेस के अनुयायियों ने व्यापारियों एवं दुकानदारों से अनाधिकृत पैसा वसूल किया, जिससे उनके मन में कांग्रेस के प्रति कडुवाहट पैदा हो गयी जो 1977 के आम चुनाव में प्रतिबिम्बित हुयी।[96]

एक अच्छा उद्देश्य गड़बड़ योजना एवं अधिकारियों की लापरवाही तथा गलत समय के चुनाव के कारण निष्फल हो गया जिसके फलस्वरूप राजधानी में संसद के चुनाव में कांग्रेस सभी सीटों पर हार गयी।

इस अध्याय में शोधकर्ता द्वारा आपात काल की घोषणा एवं उसके औचित्य के सम्बन्ध में पहिले ही विस्तृत विवेचना की जा चुकी है। यहां संक्षेप में केवल इतना ही कहना है कि सफल जनतंत्र का मुख्य आधार है जिसका अनुशरण न तो सत्ताधारी दल द्वारा किया गया और न ही विरोधियों द्वारा। यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया होता तो यह भारतीय प्रजातंत्र की जड़ें स्वतः मजबूत हो जातीं वहीं दूसरी ओर विरोधियों ने विरोध के लिए विरोध का सिद्धान्त अपनाया न होता तो कानून एवं व्यवस्था की वह स्थिति ही उत्पन्न न होती जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष में प्रजातंत्र को करीब एक वर्ष 9 महीने का कठिन कारावास भुगतना पड़ा। यह भी सत्य है कि सैद्धान्तिक दृष्टिकोंण से यदि इन्दिरा गांधी द्वारा उद्घोषित आपातकाल स्थिति असंवैधानिक नहीं थी तो भी भौतिक दृष्टिकोंण से विवादास्पद अवश्य थी। आपातकाल का उद्देश्य चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रखना ही क्यों न रहा हो परन्तु भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक ने स्वयं इन्दिरा जी को भी उन अतियो एवं अत्याचारों की जानकारी से वंचित रखा जो आपात काल पर्दे के पीछे घटित हो रही थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके प्रजातांत्रिक चरित्र में अधिनायकवादी होने का एक धब्बा लग ही गया।

अध्याय – पंचम

आम चुनाव की घोषणा

वर्ष 1977 इन्दिरा जी के लिए एक विस्तृत कैनवास को विवृत करता हुआ सबसे अधिक संघर्ष का वर्ष था। यद्यपि इन्दिरा जी ने चुनाव घोषणा कर दी थी।[1] किन्तु किसी को विश्वास नहीं था कि यह चुनाव सचमुच सम्पन्न होगा।[2]

आपात्काल में विरोधी नेताओं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी पर तानाशाही होने का आरोप लगाया था और लोगों में यह विश्वास प्रबल हो चला था कि भारत में अब दुबारा आम चुनाव न होगें। किन्तु, श्रीमती गांधी के इस व्यवहार से उनकी निःस्वार्थ हृदयता स्पष्ट हो गयी। उन्होंने इस चुनाव का निर्णय लेकर यह सिद्ध कर दिया कि वह आपातकाल स्थिति का प्रयोग अपने राजवंश अथवा खुद की तानाशाही की स्थापना के लिए नहीं कर रही थीं, बल्कि उनका उद्देश्य राष्ट्र एवं स्वतंत्रता के गौरव को बढ़ाना था। सत्य तो यह था कि उन्होंने प्रजातंत्र को पुनः पटरियों पर खड़ा कर दिया था।[3]

इस ऐतिहासिक निर्णय का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया गया लंदन के द टाइम्स ने अपने सम्पादकीय में लिखा :–

Mrs. Gandhi's Report to any Critics of her state of emergency in India has always been that she remains a believe in parlimentory Democracy and that her post ponement was Only Temporary the Course of emergency and the manner in which it edicts have been applied to Indian socity that Mrs. Gandhi Honestly belived what see said '[4]

राष्ट्रीय अखबारों ने भी इस निर्णय का हर्ष के साथ स्वागत किया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सम्पादकीय में लिखा :–

"By announcing her decision to hold election to the lok Sabha in march Mrs. Gandhi was knocked the break out of the criticism of all those both in India and abroad who had been suggesting that she had turned her back on the democratic process and that no prospect of free and fair election or of early return of the normal functioning of the parliamentry system "

अन्य अखबारों अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दू एवं टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादकीय लेखों में भी इस निर्णय का स्वागत किया गया।[5]

चुनाव घोषणा के कारण :

कुछ आलोचकों का विचार था कि इन्दिरा ने इस चुनाव की घोषणा उन पर पड रहे आन्तरिक एवं बाह्य दबाव के कारण की थी। यह उनकी कमजोरी का स्पष्ट द्योतक था। जनता में धीरे–धीरे बढ़ता असंतोष उभर रहा था। भारत की आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा रही थी राजनैतिक क्षितिज पर जो तूफानी बादल इकट्ठे हो रहे थे, उनका श्रीमती को आभास हो चुका था।[6]

आपातकालीन घोषणा के समय इन्दिरा जी के मन में बंगाल और तमिलनाडु का जो भय था जिसे सिद्धार्थ शंकर रे ने काफी कुछ कम कर दिया था, उसका प्रभाव समाप्त हो चला था। संजय गांधी, जो कि भारत के हेनरी फोर्ड बनना चाहते थे, ने अब तक आपातकाल के सभी संचालनों पर अपना नियंत्रण कर लिया था।[7]

इससे रे की श्रीमती गांधी पर पकड़ कुछ शिथिल हुई। किन्तु दूसरी ओर संजय गांधी के बढ़ते प्रभाव ने कांग्रेस के एक भाग को कांग्रेसियों के मस्तिष्क में एक भय की उत्पत्ति की थी जिससे रे ऐसे लोगों को अपनी शक्ति ही आभास कराने का अवसर पुनः प्राप्त हुआ था।[8]

कांग्रेस का वह भाग जिसकी जड़ साम्यवादी आन्दोलन में थी ने संजय के साम्यवादी विरोधी प्रचार में सी0आई0ए0 का षडयंत्र देखा और यह भी आभास किया कि यदि प्रधानमंत्री पुत्र को बढ़ने का ऐसा ही मौका मिलता रहा तो दल में उनकी स्थिति कमजोर हो जायेगी।[9]

इनमें मुख्य थे हेमवती नन्दन बहुगुणा, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उड़ीसा की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती नंदनी सतपथी, एवं स्वयं सिद्धान्त शंकर रे जो उस समय पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री थे। उनका मत था कि इन्दिरा गांधी की सहायता का तात्पर्य यह नहीं है कि संजय गांधी का गुण गान किया जाय। इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली। केरल के मुख्यमंत्री

ने संजय को विशेष दर्जा देने से इंकार कर दिया। उसी प्रकार केरल कांग्रेस एवं उसकी युवा कांग्रेस शाखा ने भी संजय के गुण गाने से इंकार कर दिया। श्री बहुगुणा ने तो आसानी से त्यागपत्र दे दिया किन्तु श्रीमती सतपथी ने काफी झंझट के बाद त्यागपत्र दिया।[10]

सतपथी को अपदस्थ कराने के पश्चात् अब बारी थी बंगाल के मुख्यमंत्री की। शिद्धार्थ शंकर रे ने बहादुरी से लडने का फैसला किया उनके निकट के सहयोगी थे प्रियरंजन दास मुंशी जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रे ने इन्दिरा जी को स्पष्ट बता दिया कि वे संजय को उपकृत करने के पक्ष में नहीं है। मुंशी ने यह भी घोषणा कर दी कि यह बंगाली सिवाय इन्दिरा गांधी के किसी को राष्ट्रनेता मानने को तैयार नहीं है।[11]

खुफिया विभाग की आख्या के अनुशार रे को बदलनें का तात्पर्य था बंगाल में खून खराबा। इसके पहले कि बंगाल में स्थिति नियंत्रण के बाहर होती इन्दिरा जी ने रे के बंगाल के नेतृत्व करनें के अधिकार को मन्यता दे दी।[12]

इस घटना से संजय की शक्ति को जहां धक्का लगा वही रे के सफल विरोध में कांग्रेस में संजय के नेतृत्व में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। महाराष्ट्र में वाई0 वी0 चौहाण ने यूथ कांग्रेस के प्रमुख के माध्यम से संजय के नेतृत्व को चुनौती दी। केरल कर्नाटक एवं आन्ध्र में भी स्थिति संजय के विपरीत हो रही थी। यू0 पी0, राजस्थान एवं हरियाणा में भी स्थिति कुछ ज्यादा भिन्न न थी। इन्दिरा जी नें समक्ष लिया कि अब विलम्ब का मतनब न केवल संजय के विरुद्ध विद्रोह होगा, वरन् वह उनकी स्थिति को भी खतरे में डाल सकता है।[13]

42वें संविधान के संसोधन के माध्यम से संसद के अवधि में वृद्धि नें अपनें ही घर में इन्दिरा जी को आलोचना का पात्र बनाया। इन्दिरा जी इससे पहले भारत वर्ष को विश्व के सर्वाधिक बडे प्रजातंत्र के नाम से सम्बोधित करती रही। आज वही प्रजातंत्र इसलिए घुटन महसूस कर रहा था क्योकि

यहाँ भारतीयों को उनके आत्म निर्णय के अधिकार से वंचित किया जा रहा था।[14]

आम चुनावों की अप्रत्याशित घोषणा के मूल कारणों में एक यह भी बताया गया कि अमेरिका के एक खुफिया टोली ने भारत आकर इन्दिरा गाँधी की लोकप्रियता के सर्वेक्षण ने यह पाया कि आज भी गाँवों में लोग इन्दिरा गाँधी को उतना ही प्यार करते है। यह रिपोर्ट चुनाव घोषणा के कुछ दिन बाद वाशिंटन में प्रकाशित की गयी।[15]

रा! रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग : ने भी कुछ इसी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी यदि चुनाव तुरन्त करा लिये जाय तों कांग्रेंस सिर्फ बहुमत प्राप्त करनें में सफल हो सकेगी।[16]

यद्दपि सी0 बी0 आई की रिपोर्ट इससे कुछ भिन्न थी उनका कहना था कि आपातकाल को समाप्त के करीब 6 मास बाद ही चुनाव कराये जायें क्योंकि इस समय आपात काल के नायक के रुप में उभरे विरोधी कांग्रेंस को परेशान कर सकते है।[17]

इस बात का भी प्रचार किया गया कि चुनाव की इस एकाएक घोषणा के पीछे बाह्य दबाव पर्याप्त था। विदेशी आलोचकों ने इन्दिरा गाँधी को अपनी आलोचनाओं से मानसिक क्लेश दिया था। पश्चिम उन्हें गैर कानूनी शासक समझने लगा था। मई में उन्होनें फ्राँस के भ्रमण का कार्यक्रम रखा था। जहाँ वह पश्चिम से पश्चिम की भाषा में बात करना चाहती थी। वे सिद्ध करना चाहती थी कि उनके पीछे अभी भी जनशक्ति है। और जनता पर असंदिग्ध रुप से उनकी पकड़ अभी मजबूत है।[18]

इसी समय अमेरिका में हुये चुनावों में जिमी कार्टर नए राष्ट्रपति हुए थे। बंगलादेश युद्ध के दौरान अमेरिका से बिगड़े सम्बन्धों को सुधारने के लिए यह अच्छा अवसर था।[19]

पाकिस्तान जहाँ की जनता बहुत दिनों से प्रजातंत्र की माँग कर रही थी में भी प्रधानमंत्री भुट्टो ने चुनाव की घोषणा कर दी थी।[20]

भारतीय उपमहाद्वीप और अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर घट रही इन घटनाओं के परिपेक्ष्य में इन्दिरा गाँधी को भारत में आम चुनाव करानें का यही समय उपयुक्त लगा।[21]

कुछ लोंगो का विचार था कि इन्दिरा गाँधी "काकस" से मुक्त होनें के लिए भी यह चुनाव कराना आवश्यक समझती थी। श्री चन्द्र जीत यादव के अनुसार वंशीलाल आपात काल को अगले सात वर्षों के लिए और बढ़ाना चाहते थे। किन्तु इन्दिरा जी जानती थीं कि जनता इससे विद्रोह कर देगी। यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि जब "काकस" चुनाव का विरोधी था तो इन्दिरा जी चुनाव क्यों कराना चाहती थी। वे पहले कह चुकी थीं कि आपात काल के प्रभावों के बारे में उन्हें गलत सूचना दी गयी थी। यह भी सोचा गया कि इन चुनावों में काकस के कई सदस्य स्वतः ही हार जायेंगे। और उनसे मुक्ति मिल जायेगी उन्हे सीधे हटानें पर संजय का कहर माँ पर टूट सकता था। इन्दिरा जी का लालन पालन और राजनैतिक शिक्षा की जो परिरिथतियां रही थी उनको मद्दे नजर रखते हुए उनके तानाशाह बनने की कल्पना भी नही की जा सकती।24वें तो इससे पहले भी कई "आपातकाल" को समाप्त करने का विचार बना चुकी थी। 22 बी0 आर0 यस ही उन्हें कानून एवं व्यवस्था की स्थित में सुधार एवं आर्थिक स्थैर्य दिखाई दिया उन्होने घोषणा कर दी मेरे विचार से वरिष्ठ पत्रकार खुशवन्त सिंह के इन शब्दों में सार्थकता थी।

" However i have to cheers for Indira Gandhi one for imposing the emergency and rescuing Indira from the brink of choos to which opposition leader has dragged it and the second for virturally abrogating it when everyone was prosphesying that never again would India have free election. A free press or free speech and doing in the mounths of those who denigrated her as the empress of India and dictator" [23]

आम चुनाव की घोषणा के साथ 20 जनवरी को केन्द्रीय सरकार ने मीसा के कानूनों में ढिलाई दी ग्रह मंत्रालय ने एक अध्यादेश के द्वारा राज्य

सरकारों को आदेश दिये कि मीसा में बन्द कैदियों के मुकदमें पर पुनः विचार करें सामान्य राजनैतिक कार्यक्रमों एवं चुनाव प्रचार हेतु जन सभाओं के आयोजन की अनुमति प्रदान करें मीसा की धारा 16 अ को प्रयोग केवल सम्प्रदायिक राजनैतिक दलों के विरोध में किया जाये और ऐसी शक्तियों के प्रयोग के पहले केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लिया जाये साथही प्रान्तीय सरकार को हस्तान्तरित वे शक्तियाँ जिनका सम्बन्ध व्यक्तियों के भ्रमण एवं सभाओं के नियंत्रण से था। को भी केन्द्रीय सरकार ने वापस लिया[24] निश्चित था कि इन्दिरा जी आने वाले आम चुनाव के लिए स्वतंत्र भाषण स्वतंत्र सभाओं एवं स्वतंत्र आवागमन के प्रजातांत्रिक सिद्धान्त का आधार लें उचित वातावरण बनाना चाहती थीं किन्तु उनके अन्य साथियों को अभी भी विश्वास नही था कि यह सचमुच ही चुनाव होगा। सत्ता से इस तरह से जुट जानें के बाद उन सब के द्वारा यह बात भुला दी गयी कि हर पाँच वर्ष बाद जनता के पास दोबारा जाना पड़ता है।[25]

इन्दिरा जी इस विश्वास के बाद भी कि चुनाव हमेशा संगठन से लड़ा जाता है। और उसमे अधिकारियों की अपेक्षा जनता का सहयोग अधिक आपेक्षित होता है। उनके साथी इन कुछ वर्षों में सत्ता की चमक दमक के सामने यह बिलकुल ही भूल चुके थे कि उन्हे अब कभी जनता के पास भी जाना पड़ेगा।[26]

प्रधानमंत्री सचिवालय भी भारत के सम्पूर्ण सरकारी व गैर सरकारी व्यवस्था की केन्द्रीय मूल शक्ति बन चुका था। फेडरल स्टेट और संवैधानिक प्रशासन की अवधारणा समाप्त हो चुकी थी । इस तौर तरीके से निरंकुश शासन की शुरुआत हो सकती थी किन्तु इन्दिरा जी ने इस कच्चे धागे को एक ही झटके में तोड़ दिया। और चुनाव की घोषणा कर दी।[27]

विपक्ष की प्रतिक्रिया :

दूसरी ओर आपातकालीन प्राविधानों में ढील मिलते ही अन्य राजनैतिक दलों ने अपनी राजनैतिक गतिविधियाँ तेज कर दीं। जय प्रकाश जी नें विरोधी

दलों से एक साथ संगठित होकर चुनाव लड़नें की अपील की उन्होनें यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे सभी यदि एक साथ नही आते है तो वे उस चुनाव से अलग हो जायेंगे।[28] उनकी इस अन्तिम चेतावनी का प्रभाव भरपूर पड़ा एवं 23 जनवरी को चार विरोधी दलों का कांग्रेस संगठन जनसंघ भारतीय लोक दल एवं समाजवादी दल ने मिलकर एक पार्टी जनता पार्टी के गठन की घोषणा की इसका अध्यक्ष कांग्रेस संगठन के नेता श्री मोरारजी देसाई एवं उपाध्यक्ष भारतीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह को बनाया गया और जिसमें 27 सदस्यों की कार्यकारणी का गठन किया गया पार्टी अभी भी भविष्य के गर्भ में थी क्योकि पार्टी अध्यक्ष ने घोषणा की कि चुनाव के बाद ये सभी पार्टियाँ वैधानिक रुप से एक पार्टी में विलय कर लेगी।[29]

जय प्रकाश जी के नेतृत्व में इन सब का एक ही नारा था इन्दिरा हटाओ जो पहले भी 1971 के चुनाव में लड़ चुके थे।[30]

किन्तु इस बार यह भी स्वर अधिक मुखर और अधिक स्पष्ट था इस बार उनका तर्क था यदि वे जनता मत दाता कांग्रेस को वोट देते है तो वे तानाशाही को वोट दे रहे है। और वे जनता फ्रंट को वोट करते है तो वे प्रजातंत्र पर विश्वास प्रकट कर रहे है।[31]

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र :

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र इस बार भी पहले की ही बातों को दोहरा रहा था। जैसे ही भारत में प्रजातंत्र कांग्रेस के झण्डे के नीचे ही बढ़ा पनपा और कायम रहा कांग्रेस ही समाजवाद में सच्ची आस्था रखता है। यह संस्था ही पूर्ण रुपेण धर्म निरेपक्ष है। कांग्रेस के पास ही देश के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियाँ है। विरोधी दल तो संप्रदायिक तनाव राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता के लिए खतरे पैदा कर रहे है। कांग्रेस 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से देश में आर्थिक सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न कर रही है। गरीबों के उद्धार निर्बल आयवर्ग के लोंगों के लिए भवन निर्माण उद्योगों के स्व संचालन

की प्रेरणा बैंको द्वारा ऋण सुविधा आदि जन सेवी उद्देश्यों से प्रेरित यह कार्यक्रम कांग्रेस के क्रान्तिकारी कदमों में से एक था।[32]

चूँकि जनसंख्या वृद्धि का एक सीधा सा सम्बन्ध गरीबी से है अतः जनसंख्या विस्फोटक के नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन को एक आन्दोलन बाध्य कारी नही वरन् एच्छिक कार्यक्रम के रुप में व्यवस्थित करने घोषणा कांग्रेस नें की।[33]

अपने चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए जनता पार्टी को 1971 की भाँति स्वार्थ प्रेरित बृहत समझौता मात्र माना जो कि संप्रदायिक प्रतिक्रियावादी और अति वामपंथी है। इनमें जबरदस्त सैद्धन्तिक एवं कार्यप्राणाली परक मतभेद है। और मात्र कांग्रेस की उन्नतिशील नीतियों का विरोध करने के लिए ही संगठित हुए है। कांग्रेस का यह भी आरोप था कि उन्हानें (विरोधी दलों ने) प्रजातांत्रिक कार्य प्रक्रिया में सदैव बाधा डाली है। और इसके लिए असमाजिक तत्वों का सहारा लेकर समय समय पर हिंसा को उकसाया है।[34]

घोषणा पत्र के अनुसार -:

Freedom does not inclued the license to under mine natural intrest,[35]

जो विरोधी दलों का सदैव से ही उद्देश्य रहा है उन्होंने सदा ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों यहाँ तक कि सरकार को अपंग बनानें का प्रयास किया है।[36]

अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने स्वयं को हरिजनो गरीबों व अल्पसंख्यको को सच्चा हमदर्द शोषितों व पीड़ितों की उन्नति में सहायक तथा उद्योगों व अधिक विकास में जनता को वास्तविक सहायक के रुप में प्रस्तुत किया उन्हानें बताया कि " बीस वर्ष पूर्व देश एक सुई तक का आयात करता था। किन्तु वह आज नेट युद्धक विमान का निर्यात करता है।[37]

उन्होनें प्रेस और न्यायपालिका को यह कह कर आलोचना की कि इन्होनें देश में कुछ निहित स्वार्थों का ही हित किया है। गरीब खाना चाहता है

काल्पनिक अधिकार नही। कांग्रेंस की दृष्टि में खाना ही जनता की मूलभूत आवश्यकता थी यहाँ तक की कपड़ा आवास तथा सुरक्षा भी नही।[38]

कांग्रेस नें इस प्रकार अपातकाल की घोषणा के औचित्य को स्वीकार किया जब कि इसकी ज्यादतियों को भी इन्दिरा जी ने अपनी जनसभाओं में स्वीकार किया।[39]

जनता पार्टी एवं उसकी सहयोगी पार्टियों का घोषणा पत्र :

दूसरी ओर जनता पार्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अपने चुनाव प्रचार में मुख्य चुनाव मुद्दा बनाये थी। उनका कहना था कि :–

" Man lives not by bread alone freedom is as essential as food you cannot turn the nation in to jail where the inmate are provided with food but denied freedom ,6"

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रोटी के साथ स्वतंत्रता को जोड़ा और यह बताया कि प्रजातंत्रिक फ्रेम वर्क के अर्न्तगत मनुष्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है। उन्होने स्पष्ट किया कि गांधी जी के आर्थिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों से ही बेरोजगारी समस्या को हल किया जा सकता है। उन्होनें आपातकाल की आलोचना करते हुए कहा यह केवल भय असुरक्षा का वातावरण पैदा करनें में सफल हुयी है।[41]

उनके चुनाव घोषणा पत्र में आर्थिक विकास तथा राजनैतिक सुधार सम्बन्धी कोई विशेष कार्यक्रम न था। यह सम्भव भी न था क्योंकि इय वृहत संगठन के राजनैतिक दलों के सिद्धान्तो में पूर्व और पश्चिम का अन्तर्विरोध था उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता था। कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त और उस समय सभी विरोधी दलों का एक ही दुश्मन था। और वह थी श्री मती इन्दिरा गाँधी इन सभी चुनावी योद्धाओं का रण कौशल एवं चुनाव प्रचार मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर केन्द्रित था होने वाला चुनाव मुख्यतः अधिनायक तंत्र एवं प्रजातंत्र के बीच है। श्री मती इन्दिरा गाँधी तानाशाह बन चुकी थी। वे वंशानुगत शासन की नीव डालना चाहती है।[42]

इस बृहत गठबंधन के साथ कुछ अन्य दलों तथा अकाली दल डी0 एम0 के0 रिपब्लिकन आदि ने भी चुनावी समझौता किया था। जगजीवन राम के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र के साथ ही कुछ असंतुष्ट भूतपूर्व मंत्री हटायें गये मुख्यमंत्री श्रीमती नन्दनी सत्वथी (उड़ीसा) श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, उ0प्र0 एवं के आर गणेश भू0 पू0 राजमंत्री केन्द्रीय सरकार भी इन्द्रा से बगावत कर दी एवं कांग्रेस फार डेमोक्रेसी'' नामक अलग दल बना लिया। 1977 के इस आम चुनाव में भी इस बृहत गठबन्धन में शामिल हो गये।

उनका तर्क था कि नागरिकों को उनकी तमाम स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया गया है। पूरा राष्ट्र भय मनोविज्ञान से ग्रस्त है। जो किसी भी प्रजातंत्र के लिए घातक है। श्री जगजीवन राम ने 2 फरवरी 1977 के त्यागपत्र के पक्ष में कहा।

" It is difficult for me to associate my self with such a dispensation any longer " [43]

जगजीवन राम व इन अन्यों के कांग्रेस से बाहर आनें से अपातकाल का आतंक कुछ ही समय में वाष्प बन कर वातावरण में फैल गया ।[44] यद्यपि कांग्रेस प्रेस ने इसकी आलोचना की और ये कहा कि इनके कांग्रेस से निकल जानें का चुनाव पर कोई निर्णायक प्रभाव नही होगा।[45]

कांग्रेस ने भी कुछ दलों से चुनाव समझौता किया जिनमें कम्यूनिस्ट पार्टी सी0पी0आई0 ए0 आई0डी0 एम0 के0 तमिलनाडू विशाल हरियाणा पार्टी एवं आर0एस0पी0 प्रमुख थे।[46]

कांग्रेस की हार :

छठे लोक सभा चुनाव मार्च 1977 के परिणाम वास्तव में अति उत्तेजक, अति आश्चर्यजनक एवं हक्का–बक्का कर देने वाले थे। इस चुनाव में कांग्रेस की हार नें चुनाव जगत के सभी रिकार्ड तोड़ दिये। स्वतंत्रता के पूर्व से अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस हमेशा विजयी हुयी थी। एवं पाँचवें आम चुनावों में

कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। एवं विरोधियों के बड़े–बड़े नेता धराशायी हो गये थे।[47]

वह अचंभित बात करनें वाली यह थी कि उसी कांग्रेस ने अब की बार बड़ी कठनाई से केवल चौथाई सीटें ही प्राप्त की। देश के उत्तरी भाग में तो कांग्रेस को एक भी सीट न प्राप्त हो सकी।[48]

यहाँ तक कि भारत की प्रधानमंत्री जिन्होनें अभी कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भारत की विजय एवं भारत द्वारा सफल अणु परीक्षण से भारत को गौरवन्वित किया था। उस चुनाव में जनता नेता राजनारायण से अपनें ही निर्वाचन क्षेत्र में पराजित हो गयी।[49]

कांग्रेस की पराजय के कारण :

इस हार के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता कि इन्दिरा जी द्वारा आपातकाल की घोषणा को समान्य जनता ने पसन्द नही किया और आम चुनाव में पुनः इस बात की पुष्टि की भारत की जनता का विश्वास प्रजातंत्र में है। और उसने अपनें वोट के महत्व को एक बार पुनः दर्शाया इग्लैण्ड के प्रधान मंत्री विसंटन चार्चिल का कहना था।

At the bottom of all the tributes paid to democracy is the little man walking to the little booth with alittle pencil making a little cross on a little bit of paper no amount of shetoric or valuminous discussion can possibly liminsh the over whelming importance of the point so

और इन्दिरा जी ने इसको स्वीकारा भी परन्तु फिर भी यह जानना आवश्यक है कि आपातकाल की उद्घोषणा ही जनता के इस कहर एवं नाराजगी का कारण थी। अथवा आपातकाल के नाम से उन ज्यादातयों ने उसका मन बदला है। आपातकाल की घोषणा सम्बन्धी शक्ति का हमारे संविधान में प्राविधान है।और उसे हमारे निर्माताओं नें काफी वादविवाद के बाद ही संविधान के पन्नों में जोड़ा है। अस्तु कारण आपातकाल की घोषणा में नही उसके दुरपयोग में ढूँढें जानें चाहिए।

सच पूछा जाय तो कांग्रेस ने 1971 तक चुनाव अपनें नाम और यश अथवा पुरानी परंपरागत साख के कारण ही जीते थे। किन्तु उसके बावजूद जबकि 1977 में कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की सबसे अधिक जरुरत थी। वे धन सत्ता और स्वार्थ में इस कदर डूबे हुए थे। कि उनको इसके अलावा कुछ दिखाई ही नही देता था। जनता में घुस कर काम करनें की बजाय वे कही होटल रेस्ट्रां या कोटा परिमिट की दुकान के भाव ताव करते रहते थे।[51]

यही नही उन्हे ऐसे व्यक्तियों से काम लेना पड़ा जो हर काम की कीमत माँगते थे। इतनी जल्दी सौदा करते थे। कि ताज्जुब होता था। कि अभी तो यह पहली सीढ़ी पर ही खड़ा नही हो पाया। और वह पूर्ण आकाश की कीमत चाहता है। वे इन सब की कीमत माँगते थे। कुछ जमीन कुछ पैसा आमदनी का लम्बा सिलसिला या फिर टिकट या टिकट के साथ धन इकठ्ठा करनें की आज्ञा इत्यादि। यदि सुनवाई हो जाये तो ठीक नही तो वापस जा कर खरी खोटी बातों का प्रचार करते थे।

दरअसल कांग्रेस संगठन में ऐसी कोई मशीनरी नही है। जिसके बल पर व्यक्ति की सुनवाई हो या उस सुनवायी की जाँच पड़ताल हो सके।[53]

चाहे माँग कैसी क्यो न हो उसके परखनें की कोई मशीनरी अवश्य होनी चाहिए। वास्तव में 1977 का चुनाव इन्ही कारणों से ही पराजय में बदल गया। अवसर वादियों का जमघट सच्चे कार्यकर्ताओं की कमी तथा सुनवायी की मशीनरी का नितान्त अभाव ।[54]

दल बदल कोई नयी वस्तु नही थी। 1967 में ही इसका प्रारम्भ हो गया था.। और अवसर वादी अपने हित में वगैर किसी डर के अपना फर्स बदलते रहे थे। किन्तु इस चुनाव में जिस ढंग से शीर्षस्थ कांग्रेसी नेताओं ने इसका फायदा उठाया। वह अपनें में एक उदाहरण था। श्री जगजीवन राम जी द्वारा कांग्रेसफार डेमोंक्रेसी का गठन जो स्वयं एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे एवं श्रीमती गाँधी के विशेष करीबी कहे जानें वाले एवं आपात काल के पहले से और आपात काल तक उनके साथ जुड़े हुए उनका एकाएक त्यागपत्र वह भी इस लिए की आपातकाल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण हुआ था।

अपनें में आश्चर्य चकित करने वाला करिश्मा ही कहा जा सकता है। उनके साथ दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं एक केन्द्रीय राजमंत्री जिन्हे किन्ही कारणों से जब वे सत्ता में थे अपनें पद से त्याग करना पड़ा था। और जो उस सुनहरे अवसर के तलाश में थे। कि कब वे इसका बदला ले सकें। और साथ में विरोधियों से सौदा कर पुनः खोये हुए पदों में प्रतिष्ठित हो सके। भी जुड़ गये इन्दिरा जी एवं कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनानें में लग गये जबकि वे आपात काल में कांग्रेस एवं सरकार दोनो से पूर्णतया जुड़े हुए थे। ऐसा लगा जैसे इस चुनाव में अपराधी की सजा से बचनें के लिए वे सरकारी गवाह बन गये थें। और जनता रुपी न्यायधीश नें उन्हे आपातकाल के अपराधियों के विरुद्ध गवाही देने के कारण सजा से मुक्त कर दिया।[55]

जगजीवन राम के एकाएक त्यागपत्र ने इन्दिरा जी एवं कांग्रेस दोनो को ही अचम्भित किया था। क्योंकि वे विद्यपति एवं कार्यपालक दोनों ही निर्णय में हमेशा इन्दिरा जी एवं सरकार के साथ रहे थे। किन्तु त्याग पत्र के समय उन्होनें पूरा आरोप इन्दिरा जी पर लगाया। भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में यह सर्वाधिक एवं सबसे बड़ा विश्वासघात था। इन्दिरा जी ने उनके त्यागपत्र का जवाब देते हुए। उसी दिन लिखा।

" I am Astouned to receive your of today as a member of the cabinet the cabinet commitee on poltical affairs and the highest organs of the congress you were through out activity and directly associated with every dicision whether at Goverment or party level in the conduct of National policies even yesterday you presided over the coordenation commitee meeting and decisions were unanimous that you should want to resign at a time when election had been announced when most of thr regulations after emergency have been relaxed press censure-ship with drawn and prisoners have released is something I fail to understand "[56]

इतना ही नही वे गौहाटी नवम्बर 21.12 1976 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में लिए गये। निर्णयों में भी बिना किसी संसय अथवा शर्त के

सरकारी नीतियों के साथ थे। 57 उनका अपना उद्देश्य इसी से जाहिर हुआ कि जनता सरकार के गठन के समय वे उसके नेता पद के लिए एक संभावित प्रत्याशी थे और जब नेतृत्व का तमगा उन्हें न प्राप्त हो सका तो सी0एफ0डी0 ने जनता में विलय का विचार भी कुछ समय के लिए त्याग दिया और सरकार से भी बाहर रहने की सोची वे सरकार से बाहर क्यों रहना चाहते थे इसका छोटा सा जवाब था,

" He had not effect the congress party for the same ministership. 58

फिर भी एक प्रश्न यही उठता है कि दीर्घकाल तक इन्दिरा जी व कांग्रेस के प्रति समर्पित वरिष्ठ कांग्रेसी विरोध करने पर अमादा क्यों हो गये? वस्तुतः आपात काल के साथ संजय की शक्तियों में प्रशार के फलस्वरूप ये वरिष्ठ नेता असंतुष्ट होकर बाहर निकलने की सोचने लगे। कुछ चाटुकारों ने भी कार्यक्रमों के पवित्र और जनकल्याणकारी उद्देश्यों की बलाए ताक रखकर संजय की हां में हां मिलाई जो आगे चलकर कांग्रेस की हार का कारण बनी। जहाँ कांग्रेस ने, विशेषकर दक्षिण में संजय के नेतृत्व में इन्कार किया था और संजय की शक्ति के खिलाफ अपने वर्चस्व को बनाए रख सके सके थे, वहीं कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत रही और वे इस चुनाव में विजयी हुए।

कार्यकर्ताओं के संयम और नेकनियती के आभाव के कारण ही परिवार नियोजन एवं स्वच्छता ऐसे पवित्र कार्यों में भी अपयस मिला। जिस कार्यक्रम ने इन्दिरा जी के चुनावी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया वह था जबरन बन्ध्याकरण का आरोप। यह कार्य सरकार के लोलुप अधिकारियों तथा संजय गांधी के अति उत्साही युवा कांग्रेसी अनुयायियों द्वारा किया गया।60 संजय ने समय रहते इन ज्यादतियों के आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी धारणा थी कि आतंक की ये कहानी भ्रामक तथा निराधार है। अपने स्वयं के क्षेत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बी0बी0सी0 सम्बाददाता को बताया कि :

"There is a lot of propoganda about steligation I have asked people in every meeting if they can produce some one who was been forcibly

sterlised and the only answer I get is we have heard it but its not happened here" [61]

इस बात का प्रतीक था कि सरकार अथवा संगठन के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी, जिसके माध्यम से व्यक्ति की सुनवायी हो या उसकी जाँच पडताल हो ठीक ऐसी ही घटना तुर्कमान गेट के सम्बन्ध में हुई– जब स्वच्छता अभियान के तहत बुलडोजर द्वारा गरीबों के घर तो गिरा दिये गये किन्तु उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने में सरकार एवं संगठन विल्कुल असफल रहा।[61]

किन्तु तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता था कि ये दोनों मुद्दे भारतीय हित में थे और इनमें भी की गयी ज्यादतियों को चुनाव का मुद्दा बना भोली भाली जनता के वोट का दुरपयोग किया जाना चाहिए थ'। बल्कि इस सम्बन्ध में सभी दलों का एक ऐसा समझौता होना चाहिए था कि जो भी इस मुद्दे को आधार बना जनता की भावनाओं का शोषण करने का प्रयत्न करें उसे चुनाव के लिए आयोग्य करार कर दिया जाये।[62]

कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि आपातकाल को अधिक खींचने की भारी भरकम भूल की कीमत भी कांग्रेस को भारी रूप से देनी पडी आपात काल में जैसे ही अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया था श्रीमती इन्द्रा गांधी के शुभ चिन्तक एवं उनके चचेरे भाई श्री बी0के0 नेहरू जो कि उस समय लन्दन में भारत के उच्चायुक्त थे और जिन्हें विदेश में आपात काल के औचित्य ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर यदा कदा देना पड़ता था, ने सुझाव दिया था कि भारतवर्ष में अब तत्कालिक संकट समाप्त हो चुका है, अतः आपात् काल स्थिति भी अब रद्द कर देना चाहिए– उनका विचार था।

" I would still defend the imergency I think it was the correct thing to do when it was done but it went on for to long an emergency is a short term affair it is meant to correct particular siluation if the election had taken place when they were due in Jan 1976 Mrs Gandhi would have come back with pantastic majority because the emergency was then so

popular instead of that it went on and on with all kinds of unrestriceted power it naturraly detoriated" [64]

श्रीमती इन्दिरा गांधी 15 अगस्त 1975 को ही आपात काल स्थिति को स्थगित करना चाहती थी परन्तु दैविक विडम्बना कि उससे एक दिन पहिले बंगलादेश के जन नेता राष्ट्रपति शेष मुजीबुर रहमान का सपरिवार कत्ले आम कर दिया गया जिसने उनके स्वयं के भविष्य को एक खतरा पैदा कर दिया। उनका विश्वास था कि बंगलादेश की इस सैनिक क्रान्ति में विरोधियों का हांथ था और इसकी पुनरावृत्ति भारत में भी हो सकती है। वास्तव में उनके मन के सम्भावित इस भय ने उनके विचारों में परिवर्तन किया एवं आपातकाल जारी रहा।[63]

आरम्भ में संजय अति अकर्मण्य और निश्चेष्ट नौकरशाही को भयभीत कर गतिशील बनाने मे सफलता प्राप्त की बाद में वे कांग्रेस से न केवल उदासीन हो गये वरन् अपने दुराचारों का दार्शत्व भी कांग्रेस मशीनरी पर डाला जाने लगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर बन्ध्याकरण और मलिन बस्तियों के सुन्दरीकरण कार्यक्रमों की आड में ये सरकारी कर्मचारी अपनी जेबें गरम और जनता का उत्पीड़न कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसका दायित्व कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर डाल स्वयं मुक्त हो गये थे।

वे अधिकारी जो संजय के कार्यक्रमों को सफल बनाने में किसी कारण असमर्थ रहने के कारण पदावनति अथवा स्थानान्तरण की अपमान जनक सजाएं पा चुके थे।[66] अब इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहते थे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा आपातकाल के दौरान की गयी ज्यादातियों का दोषरोपण इन अधिकारियों व नौकरशाही पर लादकर स्वयं को "दूध का धुला" साबित करने के अवसरवादी भाषणों से भी कुढ़कर नौकरशाही इस चुनाव में तटस्थ रहना चाहती थी। वह अब सरकार के लिए स्वयं को जोखिम में डालना नहीं चाहती थी।

युवा कांग्रेसियों का अभी हाल में आया हुआ वह वर्ग जिसकी छवि जनता में अच्छी नहीं थी, इस चुनाव में विपरीत प्रभाव डाल रहा था।[67] कुछ

लोगों का विचार है कि कुछ ऐसे लोग भी युवा कांग्रेस में घुस आये थे जो अन्दर ही अन्दर उसके पतन के लिए कार्य कर रहे थे।[68] साथ ही टोटल कम्यूनिकेशन गैप पूर्ण संवाद हीनता की स्थिति के कारण भी इन्दिरा जी वस्तुस्थिति का सही आंकलन न कर सकी। श्रीमती श्याम पप्पू के शब्दों में :

" The system become so personified and so ever centralised that Mrs Gandhi has no time either to bestow considered thoughton what was told to her or take effective steps to deal with the situation ," [69]

इस प्रकार प्रेस सेंसर सिप तो भूल थी ही किन्तु उससे बड़ी भूल थी ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी जो सम्मान और आदर की दृष्टि से देखे जाते थे और जिनके प्रति जनता के मन में श्रद्धा थी।[70] ऐसे व्यक्तियों में एक जय प्रकाश जी प्रमुख थे।[71अ] स्वतंत्रता आन्दोलन में उनकी सेवाओं के लिए जनता उनके प्रति श्रद्धालु थी एवं आदर योग्य मानती थी। चाहे किन्हीं कारणों से इन गिरफ्तारियों को ठीक समझा गया हो यह स्पष्ट है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला।[71ब]

वर्ष 1977 के चुनाव में कांग्रेस के विरूद्ध जनमत तैयार करने वाले कारकों में एक कारक था शासन वंश का अन्दरूनी विघटन जिसका जनता पर गहरा असर पड़ा था। श्रीमती गांधी की बुआ श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने इस चुनाव में अपनी भतीजी का खुलकर विरोध किया। विरोधियों द्वारा आयोजित प्रेस काफ्रेन्स में उन्होंने कहा कि यह सुनते–सुनते उनके कान पक गये हैं कि नेहरू परिवार ने बहुत बलिदान किये हैं। "उन्होंने आगे कहा कि – इस परिवार ने अपने बलिदानों की पूरी कीमत प्राप्त कर ली है। उनके भाई मृत्युपर्यन्त भारत के प्रधानमंत्री रहे उनकी पुत्री ने इस पद को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया है। वे स्वयं अपने जीवन के चौथाई भाग में बड़े बड़े पदों पर रहीं क्योंकि वे नेहरू थीं"।[72]

इस अन्र्तविरोध से नेहरू वंश की उच्चता" का सम्मोहन टूट गया। जनता नेहरू खानदान की जंगे आजादी के दौरान की गयी कुर्वानियों के

तिलिस्म से निकलकर सोचने लगी कि अन्य लोग भी शासन करने की योग्यता रखते हैं और उन्हें भी एक अवसर मिलना चाहिए।

आम चुनावों में सरकार और पार्टी की पराजय के जो भी कारण रहे हो पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रीमती गांधी सच्चे मानों में प्रजातांत्रिक आस्थावाली महिला थीं। भले ही उन्होंने अपनी बुआ की नेहरू वंश सम्बन्धी आलोचनाओं से असहमत व्यक्त की हो।[73]

किन्तु चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद श्रीमती गांधी ने राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में जनता के आदेश की सर्वोच्चता को नतमस्तक होकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा :–

" the collective judgement of the people must respected my collegeous and I accept there verdictun reserved and in a spirit of humanity election or the part of democratic process to which we are deeply committed I have always and I do believe that the winning or losing of an election is less important then the streng thening of our country and ensuring a better life for our people " [74]

उन्होंने एक सच्चे जनतंत्रीय आस्थावान व्यक्ति की भाँति नई सरकार के सृजनात्मक कार्यों हेतु अपने पूरे सहयोग का आश्वासन भी दिया।[75]

उसके पूर्व उन्होंने मंत्रिमण्डल की सलाहपर आपात कालीन समाप्ति की घोषणा की एवं 22 मार्च को कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बी0डी0जन्ती को अपना त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार इन्दिरा जी के 11 वर्षीय ऐतिहासिक और विवादास्पद शासन का अन्त हो गया।[76]

श्रीमती गाँधी विपक्ष में :

श्रीमती गांधी ने कार्यसमिति की बैठक में भी मतपेटी के माध्यम से जनता द्वारा दिये गये निर्णय को स्वीकार किया और यह आश्वासन दिया कि संसद में उनका दल एक रचनात्मक एवं उत्तरदायी विरोधी दल के साथ में कार्य करेगा।[77]

कांग्रेस कार्यसमिति ने भी 11 वर्ष के उनके इस काल में उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं कांग्रेस को दिये गये नेतृत्व को सराहा और उनसे आशा व्यक्त की थी कि वे आगे भी इसी प्रकार कांग्रेस का नेतृत्व करती रहेगी।[78] किन्तु धीरे–धीरे कांग्रेस के कुछ लोगों ने यद्यपि सीधे उनपर नही तथापि संजय एवं उनकी चौकडी पर आघात करना शुरू किये।[79]

अन्तोगत्वा श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कांग्रेस को लिखे गये अपनें पत्र में कांग्रेस की इस पराजय का पूरा उत्तरदायित्व अपनें ऊपर ले लिया।[80]

यद्यपि उनके इस कार्य की काफी सराहना की गयी और उन्हे पुनः एक बार कांग्रेस का मान्य नेता स्वीकार करते हुए उनसे कांग्रेस कार्य समिति के बैठक के निर्देशन की अपेक्षा की गयी।[81]

तथापि उन्हें ऐसा लगा कि उनके नेतृत्व के प्रति संदेह की घटायें उमड़ रही है। अतः वह कार्य समिति की बैठक में स्वयं उपस्थित नही हुयी और उन्होनें अपनी इस अनुपस्थिति के लिए सदस्यों को वह अवसर देनें की बात कही जिसमें वे स्वतंत्र रुप से कांग्रेंस की इस पराजय के कारणों पर चर्चा कर सकें।[82]

सन्1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल की पराजय का सारा उत्तरदायित्व अपनें ऊपर लेते हुए[83] दल के अध्यक्ष श्री देवकान्त वरुआ ने दल के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था।[84]

उस समय श्री स्वर्ण सिंह को कांग्रेस महासमिति के चुनाव होने तक कांग्रेस का अन्तरिम अध्यक्ष मनोनीत किया गया।[85]

इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए महासमिति में सदस्यों में जोरदार तैयारी आरम्भ हो गयी दल में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का विरोध खुलकर सामनें आनें लगा।[86]

कांग्रेस का दोबारा विभाजन :

इस प्रकार जहाँ एक ओर जनता पार्टी एवं उनके समर्थकों के अनैतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा वही उनके दल में भी अर्न्तद्वन्द कम न था

जैसे चूहे डूबते हुए जहाज को छोड़ कर भागते है। वैसे ही कांग्रेस के वे नेता जो श्रीमती गाँधी के कारण अभी तक सत्ता से चिपके रहनें में सफल हुये थे। भागने का मन बना रहे थे या तो अप्रत्यक्ष रूप से वे जनता सरकार को सहायता दे रहे थे या कांग्रेस के पतन का जिम्मेदार सिर्फ गांधी को बताकर अपनी कमजोरियों को छिपाने का भोण्डा नाटक कर रहे थे। यही सब कुछ इतना काफी था कि श्रीमती गांधी को एक बार पुनः पार्टी स्तर पर शक्ति संघर्ष के लिए उठ खड़ा होना पड़ा। यह बहुत कुछ उससे मिलता जुलता था जो कि 1969 का कांग्रेस विखण्डन था। अन्तर इतना था कि उस समय कांग्रेस दल शक्ति में था आज विरोध में।

1977 की भारी पराजय के बाद भी कांग्रेस एक शक्तिशाली विरोध के रूप में केन्द्र में लौटी थी और राज्य सभा में आज भी बहुमत था कांग्रेस ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होती कम से कम इसलिए जनता सरकार काल में जनता बढ़ती कीमतों कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से अत्यन्त चिन्तित एवं पीड़ित थी किन्तु संसद में कांग्रेस का नेतृत्व इस स्थिति से निपटने में या तो अक्षम साबित हो रहा था अथवा उसकी अनिक्षा से कांग्रेस जनमानस में एक घुटन पैदा कर दी।[129] जिसने उसमें नेतृत्व परिवर्तन की भावना उत्पन्न कर दी जनता सरकार बनाने के बाद रेड्डी चाह्वाण का कांग्रेस संगठन जनता सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा था।[130]

जो एक सशक्त विरोधी दल के लिए अनैतिक एवं अनुचित दोनों ही था इसकी शुरूआत राष्ट्रपति के निर्विरोध चुनाव से हुयी। श्री संजीव रेड्डी जनता सरकार के मनोनीत प्रत्याशी थे। जनता दल के पास राष्ट्रपति को चुनने के लिए पर्याप्त बहुमत भी नहीं था। श्री चाह्वाण ने दल के परामर्श एवं समिति के पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए रेड्डी के समर्थन का वादा कर लिया था। इतना ही संसद में जनता सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं आपत्तिजनक लांछनों का प्रतिपाद भी नहीं किया गया था। यहां तक कि जनता पार्टी के गलत कार्यों एवं उद्देश्यों की वास्तविक आलोचना भी नहीं हुई पिछली गलती के आंकलन में कुछ कांग्रेसी एवं जनता दल के नेताओं की भाषा में अभिन्नता दृष्टिगोचर

होती थी। यहां तक कि कांग्रेस नेतृत्व की सहायता से कर्नाटक की सरकार को इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री श्रीमती गांधी का समर्थक था इसके पहले उनके प्रमुख अनुयायियों में श्री वंशीलाल को हथकडिया बांधकर सरेआम भवानी की सड़कों पर घुमाया गया था।[132]

सी0बी0आई0 भी पी0सी0 सेठी को देहली में और यशपाल कपूर एवं आर0के0 धवन को कानपुर में गिरफ्तार कर चुकी थी।[133] कांग्रेस नेतृत्व इन सभी परिस्थितियों में केवल मूकदर्शक की भांति देखता रहा। यह बात और थी कि जब श्रीमती गांधी को गिरफ्तार किया था तो बृह्मानन्द रेड्डी तुरन्त उनके घर पहुंचे थे और दूसरे दिन उनके वापिस आने पर उन्होंने माला पहनायी थी।[134]

कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व ने केवल मूकदर्शन का कार्य ही नहीं वरन् इस बात का भी प्रयत्न किया था कि इन्दिरा गांधी की बची खुची साख को भी समाप्त कर दिये जाये। कर्नाटक में न केवल अर्श सरकार गि्र गयी वरन् उनके प्रतिद्वन्दी श्री के0एच0 पाटिल को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ब्रह्मानन्द रेड्डी की केन्द्रीय नेतृत्व एवं पाटिल के राज नेतृत्व ने मिलकर इस बात का भी पूरा प्रयास किया अर्स के समर्थकों को विधान सभा के टिकट न प्राप्त हो सके जो सबसे बुरा था। वह यह कि जनता सरकार द्वारा ग्रोवर आयोग की नियुक्ति की गयी जिसे अर्स के विरूद्ध तमाम भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच करनी थी और आशंका यह थी कि उन्हें तुरन्त गिरफ्तार किया जायेगा।[135] इतना ही नहीं पंजाब, गुजरात एवं अन्य राज्यों में भेदभाव की नीति को स्पष्ट अपनाया गया। जिसका परिणाम हुआ कांग्रेस में दूसरी बार पुनः विभाजन। अखिल भारतीय कांग्रेस का 76 वाँ अधिवेशन था। यह विशेष सम्मेलन बिठ्ठल भाई पटेल के निवास नई दिल्ली में जनवरी 78 को प्रातः 8.30 पर सैयद मीर कासिम की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ।[138]

जिसमें जनता सरकार की गतिविधियों, विशेष तौर से कर्नाटक विधान सभा को भंग करने जैसी घटनाएं जो सिर्फ भंग किये जाने के दो दिन बाद तक के लिए आहुत की गयी थी को अप्रजातांत्रिक कदम बताया गया।

इस सम्मेलन में कांग्रेस शीर्ष के कांग्रेसी नेताओं की गैर जिम्मेदारी गतिविधियों की भी तीव्र आलोचना की गयी विशेष तौर से श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को कर्नाटक सरकार गिराये जाने के लिए जनता सरकार के साथ गठबन्धन का जिम्मेदार भी ठहराया गया। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का भी दोषी पाया गया कि वह समय की ज्वलन्त समस्याओं जिनमें हरिजन उत्पीड़न, क्षेत्रीयतावाद की बढ़ती प्रवृत्ति एवं कानून व्यवस्था की समस्या सम्मिलित है, के निरूपण अक्षम सिद्ध हो रहा है।[139]

श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में जनता सरकार की कटु आलोचना करते हुए कांग्रेस जन से एकजुट होने की अपील की एवं जनसम्पर्क द्वारा जनसमस्याओं विशेषकर हरिजन एवं आदिवासियों द्वारा तथा दूसरे कमजोर वर्गों, जो जनता सरकार के शोषण से पीड़ित थे की सहायता करने का आह्वान किया।[140] दूसरे दिन श्रीमती गांधी को एक मत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।[141] श्री कमला पति त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव किया और इस प्रकार कांग्रेस का एक बार पुनः विभाजन हुआ।

चिंकमगलूर का चुनाव एवं इन्दिरा जी का राजनीति में पुर्नजन्म :

जो घटना चक्र उन्हें राजनीति में पुनः वापिस लाया वह था चिकमंगलूर अर्थात "छोटी पुत्री का नगर" इन्दिरा जी को वापिस राजनीति के मार्ग पर लाने का प्रवेश द्वार।[149] चिकमंगलूर में इन्दिरा जी के विषय में प्रमाणित कर दिया कि वह आज भी समाप्त नहीं हुई है बल्कि हमेशा की तरह उसके भीतर एक जाज्वल्यमान प्रेरणा व चेतना मौजूद है। वह अभी भी एक तिनके के सहारे से बडे से बडा खतरा मोल ले सकती है। जैसा कि वे सूक्ति में कहा गया है कि सत्य की एक ही डगर होती है, झूठ के लाखों रास्ते होते है, वह एक डगर चाहे कांटे वाली हो पर वे गन्तव्य की ओर ले जाती है। किन्तु झूठा आदमी किसी मार्ग से जाये, तो वह पथभ्रष्ट हो ही जाता है। चिंकमगलूर का चुनाव भी उस समय हुआ था जबकि भारतीय जनता सत्तारूढ़ दल के प्रशासकों की अनिश्चितता से दुःखी हो चुकी थी और अविश्वास का भूसा

इतना जमा हो चुका था कि आशा की किरण से वह जल सकता था।[150] इसी स्थिति में इन्दिरा जी का चिंकमगलूर चुनाव हुआ। यह राजनीति में उनके पुर्नजीवन का द्योतक तो था ही साथ कांग्रेस विभाजन के बाद इन्दिरा कांग्रेस के अस्तित्व का प्रमाण भी।

कुछ ही दिन पहले उन्होंने नंदी हिल के विष्णु आश्रम के साधारण प्रवासी के रूप में रहने का एक ऐफीडेविट हलफनामा जिससे वे बंग्लौर जिले के दोट्टावलपुर गलुक की वोटर लिस्ट में पंजीकृत हो सके, भी दाखिल किया था। किन्तु वहां की स्थायी निवासी न होने के कारण यह प्रथम सदन के लिए आवश्यक नहीं है। वह पंजीकृत न हो सकी। उत्तर प्रदेश में दूसरे सदन में घुसने का प्रयत्न उनके अपने आदमियों द्वारा ही उनका वोटर लिस्ट से नाम हटवाकर नष्ट किया जा चुका था।[152]

किन्तु उनके सहयोगियों का कहना था कि उन्होंने ही श्रीमती गांधी को यह सुझाव दिया था कि उनके ऐसे स्तर के नेता के निचले सदन के चुनाव लड़ना चाहिए। और जिनके लिए चिंकमगलूर को सर्वाधिक सुरक्षित स्थान समझ कर चुना गया।[153]

चिंकमगलूर की 42 प्रतिशत जनता जो गरीबी की सीमा रेखा में निचले स्तर पर थी, वह केवल एक ही नाम जानती थी (इन्दिराम्मा) जो उन्हें प्रतीत होता था कि उनके ही परिवार की कोई सदस्या है। दूसरी ओर जनता सरकार का प्रत्याशी वीरेन्द्र पाटिल जो काफी खोज खबर के बाद ढूढ़ कर निकाला गया था।[154] वह विरोधी होते हुए भी सफल विरोधी नहीं था कालपात्र की घटना के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण अवसर था जबकि सत्तारूढ़ दल ने गलत उम्मीदवार का चुनाव कर लिया था।[155]

दरअसल जनता पार्टी द्वारा काफी जोर जबरजस्ती से खड़ा किया गया उम्मीदवार नहीं था बल्कि सच्चे रूप में इन्दिरा जी का ही भक्त था। इतने वर्षों तक इन्दिरा के साथ ही कन्धे से कन्धा मिलाकर कर्नाटक का नेतृत्व करता रहा थ पर अर्स मंत्रिमंडल गठन के समय से इन्दिरा से कुछ मन मुटाव अवश्य उत्पन्न हो गया था। जो आमतौर से घरेलू अधिक था, राजनीति प्रेरित

कम। फिर कर्नाटक के लोग उत्तर भारतीयों की तरह खुल्लम खुल्ला विरोध भी नहीं करते हैं।[156]

इधर जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचारक चिंकमगलूर को अपनी उपलब्धियों से आकर्षित करने के बजाय इन्दिरा जी के खिलाफ छोटे मोटे विरोध में लग गये। उन्होनें यह दावा करना सिद्ध कर दिया कि इन्दिरा जी ने गलत शपथ पत्र भरा है। और इन्दिरा जी कर्नाटक की निवासी नही हैं इसलिए उनकी चुनाव अभ्यर्थिता को अवैध घोषित कर दिया जाये। अपनें आरोप को संगीन बनानें के लिए उन्होनें यह दावा भी किया कि इन्दिरा जी ने नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से अपना नाम मतदाता सूची से हटानें के लिए कोई आवेदन पत्र नही दिया है। उधर जनता पार्टी के धृतराष्ट्र आचार्य कृपलानी ने जोरदार शब्दों में कहा कि उन्होंने इन्दिरा जी के झूठे हलफनामें को अपनी आँखों से देखा हैं। उनको अपनी आँख पर विश्वास नही हुआ। कमला नेहरु की लड़की एक सीट जीतनें के लिए इतनी ओछी हरकत कर सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि यह ऐसा भ्रष्ट कार्य है। जो उन भ्रष्ट कार्यों से अधिक भ्रष्ट है। जो पग पग पर समाज को कलुसित कर रहें है।[157]

विरोधी कैंप के कर्णधार जब इस छोटी सी बात को अस्त्र बनाकर अदालत कचहरियों में उलझ रहे थे तो वही दूसरी ओर इन्दिरा अपनें भावी अभियान की ओर ध्यान दे रही थी। अभियान कार्यवाही में वह कही भी कोताही नही बरत रही थी। और उन्हें वहाँ भी उन्हें स्थानीय निवासियों पर अधिक भरोसा अपेक्षाकृत इसके कि वह कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को बुला कर अभियान का श्रीगणेश करती उन्होंनें अधिक उचित यही समझा कि अदना से अदना स्थानीय कार्यकर्ता ही अधिक उपयोगी हो सकता है।[158]

जनतापार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी परदेशी फौज इन्दिरा जी को ही अपना जीवन मरण का प्रश्न बनाये हुयी थी। हालाकि उनके नेता मोरार जी नें अपनें बुजुर्गानें अन्दाज में कहा था कि यदि एक सीट कांग्रेस जीत भी लेगी तो कौन सा आसमान फट जायेगा वे तो बार बार यह कह रहे थे कि चिंकमगलूर को इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न न बनाया जाय और नही इसे इतनी तूल दी जाय

कि इन्दिरा जी को खुद बखुद महत्ता मिलती जाये। पर बेचारे मोरार जी की बात कौन सुनता जनता के अति उत्साही नेता इन्दिरा जी के खिलाफ विष वमन करके ही अपनी वफादरी का परिचय दे रहे थे। उनके यहाँ न कोई नेता था न कोई सिद्धान्त। सिद्धान्तवादिता की रट लगाते हुए भी वे सिद्धान्तों से इस कदर दूर चले गये थे कि अब उनका अपना अस्तित्व भी समाप्त हो रहा था।[159]

जनता खेमें के सेनापति जार्ज फर्नाडीस ने सभी प्रकार के हथकंडे अपना कर बार बार यही कोशिश की कि इन्दिरा जी चुनाव के मैदान में न ही उतरे और यदि उतर ही गयी है तो इस प्रकार का वातावरण तैयार हो कि जनता खुद उन्हें इस क्षेत्र से धकेल कर निकाल बाहर करें।[160]

सबसे पहले तो इन्दिरा नेहरु गाँधी नाम पर आपत्ति उठायी गयी जनता वालों ने कहा कि नाम जदगी पर्चे पर यह नाम ही गलत है चुनाव आयोग नें यह आपत्ति रद्द कर दी इससे जनता के नेंताओं को फिर धक्का लगा।[161]

उधर जगजीवनराम यह कहते घूम रहे थे कि इन्दिरा जी झूठी हैं, और धोखेबाज हैं और उसनें झूठा नामांकन पत्र भरा है। पर दूसरी तरफ कृपालानी साहब जनता पार्टी की नालायकियों का विवेचन कर रहे थें।[162]

यदि 20 दिन के इस चुनाव युद्ध पर सूक्ष्म दृष्टि डाली जाय तो यही सिद्ध होगा कि जनतापार्टी की शुरु से ही यह युद्ध नीति रही कि इन्दिरा जी उभर कर न आयें उनकी छाप लोंगों पर न पड़े, लोग उनसे प्रभावित न हो जाए यह नीति चुनाव में काफी ओजोवो गरीब थी। क्योंकि आमतौर से चुनाव का अर्थ दो दलों का संघर्ष होता है। दोनो दल जनता के सामनें अपनी अपनी पैरवी करते है। अपनी नीतियों की कैफियत देते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए अपनें अपनें विचार रखते है। पर एक दल यही चाहे कि दूसरा उम्मीदवार प्रगट न हो यह प्रगट होनें से पहले ही नष्ट हो जाये या उसकी ऐसी हवा खराब कर दिया जाये कि वह खुदबखुद मैदान छोड़ कर भाग जाये तो अच्छी रणनीति नही कहा जा सकता केवल चतुर या दुष्ट रणनीति की संज्ञा ही दी जा सकती है।

4 नवम्बर को भारी वर्षा के कारण चिकमंगलूर चुनाव पर कुछ समय के लिए पटापेक्ष पड़ गया। 5 नवम्बर का चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। चिकमंगलूर के 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपनें मत मतपेटियों में डाले नौ नवम्बर को अंन्तिम दिन चुनाव परिणाम घोषित हुआ। इन्दिरा जी ने विरेन्द्र पाटिल को 77,333 से पराजित कर दिया था। इन्दिरा जी को 2,49,376 मत मिले और बीरेन्द्र पाटिल को 1,72043 मत प्राप्त हुए थे।[163]

इस चुनाव के साथ ही इन्दिरा जी को खोयी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हुई और एक बार फिर राजनीतिक आकाश में नक्षत्र बन कर चमकनें लगी। इतिहास में चिकमंगलूर का चुनाव पानीपत की लड़ाई से कम महत्वपूर्ण नही समझा जायेगा।[164]

अध्याय – षष्ठ

इन्दिरा गाँधी पुनः सत्ता में

मार्च 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पूरी तरह आश्वस्त थी। कि भारत में रेल पथ से उतरी हुयी प्रजातंत्र की गाड़ी पुनः पटरियों में लायी जा सकेगी किन्तु संविधान निर्माताओं का यह स्वप्न कि प्रजातंत्र के मूल्य पुनः भारत भूमि में अब साकार हो सकेगें कुछ ही दिनों में धूमिल हो गये। ऐसा लगा कि यह विचार कोरे आदर्श है। और इनकी प्राप्ति यदि दुर्लभ नही तो कठिन अवश्य है। इस प्रकार मार्च 1977 का वह सुख बोध जल्दी ही नष्ट हो गया। इसकी वह सुगन्ध जो 1977 में राष्ट्रीय वातावरण में में फैल गयी थी। चुनाव के बाद धीरे धीरे लोप होनें लगी। दो ही वर्ष में इस सुगन्ध नें विषायंध को स्थान देना प्रारम्भ कर दिया।

जनता सरकार का पतन :

स्वार्थ पूरित इच्छाँए, घृणित व्यवहार गैर सैद्धान्तिक क्रियाकलाप झूठे वायदे, कागजी योजनाए आपसी झगड़े एवं कुचक्र तथा षड़यंत्रों ने चारो तरफ दुर्गन्ध फैला दी।[2]

यद्दपि इस बात के अथक प्रयास किये गये कि सडान्ध और आगे न फैल जाये और इन त्रुटियों को छिपानें के लिए बेहद असफल प्रयत्न भी किये गये किन्तु इसका कोई संतोषजनक हल न निकल सका। यह बात बार बार दोहरायी गयी की स्वतंत्रता बहाल कर दी गयी है। एवं प्रजातंत्र को पुनः व्यवस्थापित कर दिया गया है। तथापि वास्तविकता यह थी कि बहुत से ऐसे कारण थे जो जनता सरकार के तीव्र पतन में सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार जनता सरकार के पतन में शीर्षस्थ नेताओं की सर्वाधिक राजनैतिक महत्वाकांक्षा जनता नेताओं की विध्वंसात्मक राजनैतिक संस्कृति कथनी और करनी से गहरा अन्तर जय प्रकाश जी के विचारों की पूर्ण अवहेलना व्यवसायियों एवं अधिकारियों में भ्रम श्रीमती इन्दिरा गाँधी एवं उनके पुत्र द्वारा आपातकाल में की गयी अतियों के विरुद्ध लगाये गये दोषों से मुक्त हेतु उनकी युक्त चाल और अंन्तिम किन्तु सबसे महत्वपूर्ण थी जनता सरकार में राष्ट्र संचालन की अयोग्यता एवं अक्षमता।[3]

इस अवसान काल के विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि न केवल जनता शासन, जनता के प्रति लापरवाह हो गया था। बल्कि उसने अपनी बनाई हुयी सरकार को सस्ती लोकप्रियता के लालच में हास्यपद भी बना दिया था सहसा जैसे जनता का इस सरकार के प्रति विश्वास ही उठ गया था। जो सरकार के प्रति लापरवाही बरत रही थी। जनता इसी सरकार के प्रति बेपरवाह हो गयी थी। पहले तो वह इतनी बेपरवाह रही थी। कि जो कुछ करना चाहे करने दो उन लोंगो पर अनायास ही धीरे धीरे वह चिन्तित भी होनी भी शुरु हो गयी। जब चरणसिंह मोरार जी की वार्ता अपने निश्चय अनिश्चय के दौरों से गुजर कर असफल हो गयी तब देश की जनता में अपने भविष्य के प्रति चिन्ता का प्रारम्भ स्वभाविक ही था।[4]

घटकवाद की लड़ाई :

लड़ाई का दूसरा चरण इसी विश्वास का परिणाम था जो इसी वर्ष विधान सभा के चुनाव में टिकट बाँटनें के समय और उभर कर सामनें आया। वे उत्तर भारत के सम्बन्ध में पूर्व की भाँति अपनी सर्वोच्च सत्ता बनाये रखना चाहते थे। किन्तु इस बार जनता अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद की गरिमा बनाये रखने की ठान ली। उ0प्र0 के चरण सिंह की सूची से 88 नाम काट दिये गये।[5]

चरण सिंह ने परवेक्षक के पद से त्याग पत्र दे दिया और चुनाव आयोग के कार्यालय से वह पत्र निकलवा लिया जिसमें उन्होनें भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह को जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह में परिणित सम्बन्धी अपनें दल का प्रस्ताव भेजा था। किन्तु चन्द्रशेखर जी इससे विचलित नही हुए वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अन्त में राजनारायण की जनता पार्टी के कार्यालय गये और उन्होनें चरण सिंह जी का त्याग पत्र फाड़ कर फेक दिया।[6] देखनें में ऐसा लगा कि तनाव में शैथिल्य आ गया पर ऐसा कुछ नही हुआ। अपितु शीत युद्ध और तेज हो गया।

चरण सिंह के गृहमंत्री निवास में सायं बैठकों में तेजी आयी। मोरार जी भाई के अपनें एक सहयोगी श्री एस0 एन0 मिश्रा जो कि मंत्री पद के प्रत्याशी

थे। उसे न पानें पर चरण सिंह खेमे में आ गये। दलबदल अब राजनैतिक दलों में नही वरन जनता पार्टी के घटकों में प्रारम्भ हों गया। मिश्रा जी ने खुलेआम संसद में उनके पुत्र क्रान्ति देशाई पर हिन्दुजा एवं अन्य बड़े व्यवसासियों से सम्बन्ध की पुष्टि करते हुए उसे राष्ट्रहित के प्रतिकूल कहा। चरण सिंह जी ने इस सम्बन्ध में जांच कमीशन बैठान की वकालत की और इसे पार्टी एवं सरकार के हित में बताया।[7] दूसरी ओर मोरार जी ने उसके प्रति दुराग्रह बताया और स्वयं चरण सिंह पर उनकी लड़की एवं दामाद को जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे संरक्षण देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चौधरी चरण सिंह की तीसरी बेटी सरोज, जो उस समय उ0प्र0 विधान सभा की सदस्या थी अपनी स्थिति का पूरा लाभ उठा रही थी। चौधरी साहब के बड़े दामाद श्री गुरूदत्त सोलंकी जो राजस्थान के सेवा निवृत्त अध्यापक थे और उ0प्र0 के खैरागढ़ चुनाव क्षेत्र से विधायक चुने गये थे। चौधरी साहब की ही कृपा से रामनरेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बेयर हाउसिंग बोर्ड के पहले चेयरमैन बनाये गये।[8]

इस प्रकार चरण सिंह जनता अध्यक्ष, चन्द्रशेखर और प्रधानमंत्री देसाई से अलग एक घटक को शक्तिशाली बना रहे थे। और प्रधानमंत्री बनने के स्वप्न देख रहे थे। जगजीवन राम के विशेष सहयोगी बहुगुणा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका आरोप था कि बहुगुणा कम्युनिस्ट पार्टी एवं रूस से अपने सम्पर्क स्थापित करने में संलग्न है। ऐसे लांछन पर उन पर 1974 एवं 1975 में भी लगाये गये थे। उन दिनों भी के0जी0बी0 का एजेण्ट माना जाने लगा था। इस कारण 1975 में उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। दुर्भाग्य तो यह था कि उस समय उन्हें उ0प्र0 कांग्रेस एवं विधानसभा दोनों में बहुमत का विश्वास प्राप्त था। कदाचित कांग्रेस में एक तबका इन्दिरा जी को यह बता रहा था कि रूस उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति उनकी इस समय भी थी। चरण सिंह को भय था कि बहुगुणा को रूस की सहायता मिल रही है जो उनके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। अतः उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देसाई जी को एक गोपनीय पत्र

लिखकर इस तथ्य से अवगत कराया था। इतना ही नहीं उन्होंने जनसंघ के एक मुख्य नेता से बातचीत करते समय देसाई एवं बहुगुणा के सम्बन्धों पर अपनी नाराजगी भी प्रकट की।

Morarji must be allowed to go on for long you see has men like Bohuguna with him in the ministary ....I hope told him so many times to removes him beet just does not Listen.[9]

भारतीय लोकदल एवं जनसंघ का गठबन्धन भी अधिक दिन तक नहीं चल सका। प्रारम्भ में तो इस गठबन्धन में सम्पूर्ण भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। किन्तु चरण सिंह जनसंघ को उसी स्थिति में स्वीकार करने के पक्ष में थे। जबकि जनसंघ में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करे उनका प्रस्ताव था कि जनसंघ अपने दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये और उनके लिए प्रधानमंत्री का रास्ता साफ करे।

"If have the full support of your group it can be done with out difficulty.[10]

दूसरी ओर जनसंघ नेता भी श्री सिंह की महात्वाकांक्षा से पूर्णतया परिचित था तथापि उन्होंने यह कहकर बात को टाल दिया कि समस्त स्थिति पर पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जायेगा। उधर चरण सिंह ने उस समय के अपने हनुमान श्री राजनारायण को लड़ाई प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये। जिन्होंने सीधे मोरार जी एवं चन्द्रशेखर पर आरोप लगाने शुरू कर दिये। फलस्वरूप चरण सिंह से गृहमंत्रालय ले लिया गया। कुछ दिनों के बाद 30 जून को उन्होंने सरकार से त्याग पत्र दे दिया।[11] उनके साथ चार अन्य मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दे दिया। यह त्यागपत्र उन्होंने प्रधानमंत्री के 29 जून के पत्र के आधार पर दिया था। जिससे उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। त्यागपत्र मांगने का कारण यह था कि चरण सिंह ने मोरार जी पर यह सीधा आरोप लगाया था कि उनकी सरकार हिजड़ा सरकार है। जो इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार करने में असफल रही है।

तुरन्त ही एकता के लिए प्रयास प्रारम्भ किये गये। किन्तु बहुत प्रयास के बाद भी मोरार जी उन्हें गृहमंत्रालय देने को तैयार नहीं हुए। श्री अटल बिहारी के प्रयासों से उन्हें पुनः मंत्रिमण्डल में लिया गया। पुष्टिकरण की नीति का पालन करते हुए उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। इस पर जगजीवनराम रूष्ट हो गये। तब उन्हें भी जनता सरकार ने उपप्रधान मंत्री का पद दे दिया। जनता, जनता सरकार के इस गद्‌दी हथियाओ नाटक को गहराई से देखती रही यह पहला अवसर था कि भारत में दो उप प्रधानमंत्री बनाये गये। यह केवल इसलिए की जनता सरकार को टूटने से बचाया जा सके। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा न हो सका। जनसंघ एवं चरण सिंह गुट से भी आगे न पट सकी और प्रदेशीय सरकारों को लेकर उनमें अनबन हो गयी। जनता पार्टी का अर्न्तविरोध इस सीमा तक पहुंच गया कि संसद में मोरार जी का समर्थन अल्पमत में हो गया। चौधरी को प्रधानमंत्री का सपना साकार करना था। अतः वे सभी विरोध छोड़कर जैसा कि वे उत्तर प्रदेश 1969–70 में एक बार कर चुके थे इन्दिरा जी की सहायता हेतु उनके द्वार पहुंच गये और उनकी कृपा से जनता पार्टी के टूटते–2 चौधरी साहब तो प्रधानमंत्री बन गये परन्तु जगजीवन राम जी की लालसा अधूरी रह गयी। इसी लालसा ने टूटी जनता पार्टी को जिसमें इस समय जनसंघ, कांग्रेस संगठन एवं सी0एफ0डी0 सम्मिलित थी बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया। चुनाव से पूर्व नवम्बर 1979 के अन्तिम सप्ताह में जनता पार्टी की संसदीय मंडल की बैठक से बाबू जी बाहर आ गये थे जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र को अन्तिम रूप देना था। बाबूजी यह चाहते थे कि घोषणा पत्र में यह भी घोषित कर दिया जाय कि यदि जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है तो उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाये। संसदीय मंडल के कुछ सदस्यों ने जिनमें श्री मोरार जी देसाई भी सम्मिलित थे इसमें विरोधी थे।[12]

बाबू जगजीवन राम की प्रधानमंत्रित्व पद के लिए छटपटाहट कम न हुयी अतः वे श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से अपने पुत्र सुरेश राम एवं संजय गांधी

के माध्यम से सम्पर्क सूत्र जोड़ने के प्रयास में जुट गये। परिणाम यह हुआ कि वे सन्देह की निगाह से देखे जाने लगे।

अपने घर में पड़े बीमारी का बहाना किये बाबूजी के लिए एक जनता नेता ने उनके निजी सचिव से यहां तक कह दिया कि 'बाबू जी की औषधियां कहां से आ रही है। विलिंगटन अस्पताल से या विलिगंटन क्रेसेंट से।[13] जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी के साथ बाबूजी के विश्वासघात की गंध मिल गयी तथापि पार्टी के हित ध्यान में रखते हुए बाबूजी की इस बात को स्वीकार ही कर लिया गया कि जनता पार्टी के बहुमत में आ जाने पर प्रधानमंत्री का पद उन्हें दिया जायेगा। और इस शर्त के साथ बाबूजी ने चुनाव अभियान का नेतृत्व प्रारम्भ किया परन्तु पार्टी में जो उनके प्रति सन्देह का बीज अंकुरित हुआ वह बढ़ता ही रहा। इस प्रकार जीवन भर गद्दी का दॉव हारने वाले बाबूजी यहां चूक गये और बड़ी गद्दी के चक्कर में छोटी गद्दी भी गवॉ बैठे।[14] इस प्रकार जहां श्री मोरार जी देसाई की जिद्द ने जनता सरकार की नींव को हिलाया तो चौधरी चरण सिंह की संकीर्णता ने उसकी रीढ़ पर प्रहार किया और बाबूजी की अवसर वादिता ने उसे धराशायी कर दिया।

जनता सरकार एवं नौकरशाही :

अपने चुनाव अभियान में जनता नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यदि उनकी सरकार बनी तो नौकरशाही को स्वतंत्ररूप से काम करने दिया जायेगा, और कमिटेड सिविल सर्विस जो कि विशेष तौर से आपातकाल में उदित हुयी थी, उस विचार को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जायेगा। यदि इसे अतिशयोक्ति न कहा जाये तो यह सच है कि आपात काल के बाद के चुनाव में इन्दिरा कांग्रेस का चुनाव में हारने का एक प्रमुख कारण नौकरशाही का भी कांग्रेस से रूष्ट होना था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संजय के पांच सूत्रीय कार्यक्रम को आयामः बलः देने में यदि सिविल अधिकारी किसी भी प्रकार से असमर्थ रहा तो सरकार ने कानून को बलाये ताक रखकर उन्हें दण्डित किया गया। जनता नेताओं ने अपने भाषणों में यह आश्वासन भी दिया

कि वे कार्यकारिणी एवं नौकरशाही के बीच एक ऐसा सम्बन्ध स्थापित करेगें जिससे दोनों के बीच पुनः विश्वास पैदा हो ताकि योजनाओं का उदित एवं जल्दी क्रियान्वयन हो सके। प्रारम्भ में तो जनता सरकार ने ऐसे कदम उठाये जिससे ऐसा लगा कि शायद जनता सरकार चुनाव अभियान में किये गये वादों को क्रियान्वित करने के पथ पर है। ऐसे बहुत से अधिकारी जो आपात काल में दण्डित किये गये थे उन पर पुनः विचार कर उन्हें उचित न्याय दिया गया। किन्तु यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक उसी प्रकार जैसा कि उनका कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप था उन्होंने भी दण्डित सिविल सर्विस के लिए जगह बनाना शुरू कर दिया और वे अधिकारी जो उन्हें रास नहीं आये उन्हें दण्डित अथवा स्थानान्तरित किया जाने लगा। राज्यों में भी नियुक्तियों के सम्बन्ध में उदाहरणार्थ मुख्य सचिव एवं पुलिस के शीर्षस्थ अधिकारी की नियुक्तियों में ऐसे ही अधिकारियों को नियुक्त किया गया जो कमिटेड सिविल आफीसर के रूप में कार्य कर सके।

दण्डित करने के सम्बन्ध में भी पुराने नियमों का पालन प्रारम्भ हो गया। इनके मुख्य उदाहरण थे केन्द्रीय सरकार में बी0बी0 बोहरा जो उस समय प्रोट्रोलियम मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें तीन अक्टूबर को ही उन्हीं के कार्यालय में दो सी0बी0आई0 अधिकारियों द्वारा बगैर कारण बताये गिरफ्तार कर लिया गया।[15]

अधिकारी को इस पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। उसने कैबिनेट सचिव से तत्काल सम्बन्ध स्थापित किया। जिस पर उन्होंने बताया कि इस परिस्थिति को वह स्वयं टालना चाहते थे किन्तु वे सफल न हो सके। तब श्री बोहरा ने टेलीफोन पर सी0बी0आई0 के प्रधान से वार्ता की, जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर प्रार्थना की। जिन्होंने उनको केवल इतना आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मसले पर विचार करेगें। वे पुलिस स्टेशन ले जाये गये और वहां उन्हें कई घण्टे बैठाला गया। बाद में जमानत पर रिहा किया गया। सबसे दुख की बात यहां पर ये थी कि उन्होंने अपने निलम्बन आदेश और एफ0आई0आर0 की प्रतिलिपि दूसरे दिन प्राप्त की। उन

पर आरोप था कि फ्रेंच की एक फर्म के साथ एक समझौते में जिसका सम्बन्ध तेल निकालने से था, उसके कारण राष्ट्र को 11 करोड़ का घाटा हुआ। ठीक इसी प्रकार का एक उदाहरण संचार मंत्रालय के सचिव श्री बी0बी0 अग्रवाल का था। उन्हें भी तीन अक्टूबर 1977 की शाम को उनके निवास से बगैर कारण बताये गिरफ्तार कर लिया गया।[16]

और दूसरे दिन जबकि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त कर सके। उन्हें मालूम हुआ कि 1974 में जापानी फर्म के साथ टेलीफोन यंत्र के खरीद के सम्बन्ध में किये गये घपले में वे आरोपित थे।

वैसे भी किसी अधिकारी के द्वारा कोई भी अपराध किया गया है तो वह अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो उसे दण्डित अवश्य करना चाहिए। यही विधि का शासन है, और यही प्रजातंत्र की रीढ़ भी थी। किन्तु इसमें यह भी निहित है कि किसी को भी दण्ड से पहिले विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसके अपराध की सीमा नाप ली जाय। यह वहां नहीं किया गया। एक सामान सिविल सेवा प्रक्रिया है जो किसी अधिकारी को दण्डित करने से पहले अपनानी चाहिए। इसमें अन्तर्गत सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को चार्जसीट प्राप्त होनी चाहिए। उससे उसके ऐसे दोषों के लिए स्पष्टीकरण लेना भी आवश्यक है। पहिले ऐसी परम्परा भी रही है। किसी भी सरकारी अधिकारी के बगैर उसके अपराध को बताये उसे उसके कार्यालय में गिरफ्तार कर लेना स्वयं सरकार द्वारा कानून की सीधी अवहेलना है। यह केवल साम्यवादी देशों में ही या निरंकुश राजतंत्र में ही सम्भव है। सरकार द्वारा यह किया गया कार्य उसके जल्दबाजी का प्रतीक था और जनता पार्टी के उन उद्देश्यों के विरूद्ध भी जिनके लिए वे वचनबद्ध थे। कम से कम बोहरा जी की जो वार्ता कैबिनेट सचिव से हुयी थी उससे तो इतना स्पष्ट ही था कि सरकार के इस कार्य से वे स्वयं सहमत नही थे।

सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार अपवाद स्वरूप नहीं है। ऐसे अन्यंत्र उदाहरण भी मौजूद है। प्रो0 दण्डवते ने जो तत्कालीन रेलवे मंत्री थे उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुन्दर राजन एवं एक

ट्रैफिक सदस्य को जून 1979 में उनके पद से हटा दिया। उनका यह कार्य संसदात्मक शासन प्रणाली पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। इस सम्बन्ध में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया थी वह इस प्रकार व्यक्त की गयी।

After the emergency Samta leader s declared that every action would be taken under the due processof the law . has this been done in the Rajan case ?Again they declared that they were against giving extentions to so called .Idispensable , officers menezers (who has succeeded Sundar rajan) had only a year to go and has been given an extension of 24 months [17].

When we took any kind of action we were over ruced by the minister today he cracks down on us for bieng .Soft on the staff will anyone tell us exactly want we are supposed To, do?[18].

वास्तविकता तो यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार एवं शिथिलता बढ़ने का मुख्य कारण राजनीतिज्ञों का उनके कार्यों में हस्तक्षेप है। इसका इससे बढ़कर उदाहरण क्या हो सकता है। कि चरण सिंह जो कि उस समय गृहमंत्री थे अपनी शक्ति का दुरूपयोग करते हुए चुनाव आयोग की फाइल से एक ऐसा प्रपत्र निकालने में सफल हो गये जो वहां का मुख्य रिकार्ड था। यह भालोद का एक वह प्रस्ताव था जिसके द्वारा उसका चुनाव चिन्ह जनता पार्टी को हस्तान्तरित कर दिया गया था।[18] और समस्या का समाधान राजनारायण की मध्यस्थता में हो सका।

ऐसा केवल केन्द्र में ही नहीं राज्यों की सरकारों में भी हुआ। श्रीमती उमा सिन्हा जो बिहार सरकार में माध्यमिक शिक्षा में निर्देशिका के पद पर नियुक्त थी को बगैर कारण बताये निलबित कर दिया और वह भी केवल इसलिए कि सम्बन्धित मंत्री ने एक प्रश्नोत्तर काल में विधायकों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हे 50 घण्टें में निलम्बित कर दिया जायेगा। जबकि प्रक्रिया यह है कि प्रथम श्रेणी के किसी भी अधिकारी को निलम्बित करनें से पूर्व मुख्यमंत्री का आदेश आवश्यक हैं। और उसमें भी अधिकारी से उसके दोषों

के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगना भी। मुख्यमंत्री ने यह अनुमोदनवाद में वह भी बगैर अधिकारी से स्पष्टीकरण लिए दे दिया क्योंकि उन्हें मंत्री जी के शब्दों का मान रखना था। जो उन्होनें विधानसभा में बिना सोचे समझे कहे थे। अधिकारी पर लगाये दोष भी इतनें गम्भीर नही थे कि उसका तुरन्त निलम्बन आवश्यक हो।[19]

कमिटेड शिविल सर्विस को स्थापित करनें के प्रयास में ऐसे अन्य कई उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा सकते है। जिससे सम्बन्धित सचिव ने जब किसी विशेष कारण से प्रधानमंत्री सचिवालय से प्राप्त आदेश का पालन करनें में ढिलाई दिखाई तो उसे उसके सम्बन्धित प्रदेश में स्थानान्तरित कर देने की बात उठ खड़ी हुयी । इस सम्बन्ध में दिल्ली सचिवालय के दो सचियों श्री एस0 के राय एवं एलोंनें का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता था। इन दोनों का तर्क यह था कि उनसे सम्बन्धित मंत्री चूकि दिल्ली से बाहर थे इसलिए वह उसमें कोई निर्णय उस समय तक नही ले सकते जब तक वे अपनें सम्बन्धित मंत्री से सलाह न ले ले। जनता मंत्रियों द्वारा उनके अधिकारियों द्वारा एवं कर्मचारियों को अपमानित करनें की कहानी तो जनता सरकार में रोजमर्रा की चीज थी। 17 अक्टूबर 1977 के न्यूयार्क में ऐसी ही कहानी राजनरायण के बारे में छपी थी। कहानी इस प्रकार थी।

"Rajnarayan summoned his top officials and asked them ," "On whose authory did you slerilise your brothers " . "Sir you know who gave the orders ." "where the order ?" Let me see it where is the paper with order?"he gave each of the officers stone ,made his clerk stand in the middle of the room and said"the room and said," "stone this clerk I order you" he shouted I order you to throw a stone at his and you don't ,Move beet when she ordered ,you did not hesitable to take a knife to your brothers .

इसी प्रकार का एक उदाहरण मध्यप्रदेश में एक मंत्री का दिया जा सकता है। जिन्हे नये निर्मित सर्किट हाउस की जगह पुरानी रेजीडेन्सी जहाँ

अतिविशिष्ट लोंगों को ठहरानें की व्यवस्था की जाती रही है, में ठहराया गया। जब उन्हे पता चला कि उनमें से एक अन्य मंत्री को नये सर्किट हाउस में ठहराया गया है। वे तो जिलाधिकारी पर बरस पड़े।

What Sort of arrangement have you made for my stay here ?you should at list provided a soap and towel in the both room have you no commonsece ."

आई० ए० एस० अधिकारी एकाएक चौक गया। उसे ये शब्द बहुत बुरे लगे। उसनें अपनें को सभालते हुए कहा कि –

"Sir all that is not my job ,I thought you had summoned me to discuss some matter relating to the work of the Government sense you do not seem to have any official business to talk about please permit me to leave."

इस प्रकार लखनऊ में एक युवा उपमंत्री मुखतार अनीस नें सुरक्षा कर्मचारी को थप्पड़ इसलिए मार दिया कि वह मंत्री को पहचानता नही था। और उसने परिषद् भवन में मंत्री को प्रवेश देनें के लिए उसने उनका परिचय पत्र माँग लिया। फलस्वरुप तमाम सुरक्षा अधिकारियों ने अपने सम्मान हेतु हड़ताल कर दी। वैसे इसके अनेंको उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते है। किन्तु स्टे्टस मैन के 16.1.1978 में एस० सहाय की टिप्पणी से स्पष्ट होता हैं। कि मंत्रियों एवं अधिकारियों के सम्बन्ध जनता सरकार में मधुर नही थे।

That the relations between officials and Minister have to find a happy balance is illustrated by the recent suspension of the director of the panchayats by the panchayat minister sudging by the available accounts the minister who was surrounded by admire summoned the official and asked him to die something that was against the rules the officials pointed this out more than once but the minister him die it in any case the minister seemed to have been determined to expression his

followers how important he was and the officials fault lay in speaking up in the presence of the others ".

देश में अराजक स्थिति :

इस प्रकार जनता सरकार अपने पूरे शासन काल में दो ही कार्यों में संलग्न रही एक तो श्रीमती गाँधी के विरुद्ध जाँच आयोग बैठाती रही दूसरे इसके नेता गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहे। और जनता में विरोधी वक्तव्य देते रहे। परिणाम यह हुआ कि देश में जातिवाद के सम्प्रदायवाद को बल मिला। सामन्ती शक्तियों ने सिर उठाया। सामाजवाद को गहरा आघात लगा। हरिजनों पर अत्याचार बढ़े। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन लोगों को घर बनाने के लिए जो जमीनें दी गयी थीं उन्हें छीन लिया गया। देश में अराजकता फैली। देश में अराजक तत्वों की बन आयी। लोग जीवन के प्रति अनिश्चित हो उठे। जनता सरकार का असली रूप जनता के सामने आने लगा।

देश में हत्याओं का क्रम आरम्भ हुआ। विभिन्न स्थानों पर मजदूरों की जो निर्मम हत्याएं हुई उन्हें देखकर लोगों को जलिया वाला बाग हत्याकाण्ड फिर से स्मरण हो आया। 13 अप्रैल 1978 को कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में मजदूरों को सामूहिक रूप से भून दिया गया।

"गोलीकाण्ड के लगभग 48 घण्टे बाद में जब विश्वविद्यालय के कैम्पस में पहुँचा, वहां मृतक मजदूरों के बच्चों की चीत्कार, खून में लथपथ कपड़ों व अधमरे लोगों को पुलिस के दरिन्दों द्वारा बेरहमी से घसीटने से सड़कों पर पडे दूर-दूर तक खून के धब्बों और कालोनी से घरों की दीवारों, दरबाजों व खिड़कियों के 400 से भी अधिक गहरे निशानों को देखकर लगता था कि जलियावाला बाग का खूनी डायर अपनी पूरी हैवानियत के साथ फिर से जिन्दा हो गया है। यह आधुनिक हत्याकाण्ड पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति (डी0पी0) सिंह ने इसलिए करवाया कि मजदूर उनसे अपनी मजदूरी और जीने के लिए सुविधाएं मांग रहे थे। तानाशाह डी0पी0 सिंह मजदूर विरोधी

रवैये पर अडिग रहे क्योंकि उन्हें तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। इस हत्याकाण्ड में जहाँ मजदूरों को मारा गया वहीं दूसरी ओर देश को भारी आर्थिक हानि उठानी पडी।

इससे पूर्व 5 अप्रैल 1978 को मध्यप्रदेश के बस्तर जिले के बैलाडिया स्थान पर पुलिस द्वारा लोहा खदान के मजदूरों को निर्दयता पूर्वक गोलियों से भून दिया गया। जनता की रक्षक, जनता सरकार ने यह कदम उस समय उठाया जब सरकार द्वारा मजदूरों की छटनी की योजना का विरोध मजदूरों में किया। शान्ता रेड्डी मलप्पा और प्रभु शिविर में रहने वाले मजदूरों की 2000 झोपडियों में पुलिस द्वारा आ लगा दी गयी। मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस के इस कार्य को न्यायोचित ठहराते हुए जुल्म नहीं किया, कम्युनिस्टों ने मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया। मजदूरों ने स्वयं अपनी झोपडियों व शिविरों में आग लगायी।

जनता सरकार के ढ़ाई वर्ष के थोड़े से समय में हरिजनों और मजदूरों पर जो अत्याचार हुए वे अपने आप में एक उदाहरण है।

इसी तरह की निर्मम हत्यायें बिहार के अन्य गांवों में भी हुई। जहां निर्दोष मजदूरों के अपने अधिकार पाने के एवज में जाने देनी पड़ीं और बिहार के भागलपुरा जिले के पथड़डा गांव में बिहार के भोजपुर जिले के धरमपुरा गांव में।

1978 के फरवरी महीने के प्रारम्भिक दिनों में रक्षामंत्री जगजीवन राम के चुनाव क्षेत्र सहसराम के रूपेला गांव के 45 वर्षीय हरिजन वशिष्ठ दुरूध को पहले पीटा गया, फिर उस पर गोली चलायी गयी और अन्ततः उसे जला दिया गया।

अंचला गांव : जिला गोरखपुर : के बन्धुवा मजदूरों से मुक्त हुए मजदूर अनिरूद्ध को उसके पुराने जमीदार ने इस लिए गोली से उडा दिया क्योंकि उसने दोबारा बन्धुवा बनने से इन्कार कर दिया था।[20]

आगरा में हरिजनों को डॉ0 अम्बेड़कर के जन्म–दिवस पर जुलूस नहीं निकालने दिया गया। उन्होंने जुलूस निकालने का प्रयास किया तो पुलिस ने सवर्णों के आग्रह पर जुलूस पर निर्दयता पूर्वक लाठी बरसाई।

जवान लड़कियों की इज्जत लूटी गयी, फिर उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। अनेक हरिजनों को गोलियों से और कुछ को संगीनों से प्राणान्त कर दिया गया। लेकिन सरकार के मुताबिक सिर्फ आठ व्यक्ति मारे गये।[21]

"स्वयं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के मुताबिक जून 1977 से नवम्बर1977 तक 6 महीनों के बीच जनता पार्टी शासन में विविध प्रकार के 3000 से ऊपर अपराध किये गये। इनमें से 137 बलात्कार के मामले थे। 102 लूटपाट के 1075 शारीरिक हमलों के 85 शोषण के और 1061 अन्य विविध किस्मों की ज्यादतियों के।

पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने विधान सभा में स्वीकार किया कि जून 1977 और फरवरी 1978 के बीच राज्य में 45 हरिजनों की हत्यायें की गयी।[22]

28 मार्च 1978 को राजमंत्री धनिक लाल मण्डल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि कमजोर तबकों हरिजनों जन जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर 10,010 हिसांत्मक घटनाएं हुयी।[23] जो पिछले वर्षों से कहीं अधिक थी।

राजनीतिक शक्ति का दुरूपयोग :

एक और ऐसा ही वायदा जनता पार्टी का था कि उसकी सरकार में कोई भी विशिष्ट व्यक्ति अपनी स्थिति का अनुचित व्यक्तिगत लाभ न उठायेगा। इस सम्बन्ध में उसने अपने वायदों को पूरा नहीं किया। श्री राजनारायण जी जो विशेष रूप से तमाम जोकराना आदतों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण बम्बई हवाई अड्डे पर दिया जब उन्होंने बम्बई के कस्टम अधिकारियों के सामने एक बिना लाइसेंस की रिवाल्वर को गोलियों से खाली किया। कस्टम अधिकारियों के पूँछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह उनके चाचा के लिए दी गयी विदेश की भेंट है।[24] कस्टम अधिकारियों द्वारा

रिवाल्वर प्राप्त कर ली गयी। हो सकता है कि श्री राजनरायण ने प्रेस की दिलचस्पी के लिए यह हरकत की हो परन्तु वह यह भूल गये कि वह केवल पुराने समाजवादी नेता राजनारायण नहीं बल्कि जनता सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और जिनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य राष्ट्र के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

ऐसी ही एक शक्ति के दुरूपयोग के सम्बन्ध में प्रेस एक बार और हरकत में आया जब मोरार जी देसाई के सुपुत्र कान्ति देशाई ने जो कि प्रधानमंत्री का जहाज तेहरान में रूका तो एयर ट्रैफिक के सभी नियमों को तोड़कर तेहरान में उतर गये और वहाँ से यूरोप के लिए प्रस्थान कर गये। नियम है कि कोई भी व्यक्ति जब जहाज से चढ़कर किसी निर्दिष्ट दिशा के लिए प्रस्थान करता है और रास्ते में उसके उतरने का अथवा चढ़ने का कोई प्रावधान नहीं होता। कान्ति देशाई ने ऐसा करके इस नियम का जानबूझकर उल्लघंन किया।[25]

जनता शासन एवं पुलिस विद्रोह :

1979 के बसंत तक यह स्पष्ट हो चुका था कि मोरार जी देशाई राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में अक्षम सिद्ध हुए। इस सम्बन्ध में उस अपनी असक्षमता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उसका सम्बन्ध भारत में पुलिस विद्रोह से था। धर्मवीर की अध्यक्षता में पुलिस बल के सुधार के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को ब्रूटल आयोग और भ्रष्ट बताया था। यह कोई नई खोज नहीं थी। खोज तो यह करनी चाहिए थी कि पुलिए के निचले स्तर पर असन्तोष क्यों रहे जो कि धीरे–धीरे पनप रहा है। आखिरी अप्रैल में एक छोटी सी बात को लेकर बखेड़ा हो गया। उनके साथियों ने संगठित होकर मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किये और सरकार विरोधी नारे लगाये। बात यह थी कि ट्रैफिक कान्स्टेबिल चौराहे पर एक विधायक को सलामी देने से चूक गया था। जिस पर उसे जनता के समक्ष अपमानित किया गया था। दूसरे राज्यों में भी सिपाहियों ने ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत किये।

यह असन्तोष पुलिस से पार्लियामेन्टरी फोर्स सेन्टर रिजर्व पुलिस फोर्स, सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल फोर्स तक फैल गया।

यहां तक कि इसको दबाने के लिए सीमा सुरक्षा बल एवं सेना का प्रयोग करना पड़ा। कई पुलिस स्टेशनों को सेना ने अपने कब्जे में लिया और इसमें करीब 70 लोगों की मृत्यु हुयी। यदि कानून के संरक्षक क़ानून को तोडना प्रारम्भ कर दे तो राष्ट्र में कानून व व्यवस्था को कौन देखेगा। यदि पुलिस के कर्तव्यों का परिपालन सेना को करना पड़े तो प्रजातंत्र कब तक चल सकता है। पुलिस बगावत एवं संसदीय बलों में इस प्रकार की बगावत पहली बार देखी गयी थी। और इन सेवाओं में ट्रेड यूनियन की भावनाओं का प्रारम्भ एक खतरनाक चिन्ह था। किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे इन बलों में असन्तोष कम होता। वरन पंजाब के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय गृहमंत्री ने इसके लिए कम्युनिस्टो को दोषी ठहरा कर अपनी अयोग्यता को छिपाने का प्रयास किया।[26]

पुलिस विद्रोह के तुरन्त बाद भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर अलीगढ़ एवं जमशेदपुर में हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए।[27] रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल का हांथ था। क्योंकि जनसंघ का इस संगठन से सीधा सम्बन्ध था और यह जनता पार्टी का शक्तिशाली घटक था। अतः जनता सरकार दंगो के लिए अपने स्वयं के उत्तरदायित्व से नहीं बच सकी। जनता एक अजीबों गरीब स्थिति में थी। मोरार जी देशाई की सरकार एवं उनकी कैबिनेट से उनका विश्वास घट चुका था। तीसरे विकल्प के रूप में उनके पास कुछ न था। वे बिगड़े हुए अनुशासन एवं अराजकता से बचने के लिए सोचने लगे थे कि इन्दिरा गांधी के अलावा अब शायद कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

इन्दिरा जी की कूटनीतिक चाल :

इन तमाम घटनाक्रम में इन्दिरा जी भी चुप नहीं थी। वह अन्दर ही अन्दर अपनी शक्ति बढ़ा रही थीं। जनता सरकार ने जिस प्रकार तिरस्कृत

किया था वह किसी भी महिला के लिए जो 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह चुकी हो बहुत अपमानजनक था। किन्तु जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद उनके पास केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि किस प्रकार इन्दिरा जी को तिरस्कृत किया जाय और उनके परिवार को अपमानित एवं दण्डित किया जाये। वैसे तो चुनाव हारने के बाद वे राजनीति से अलग हो चुकी थीं किन्तु उनके व उनके लड़के के विरोध में इतने आयोग बैठाये गये कि उनके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था और उनके लिए जीना ही दुर्लभ हो गया। वस्तुतः वह पुनः सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। यहां तक कि वह चिकमंगलूर से जीत कर संसद में आयी तो उन्हें वहां भी बैठने नहीं दिया गया उनके लड़के संजय पर जो जैसे सरकार का कहर ही टूट पड़ा हो। यद्यपि अपनी हार के बाद भी वह राजनीति से सन्यास ले चुका था उनके सामने भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अतः उसने अपनी युवा शक्ति को पुनः संजोया और अपनी माँ के साथ अपनी सम्पूर्ण युवा शक्ति को लेकर कूद पड़ा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे लोक दलीय नेता उनके सबसे करीब आये। राजनारायण ने संजय गांधी के माध्यम से इन्दिरा गांधी से अपने सम्पर्क सूत्र स्थापित किये और चरण सिंह एवं इन्दिरा गांधी के मध्य तक एक आपसी तालमेल स्थापित हुआ। इसके अलावा भी करीब आधा दर्जन लोग एवं चरण सिंह एवं गांधी परिवार के बीच पुनः सम्बन्ध बनाने के प्रयत्न कर रहे थे। उनमें थे मुख्य श्री स्वरूप सिंह जी को जो कि दिल्ली के विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति थे एवं चरण सिंह के रिश्तेदार भी। वे वंशीलाल के भी अच्छे मित्र थे। और देवीलाल की सुधरता से राज्य सभा के सदस्य बन गये थे। दूसरे मुख्य थे श्री ब्रह्मदत्त। यद्यपि इस समय श्री चरण सिंह के विशिष्ट सहयोगी भी रहे। तीसरे थे बी0पी0 मौर्य। उनके दोनों के सम्बन्ध थे और श्री कुलदीप नारंग एवं उनके कार्टूनिष्ठ मित्र राजेन्द्र पुरी जो कि चौधरी साहब को मोरार जी के विरोध में उकसा रहे थे।[28]

इन सभी का प्रयास था कि मोरार जी सरकार को किसी प्रकार गिराना है। राजनारायण तो व्यक्तिगत ईर्ष्या से इतने ओतप्रोत थे उन्होंने इन्दिरा गांधी

से अपनी सभी पुरानी रंजिस को त्याग कर उनके पुत्र से मिलना प्रारम्भ कर दिया। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि रायबरेली के जाइंट किलर कहे जाने वाले को 12 बिलिगेंटन क्रिसेन्ट के बाहर पुरानी मारूति में भूतपूर्व प्रधान का इन्तजार घन्टों करना पड़ा।[29]

श्रीमती गांधी ने भी कूटनीति का परिचय देते हुए चौधरी साहब की दीर्घ आयु की कामना करते हुए फूलों का गुलदस्ता भिजवाया।[30] शायद श्रीमती इन्दिरा गांधी चरण सिंह की महात्वाकांक्षा से पूर्णतया परिचित थी। इसी किसान रैली के दिन जब कि राजनारायण ने जगजीवन राम के पुत्र सुरेशराम की तस्वीरें कामसूत्र के पोज में उनकी प्रेयसी सुषमा चौधरी के साथ बड़े–बड़े पोस्टरों में चिपकवाये। उस दिन मेनका गांधी की सूर्या मैगजीन के कवर पेज पर इन दोनों को आलिंगन करते हुए फोटो छपी। इससे स्पष्ट हो गया कि इस ड्रामें में राजनरायण की क्या भूमिका है। राजनारायण ने यद्यपि यह बात हमेशा दोहरायी कि संजय के साथ उसकी मुलाकात कुछ राजनैतिक नहीं है किन्तु सभी को यह मालूम था कि इससे कुछ अधिक है कि संजय राजनारायण को आर0एस0एस0 विरोधी जिहाद के लिए उन्हें बधाई दे रहे है।[31]

जनता पार्टी में फूट एवं देशाई का त्यागपत्र :

वैसे तो जनता सरकार का जब निर्माण प्रारम्भ हुआ तो उसके भारतीय लोकदल एवं जनसंघ घटकों के बीच एक कूटनीतिज्ञ समझौता हुआ था कि जिससे यह निश्चित हो गया था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं बिहार, उड़ीसा में बी0एल0डी0 के मुख्यमंत्री होगें और जनसंघ राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं हिमांचल प्रदेश में अपने मुख्यमंत्रियों से संतुष्ट था। 32 अन्य प्रदेशों के लिए जनता के दूसरे घटकों के बचे हुए राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए छोड़ दिया गया। वैसे भी बहुगुणा रूस की राजनीति से काफी करीब थे और अपनी चाणक्य नीति के लिए प्रसिद्ध। इधर मोरार जी और चरण सिंह के विरोध ने जब तूल पकड़ा तो राज्यों की राजनीति भी इससे अछूती न रही।

चरण सिंह के प्रभाव वाले तीन राज्यों में सरकारे गिराने का अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं हरियाणा में इनके मुख्यमंत्री हटा दिये गये। जहां जनसंघ घटक राज्यों में जाहिर तौर पर इनका विरोधी रहा। वास्तविकता तो यह थी कि राजनारायण द्वारा जनसंघ पर गहरे कुठाराघात किये गये। और अवैध सदस्यता का बी0एल0डी0 नेताओं द्वारा कड़ा विरोध। ऐसा लगा कि जनसंघ मोरार जी और चौधरी साहब में समझौता कराना चाहता है और अटल जी के प्रयास से समझौता सम्भव भी हुआ किन्तु आगे चल न सका। इधर मधुलिमये जो कि एकता के पक्षधर थे जिन्होंने जनता सरकार के गठन के समय लोहिया को उद्धत करते हुए कहा था।

"Patriotesm and nationalism of jansungh the egalitarian ethos of the socialist party and legacy of the leadership of the freedom struggle of congress would together produce a beautiful blend." 33

वे सभी जनसंघ विरोध अभियान में राजनारायण के साथ सम्मिलित हो गये स्थिति यह थी कि मधुलिमये जनता पार्टी के चुनाव के बाद मास्को भ्रमण के लिए गये थे। वहां से लौटने के बाद उनमें यह आरोप लगाया कि वे रूसी खेल खेल रहे हैं और वह इससे चुपचाप रहने वाले न थे। इधर इनका यह भी विश्वास था कि गैर जनसंघी जनता पार्टी को कभी हथिया न सकेगें क्योंकि उनके पास एक सुदृढ़ संगठित आर0एस0एस0 कैडर है।[34]

प्रारम्भ में राजनारायण एवं चरण सिंह को आर0एस0एस0 के विरूद्ध अभियान में शामिल करने में वे असफल रहे क्योंकि राज्यों की सरकारों के गठन में उनके इनके साथ समझौता था और इस लिए वे अटल बिहारी बाजपेई को जीतने एवं उनको रूस के पक्ष में लाने के प्रयास में लगे रहे और इसके लिए उन्होंने श्रीमती कौल को जो कि उनकी पारिवारिक मित्र थी और उनके साथ रहती थी और एक उद्योगपति घराने का उपयोग करने का प्रयत्न भी किया।[35]

किन्तु ज्यों ही अटल बिहारी बाजपेई की चाइना भ्रमण की घोषणा हुई उनकी वह आशा भी क्षींण हो गयी। इसी समय चरण सिंह एवं मोरार जी का

समझौता हुआ और चरण सिंह को उपप्रधानमंत्री का पद देकर कैबिनेट में वापस ले लिया गया। किन्तु राजनारायण दुबारा मंत्रिमण्डल में नहीं लिये गये। इससे उन्हें गहरा धक्का लगा। इस अवसर का मधुलिमये ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने राजनारायण को आर0एस0एस0 के खिलाफ जिहाद छेड़ने को कहा क्योंकि उनकी इस बेइज्जती का काम जनसंघ ही था। अटल बिहारी बाजपेई ने समझौता कराया था।

अतः लिमये और राजनारायण ने जनता पार्टी के चुनाव के स्थगन की मांग प्रारम्भ कर दी और जनसंघ पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बोगस सदस्यता फार्म भरवाये हैं इधर लिमये ने चरण सिंह एवं एच.एन. बहुगुणा के विरूद्ध खड़ी दीवार को तोड़ना प्रारम्भ कर दिया। लिमये का यह भी विश्वास था कि बहुगुणा के पास काफी मुस्लिम वोट सुरक्षित है। लिमये ने बहुगुणा को यह समझाने में सफलता प्राप्त कर ली कि यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरी शक्ति बनाना चाहता है तो उसे चरण से हाथ मिलाना होगा और तभी यह संगठित शक्ति इन्दिरा गांधी का मुकाबला करने में सफल होगी। हालांकि यही सुझाव 6 माह पूर्व अप्रैल 1978 36 में लिमये द्वारा चरण सिंह को दिया गया था तो उन्होंने इसे मानने से इन्कार कर दिया था। किन्तु आज की राजनीति में जबकि चरण सिंह के मुख्यमंत्री के विरूद्ध जनसंघ षडयंत्र कर रहा था इस सौदे का अन्तिम दौर था वह जब चरण सिंह ने बहुगुणा से कहा।

"I have a son but you know he is not interested in politics after me my following will be yours." 37

जनसंघ के विरूद्ध में पहली युक्ति का क्रियान्वयन उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें हटा दिया गया। किन्तु इसकी प्रतिक्रिया यह हुई की कर्पूरी ठाकुर की सरकार बिहार में गिरी। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री एवं जनता पार्टी अध्यक्ष से पार्टी विरोधी कार्य के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। राजनारायण को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से पार्टी विरोधी कार्य के लिए एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया।

उसी दिन बंगलौर में भी देवराज अर्स से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने इसे एक राजनैतिक कार्यवाही बतलायी और कहा :

"I am for the people by the people and of the people. Nobody can remove me from the people the news is not for me." 38

चरण सिंह जो कि उस समय शिमला में छुट्टियां व्यतीत कर रहे थे, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।[39] उनकी मनः स्थिति डांवाडोल थी वे विचार कर रहे थे कि सरकार से त्यागपत्र देकर पुनः भारतीय लोकदल को जिन्दा किये जाये किन्तु उनकी पत्नी चौधरानी इस विचार की थी। उनका कहना था कि अब काफी हो गया। बड़ी मुश्किल से खोयी हुयी प्रतिष्ठा मिल सकी है। वित्त मंत्री का पद क्यों छोड़ा जाये। अतः 3 जुलाई को उन्होंने राजनारायण से पूर्ण अलग होने की घोषणा की।[40] यहां तक कि देवीदयाल ने भी चरण सिंह से अपने सम्बन्धों को तोड़ने में असमर्थता प्रकट की।[41]

राजनारायण एवं उनके अन्य साथी अब अगले कदम पर विचार कर रहे थे। उनके मित्र बागडी पुराने लोहियावादियों को एकत्र करने में लगे और अन्त में राजनारायण ने जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। अर्स एवं श्रीमती गांधी के मतभेद से कांग्रेस (एस) पुनः फुर्ती में आ चुकी थी। उधर मधुलिमये पहिले ही वामपंथी एकता के प्रयास कर चुके थे। 17 मई दिल्ली में जार्ज फर्नांडीज जुलाई के प्रारम्भ में समाजवादियों का एक अलग सम्मेलन आहुत किया। उधर एच.एन. बहुगुणा को यह उम्मीद थी कि वे पुराने कांग्रेसियों को तोड़ने और नया शक्तिशाली दल निर्माण करने में सफल होगें। क्योंकि समाजवादी विचारों वाले कांग्रेसी उनके साथ आ जायेगें। अतः यशवन्त राव चाह्वाण को अविश्वास प्रस्ताव रखने को राजी किया जाने लगा।[42]

9 जुलाई को चौहाण ने अविश्वास प्रस्ताव रखा।[43] प्रारम्भ में इन्दिरा गांधी तटस्थत रहीं। किन्तु कुछ ही घण्टों बाद स्टीफेन ने दलनीति में परिवर्तन कर चौहाण के प्रस्ताव के समर्थन की घोषणा की।[44] दूसरे दिन जनता पार्टी में दलबदल की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी। कर्पूरी ठाकुर के साथ 9 लोगों ने दल

छोडने की इच्छा प्रकट की और देवीलाल एवं राजनारायण के साथ अपने नेताओं को इसके लिए बाध्य करने लगे। चरण सिंह इस स्थिति का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहे थे किन्तु उनमें अब भी हिचक थी। मौर्या ने जब उन्हें बताया कि श्रीमती गांधी उन्हें सहयोग देना चाहती हैं तो उन्होंने इस पर सहसा विश्वास नहीं किया। किन्तु 10 जुलाई तक जनता पार्टी बहुमत केवल तीन से अवशेष रह गया। मोरार जी देशाई चरण सिंह को लगातार इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से बोलने पर जोर दे रहे थे। किन्तु चौधरी ने टेलीफोन पर उन्हें गर्मी के वार्तालाप में बताया।

"I shall be guided my followers and do want ever they want me to."[45]

11 जुलाई को बाबूजी ने भी सांसदों की एक बैठक अपने यहाँ बुलाई जिसमें 70 लोगों ने भाग लिया यद्यपि प्रेस को यह संख्या 135 बतायी गयी। इसी सायं बहुगुणा के सहयोगी सांसदों ने बाबूजी को यह सलाह दी कि उनके दल को जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए किन्तु बाबू जी इसके लिए सहमत नहीं हुए। बहुगुणा वाक आउट कर चले गये और यहीं से बाबूजी एवं बहुगुणा में अन्तिम अलगाव हुआ। यद्यपि दूसरे दिन बीजू पटनायक एवं बहुगुणा देशाई जी से मिले। किन्तु बात कुछ न बनी। बीजू ने देशाई को विश्वास दिलाया कि वे पार्टी नहीं छोड़ेगे किन्तु देशाई को बहुगुणा को भी यह प्रयास करने चाहिए कि बहुगुणा दल न छोड़े। किन्तु देशाई ने जवाब दिया :–

"He (Bhuguna) is the villion the piece it is all his doing after this business is over will teach him a lesson." 47

बीजू ने नारद मुनि का कार्य करते हुए इससे बहुगुणा को सूचित कर दिया।[48]

उसी रात बहुगुणा, पटनायक एवं मधुलिमये चन्द्रशेषर के निवास में उनसे मिले। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को सुझाव दिया कि पार्टी को केवल तभी बचाया जा सकता है। यदि जनसंघ को इससे निकाल फेंका जाय। किन्तु चन्द्रशेषर ने इस सुझाव को मानने से इंकार कर दिया उनका जवाब था :

"You want me to throw out the people who are sitting quietly and to placate those who are debecting what sort of logic is this? " 49

जहाँ तक चन्द्रशेषर का सम्बन्ध था उन्होंने देशाई को यह स्पष्ट कर दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान वे देशाई के साथ ही रहेगें। 3 जुलाई को संसदीय बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाना था कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दें। फर्नांडीज इस प्रस्ताव को रखेगें एवं राम तथा बाजपेई उसका समर्थन। परन्तु इस प्रस्ताव को भी चन्द्रशेषर ने यह कहकर नकार दिया कि राजनीति में वे भ्नउंद क्महनमजल के लिए हैं। मुरार जी ने यह बात पुनः यह दोहरायी कि अभी तक केवल 47 ने दल बदला है। जनता पार्टी 70 दल बदल तक सत्ता में रह सकती है दो दिन बाद बहुगुणा ने भी त्यागपत्र दे दिया। अखबार में इस बात की खबरे गर्म थी कि बाबूजी कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहे हैं।[50] परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद उन्हें यह विश्वास था कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पश्चात् देशाई प्रधानमंत्री का पद छोड़ेगें।

17 जुलाई का अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने से पूर्व ही 15 जुलाई 1979 को मोरार जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति ने विरोधी दल के नेता यशवन्त राव चाह्वाण को सरकार बनाने के प्रयास हेतु आमंत्रित किय। किन्तु 29 दिनों के प्रयास के बावजूद वे सरकार बनाने में असफल रहे। क्योंकि कोई इन्दिरा कांग्रेस अथवा जनसंघ के सहयोग के बिना सरकार बनाने में असफल था। चाह्वाण ने चरण सिंह से सहायता चाही किन्तु वे मुकुट स्वयं पहनना चाहते थे। अन्ततोगत्वा चौहाण ने अपनी इस सलाह के साथ कि "As a resultof our efforts there has emerged a combination of parties and groups which to my mind would be able to provide a viable and stable government I trust you will consider this new situation and deal with it as you in your wisdom dreem proper." 51 असमर्थता प्रकट कर दी। अब गेंद राष्ट्रपति के कोर्ट में थी। उन्होंने चरण सिंह एवं मुरार जी दोनों को अपनी–अपनी शक्ति दिखाने का अवसर दिया। राजनैतिक क्षितिज एक सट्टा

बाजार की भांति दिखने लगा। कुछ समय तो ऐसा लगा कि शायद राष्ट्रपति या तो पापेट सरकार बनायेगें या किसी को भी आमंत्रित नहीं करेगें। यदि वे किसी को न आमंत्रित करते तो उनके इस कदम से जनता द्वारा स्वागत किया जाता। इसी समय मोरार जी ने सूची भेजी उसमें कुछ वोगस नाम थे। जिसको उन्होंने अपना नैतिक दायित्व समझा और पार्टी के नेतृत्व से भी त्याग पत्र दे दिया। इधर राजनारायण लगातार इन्दिरा जी एवं संजय से सम्पर्क स्थापित किये हुए थे। अन्त में चौधरी साहब को उनका बिना शर्त समर्थन प्राप्त हुआ और 26 जुलाई को सायं 4.30 बजे उन्हें सरकार बनाने को आमंत्रित किया गया। उनकी सरकार में कांग्रेस एस0 के लोग भी सम्मिलित किये गये।

1980 का मध्यावधि चुनाव :

जनवरी 1980 के प्रथम सप्ताह में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने प्रारम्भ हो गये। चुनाव परिणाम देख कर विरोधी स्तब्ध रह गये। जन संघी घटक की भारी हार हुयी। 1966 के चुनाव में दिल्ली के 6 स्थानों में उसने 5 पर अधिकार कर लिया था। परन्तु अब श्री अटल बिहारी बाजपेयी छोड़ सभी स्थान गवां दिये थे। म0 प्र0 और उ0 प्र0 तथा राजस्थान में करारी पराजय हुई। देश के किसानों के नेता होनें का चौधरी चरण सिंह जी का भ्रम भी टूट गया। कांग्रेस (इ) दो तिहाई बहुमत से विजयी हुयी। 525 स्थानों में से उसनें 351 स्थान प्राप्त किये जब कि लोक दल 41 स्थान, जनता पार्टी 31 स्थान और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी 35 स्थान प्राप्त कर सकी। कांग्रेस अर्सको 13 और लोकदल समर्थक सी0 पी0 आई को केवल 11 स्थान लेकर ही संन्तोष करना पड़ा। 90 सी0 पी0 आई0 ने लोकदल का समर्थन किसी सैद्धान्तिक आधार पर नही किया था। वे समझती थी कि यदि लोक दल सत्ता में आता है। तो वह सी0 पी0 आई0 के समर्थक के बिना सत्ता को नही सभाल पायेगा। यदि हार जाता है। तो वे किसान मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसके साथ मैदान में उतरेगा। परन्तु देश के बड़े जमींदारों का नेतृत्व करनें वालें चौधरी चरण सिंह छोटे किसानों खेतिहर मजदूरों और शोषितों के हितों

के लिए संघर्ष में उनके साथ कैसे चल सकते थे। नीति निर्धारण को लेकर भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी में कुछ दरार उत्पन्न हुई भारत में कम्यूनिस्ट आन्दोलन के सदस्यों में से एक श्रीपाद अमृत डांगे भा0 क0 पार्टी द्वारा लोकदल के समर्थन से प्रसन्न नही थे। वे श्रीमती गांधी के समर्थन के पक्ष में थे। श्रीमती गांधी जब चिकमंगलूर से विजयी हुई तो का0 एस0 डांगे ने उन्हें बधाई संदेश भेजा।नवम्बर 1979 में जब श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा कांग्रेस (इ) में सम्मलित हुए जब उन्होनें बधाई तार भेज कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। का0 डांगे इस व्यवहार की भा0 क0प0 में अच्छी प्रतिक्रिया नही हुई। पार्टी के शीर्षथ नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की। का0 डांगे अपनी इस आलोचना से क्रुद्ध हुए। और उन्हे पार्टी के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र भेज दिया। कुछ समय पश्चात उनका त्याग पत्र स्वीकृत कर लिया गया। परन्तु भा0 क0 पार्टी की राष्ट्रीय परिसर के सदस्य बने रहें और श्रीमती गांधी के सम्बन्ध में बनी अपनी विचार धारा को देश में प्रचलित करते रहे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी विघटित हो गयी। कांग्रेस डांगें समर्थकों ने अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नाम से नया गठन कर लिया। इसका प्रथम सम्मेलन 14 मार्च 1981 को मेरठ में हुआ। इस सम्मेलन में बोलते हुए का0 डांगे ने कहा कि मैं श्रीमती गांधी का अन्धानुयायी नही हूँ। परन्तु भ0 क0 पार्टी के इस विचार से कि वे देश की शत्रु है सहमत नही हूँ। उन्होनें भा0क0 पार्टी पर प्रतिक्रिया वादियों के साथ सहयोग करनें का आरोप लगाया, इसके पश्चात भा0 क0 पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने 13 अप्रैल 1981 को अपनी बैठक में निर्णय करके का0 डांगे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया।

10 जनवरी 1980 को संसद के केन्द्रीय पक्ष में कांग्रेस (इ) की संसदीय दल की बैठक में हर्षोल्लास के साथ श्रीमती गांधी को सर्वसम्मति से दल का नेता चुना गया। और उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास व्यक्त किया श्रीमती गांधी नेता चुनें जानें की सूचना श्री भीष्म नरायण सिंह ने राष्ट्रपति को दी और उन्होनें श्रीमती गांधी को नई सरकार बनानें के लिए आमंत्रित किया। 34 महीनें

बाद 14 जनवरी को अपनीं 22 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फिर देश का शासन भार सम्हाला। राष्ट्रपति भवन में मंत्रिपरिषद के इन 22 सदस्यों को राष्ट्रपति ने गोपनियता की शपथ दिलायी इसमें 15 मंत्री कैबिनेट स्तर तथा 7 मंत्री राज्य स्तर के थे। 21 जनवरी 1980 को 11 बजे सातवीं लोक सभा का सत्र आरम्भ हुआ। इसकी विशेषता यह रही कि जहाँ श्री मती गाँधी सहित लोक सभा के 6 सदस्यों ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की वहीं 5 सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की।

सत्ता सम्भालनें के पश्चात श्री मती गांधी राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि वे देश को आत्म निर्भर, शक्तिशाली और आत्म विश्वासी बनाना चाहती है। और निश्चय ही यह किसी अकेले व्यक्ति का काम नही है। इस देश के सभी वर्गो के लोंगो का सहयोग अपेक्षित है। उन्होनें कहा कि लोक तंत्र बहुमत के लिए नही है। वह देश के सभी लोगों के लिए है। देश का विकास सभी सहयोग से और मंत्री भाव से सम्भव है। हमनें जो जनता से वायदे किये है। निश्चित रुप से हम उन्हें पूरा करेंगें।[92]

1980 के इस चुनाव ने निर्विवाद रुप से सिद्ध कर दिया कि श्रीमती गांधी देश की सर्वसम्मति नेता है। यह भी सिद्ध हुआ कि कांग्रेस (इ) ही असली कांग्रेस है। कांग्रेस (इ) की विजय पर स्वयं श्री देवराज अर्स ने कहा था अब यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया है कि इन्दिरा जी की असली कांग्रेस है।

आर0एस0एस0 के सर संघ चालक श्री बाला जी देवरस नें इस बात को स्वीकार किया कि इन्दिरा जी की सरकार ही देश को दृढ़ता और स्थयित्व प्रदान कर सकती है। उन्होनें कहा लोगों ने अपना वोट केन्द्र में मजबूत सरकार और स्थयित्व के लिए दिया है।

भारत में ही नही विश्व में श्रीमती गांधी ने गुटनिरपेक्ष नीति और विश्व में तनाव शैथिल्य तथा शान्ति की दिशा में किये गये अपनें प्रयत्नों के कारण श्रेय प्राप्त किया। उनकी विजय पर सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव अपनें बधाई संदेश में उन्हे प्रमुख राजनैतिक एवं राजनेता बताया। सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख

पत्र प्रावदा ने भारत में कांग्रेस (इ) की विजय को श्रीमती गांधी के व्यक्तिगत और सूझबूझ का परिणाम बताया। जर्मन दैनिक पत्र वेडिसन जी तुंग ने लिखा कि श्रीमती गांधी ने जिस तरह पुनः सत्ता प्राप्त की उसकी मिसाल नही मिलती। न्यूर्याक टाइम्स नें लिखा कि श्रीमती गांधी भारत की दृढ़तम नेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्रीमती गांधी की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की और आशा व्यक्त की गयी उनके नेतृत्व में भारत में स्थायी और सुदृढ़ सरकार बन सकेगी। सभी समाजवादी देंशों के राजनायकों ने संयुक्त राष्ट्र भवन में भारतीय राजनायकों से भेंट कर श्रीमती गांधी की विजय पर प्रसन्नता प्रकट की।

श्रीमती गांधी नें अपनी आशातीत विजय के पश्चात कहा कि हमें अब गम्भीरता से विचार कर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्र के विकास के लिए सह असतित्व की भावना बड़ी आवश्यक है। हमें जन कल्याण के लिए बड़ा परिश्रम करना होगा। उन्होनें बड़ी उदारता से कहा कि जनता शासन में अपनें साथ हुए दुर्व्यव्यवहार को ध्यान में रख कर वे बदले की भावना से काम करने के बिल्कुल पक्ष में नही हूँ। बल्कि देश की प्रगति के लिए वह सभी को साथ लेकर चलना चाहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नीति में सुधार :

21 जनवरी 1980 को नई दिल्ली औद्योगिक विकास संगठन का तीसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव को अध्यक्ष चुना गया। इस सम्मेलन मे भारत का अध्यक्ष चुना जाना उसकी विश्व में बढ़ रही प्रतिष्ठा का दयोतक था। अध्यक्ष श्री राव के बेल्जियम के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया और टूनीसिया के प्रतिनिधि ने अनुमोदन किया। इस सम्मेलन के अवसर में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने स्पष्ट किया कि वे बड़े देश विकासशील देशों को सहायता देकर उनके साथ कोई उपकार नही कर रहे है। सदियों से उनके साथ अन्याय व शोषण किया गया। श्रीमती गांधी ने विकासशील देशों के औद्योगिक विकास को ऐतिहासिक प्रतिक्रिया बताया और

कहा कि इससे विश्व में समानता शान्ति और सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न होगी।

सोवियत संघ और भारत को पक्का यकीन है कि मनुष्य जाति का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य शान्ति को मजबूत बनाना और नये विश्व युद्ध की रोकथाम करना हैं। वे इस महान लक्षय की प्राप्ति के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से काम करेंगें। 93 निश्चित रुप से भारत सोवियत मैत्री विश्वशान्ति और विकास के लिए आपसी सहयोग पर आधारित है। रुस के साथ इन मैत्री सम्बन्धों की दृढ़ नीव का श्रेय स्व0 पं. जवाहर लाल नेहरु की है। 9 दिसम्बर 1980 को दिल्ली के नागरिकों की ओर से विज्ञान भवन में श्री ब्रेझनेव को दिये गये मान पत्र में कहा गया कि दोनो देशों ने हमेशा ही विश्व शान्ति का तथा राष्ट्रों के बीच और अधिक सहयोग का समर्थन किया है हमारी मित्रता किसी अन्य देश के विरुद्ध लक्षित नही है। और वास्तव में इसे शान्ति पूर्ण शह अस्तित्व का एक आदर्श माना जा सकता है।

श्रीमती गांधी ने ब्रेझनेव के स्वागत समारोह में कहा कि सोवियत संघ ने गतवर्षो में हमारी समस्याओं के प्रति जो समझदारी दिखाई है। हम उसकी सराहना करते हैं। अपनी ओर से हम सोवियत संघ की चिन्ताओं को भी समझते हैं। भारत सोवियत संघ मैत्री का लक्ष्य किसी अन्य देश के विरूद्ध संगठित नहीं है। यह भारत और सोवियत संघ दोनों के लिए ही समान रूप से महत्वपूर्ण है।94

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः भारत एवं रूस की मित्रता में प्रगाढ़ता आयी।

भारत एवं चीन सम्बन्धों में सुधार :

श्रीमती गांधी इस तथ्य को भली भांति समझती थी कि किसी देश की शान्ति और सुख के पडोसी देशों से मधुर सम्बन्ध आवश्यक है, इसलिए श्रीमती गांधी ने भारत यात्रा पर आये चीन के विदेश मंत्री श्री हुआंग का पुरानी कटुता

को भूलकर ह्दय से स्वागत किया। चीनी विदेश मंत्री श्री हुआंग ने यह यात्रा जून 1981 के अन्तिम सप्ताह में की थी।

दो दशकों से भी अधिक समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर सुखद वातावरण में श्रीमती गांधी और हुआंग में 65 मिनट बातचीत हुयी और दोनों नेताओं की ओर से आशा व्यक्त की गयी कि इस विवाद का हल आपसी बातचीत से शीघ्र ही खोज लिया जायेगा। श्री हुआंग ने अपने प्रधानमंत्री की ओर से चीन आने का निमंत्रण श्रीमती गांधी को दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

इस भेंट के मध्य दोनों देश इस बात पर सहमत हो गये कि सभी क्षेत्रों में दोनों देशों में सहयोग होना चाहिए। चीनी विदेशमंत्री श्री हुआंग की ओर से यह भी कहा गया कि भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए तिब्बत स्थित कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थानों की यात्रा का अस्थाई प्रबन्ध तुरन्त कर दिया जायेगा।

कांग्रेस अधिवेशन :

जनवरी 1980 में हुयी कांग्रेस की विजय के पश्चात् 6 दिसम्बर 1980 के तालकटोरा उद्यान के विशाल कक्ष में प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन और समापन कांग्रेस (इ) की अध्यक्ष और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। अधिवेशन में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने विशेषकर इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस के सदस्यों को पिछले चुनाव के समय किये गये संकल्पों को पूरा करने के लिए समर्पित भावना से जुट जाना चाहिए। अधिवेशन के प्रस्ताओं और उनके समर्थन में सदस्यों ने अपने विचार रखे। उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अनतुले तथा विदेश मंत्री नरसिंह राव का स्वर अधिक प्रभावी रहा। श्री अन्तुले रहमान ने भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर जोर दिया। कुछ सदस्यों ने यह भी चर्चा की कि आपात काल में ही देश का समुचित विकास सम्भव हुआ है।

संजय गांधी का देहान्त :

इसी समय प्यारा पुत्र संजय गांधी भी विमान दुर्घटना की भेंट हो गया। परन्तु श्रीमती गांधी ने हृदय को पत्थर बना लिया था। वे जानती थी कि समस्याओं से घिरे अपने देश को जिसमें अभी लाखों के लिए घर बनवाने थे, लाखों के लिए वस्त्रों का प्रबन्ध करना था और लाखों के लिए रोटी जुटानी थी। यही सब सोच कर उनके आंसू वहीं सूख गये। उन्होंने राष्ट्र को सदैव सर्वोपरि माना इसलिए अपनी व्यक्तिगत पीड़ाओं को उन्होंने राष्ट्र की पीड़ाओं में विलीन कर दिया।

अभी श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने पुत्र शोक से उभर भी न पायी थी कि राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने के प्रयास प्रारम्भ हो गये। इन प्रयासों को आग देने का कार्य बौखलायी अमरीका एवं पाकिस्तानें की सरकारें कर रही थीं। पाकिस्तान बंगला देश का बदला लेने के लिए कब से छटपटा रहा था। एशियाड एण्ड नाम के आयोजन से भारत राष्ट्र ने जो स्थिति बनायी थी उससे अमरीका को भी यह भय था कि भारत तीसरी शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। जो अमरीका की स्वयं के कूटनीतिज्ञ दांव पेचों के लिए एक गहरा धक्का है। और इस बात की चिन्ता हो गयी कि यदि इस महादेश को कमजोर नहीं किया गया तो एशिया एवं योरोप से अमरीका का वर्चस्व समाप्त हो जायेगा।

इधर पंजाब में उग्रवादियों का नंगानाच प्रारम्भ हुआ। वे अलग सिक्ख राज़ की मांग को लेकर निर्दोष हिन्दुओं की हत्याओं पर उतर आये थे। इसका अक्टूबर 1983 में जालंधर में एक बस से उतार कर ग्यारह हिन्दुओं की हत्या से प्रारम्भ हुआ। और फिर इसकी कई बार पुनरावृत्ति की गयी। 03 जून 1984 को जब भारत को विभाजित करने के सपने को साकार करने में कुछ धर्मान्ध सिख नेता लगे हुए थे। उसी समय भी पाकिस्तान ने भी निहंगों के वेष में अपने सैनिक सीमा पर खड़े कर दिये। योजना यहां तक बन गयी कि यह निश्चित किया गया एक निश्चित तारीख को सारे पंजाब के गुरुद्वारों से आतंकवादी निकलेगें लगभग 8000 व्यक्तियों की हत्या की योजना बना ली

गयी। इस प्रकार कत्लेआम करते हुए सारे पंजाब में विद्रोह कर सेना को असहाय बना दिया जायेगा। इसके तत्काल बाद ही पाक सेना पर खड़े निहंगे वेषधारी पाक सैनिक जिनकी संख्या करीब तीस चालीस हजार के करोब होगी पूरे पंजाब में फैल जायेगें और खालिस्तान राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी जायेगी। खालिस्तान की घोषणा के साथ पाकिस्तान उसे मान्यता देगा और तुरन्त बाद अमरीकी सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह राष्ट्रीय अखण्डता के लिए इस बीमारी का तुरन्त इलाज करती। ब्लू स्टार आपरेशन के द्वारा स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता को बनाये रखते हुए उसे आतंकवादियों से मुक्त करा लिया गया। यहां बहुत तादाद में देशी और विदेशी हथियारों के साथ–साथ बहुत सी लाशें एवं अस्थिपंजर भी बरामद हुए। 2 जून से 6 जून 1984 तक चलने वाले इस आपरेशन के पश्चात् श्रीमती गांधी ने पुनः घोषणा की कि वे सिख सम्प्रदाय के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। किन्तु इसके लिए किन्हीं भी परिस्थिति में राष्ट्रीय विघटन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्वर्ण मन्दिर तथा इसके अहाते के भीतर छिपे हुए आतंकवादियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था।[96]

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पंजाब में की गयी सैनिक कार्यवाही से राष्ट्रहित चिंतक और शान्ति प्रेमी जनता में जहां राहत की सांस ली वहां कुछ राजनीति के खिलाड़ियों ने इसे अपने स्वार्थ साधन का उपकरण बनाया। कितना अच्छा होता यदि ये राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अखण्डता एवं उसके हित को ध्यान में रखते हुए जनता को सच्चाई से परिचित कराते और उग्रवादियों की उनके अगले कदम उठाने में हतोत्साहित करते। विरोधियों के इस रूख से उग्रवादियों को और बल मिला और वे बहुत ही खतरनाक योजना बनाने में लग गये। इसी के तहत 31 अक्टूबर 1984 को 9 बजकर 15 मिनट पर देश की प्रधानमंत्री की दो सिख युवकों जो स्वयं प्रधानमंत्री के अंगरक्षक थे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी। शायद श्रीमती गांधी को पहले ही आभास हो

गया था या उनकी कल्पना थी कि देश अपनी अखण्डता के लिए उनका बलिदान चाहती है। इसलिए बलिदान की पूर्व संध्या में उड़ीसा की एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि – अगर राष्ट्र की सेवा करते मर भी जाती हूं तो भी मुझे इस बात पर गर्व होगा मुझे विश्वास है कि मेरे रक्त की हर एक बूंद इस राष्ट्र के विकास में योगदान देगी।

अध्याय - सप्तम्

श्रीमती गाँधी का भारतीय राजनीति में योगदान

लोकतंत्र :

मै लोकतंत्र को न केवल विधायकों और प्रेस की स्वतंत्रता बल्कि अवसर की समानता मानती हूं जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव हो सके और भावी समाज के विकास में नागरिक का अधिक निकट से सम्बन्ध हो सके। यह लोकतंत्रीय शासन का कर्तव्य है कि वह सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रगति में इस प्रकार भाग लेने के रास्ते की सभी रूकावटों को दूर करें। जो महान राष्ट्रीय कार्य हमारे सामने है। वह हमारे लिए एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली तैयार करना आवश्यक बना देता है। जिसमें उचित संतुलन रखा जाय। जिसमें स्वतंत्रता भी बनी रहे और सामाजिक अनुशासन और आर्थिक प्रगति के उच्च स्तर भी कायम किये जा सकें।[1]

लोकतंत्र का मुख्य आधार जनता को माना लोकतंत्र में जनता शक्ति का श्रोत है। और राष्ट्र की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में जनता के हित सर्वोपरि है। जनता की यह आशा स्वाभाविक ही है कि जनता द्वारा चुनी गयी सरकार को जनहित का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमती गांधी ने भारतीय लोकतंत्र में स्वावलम्बन, उत्तरदायित्व, तथा आत्म निर्भरता के गुणों का विकास करने के लिए अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है :—

"हम इस देश में कम्युनिज्म नहीं चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि कम्युनिज्म से बचाने का एक तरीका है। और वह यह है कि यहां का लोकतंत्र मजबूत हो। यहाँ की जनता हमारे लोकतंत्र के जो मूल आदर्श हैं, उनको समझे और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। तब हम बाहर के इन प्रभावों से हम हमेशा बचे रहेगें। किसी दूसरे देश की सहायता से कोई बन नहीं सकता। अपनी ताकत से अपने कार्य से अपनी मजबूत विचारधारा से, अपने दृढ़ निश्चय से एवं दृढ़ संकल्प से ही कोई देश और कोई समाज शक्तिशाली बन सकता है।[2]

भारत में इन्दिरा गांधी ने जनता को लोकतंत्र के प्रति जागरूक किया। उत्कृष्ट समझी जाने वाली प्रजातंत्र प्रणाली को सफल बनाने के लिए नागरिकों में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है, लोकतंत्र की सफलता की पहली

शर्त जनता में अपने कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों की रक्षा के लिए सतत् जागरूकता की आदर्श नागरिक भावना उत्पन्न करना है। व्यवहार तथा वास्तविकता में जनतंत्र की प्रत्येक देश में अपनी अलग ही व्याख्या होती है। भारत ने अपने प्रारम्भ के धार्मिक विचारों में भी समय के अनुसार परिवर्तन किया और नये–नये विचारों मान्यताओं तथा व्यवस्थाओं को मान्य किया, लोकतंत्र के मूलभूत विचार में भी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकतानुरूप बदलाव आना स्वाभाविक ही था। भारतीय जनतंत्र में श्रीमती गांधी ने वैचारिक आन्दोलन, को जन्म दिया। जनतंत्र के सम्बन्ध में उनका चिन्तन सर्वदा यथार्थवादी है।

लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा :

लोकतंत्र का आधार प्रतिनिधि संस्थाएं होती है। जनता आपसी इच्छा को व्यक्त करके यह निर्णय करती है कि उनके प्रतिनिधि कौन होगें। लोग सरकार को चुनते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ताकि वे अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकें। लोकतंत्रीय पद्धति का सार यह है कि इसके अन्तर्गत लोग राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक प्रतिक्रियाओं में बराबर भाग लेते हैं और ऐसी प्रतिनिधि सरकारों और संगठनों के अस्तित्व से लोगों को इस प्रकार भागीदारी का अवसर मिलता है। यह उत्तरदायित्व सरकार का होता है कि वह मुक्त प्रेस, निर्वाध अभिव्यक्ति और निर्वाध संगठन आदि की सुविधा दे।[3]

समाजवाद :

समाजवाद की अवधारणा श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में वे सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहीं कि भारतीय राजनीति में समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रवेश है। भारत की आर्थिक नीति समाजवाद पर ही आधारित हो, भारतीय प्रजातंत्र को सुस्थिर एवं सुदृढ़ बनाने में समाजवाद सहायक सिद्ध हो।

इन्दिरा जी का समाजवाद :

श्रीमती इन्दिरा गांधी पण्डित नेहरू की भांति सिद्धान्तवादी नहीं थी। उनका समाजवाद, उनके द्वारा साम्यवाद के अध्ययन तथा प्रशासन में नेहरू के समाजवाद के प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुभवों की उपज था। उनके हृदय में साम्यवाद के सिद्धान्तों के प्रति कोई भावनात्मक अथवा बौद्धिक मोह न था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इन्दिरा जी ने ही केरल की साम्यवादी सरकार को विफल कराकर साम्यवादी चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया था। उनकी दृष्टि में समाजवाद भारत की समस्याओं का सर्वमान्य हल था। उनकी दृष्टि में समाजवाद साम्यवाद तथा उदारवाद को अपने में समाहित किये हुए है। इसलिए वे समाजवाद को ही भारत की परम्पराओं, आवश्यकताओं के हल के लिए सर्वमान्य व्यवस्था मानती थी। उन्होंने समाजवाद का निर्धनता के अभिशाप से मुक्ति का एक मात्र उपाय माना था।

समाजवाद की परिभाषा :

इन्दिरा गांधी की समाजवाद की धारणा पंडित नेहरू के समाजवाद से भिन्न थी। उन्होंने समाजवाद की परिभाषा देते हुए कहा है :-

"A simple definition of socialism is that poverty should be eradicated disparities between the rich and the poor should be reduced the backward people should have equal opportunities to make progress and there should be equal distribution of National Resources. " 14\4

"It means that the state take upon it self the Responsibility for wiping out poverty for inuitaiting steps which will increase production for mordernising our economy by establishing key modern industries for enforcing social purpose in all economics activities for reducing disparities and setting right the hisloric in equalities between different

regions and particularfor checking and preventing the growth of monopoly." 15\5

इन्दिरागांधी के समाजवादी कार्य :

इन्दिरा गांधी ने भारत के जन साधारण के जीवन को विकसित तथा अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपने पिता द्वारा चिरपोषित समाजवादी मान्यताओं को क्रियात्मक रूप देने के लिए एक कांटों भरा मार्ग अपनाया। उन्होंने आर्थिक योजना के उद्देश्यों स्वरूप तथा दृष्टिकोण के विषय में कहा कि योजना अच्छी है या बुरी, यह बहस व्यर्थ है। जनता योजना के परिणामों का आंकलन करेगी, उसके उद्देश्यों का नहीं। उन्होंने सत्ता में आते ही यह अनुभव किया कि योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित आर्थिक योजनाओं पर जिस तरह अमल किया गया है, उससे न तो राष्ट्रीय आय में आपेक्षित बृद्धि हुई है और न ही गरीबी ही कम हुई है। उसके स्थान पर विषमता और बढ़ी तथा जनता में योजना के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुयी है। श्रीमती गांधी ने रोग की नब्ज को पकड़ा तथा अर्थशास्त्र के आधुनिक मुहावरों में बात करने वाले बुद्धिजीवियों पर सीधी चोट की। समाजवादी एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी समाजवादी धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा :–

"She said she believed in socialism but not in a dogmatic way. She believed that all forms at explatation must end .This undoubtedly hadto be achieved throught socialism for a large number of people are economically stronger elements ride roughshod over them she added I believe in the people add to a better life not materiallut also mentally and speritually I have been lucky to have a rich life of the mind and it hearts me see people steeped in such poverty that they are rendered in capable of appreciating culture and the a I would like condition to be ereated

where all the people would be able to enjoy and appreciate these finer values of life." 18\6

इन्दिरा जी ने एक राजनेता के रूप में सर्वप्रथम यह अनुभव किया कि भारत के करोड़ो लोगों को राजनीतिक आजादी से समृद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक स्वधीनता को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का रूप देने का प्रयास किया उन्होंने अपनी आर्थिक योजना सम्बन्धी उद्देश्यों और धारणाओं को स्पष्ट करते हुए कहा – भारत न तो पश्चिमी देशों जैसा पूंजीवादी दृष्टिकोंण अपनाने को कायल है। न ही वे साम्यवादी व्यवस्था को आदर्श मानता है। यह कहना गलत है कि सोवियत रूस में एक नई सभ्यता पैदा हुई है। दरअसल वह नयी सभ्यता नहीं , नयी पद्धति कायम हुई है।[19]

धर्मनिरपेक्षता :

धर्मनिरपेक्षता से हमारा तात्पर्य है कि अच्छा और बुरा उचित और अनुचित का निर्धारण जब राज्य के द्वारा जन साधारण की उन्नति के लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य जनता का कल्याण तथा विकास है, यह किसी धर्म, विश्वास, मत अथवा सिद्धान्त से प्रेरित नहीं होता है। राज्य की सम्पदा का विनियोग किसी एक वर्ग, जाति, सम्प्रदाय, तथा धर्म के लिए न किया जावे।

धर्म निरपेक्षता की परिभाषा :

डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णनन ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा देते हुए लिखा है :–

"Secularism here does not mean in religion or atheism or even stress on material comforts it proclaims that it lays stress on the universality of spritual values which be attained in variety of ways." 22\8

श्री डी0ई0 स्मिथ ने भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद की व्याख्या करते हुए लिखा है :–

"Indian secularlism laid down three essential prerequisitites of a secular state it quarantees individual and corporate freedom of religion it deal with the individual as a irresspective of his religion and it is not constitutionally connected to a particulars religion nor does it seek either to promate of interfare with relations."23\9

धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ :

श्री एम0एन0 राय भारतीय धर्मनिरपेक्षात्मवाद के सबसे बडे आलोचक थे उन्होंने तीन दृष्टिकोंण से धर्मनिरपेक्षतावाद की आलोचना की है।

प्रथम – भारत संस्कृति की आध्यात्मिक अवधारणा के अनुसार धर्मनिरपेक्षवाद की धारणा : विचारः ही अनुउपयुक्त तथा अव्यवहारिक है। उन्होंने अपनी बात की स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखा है :–

"The entire life of a Hindu from birth to death is a ritual Hinduism has no church because the whole Hindu society is life the church a vast prayer house therefore secularism in the political sense sepration of the state form the church has no meaning in India the state can not be separated form society ....secularism in culture is the pre-condition for secular politics. " 24\10

द्वितीय– शासकों ने भारतीय जनता की धर्म के प्रति कमजोरी को जान लिया था, इसीलिए वे अपनी राजनैतिक उद्देश्यों के लिये जनता का शोषण किया करते थे। भारतीय जन इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि धर्म के बिना, समाज की स्थापना हो सकती है। इस कारण भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है।

तृतीय – भारतीय समाज कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय समाज का ताना–बाना ही असमानता पर आधारित है।

जाति प्रथा से ग्रसित पिछड़ा हुआ समाज कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है।

श्रीमती गांधी का धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृढ़ विश्वास था। उनकी राजनीति के प्रमुख तीन सिद्धान्तों में से यह एक है। यह विचारधारा उन्हें गांधी तथा नेहरू से विरासत में मिली थी। इन्दिरा गांधी का धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा अपने पिता पं० जवाहर लाल नेहरू से मिली थी। इस शिक्षा का प्रारम्भ उन पत्रों से हुआ था, जो पंडित नेहरू कारागार से इन्दिरा को लिखे थे पं० नेहरू ने अपने एक पत्र में इन्दिरा जी को लिखा था :–

"As you grow up you will meet all kinds of people religious people anti religious people and people who do not care either way you will meet very fine and noble people who are religious and knaves and seaundvels who under the cloak of religion rub defraud other. " 25/11

प्रधानमंत्री पद पाने के दिन से ही इन्दिरा गांधी में मन की यह उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि भारत वर्ष में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना की जावे। प्रधानमंत्री पद पाने के पश्चात् जनवरी 26, 1966 को उन्होंने अपने प्रथम अकाशवाणी भाषण में कहा था :–

"She pledged her self a new to the ideals of the builders of the nation to democracy and secularism to planned economic and social advance to peace and friendship among nations." 26/12

श्रीमती गांधी प्रशासन तथा राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देती थीं। उनकी धर्म निरपेक्ष भावना के मूलभूत तत्व निम्न प्रकार है।

1. भारतीय संविधान में सभी धर्मों की समानता का सिद्धान्त निहित है।
2. भारतीय दर्शन सभी धर्मों की मूलभूत एकता पर जोर देता है।
3. प्रजातंत्र से बहुमत समुदाय का अल्पमत समुदाय के प्रति एक विशिष्ट उत्तरदायित्व होता है। श्रीमती गांधी का कथन है :–

"The protection of the right of minorities can be ensured only when the majority it self is convinced that its well be being and progress is linked with a sense of security amongest the monitory communities ." 27/13

4. धर्म केवल एक सिद्धान्त या कल्पना नहीं है, वरन् भारत के भविष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

5. केवल एक प्रबल जनमत ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त (दर्शन) को दृढ़ता से फैला सकता है।

6. धर्म कभी भी राष्ट्रीयता को जन्म देने का कारण नहीं बनता है। इस बात को बंगलादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया है, कि एक ही धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति भी दो राष्ट्रों में विभाजित हो जाते हैं।

सारतः श्रीमती गांधी के अनुसार प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है, उनका कथन है :

"Secularism is an indispensable feature of indian democracy. We are regarded any encouragement to religious fanalicism as an intorerable different to democracy. " 28/14

वैज्ञानिक एवं आर्थिक उपलब्धियां :

किसी भी राष्ट्र में आर्थिक प्रगति एक सतत चलती रहनें वाली प्रक्रिया है। भारत वर्ष में जो कई दशकों तक दासता की बेड़ियों में जकड़ा रहा था। जो शताब्दी से विदेशों पर आश्रित रहा था। जहाँ वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी उन्नत अपनी निम्नतम सीमा पर थी जहाँ पूँजी निर्माण जीवन स्तर तथा राष्ट्रीय आय बहुत ही कम थी बेकारी निर्धनता तथा अशिक्षा जहाँ की प्रमुख विशेषताएँ थीं ऐसे देश का आर्थिक विकास करना कोई सरल कार्य नही है। आर्थिक विकास के लिए धन चाहिए यातायात के साधनों का विकास सड़कों तथा रेलों का विकास एवं विस्तार जिससे वे विकास के कार्यक्रमों के भार को

सहन कर सके। इस प्रकार भारत के सर्वतोमुखी आर्थिक विकास के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी।

स्वतंत्र भारत के आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा था।

"I may put one accept of the case before the house. I think that the progress to technology and of science is so enormous and so rapid that with in a fairly short space of time let us say 15 years the whole conception of modern industry will have changed completely new sources of power will be discovered and those sources power will upset the method of production that exists to day much more so than the industrial revolution did 150 years ago in england and in the rest of Europe. all these enormous changes are going to take place and I find that many of us whether we call our selves socialist communists or capitalist as by any other name or singularly unaware of the big changes that or taking please." 51/15

इन्दिरा जी के पूर्व आर्थिक नीति :

पं. जवाहर लाल नेहरु तथा लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रि काल में अनेक विकसित देशों से सहायता प्राप्त कर चुका था। पंडित नेहरु के समय में भारत ने सबसे अधिक आर्थिक सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली थी। सोवियत संघ की आर्थिक सहायता अमरीकी सहायता के पश्चात प्रारम्भ हुई थी। राष्ट्रपति आइजन हावर, राष्ट्रपति कैनेडी, राष्ट्रपति जानसन एवं राष्ट्रपति निवसन के समय में कई अमरीकी सेनेटरों ने भारत की आर्थिक उन्नति की प्रशंसा की थी। तत्कालीन अमरीकी राजदूत चेस्टर वाउल्स ने यह अपना निश्चित मत व्यक्त किया था। कि भारत जैसे देश के लिए ऋण या सहायता देना विकासशील देशों के विकास के प्रति सबसे बड़ा कदम है। श्री चेस्टर वाइल्स भारत को विकासशील देशों में एक प्रमुख राष्ट्र मानते थे।

भारत को राजनैतिक स्वतंत्रता मिल जानें का अर्थ यह नही थाकि भारत के अर्थतंत्र का औपिनिवेशक स्वरुप समाप्त हो गया है। देश में ब्रिटिश पूँजी अब भी अड्डा जमाये हुयी थी। चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध युद्धों ने भारतीय अर्थतंत्र के सन्तुलन को बिगाड़ दिया। उसके परिणाम स्वरुप देश में उत्पादक वस्तुओं का विस्थापन तथा विश्रखंलन हुआ था। मुद्रा स्फीति, रोजमर्रा की वस्तुओं का आभाव, बेरोजगारी तथा अकाल के खतरों ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। इस प्रकार जब इन्दिरा गाँधी ने 24 जनवरी 1966 को भारत की राजनीतिक सत्ता : प्रधानमंत्रित्व को ग्रहण कर लिया तब उन्हे विरासत उत्तराधिकार में एक ऐसी अर्थव्यवस्था प्राप्त हुयी थी। जिसमें बढ़ती हुयी आर्थिक असमानता आय और क्रय शक्ति के बीच अन्तर बढ़ना मूल्यों में बढ़ोत्तरी खाद्यान का प्रभाव भ्रष्टाचार और चोर बजारी आदि दुर्गुण व्याप्त थे। इन्दिरा गाँधी ने तत्कालीन जटिल समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए 26 जनवरी 1966 को आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम संदेश प्रकाशित करते हुए कहा था।

आज हमारे सामनें कई जटिल समस्याए है और मुझे उनका पूरा अहसास है गांधी जी और पं० जी की कायम की हुई परम्पराओं से और भारत की जनता में मेरे गहरे विश्वास से मुझे शक्ति और साहस मिले है। भारत ने बार बार यह दिखा दिया है कि इसकी आत्मा को कोई दबा नही सकता है। इससे हमारें ऊपर यह भी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम सर्वाजनिक क्षेत्र के कल कारखानों का आयोजन निर्माण और संचालन इस तरह करें कि इनसे भविष्य में नियोजन के लिये पूँजी प्राप्त हो। हमारी योजनाए ऐसी हैं कि इनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोई संघर्ष नही है हमारी मिली जुली अर्थव्यवस्था में निजी उदयोग धन्धों की उन्नति हुई है और इन्हे सरकार से सहायता और समर्थन भी मिला है। 52/16

भारत की तत्कालीन आर्थिक स्थित पर बार बार विदेशी आक्रमण प्राकृतिक आपदाओं का बाहरी दबाओं का तेल संकट तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट आदि का प्रभाव पड़ रहा था। करोंड़ों भारत वासियों को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनें पर भी वास्तविक सम्मृद्धि की प्राप्ति नही हुयी है। और

उस समय तक हो भी नही सकती थी जब तक हम राजनैतिक स्वाधीनता को सामाजिक और अर्थिक सुरक्षा रुप प्रदान न कर दें। इन्दिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी जिन्होनें भारत की अर्थव्यवस्था में नये क्षितिज स्पर्श करने का प्रयास किया इन्दिरा जी ने भारत की अर्थव्यवस्था में नये क्षितिज को छूने तथा नये लक्ष्यों को प्राप्त करनें के लिए 25 जुलाई 1966 को योजना आयोग की बैठक में भाषण देते हुए कहा था।

विदेशी सहायता के बारें में मेरा विचार यह है कि जब तक हम आर्थिक दृष्टि से अपनें पैरों पर खड़े न हो जाय हमें और अधिक विदेशी सहायता लेनी चाहिए जब तक हम अपने पैरों पर खड़े न हो सकें अधिक विदेशी सहायता मांगने में कोई मान हानि नही लगती। देश की बुनियादी जरुरतें तो पूरा करनी ही पड़ेगी। हमारे राज्यों को जरुरते क्या है। क्या हम अपनी परियोजनाओं के लिए उचित समय पर समुचित धन की व्यवस्था कर पाते है। कई बार हम ऐसा नही कर पाते और इसका नतीजा होता है। अनुत्पादक परियोजनाए और धन की बरबादी देश की सैकड़ों परियोजनाओं की यही दशा है। तदर्थ कटौतियों और धन की अपर्याप्त व्यवस्था करने का दृष्टिकोण बदला जाना चाहिए। 53/17

इन्दिरा गांधी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार :

जब इन्दिरा गांधी सत्तारुढ़ हुई थी तब आर्थिक क्षेत्र में गम्भीर समस्यायें विद्यमान थी आर्थिक सुधारों का प्रश्न केवल सत्तारुढ़ दल से ही सम्बन्धित न था वरन इस प्रश्न का सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्र से था। सन् 1966 एवं 1967 के सूखें तथा पाकिस्तान से युद्ध के कारण देश के विकास की गति में बाधा आई थी। तत्कालीन अर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इन्दिरा गाँधी ने कहा था। प्रत्येक देश यहाँ तक की संसार के समृद्धतम देश के जीवन में उतार व चढ़ाव आते है। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नही है। वस्तुतः जैसा कि मैने अनेक बार कहा है। मेरा विश्वास है। कि समस्याए ही एक प्रकार में देश की शक्ति और स्थिरता की कसौटी है। पिछले 20 वर्षों में हमनें योजनाबद्ध

विकास का सहारा लिया है। और मै समझती हूँ कि हमारा यह निर्णय सही सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसके बिना हमारा देश उन बड़ी चुनौतियों पर विजय नही पा सकता था। जो कि पिछले वर्षों में विदेशी हमलों और अत्यधिक कठिन तथा अकल्पनीय आर्थिक समस्याओं के रुप में हमारे सामनें आई। 54/18

बैंकों का राष्ट्रीयकरण :

भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के क्षेत्र में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण कार्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासमिति में बैकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अतः श्रीमती गांधी नें 19 जुलाई 1969 को भारत के प्रमुख बैकों की राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। वे बैक थे।

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इडिया, 2. बैंक आफ इडिया 3. पंजाब नेशनल बैंक 4. बैंक आफ बड़ौदा 5. युनाइटेड कार्मशियल बैंक, 6. कनारा बैक 7. युनाइटेड बैंक आफ इडिया 8. देना बैंक 9. युनियन बैंक आफ इडिया 10. इलाहाबाद बैक11. सिडिकेट बैंक 12. इडियन ओवरसीज बैंक 13 इडिण्यन बैंक 14. बैंक आफ महाराष्ट्र। इन्दिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में राष्ट्र की जनता के नाम संदेश प्रसारित करते हुए कहा था।

15 वर्ष पूर्व पहले 1954 में हमनें सोश लिस्ट पैटर्न यानि समाजवाद को अपनानें का फैसला किया था। और यह तय हुआ था कि इसको ध्यान में रखते हुए अपनी सभी योजनाए और नीतियाँ बनाये हमारा समाज गरीब और पिछड़ा हुआ है। जिसका हमें विकास करना है। विभिन्न तब को गरीब और अमीर में विषमता कम करनी है। इसके लिए यह जरुरी है कि हमारी अर्थव्यव्स्था के खास मोर्चों पर सरकार द्वारा जनता का कब्जा हो भारत एक प्राचीन देश है। लेकिन हमारा लोकतंत्र नया है जिसकी रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि देश की समाजिक अर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था चन्द लोंगों की मुट्ठी में न रहे। किसी मुल्क की अर्थव्यवस्था में बैंकों का स्थान बहुत

महत्वपूर्ण होता है। कई देश जो समाज वादी नही है उन्होनें भी बैंको का राष्ट्रीयकरण किया है। यही वजह थी के 10 से 12 साल पहले हमनें जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और इम्पीरियल बैक को स्टेट बैंक बनाया इसी उद्देश्य को पूरा करनें के लिए हमनें कई आर्थिक संस्थाओ द्वारा कृषि और उद्योग को कर्ज देने का प्रबन्ध किया। आज की कार्यवाही इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगी। मुझे आशा है कि इससे अपनी योजनाओं और नीतियों को असिलियत देनें में हमें मदद मिलेगी। 56/19

बैंक राष्ट्रीयकरण की गोपनीयता एवं इन्दिरा गांधी के साहसिक कदम का विश्लेषण करते हुए के0 ए0 अब्बास ने लिखा था।

"She took this bold step on her own in creative despite apposition and discuss agement from finance" Ministry officials and the reserve bank Govener . She did it after consutation with select officials symmpathetic to her views and a special room was alloted to them where they worked on drafting the ordince which was to announie the banks take over the whole operation was carried out so swiftly and secretly that on Saturday a senior cabinet minister took over finance but there is no nationalisation so far with in an hour he called to an emergency meeting of the cabinet where the prime minister secured the uniumous approval of her colleageous for the banking comparies acquisition and transfer of under taking ordinance 1969. 57/20

प्रमुख बैंको का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक साधनों का जनता के हित में इस्तेमाल किये जाने की दिशा में एक विशिष्ट प्रगतिशील कदम था। भारत को दीर्घकाल से एक ऐसी समग्र आर्थिक नीति की आवश्यकता थी।जो गांधी में रहनें वाली भारतीय जनता की आर्थिक दशा को क्रान्तिकारी रुप में बदल डाले। बैकों की राष्ट्रीयकरण से होने वाली आर्थिक प्रगति का विवरण देते हुए श्री के0 आर0 पुरी ने लिखा था।

''प्रत्येक दिन पांच बैंकों की शाखाए खोली जा रही है। जुलाई 1969 से आज तक सात वर्ष की अवधि में 12—677 नयी बैंक की शाखाएं खेली गयी है। जिनमें से 5,900 शाखायें ऐसे स्थानों पर खोली गयी है जहाँ पर इसके पूर्व बैंको की कोई सुविधा नही थी। आज एक बैंक की शाखा लगभग 26000 की जनसंख्या के लिए है जबकि जून 1969 में 65000 की औसत जनसंख्या के लिए होती थी। व्यवसायिक बैंक अपनें उत्तरदायित्व को वहन करते ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर अपनी शाखाओं को खोल रहे है अप्रैल 1976 तक 7500 नयी बैक की शाखाए खोली जा चुकी है। आज ग्रामीण क्षेत्र के निवासी निरन्तर बैंको से ऋण लेने लगे हैं जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि जून 1969 में केवल 1 करोड़ रुपया ऋण रुप में ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया गया था। वह बढ़ कर आज 6 करोड़ 50 लाख हो गया है।''58/21

वित्तमंत्री के रुप में इन्दिरा गाँधी द्वारा प्रस्तुत बजट :

इन्दिरा गाँधी ने 1970 – 71 के लिए वित्तमंत्री के रुप में नये वित्त वर्ष का जो बजट पेश किया था। वह उनके राजनैतिक दर्शन सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास का एक निजी दस्तावेज था। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात उनके वक्तव्यों को लेकर बार बार यह शंका उठायी जाती थी की वह वास्तव में भारत की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए अधिक इच्छुक नही है बहुत से लोंगों को यह विश्वास नही था कि वे सचमुच ही जनता के लिए कुछ करना चाहती है। आमतौर पर यह संदेह व्यक्त किया जाता था कि ये सारी की सारी केवल सत्ता का संघर्ष है। इसको सिद्धान्तो कार्यक्रमों तथा जनहित से कोई सम्बन्ध नही है। इन्दिरा गांधी संदेह के जिस कटघरें पर खड़ी थी उससे वह कुछ ठोस कदम उठा कर मुक्त हो सकती थी।

इन्दिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को वित्तमंत्री के रुप में अपना पहला बजट पेश किया अब तक बजट में करों का बोझ सबसे अधिक मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता रहा। इसका परिणाम यह हुआ था कि नागरिक जीवन कठिन होता गया जबकि ग्रामीण जीवन के विकास पर कोई

जोर नही दिया गया एक के बाद एक वित्तमंत्रियों ने जनसधारण के बोझ को बढ़या था। इन्दिरा गांधी भारत की पहली प्रधान मंत्री थी जिन्होनें अपनें बजट को एकाउन्टेन्टों नौकरसाहों और गणतज्ञों की बंजर भूमि से उबार कर लोकोन्मुख बनाया 1970–71 का बजट अग्रगामी परन्तु व्यवहार कुशल दृष्टि का एक परिचायक था। इस प्रकार इन्दिरा गांधी ने पहली बार बजट को जनसाधारण की दृष्टि में रखकर बनाया था।

इन्दिरा गाँधी की उद्योग नीति :

इन्दिरा गांधी जब सत्ता में आयी तब औद्योगिक विकास में गतिरोध का दूसरा दौर प्रारम्भ हो चुका था। सन् 1965 में औद्योगिक उत्पादन का वृद्धि दर का अंक 9.2 था परन्तु 1966 के पाकिस्तान के संघर्ष के बाद वह 0.4 तक गिर गया। 1962 से 1966 तक की अवधि में दो सीमा संघर्ष हुए जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को कई ढंग से प्रभावित किया सन् 1965–66 में अकाल के कारण उत्पादन 20 प्रतिशत घट गया। 1971–72 में बंगला देशीय शर्णार्थियों के आगमन तथा पाकिस्तान युद्ध के कारण भी उत्पादन में कमी आई। इन सबका और देश के आर्थिक ढाँचें की विषमताओं का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक उत्पादन का सीधा सम्बन्ध कृषि खेती से है इन्दिरा जी ने इसी सन्दर्भ में कहा था :–

"हम पर कभी कभी आरोप लगाया जाता है। कि पिछली योजनाओं में हमने कृषि की उपेक्षा की है देश को इतने अधिक काम करने है कि हर काम के लिए खास हिमायती उठ खड़े होते हैं। हमें दोनों की जरूरत है हम सिंचाई बनाम उर्वरक के ऊपर बहस नहीं कर सकते। एक दूसरे के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। यह सही था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने बड़े औद्योगिक विकास कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया। सारे संसार का अनुभव यह बताता है कि एक दृढ़ औद्योगिक ढ़ाचे की सहायता से ही हम कृषि का आधुनिकीकरण कर सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते है। औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों ने कृषि में और अधिक उत्पादन की क्षमता प्राप्त की है।

आज औद्योगिक और कृषि कार्यक्रमों को सम्बद्ध करना हमारे लिए आसान है।[59]

सोवियत रूस में 15 वर्षीय आर्थिक एवम् तकनीकी समझौता :

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव लिथोनिक ब्रेजनेव नवम्बर 1973 ई0 के अन्तिम सप्ताह में भारत की यात्रा पर आये। इस यात्रा के फलस्वरूप भारत और रूस ने 15 वर्षीय आर्थिक और वाणिज्यक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इन्दिरा गांधी ने इस महत्वपूर्ण समझौते के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, क्योंकि उस समय अन्र्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत और अमरीका के सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक मतभेदों के कारण तनावपूर्ण हो चुके थे। अमरीकी गेंहूँ के आयात पर प्रतिबन्ध तथा बंगलादेश के निर्माण में भारत की सक्रिय भूमिका के कारण भारत और अमरीका के सम्बन्धों में बिगाड हो चुका था। अमरीका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता स्थापित करने की घोषणा की जा चुकी थी। इन्दिरा गांधी अतः इस विशेष परिस्थितियों में इन्दिरा गांधी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनाये रखने के लिए सोवियत रूस से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखे, ताकि आने वाले समय में भारत विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर सके। अतः उन्होंने रूस के साथ राजनीतिक, आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक तथा अन्य अनेंक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा रूप देने और उसके विस्तार का निश्चय किया। 30 नवम्बर 1973 ई0 को भारत और रूस के बीच अर्थिक तथा तकनीकी समझौता सम्पन्न हुआ तथा इस 15 वर्षीय आर्थिक तथा तकनीकी समझौते की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्नलिखित थी।

1. प्रस्तुत समझौते पर दोनों देशों की प्रमुखता का सम्मान करते हुए अमल किया जायेगा। इस समझौते के अन्तर्गत उद्योग, विद्युत, खेती, भूगर्भ, सर्वेक्षण, कर्मचारी, प्रशिक्षण, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था की अन्य शाखाएं शामिल होगी।

2. धारा एक में उल्लिखित सहयोग का उद्देश्य दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, उत्पादन यत्र विधि इत्यादि का विकास करना होगा। निम्नलिखित लक्ष्यों को ध्यान रखने की व्यवस्था की गयी।

(अ) लोहा और इस्पात तेल का उत्पादन और अनुसंधान गैस कोयला और अन्य खनिज, विद्युत, इंजीनियरिंग, पेट्रोरासायन, उद्योग, जहाजरानी, खेती कर्मचारी प्रशिक्षण से सम्बन्धित योजनाओं में परस्पर सहयोग।

(ब) प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए सोवियत संघ भारत सरकार को ऋण देगा।

(स) एक दूसरे की चीजों का परिणाम बढ़ाया जायेगा।

(द) परस्पर भुगतान की प्रक्रिया और शर्तों में सुधार।

3. सोवियत संघ और भारत सरकार अंतरिक्ष के योग में तथा वैज्ञानिक ऊर्जा के विकास में परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करेगें।

4. अर्थव्यवस्था और वाणिज्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ायेगें।

5. दोनों देश वाणिज्य और आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के हितों को दृष्टि में रखकर बराबर परामर्श करते रहेगें।

6. यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा।

इस प्रकार प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत को अनेकों उपलब्धियां प्रदान की है।

संस्कृति, शिक्षा एवं स्वतंत्रता

संस्कृति :

इन्दिरा गांधी का कथन है कि विकसित देशों में केवल दो प्रकार की संस्कृति पायी जाती है – 1. वैज्ञानिक तथा 2. मानवता वादी। परन्तु भारत में एक तीसरी संस्कृति भी है जो परम्परागत विश्वासों तथा धार्मिक विधि निषेधों से निर्मित है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ प्राचीन तथा

कालातीत हो चुका है उसमें सुधारों तथा परिवर्तनों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।

शिक्षा :

मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। (स्वामी विवेकानन्द)

"To develop in the body and in the soul all the beauty and all the perfection of which they are capable "

शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। — प्लेटो

महात्मा गांधी जी शिक्षा को मानव शरीर मस्तिष्क तथा ह्दय के सामंजस्य पूर्ण तथा संतुलित विकास के लिए आवश्यक मानते थे। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का लक्ष्य ही शिक्षा कला तथा आत्मविश्वास की भावना को विद्यार्थियों में भरना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु पं0 नेहरू एक मानवतावादी राजनायज्ञ थे इसलिए उनकी दृष्टि सदैव मानवता के भविष्य पर केन्द्रित रही है इसलिए वे शिक्षा का तात्पर्य मानव को भविष्य के लिए तैयार करना मानते थे। उनका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष तथा विज्ञान से प्रेरित हो रहा है। शिक्षा भविष्य के लिए योजना मात्र है। जीवन की दशा एवं गति का विकास करने के लिए शिक्षा एक साधन मात्र है। नेहरू जी का विश्वास था कि शिक्षा का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ज्ञान के प्राप्ति के लिए कभी देर नही है। इसकी कोई निश्चित आयु नहीं होती है पंडित नेहरू की दृष्टि में प्रकृति भी बहुत बड़ी शिक्षक है। मानव वृक्षों तथा पशुओं से भी बहुत कुछ सीखता है। इसलिए शिक्षा की कोई अच्छी या बुरी कार्य प्रणाली नहीं होती है।

संस्कृति :

संस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा क्यों न हो किन्तु उसे व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र की सीमाओं में बांधना मनुष्य की सबसे बडी भूल है।

सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा है, सभ्यता जानकारी और भिन्न क्षेत्रों में महान एवं दुखदायी खोज का परिणाम है। संस्कृति ज्ञान का परिणाम है। – श्री प्रकाश "Culture consist in patternd or orderd system of symbol which or object of the orientation of action internaleties of individual actor and institulionalized patterns of social systems 37

संस्कृत का सम्बन्ध सामाजिक धारणाओं एवं प्रतीकों से होता यह हमारे विश्वासों संस्थाओं मूल्यों तथा सामाजिक सम्बन्धों की बीच की कड़ी है। मैं फाइवर तथा पेज के अनुसार संस्कृति एक गतिशील अवधारणा है। राजनैतिक संस्कृति में राजनैतिक आदर्शों सिद्धान्तों और विचार धाराओं का समन्वय है।

यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक दृष्टि से भारत वर्ष में दों प्रकार की संस्कृतियां पायी जाती है। एक जनता जनार्दन की संस्कृति द्वितीय बुद्धजीवी वर्ग की संस्कृति की अभिव्यक्ति स्थानीय क्षेत्रीय स्थानों में होती है। जब कि बुद्धजीवी वर्ग की संस्कृति राजधानियों तथा अंग्रेजी भाषा भाषी वर्ग में अभिव्यक्ति पाती है।

संस्कृति राष्ट्रीय एकता की माध्यम :

इन्दिरा गांधी सस्कृति को राष्ट्रीय एकता का एक श्रेष्ठ साधन मानती थी। क्योंकि भारतीय संस्कृति विभिन्न विचारों विश्वासों मूल्यों तथा आदर्शों का संगम है जो अनेकानेक शताब्दियों से भलीभाँति एक दूसरे से जुड़े है। यद्दपि क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक दृष्टि से भारत में महान विभिन्नता है। फिर भी सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भारतीयता के आधार पर एक है। यद्दपि भारतीय संस्कृति पर विदेशी सभ्यता वैज्ञानिक अविष्कारों तकनीकी विकास का पूरी तरह प्रभाव पड़ रहा है फिर भारतीय संस्कृति की जो जीवन शक्ति

है।वह अप्रभावित रही है आज भी भारतीयता के 5 नये रुप में ग्रहण करती है। उनका कथन है।

There is crisis in civilization restlesnessof spirit and a revolt against unimplemented declarations and hypocrisy. There is demond for participation and involvement 38/23

संतुलित व्यक्ति के लिए शिक्षा :

इन्दिरा गांधी शिक्षा की व्याख्या एक व्यापक परिपेक्ष में करती थी उनका कथन है।

"The traning of the mind and body so as to produced a balanced persnolty which is capable of adjusting with undue disturbance to life changing situation "43/24

Education therefore is not limited to the acqustion of bookish knowledge it is also not merely an accumulation of knowledge for knowledge can soon be out of date it is a means of stimulating the capicity you to think it learn and to innovate and to apply knowledge in the intrest of large causes 45/25

इन्दिरा गांधी भी पंडित नेहरु की भाँति यह मानती थी कि शिक्षा एक अनिवरत प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा बालक के जन्म से मृत्यु तक चलनें वाली सतत प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में मानव अपनें अभिभावकों शिक्षकों मित्रों सम्बन्धियों पड़ोसियों साथियों तथा अन्य चेतन एवं अचेतन प्राणियों से निरन्तर शिक्षा ग्रहण करता है। जिनसे उनका सर्म्पक होता है। इस बात को समझाते हुए इन्दिरा गांधी ने कहा।

"He (Nehru) tought me many things but his gretest lesson was that human beings must learn all the time and from everyone one could learn something even from stones"4526

मानव में सीखनें की अभूतपूर्व क्षमता निहित है शिक्षा ही वह कुन्जी है जो मानव में अर्न्तनिहित शक्तियों को प्रगट कर देती है।

भारतीय शिक्षा की खामियाँ :

भारतीय शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है इस शिक्षण पद्धति के प्रमुख दोष क्या है? इस विषय पर चिन्तन करते हुए इन्दिरा गांधी ने कहा है।

"Our education is not in time with life in the present day India although now our children are learning more about there country than they did before they still are not commited to the country they are not given that intimgte knowledge that generates a feeling of involvement in the country they are not given the kind of social attitudes which mordern India needs to go ahead" 46/27

आधुनिक शिक्षा ने हमारी महत्वाकांक्षाओ को आय पद प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में बढ़ा दिया गया है। परन्तु राष्ट्रीय परिपेक्ष में हमारी महत्वाकान्क्षा नही बढ़ी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली नाना प्रकार के दोषों से परिब्याप्त है इसके दोष वास्तव में पाश्चात्य शिक्षा पद्धित के दोष है।

योग सर्वश्रेष्ठ शिक्षा :– प्रचीन भारत वर्ष में योग शिक्षा का एक अभिन्न अंग था परन्तु आज पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित शिक्षा पद्धति में योग का कोई स्थान नही है। मैरीन कोहलर के अनुसार :–

"Yoga is a complese of rules Moral Ethical and physical whose goal is to help man trancend the temporal envelope in which he is encased and breat the barriers separating him from the Infinte . 47/28

स्वतंत्रता :

स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत मामला नही है बल्कि सामाजिक ठेका है यह स्वार्थो की सुविधा है।

Liberty is not a personal affair only but a social contract it is an accomodution at interest

एo जीo गार्डनर

जो दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित रखते है वे स्वयं उसके अधिकारी नही है और न्याय प्रिय ईश्वर के शासन में उसको बहुत दिनों नही रख सकते।

(Those who deny freedom to others deserve it not for themselves and under a just god can not long retain it).

लिंकन

स्वतंत्रता मानव की आधार भूत आवश्यकता है मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा भाग उसका महत्वपूर्ण अंश अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में ही व्यतीत हुआ है और मूलतः यह संघर्ष स्वतत्रता की प्राप्ति था उसकी सुरक्षा के लिए समय समय पर हुए है। इसीलिए राजनैतिक दर्शन में स्वतंत्रता को एक महत्वपूण्र विषय मान लिया गया हैं। प्राचीन काल से ही ग्रीक देश के राजनयज्ञों, जान मिल्टन, जेo सेo मिल तथा प्रोo सेवनी ने स्वतंत्रता के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर माना हैं ।

महात्मा गांधी का विचार :– महात्मा गांधी जिन्होनें मानव इतिहास में राजनैतिक दासता से मुक्ति का सबसे बड़ा आन्दोलन चलाया था वे अपनें देश की निर्धनता एवं भूख से अत्यधिक प्रभावित थे। यद्दपि वे स्वतंत्रता को अध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्शों में प्रतिपादित करते थे फिर भी वे स्वतंत्रता की आवश्यकता की अनुपस्थित का दूसरा रुप मानते थे। इस विचार धारा नें उन्हे कार्लमार्क्स के अधिक निकट ला दिया था। इस प्रकार गांधी जी की स्वतंत्रता की कल्पना समानता तथा अहिंसा पर आधारित थी।

पंo नेहरु की विचार धारा :– पंo नेहरु अपनी विचार धारा के अनुसार स्वतंत्रता को मानव की आत्मा मानते थे। उनके अनुसार मानव की आत्मा अत्याचारों के विरोध में शतब्दियों से शहीदों हतात्माओं के रुप में उठती रही है। इतिहास का अध्ययन करनें के अधार पर वह विस्वस्त थे। कि प्रारम्भ में

चाहे जितने अवरोध हों परन्तु अंत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं निश्चित रुप से विजयी होते है।

इन्दिरा गांधी की विचारधारा :— इन्दिरा गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता आत्मविश्वास का ही पर्याय है। उनका स्वयं का कथन है।

"The Struggle for freedom acording to Indira Gandhi began when the first man was enslaved and it will continue until the last man is freed not merely of visible bondage but of the concepts of inferiorty due to race colour cast or sex or croud only those who are free in spirit as Neheru has emphasised can be torch bearers of freedom and pioneers of the future.

स्वतंत्रता व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनो प्रकार की अवधारणा है स्वतंत्रता का मूल तत्व अधिकार के प्रति मानव की ललक है। यह ललक प्रगति की मूलधार है इसलिए श्रीमती गांधी नें कहा है –

We are free because we questioned the Right of others to rule over us.[30]

आर्थिक न्याय राजनैतिक स्वतंत्रता का अविभाज्य अंग हैं। राजनैतिक मुक्ति आर्थिक बौद्धिक तथा संस्कृति मुक्ति के बिना अधूरी है। परन्तु समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल रोटी का टुकड़ा मात्र ही है। इन्दिरा गांधी ने अपने एक भाषण में इस बात को विस्तृत रुप से वर्णन करते हुए कहा था।

There is a subi saying it a have two loaves of hread I would sell one to buy a flower far my soul I am one of those who would gladly sell one and half of leaves . If I had to far flowers for books or many other things but what of him who had no loaf at all ? what do we do for him ? what is his freedom ? what are his rights ? [31]

रास्ट्रीय स्तर पर कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नही रह सकता है जब तक कि वह स्वयं आत्मनिर्भर न हो। यह उसी प्रकार है कि व्यक्तिगत रुप में भी कोई व्यक्ति तभी स्वतंत्र रह सकता है जब कि वे निडर हो ज्ञानी हो सत्य की

खोजनें की क्षमता रखता हो यह बात किसी राष्ट्र पर भी घटित हो सकती है। श्रीमती गांधी की दृष्टि में स्वतंत्रता तथा स्वेच्छाचार में मौलिक अंतर है। उन्होने कहा हैं कि :–

We are all for liberty we are all for freedom of speech Freedom of associotion freedom of expression but if that freedom crosses a line and it becomes licence it is difficult to say which is the line except when that short of freedom of a few effects the advance or the welfare of the many . 32

आधुनिक राज्य में प्रचार के साधन :

स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की माँग करती है वर्तमान प्रजातंत्रीय राज्यों में इसकी अभिव्यक्ति प्रचार के साधनों के माध्यम से होती है। साधारण शब्दों में माध्यम केवल एक जरिया है जिससे जनता अपनें भावों को सम्प्रेषित करती है इस दृष्टि से दूरभाष टेलीफोन तथा रेडियों दोनों माध्यम है परन्तु समाचार पत्र एक अलग वस्तु है क्योंकि समाचार पत्र में एक अभिवृत्ति एक दृष्टिकोण एक निर्णय शक्ति तथा कुछ मूल्य आदर्श होते है। श्रीमती गांधी इस दृष्टिकोंण की व्याख्या करते हुए कहती है।

Press is not Mindless in fact it is the quality of mind the quest for Knowledge the abillity to analyse and to evaluate and the need to reflect which is the source of the power of the press.

प्रेस की स्वतंत्रता :

सन् 1975 की राजनीतिक उथल पुथल के पश्चात इन्दिरा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे उनके इस कार्य से प्रभावित होकर पश्चात देशों के समाचार पत्र यह कहनें लगे थे कि भारत के नेताओं ने जिस प्रेस की स्वतंत्रता का अश्वासन दिया था। उसे इन्दिरा गांधी नें समाप्त कर दिया है। वास्तव में इन्दिरा गांधी को भारतीय प्रेस से दो शिकायते थी। एक

तो भारतीय प्रेस पर व्यापारिक वर्ग का एकाधिकार है। दूसरा भारतीय प्रेस बौद्धिक वर्ग की सनक को व्यक्त करनें के लिए सदैव तत्पर रहता है इन्दिरा जी नें दिसम्बर 1969 में स्पष्ट करते हुए कहा था।

Today one of the greatest obstacles is the cynicism os our Intelligentsia Because no matter what is done they always look at it as something that is of no account and this opinion is reflected in our press and it does have an influence on the people in fact one of the strong things that has happened is that our press is so entirely divorced from what the people as a whole think .[34]

भारत व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति :

प्राचीन काल से भारत के धार्मिक संस्कृति आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सम्बन्ध विश्व के अनेक देशों से रहे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत नें विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वास्तव में राष्ट्रीय हित ही किसी भी देश की विदेश नीति का मुख्य आधार होता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते समय किसी भी देश के कार्यकलापों एवं दृष्टि कोण का निर्माण राष्ट्रीय हितो के अनुसार ही करना पड़ता है। डा0 कृष्णा कुदेसिया ने राष्ट्रीय हित को किसी भी देश विदेश नीति का मुख्य आधार माना है।

अपना युद्ध विरोधी नीति के बावजूद भारत ने जब गोवा में सैनिक कार्यवाही की तो अनेक देशों द्वारा उस पर अवसरवादिता का आरोप लगाया गया था। उसकी नीतियों को दिखावा और झूठ मक्कारी की नीति कहा गया था। जब कि वास्तविकता यह थी भारत की स्वतंत्रता को पूर्ण करने के लिए गोवा को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। कोई भी देश अपने राष्ट्र हित को भूलकर अपनी विदेशी नीति निर्धारित नही कर सकता भले ही उस पर आरोप लगाये जाये।[35]

अमरीका के भूतपूर्व विदेश मंत्री चार्न्स इवान्स ह्यूज का कथन है।

विदेश नीतियों का निर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तो के आधार पर नही होता है। किन्तु राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों का परिणाम होता है।[37]

पं0 जवाहर लाल नेहरु नें भी विदेशनीति की समीक्षा करते हुए कहा था।

किसी देश की विदेश नीति की आधार शिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। भारत की नीति का ध्येय भी इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है।[37]

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत स्वतंत्रता के पूर्व से ही विश्वशान्ति का समर्थक तथा युद्ध उपनिवेशवाद प्रजातिवाद साम्राज्यवाद आदि का विरोधी रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व भी अखिल भारतीय कांग्रेस के विभिन्न सत्रों में उपर्युक्त उद्देश्यों की पुष्टि करनें वाले प्रस्ताव पारित किये थे। पं0 जवाहर लाल नेहरु नें अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के कुछ समय पश्चात 7 दिसम्बर 1949 ई0 को आकाशवाणी से प्रसारित अपनी प्रथम शासकीय घोंषणा में कहा था।

हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रुप में पूर्णरुप से अपनी मौलिक नीति के अनुसार भाग लेंगे अन्य राष्ट्रों के उपग्रह के रुप में नही हमारा विचार यथा सम्भव गुटों की राजनीति से अलग रहनें का है।[38]

इन्दिरा गांधी की विदेश नीति :

इन्दिरा गांधी ने अपनी विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित की सुरक्षा निर्धारित की थी उन्होनें सभी विवाद पूर्ण मामलों में स्वतंत्र दृष्टि कोंण अपनाया। करोड़ों भारतीयों की भूख बीमारी एवं निरक्षरता को दूर करनें के लिए उन्होनें आदर्श वादी मान्यताओं से हट कर यथार्थ के धरातल पर अपनी विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया। उन्होनें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्ही कार्यों को किया जो उनके देश के लिए अधिक से अधिक लाभदायक हो सकते थे। उन्होनें असंलगन्ता एवं गुट निरपेक्षता की नीति की व्याख्या विश्व राजनीति के बदलते हुए संदर्भो में की। उन्होनें सन् 1947 ई0 से चलायी गई उस विदेश नीति का विरोध किया जिसका आधार एक कमजोर गरीब और

भारत था। उन्होनें शासन सूत्र सम्हालते हुए यह अनुभव किया कि भारत की एक भौगोलिक स्थिति आकार जनसंख्या आदि उसे एक बड़े राष्ट्र में परिणित कर सकते है। और विश्व राजनीति में भारत एक सशक्त भूमिका अदा कर सकता है। अतः उन्होनें संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों अमरीका, फ्रान्स, इग्लैण्ड तथा चीन के प्रति व्यवहारिक दृष्टि कोण अपनाया एवं एसियाई और अफ्रीकी देशों के प्रति प्रगतिशील सामाजिक क्रान्ति की धारणाओं के आधार पर निर्णायत्मक विदेश नीति का निर्माण किया उन्होनें विश्व राजनीति को सही परिप्रेक्ष्य में देखा उन्होनें अपनें फारेन अफेयर्स शीर्षक लेख में लिखा था।

भारत की विदेश नीति उन सब मुल्यें एवं आदर्शों पर आधारित है जिन्हे हमारें देश नें शताब्दियों से संजोया है। तथा साथ ही यह विदेश नीति हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। 39

विश्व राजनीति में भारत का दृष्टिकोण मुख्यतया असंलग्नता तथा गुट निरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जा सकता है। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति नकारात्मक तटस्थता अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक है अर्थात जो सही है और न्याय संगत है। उसकी सहायता और समर्थन करना तथा जो अनीति पूर्ण एवं अन्याय संगत है। उसकी आलोचना एवं निन्दा करना इन्दिरा जी की गुट निरपेक्षता की व्याख्या करते हुए कहा था।

गुटनिरपेक्षता वह तत्व है जो गुटों के बढ़े हुए तनावों को कम करता है। इसका अस्तित्व शक्तिशाली गुटों के संघर्ष को कम करनें में सहायक सिद्ध होता है यह विदेशी शक्तियों के दबाव को कम करके स्वतंत्र राष्ट्रीयता को मुखरकरता है। इसकी भावना सभी के साथ मित्रता को स्थापित करनें का प्रयास करती है।

इन्दिरा नें अपनें विदेश नीति के अर्न्तगत उन सूत्रों को खोजनें का प्रयास किया जो भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिसमें पुरानें अन्याय न रहें और ऐसी समाजवादी व्यवस्था कायम हो जिसमें मानव की मानवाता को पूरा पूरा उभरनें का अवसर प्राप्त हो।

अमरीका के प्रति विदेश नीति :

पं0 जवाहर लाल नेहरु के स्वर्गवास के पश्चात अमरीका को यह संदेह हो गया कि असंग्लता की नीति की आड़ में भारत सोवियत रूस से मिला हुआ है। तथा क्रमशः साम्यवादी गुट में चला जाना चाहता है सन् 1965 ई0 में भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध में भी अमेरिका नें जो दृष्टिकोण अपनाया उससे भारत सरकार तथा भारतीय जनमत असंतुष्ट रहा इस युद्ध में अमरीका ने पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित नही किया। इससे भारतवासियों के मन में अमेरिका के प्रति आक्रोस उत्पन्न हुआ। मार्च 1966 ई0 में इन्दिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के समान आदर्शों एवं लक्ष्यों के सम्बन्ध में न्यूयार्क में एसिया सोसाइटी की परिषद में भाषण देते उन्होनें कहा था

भारत और संयुक्त राष्ट्र अमरीका स्वतंत्रता और शान्ति धार्मिक सहिष्णुता और सदभाव कमजोर और उपेक्षित की ओर ध्यान तथा पुरूषार्थ और उद्यम को बिना ठेस पहुँचानें सबके लिए अवशर को बड़ा महत्व देते है। हम दोनों राजनीतिक प्रजातंत्र बनाये रखनें के लिए अवशर को बड़ा महत्व देते है। हम दोनों राजनीतिक प्रजातंत्र बनाये रखनें के लिए बचनबद्ध है। आनें वाले दशकों में हमारे ऊपर स्वतंत्रता और न्याय के साथ प्रगति की परम्पराओं को आगे बढ़ानें की महान जिम्मेदारी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश और शक्तिशाली प्रजातंत्र है। अतः दुनिया के मसलों में जो इसका स्थान है। उसे आसानी से समझा जा सकता है। आनें को इतिहासकार भी भारत का मूल्याकंन दुनिया से मानव प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि और नये राष्ट्रों की आजादी को मजबूत बनानें में मिली सफलता के आधार पर ही करेगें। 41

सोवियत रूस के प्रति विदेश नीति :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सोवियत रूस के साथ भारत के सम्बन्धों में उतार चढ़ावा आया है। प्रारम्भ में सोवियत रूस नें पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित भारत की असंलग्नता की नीति को ठीक तरह नही समझा तथा यह धारणा बना ली थी, कि भारत तटस्थता की नीति की आड़ में पूँजी वादी पश्चिमी गुट पिछलग्गू बन रहा है। परन्तु आगे चल कर रूस की धारणा में परिवर्तन आया और रूस भारत के निकट आनें लगा भारत तथा रूस के नेता एक दूसरे के देश में आनें जानें लगे। दोनों देशों के प्रमुख नेताओं नें यह अनुभव किया कि प्रगति का बड़ा लक्ष्य केवल मित्रता तथा सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। तासकन्द में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऐतिहासिक समझौता सम्पन्न हुआ था वह रूस की कूटनीति की महान सफलता थी।

ताशकन्द समझौते से जितना लाभ भारत को नही हुआ उससे उससे अधिक सोवियत रूस को कूटनीति के क्षेत्र में हुआ। इन्दिरा गाँधी नें 9 अगस्त 1971 ई0 को रूस तथा भारत में सद्‌भावना और मित्रता की सन्धि सम्पन्न हुयी इस सन्धि में भारत की ओर से विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और सोवियत रूस की ओर से विदेश मंत्री श्री ए0ए0 गोमिकों ने हस्ताक्षर किये थे। भारत और रूस की सन्धि की लोगों नें पर्याप्त आलोचना की थी। डाक्टर दीनानाथ वर्मा नें लिखा था :–

भारत और सोवियत संघ की सन्धि नें गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता की नीति का अन्त करके उसे शानदार रूप से दफना दिया है। परन्तु सरकार को असंलग्नता की नीति से इतना मोह है कि अब भी वह कहे जा रही कि यह समझना गलत है कि उसने असंलग्नता की नीति छोड़ दी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की इस घोषणा में कोई तथ्य नही है। कि भारत नें असंलग्नता की नीति को नहीं त्यागा है।[42]

अरब राष्ट्रों के प्रति विदेशनीति :

भारत वर्ष के लिए अरब राष्ट्रों की मित्रता का विशेष महत्व है। अरब राष्ट्रों की विशेष भौगोलिक स्थिति तथा वहां तेल के अक्षय भण्डार की उपलब्धि नें इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का अखाड़ा बना दिया है पश्चिम एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः पूँजीवादी और कम्युनिस्ट राज्यों के संघर्ष तथा प्रतिद्वन्दता द्वारा प्रकट होती है। पश्चिमी एसिया की राजनीति में इजरायल और अरब राज्यों के संघर्ष का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अरब राष्ट्रों का इजरायल के साथ संघर्ष सदैव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख प्रश्न रहा है। जून 1967 ई0 के अरब इजरायल युद्ध के समय भारत नें अरबों का पक्ष लिया। सोवियत संघ का समर्थन करते हुए भारत नें भी इजरायल को दोषी ठहराया। युद्ध छिड़नें के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी नें लोक सभा में वक्तव्य देते हुए युद्ध प्रारम्भ करनें का पूर्णउत्तरदायित्व इजराइल पर ही रखा।[43]

इन्दिरा गाँधी नें 1967 में अरब इजरायल संघर्ष के प्रति जो दृष्टि कोण अपनाया था। उसकी भारत में विरोधी पक्ष के नेताओं नें कटु आलोचना की थी। इन्दिरा गांधी की अरब राष्ट्रों की नीति के समर्थन में डा0 कृष्णा कुदेशिया नें लिखा है।

भारत और पाकिस्तान युद्ध में यद्दपि संयुक्त अरब गणराज्य नें स्पष्ट शब्दों में भारत का समर्थन नही किया था। परन्तु कुछ तथ्य इसके विपरीत भी है। अरब राज्यों के कैसा ब्लांका सम्मेलन में ऐसा भी प्रस्ताव आया था जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध के सन्दर्भ में भारत को आक्रामक कहा गया था नासिर के विरोध कारण ही यह प्रस्ताव पारित नही हो सका था। साथ ही सब अरब राज्य भारत के सब विरोधी भी नहीं है। अतएव भारत की नीति अपनें दृष्टिकोण से सब अरब राज्यों के प्रति एक ही जैसा नही हो सकती है।[69]

इन्दिरा गांधी नें अच्छी तरह अनुभव किया था कि मुस्लिम देशों में मिश्र की एक विशिष्ट स्थिति है। इसलिए पं0 जवाहर लाल नेहरू मार्शल टीटो तथा गमाल अब्दुल नासिर नें गुटनिरपेक्षता की नीति की आधारशिला रखी थी।

अरब राष्ट्रों के प्रति इन्दिरा गाँधी की नीति कूटनीतिज्ञ बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थीं क्योंकि तत्तकालीन परिरिस्थितियों में भारत के दो प्रबल विरोधी राष्ट्र पाकिस्तान एवं चीन अरबों से घनिष्ठता बढ़ानें के लिए प्रयत्न कर रहे थे। एशिया में शक्ति संन्तुलन के लिए भी इन्दिरा गांधी नें इजरायल के विरुद्ध अरबों का पक्ष लेकर एक कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था।

पाकिस्तान के प्रति विदेशी नीति :

भारत और पाकिस्तान के मध्य कटुता बढ़ानें वालें विवादों में नहरी पानी विवाद निष्कान्त सम्पति विवाद अल्पसंख्याओं की समस्या और सबसे बढ़कर काश्मीर की समस्या है। कवि कैलार्ड का कथन है :–

पाकिस्तान की विदेशीनीति पर एक केवल एक तत्व हाबी रहा है। भारत के प्रति सुरक्षा पानें की इच्छा अतएव वह इस नीति पर चलता रहा कि जो भारत का शत्रु है। वह पाकिस्तान का मित्र है जो भारत का मित्र है। वह पाकिस्तान का शत्रु है। 70 / 45

इसके विपरीत भारत ने सदैव पाकिस्तान की और मैत्री हाथ बढ़ाया है। परन्तु भारत के उदार दृष्टिकोण का पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नही हुआ है। भारत पाक सम्बन्धों के विषय में प्रो0 आर0सी0 अग्रवाल ने लिखा :–

भारत और पाकिस्तान सम्बन्धों का इतिहास बहुत काला रहा है। जिसमें अनेको बार पाकिस्तान नें सीमाओं का उल्लघन किया है। गोलीवारी की है। गुप्तचर भेजे है। कूटनीतिक विशेषाधिकारों को छोड़ कर भारतीय अधिकारियों का अपमान किया है। और भारत के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्यवाहियाँ की है। परन्तु भारत ने सभी कार्यवाहियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा यहाँ तक कि 1965 के भायनक भारत पाक संघर्ष के बाद भी पाकिस्तान के प्रति उसकी उदारवादी नीति में विशेष परिवर्तन नही हो सका।[46]

राजनैतिक क्षेत्रों में यह आशा की गयी थी कि ताशकन्द समझौते के पश्चात भारत और पाकिस्तान में संघर्ष का अन्त हो जायेगा तथा दोनों देश अच्छे पड़ोसियों की भाति रहने लगगे। परन्तु यह आशा पूर्ण नही हुई। 28 मार्च

1969 को राष्ट्रपति आयूब खाँ नें पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर प्रधान सेनापति याह्रया खाँ को सौप दी। याहया खाँ ने भारत के प्रति बहुत ही उग्र एवं संकीर्ण रुख अपनाया 12 नवम्बर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी भयंकर तूफान आया जिसके कारण 10 लाख लोग काल कवलित हुए। इन्दिरा गांधी ने 19 नवम्बर 1970 को लोक सभा में तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक कारोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी।

तूफान के पश्चात जब पूर्वी पाकिस्तान ने शेष मुजीर्वुरहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता आन्दोलन छिड़ा तब पाक सरकार नें यह आरोप लगाया कि इसमें भारत सरकार का हाथ है। 2 फरवरी 1971 को एक भारतीय विमान का काश्मीर से अपहरण कर उसे पाकिस्तान में बम से उड़ा दिया गया था। इससे भारत पाक सम्बन्धों में दरार बढ़ गयी याहया खाँ ने पूर्वी पाकिस्तान में भीषण नरसंहार पेदा कर दिया पूर्वी बंगाल से लाखों शरणार्थी भारत वर्ष में आ गये 3 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान की वायु सेना ने भारत के दूर–दूर तक स्थिति हवाई अड्डों , अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, चण्डीगढ़, अम्बाला तथा आगरा पर बम वर्षा की इस आकस्मिक आक्रमण से सम्पूर्ण राष्ट्र त्रस्त हो उठा और इन्दिरा जी को युद्ध का निर्णय लेना पड़ा इन्दिरा गांधी के कुशल मार्गदर्शन, भारतीय सेनापतियों की विवेक पूर्ण निर्णय तथा भारतीय सैनिकों के अनुपम साहस और बांगला देश की मुक्त वाहिनी सेना के सहयोग से 14 दिन में भारत पाक संघर्ष का अन्त हो गया तथा बांगला देश का निर्माण हो गया। भारत की इस महान विजय के सम्बन्ध में शम्भू दयाल गुरू ने लिखा है :–

" भारतीय सेना की महान विजय नें सारी दुनिया को चकित कर दिया। 14 दिन के भीतर हमारी सेना ने बागला देश की साढ़े सात करोड़ जनता और 35000 वर्ग मील क्षेत्र को स्वतंत्र किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे निर्णायक विजय हमें प्राप्त हुई। जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण के बाद से इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण नही किया, जितना पाकिस्तानियो ने भारतीयों के सामनें बांगला देश
में किया।"[47]

अध्याय – अष्टम्

सारांश एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अब तक हमनें जिन तथ्यों का उद्घाटन करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी के भारतीय राजनीति में योगदान का मूल्यांकन और समीक्षण किया है। एतद्विषयक जिन उपपन्तियों की प्राप्ति हो सकी है। और जिन मौलिक स्थापनाओं की इसमें अवतारणा की गयी है। उन सभी का समाहार करते हुए कहा जा सकता है। कि श्रीमती इन्दिरा गांधी उस युग में जन्मी थी जो त्याग बलिदान एवं देश के प्रति आत्मसमर्पण का युग था। इसी युग में स्वतंत्रता संग्राम की सर्वोत्तम विभूतियां हमारे देश को प्राप्त हुईं ये विभूतिया अपनी तपस्या एवं साधना में देव कोटि की थी। प्रसिद्ध लाल बाल पाल ने इसी युग में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नूतन निखार दिया। इसी युग में महात्मा गांधी नें स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के वाह्यास्त्र का प्रयोग किया था इसी युग में पं मदनमोहन मालवीय देशबन्धु चितरंजन दास एवं इन्दिरा जी के दादा पं0 मोतीलाल नेहरू जैसे प्रख्यात वकील अपनें राजसी वैभव का त्याग कर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े थे। सुभाष चन्द्र बोस नें इसी युग में आई0सी0एस0 जैसी सर्वोच्च्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण सरकारी सेवा को लात मार दी थी। स्वयं प्रियदर्शनी श्रीमती इन्दिरा के पिता पं0 जवाहर लाल नेहरू अपनें वैभवशाली पेशे वकालत को ठुकरा कर राष्ट्रीय आन्दोलन की सेना के सिपाही बन चुके थे। इसी युग में श्रीमती इन्दिरा गांधी का जन्म व उनकी चेतना का विकास हुआ देश भक्ति इन्हे पारिवारिक दाय के रूप में प्राप्त हुई थी।

गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित इलाहाबाद (प्रयाग) में जब श्रीमती इन्दिरा जी का जन्म हुआ था तब ज्योतिष विज्ञान के अनुसार उनके सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल थे। उनका नाम इन्दिरा प्रियदर्शनी रखा गया। सम्भवतः इसलिए उनमें जहाँ एक ओर कोमलता थी तो दूसरी ओर महान उर्जा शक्ति उनका गृह नगर इलाहाबाद भी उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रशासनिक एवं राजनैतिक केन्द्र था। और जन्म स्थल आनन्द भवन उस विख्यात व्यक्ति पं0 मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान था जो इन्दु के पितामह थे। यहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार हुआ करती थी। उन राजनैतिक प्रकाशपुन्जों में जो बहुधा वहाँ आया

करते थे। महात्मा गांधी , एनीबेसेन्ट तेज बहादुर सप्रु मदन मोहन मालवीय लाला लाजपतराय एवं मो0 अलीजिन्ना अदि प्रमुख थे। नन्ही इन्दिरा इन्हें सुनती समझती और इससे कुछ लेनें का प्रयत्न करती।

बचपन में श्रीमती इन्दिरा गांधी पर सबसे अधिक प्रभाव उनके दादा पं0 मोतीलाल नेहरू का पड़ा। अपने दादा की शक्तिमत्ता अपुर्व जीवनोल्लास और बड़प्पन नें अभिभूत कर लिया था किन्तु 13 वर्ष की अल्पायु में वे उनके प्रेरक सान्निध्य से वंचित हो गयी।

प्रारम्भ से ही एकाकी जीवन बितानें के कारण इन्दिरा जी छात्र जीवन के प्रारम्भिक दिनो में काफी शर्मीली थी तथापि शान्ति निकेतन में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के संसर्ग में उन्हे अपने व्यक्तित्व को उभार का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरूदेव की चिन्तन दृष्टि की व्यापकता, निर्भयता, सौन्दर्यानुभूति देश की मिट्टी और प्रकति के प्रति अनुराग और विश्वात्मानुभूति ने किशोरी इन्दिरा को जीवन पर्यन्त प्रेरणा दी।

गुरूदेव के वसुधैव कुटुम्बकम् तथा सत्यम् शिवम् सुन्दरम् के सिद्धान्तों नें श्रीमती इन्दिरा गांधी को बहुत प्रभावित किया विभिन्न जातियों व सास्कृतियों तथा देशों के लोगों के पारस्परिक सम्पर्क और पूर्व तथा पश्चिम के सहयोग की कल्पना को उन्होनें विश्वभारती की स्थापना से साकार किया। टैगोर के अनुसार युरोप तथा भारत की परम्पराएं भिन्न रही है। युरोप का सिद्धान्त है राज्य पर पूर्व निर्भरता, भारत सदैव धर्म पर आश्रित रहा है। उसनें अपनें कल्याण के लिए समाज की ओर निहारा है राज्य की ओर नही श्रीमती इन्दिरा गांधी भी समाज को सशक्त करना चाहती थी उनका विचार था कि समाज तब तक शक्तिशाली नही हो सकता जब तक कि यहाँ के पिछड़े एवं निर्बल वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार न किया जाये।

गुरूदेव का विश्वास था कि आर्थिक आभाव और शोषण की भाँति ही अन्धविश्वास आसान और कुरीतियाँ भी मानव प्रगति में बाधक है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए गुरूदेव श्रद्धा और विश्वास के पात्र थे उनकी कुरीतियों और गीतों में स्वतंत्रता के जिस अर्थ का बोध होता था उसी को श्रीमती

इन्दिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में साकार करनें का प्रयत्न किया उन्होनें टैगोर से यह भी प्रेरणा प्राप्त की कि हम चाहे समाजवादी हो या साम्यवादी या पूंजीवादी अथवा अन्य किसी वाद को माननें वाले हों, हमारा मुख्य कर्तव्य देश की समस्याओं को सुलझाना एवं देश के विकास के लिए एतिहासिक कार्य को देखना है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के राजनैतिक आदर्शो में टैगोर के कल्पना पूर्ण और क्रियात्मक चिन्तन की स्पष्ट झलक देखनें को मिलती है। भारत की सर्वागीण उन्नति के लिए उन्होनें कवीन्द्र रवीन्द्र के समान ही आध्यत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी आस्था को समाहित किया।

नन्ही इन्दिरा, महात्मा गांधी से जो उनके दादा के समय से ही आनन्द भवन का अक्सर भ्रमण करते थे से विभिन्न विषयों पर बहस किया करती थी। महात्मा गांधी ने बालिका इन्दिरा को बहुत अधिक प्रभावित किया। उनकी दृष्टि में गांधी इस देश के लोगों उनकी विचार धारा तथा महत्वाकाक्षाओं के सर्वाधिक निकट थे। इन्दिरा जी अपने बचपन में ही यह जान गयीं थी कि गांधी जी ने प्राचीन सिद्धान्तों का प्रयोग वर्तमान युग की आवश्यकता अनुरूप नये ढ़ंग एवं नये रूप में किया है। श्रीमती गांधी राजनैतिक–सामाजिक उत्थान के अपने कार्यों के महात्मा गांधी द्वारा अन्याय और असमानता पर आधारित श्रेणीबद्ध बहुस्तरित समाज व्यवस्था के विरूद्ध प्रारम्भ क्रान्ति का ही एक चरण मानती थीं। प्रधानमंत्री पद ग्रहण के बाद के पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप ही गरीबी बीमारी और अज्ञान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया और कमजोर पिछड़े तथा अधिकार वंचित लोगों की देखरेख व सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी चिन्ता और सक्रियता प्रदर्शित की थी। इन्दिरा गांधी जी के लिए महात्मा गांधी की भाँति धर्म का अर्थ था दीन हीन और दरिद्र नारायण की सेवा करना। उन्हीं के भांति इन्दिरा ने धार्मिक विभेद को त्यागकर धर्म निरपेक्ष होकर भी सम्पूर्ण जीवन को संप्रदाय युक्त धर्मानुप्राणित करने की विचारधारा का समर्थन किया। श्रीमती गांधी के अनुसार वे पैगम्बर और क्रान्तिकारी थे उन्होंने अत्याचार और

अन्याय के विरूद्ध अहिंसक प्रतिरोध का अपूर्ण शस्त्र मानवता को दिया था। इसीलिए वे बुद्ध के बाद सबसे बड़े भारतीय थे।

श्रीमती गांधी पर अपने दादा गुरूदेव और महात्मा गांधी के अतिरिक्त पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा माता कमला नेहरू का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। दृढ़ विचार शक्ति सम्पन्न और स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर उनकी माँ यद्यपि अक्सर बीमार रहती थीं तथापि स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में वे अपने परिवार से कभी भी पीछे नहीं रहीं। सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान ग्यारह वर्ष की जिस बालिका ने अपनी माँ का त्याग देखा है और देश के लिए जेल जाने की ललक वह आगे चलकर कितनी साहसी, देशव्रती और त्यागमयी हो सकती है। इनका परिणाम हमें श्रीमती गांधी के सम्पूर्ण संघर्षशील इतिहास से स्वयंमेव ही हो जाता है।

इन्दिरा जी अपने पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थीं। उनके विचार में उनके पिता ही उनके सच्चे पथ प्रदर्शक और शिक्षक थे। इन्दु के दादा की तरह ही उनके पिता भी पास फेल पर अधिक विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को पत्रों तथा प्रत्यक्ष मिलने पर बातचीत द्वारा शिक्षित किया था। पिता के पत्र पुत्री के नाम में उन्होंने इन्दु को विश्व मानवता की महान आत्माओं जो न आफ आर्क लेनिन एवं महात्मा गांधी आदि के विचारों से परिचित कराया तो विश्व इतिहास की झलक संसार की तमाम क्रान्तियों, भारतीय संस्कृति एवं शासन की संक्षिप्त व्याख्या कर उन्हें विश्व इतिहास की उथल पुथल से अवगत कराया। इन्दिरा गांधी ने अपने महान पिता के इस सांस्कृतिक चिन्तन को अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अपनाया और धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और सब मनुष्यों के प्रति सद्भाव में आस्था प्रगट की। पुस्तकों से प्रेम करना पंडित जी ने ही सिखाया था अपनी बेटी को। परीकथाओं, शेक्सपियर डिकेन्स और शा की कृतियों के बाल संस्करण और उनकी बुआ के लिए लायी गयी क्लासिकी साहित्य का अध्ययन उन्होंने बचपन में कर लिया था। इनमें से कुछ किताबें, पात्र व घटनाओं, विशेषतः जोन आफ आर्क की कहानी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया

था। इस कहानी से ही उनमें जोन आफ आर्क की भाँति ही अपने देश का नेतृत्व करने की इच्छा घर कर गयी थी। और जो आगे चलकर साकार भी हुई।

इन्दिरा गांधी की पढ़ाई नियमित ढ़ंग से नहीं हो सकी थी। कभी इलाहाबाद कभी यूरोप में स्विटजरलैण्ड एवं इंग्लैण्ड कभी पूना कभी शान्ति निकेतन में पढ़ाई का सिलसिला रूक–रूक कर चलता रहा। पिता अक्सर जेल में रहते, बाहर रहते तो भी दौरों, यात्राओं का क्रम लगा रहता। माँ प्रायः बीमार रहतीं तब भी स्वतंत्रता संग्राम में किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं थी और फिर उन्नीस वर्ष की कच्ची उम्र में उन्हें अकेला छोड़ कर चली गयीं। पंडित नेहरू उनकी स्थिति से कभी बेखबर नहीं रहे। जेलों में रहकर भी बेटी के लिए कितना सोचते थे यह उनके हिम्मत और उत्साह दिलाने वाले नये विचारों व इतिहास से सम्बन्धित और देश भक्ति की भावना से ओत–प्रोत लम्बे पत्रों से स्पष्ट होता है। पिता के पत्र पुत्री के नाम और विश्व इतिहास की झलक इन्हीं पत्रों के संकलन हैं, जो विश्व विख्यात है।

इन्दिरा जी के जीवन में कारूणिक घटनाओं की कमी नहीं थी। इन दुःखद घटनाओं का भी एक अनोखा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। काफी छोटी उम्र में माता का देहान्त, कच्ची उम्र में पति का विछोह और पिता पं0 जवाहर लाल नेहरू के बाद उनके जीवन में जो सूनापन जो खालीपन आया। उसमें संभवतः उनमें आत्म विश्वास जगाने और आत्म निर्भरता भरने में सहायता दी। लगता है कि नियत की पूर्व योजनानुसार ही इन्दिरा जी के जीवन में यह घटनाएं घटित होती रहीं और नियति उन्हें उसी तरह बनाती रही जो वे थीं।

जिस घर में इन्दिरा जी का शैशव बीता था उस घर में घरेलू बातें पारिवारिक चर्चाएं न होकर सदा राजनैतिक बाते हुआ करती थीं। पिता, दादा ही नहीं बुआऐं सभी सभाओं में जाती जुलूसों में शामिल होती ओर लम्बी–लम्बी अवध के लिए जेल तक जाती। घर का सामान पुलिस उठा ले जाती, एक बालिका मन पर रोज–रोज इन घटनाओं को देख सुन कर क्या प्रभाव पड़ा

होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। सचमुच घटनाओं ने बचपन में ही इन्दिरा जी के मन पर कुछ ऐसे अमिट चिन्ह बना दिये थे जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व निर्माण में विशेष प्रभावशाली सिद्ध हुए।

इन्दिरा जी का प्रारम्भिक जीवन राजनैतिक उथल पुथल से ओत–प्रोत रहा था। चरखा सादगी और देश प्रेम में सोचने समझने का एक दूसरा ही दृष्टिकोंण बना दिया था। सामाजिक मान्यताएं बदल रही थी एक नई राजनैतिक चेतना का विकास हो रहा था। विदेशी शिकंजों में जकड़ा भारत गुलामी की जंजीरें तोड़ कर एक नये आकार को ग्रहण करनें को व्यग्र हो रहा था। इस राजनैतिक उथल पुथल के युग को छोटी सी उम्र में ही इन्दिरा जी उसी तरह देखती रही जैसे मंच पर हो रहे नाटक को मंच के पर्दे के पीछे से देखा जाय। कांग्रेस के महानतम् नेताओं के संग साथ का भी उन पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता रहा।

जिन दिनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध देहि के मंत्र का महोच्चार हो रहा था। उन्ही दिनों बालिका इन्दिरा अपनें संस्कारों को सवारती हुई राजनीति का पाठ पढ़ रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर आपने छोटी सी उम्र में ही बानर सेना का संगठन का संचालन देश भक्तों को खुफिया जानकारी पहुंचाने के लिए किया था। जब वे कान्वेन्ट में पढ़ रहीं थीं तभी उन्हें लाठी खाने का पहला अवसर मिला। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय वह अपने पति के साथ पहली बार गिरफ्तार हुई जबकि कुछ ही समय पूर्व उनका फिरोज से विवाह हुआ था। अस्तु यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि देश प्रेम, साहस और त्याग की घुट्टी पी–पीकर आपकी मेधा, निष्ठा और कर्तव्य भावना से विकास पाया था। देश भक्ति तो उन्हें पारिवारिक दाय के रूप में प्राप्त हुई थी।

अपने परिवार के साथ आजाद ख्याल यूरोप के भ्रमण का जो अवसर उन्हें मिला जहां वे 7 वर्ष तक रहीं उससे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी मिली और वह प्रजातंत्र तथा प्रजातंत्र की प्राप्ति के लिए जन

आन्दोलन क्या है? और क्यों है? को समझ सकी। यहीं वे रोम्यां एवं आईन्सटीन जैसे महापुरूषों से मिली थीं।

इन्दिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के पहिले ही दिन से संघर्ष करना पड़ा। उनके विरोधियों व आलोचकों की टिप्पणी गलत है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद अपनें पिता नेहरू से विरासत में मिला था यदि इसे सच भी मान ले तो यह निर्विवाद है कि उन्होनें अपनें को इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध किया वे महान वंश में जन्मी थी उन पर महानता लादी गयी थी। पर साथ ही वे अपनी योग्यता प्रतिभा एवं दक्षता के बल पर महान से महानतम् बनती गयी थी। इस सन्दर्भ में इन्दिरा जी का यह कथन कि मेरे अन्दर का सर्वश्रेष्ठ संघर्ष में उभर कर आता है। बहुत मानें रखता है। स्वर्गीय शास्त्री के बाद श्रीमती गांधी को सत्ता सभालनें में तत्कालीन सिण्डीकेट ने अभूतपूर्व रूचि दिखलायी थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वे सोचते थे कि यह दुबली पतली शर्मीली महिला तो उनके हाथों की कठपुतली बनी रहेगी और वास्तविकता सत्ता का संचालन और उपयोग वे स्वयं करते रहेगें। किन्तु शीघ्र ही उनकी (सिंडीकेट की) यह धारणा दिवा स्वप्न बन कर रह गयी और श्रीमती गांधी नें उनकी सतरंजी चाल का उन्ही की ओर मोड़कर और मात देकर उन्हें हतप्रभ कर दिया।

प्रारम्भ में तो ऐसा लग रहा था जैसे श्रीमती गांधी के पैर लड़खड़ा जायेंगे। शासन सत्ता सभालनें के तत्पश्चात तमाम समस्याओं नें उन्हें आ घेरा दो लड़ाइयों के असीम मार से देश की आर्थिक स्थिति लड़खड़ानें लगी और अवमूल्यन ऐसा कठिन निर्णय उन्हें लेना पड़ा जिसकी सर्वत्र आलोचना हुयी। कांग्रेस में उनके विद्रोही तो यह समझनें लगे कि उन्हें गिरानें का यह सुअवसर है। कामराज नाडर आदि नें भी इसकी बहुत भत्सर्ना की। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी इससे बिगड़ी। रूस ने इसे भारत पर स्पष्ट अमरीका का प्रभाव बताया इग्लैण्ड एवं फ्रांस आदि यूरोपीय देशों नें भी श्रीमती गांधी के इस निर्णय को असामायिक बताया है। इन्ही परिस्थितियों में 1967 का चुनाव लड़ा गया कांग्रेस केन्द्र में केवल सूक्ष्म बहुमत पा सकी । बहुत से राज्य उसके हाथ से

चले गये। इतनें बड़े राष्ट्र को सम्हालनें की क्षमता उनमें है। यह एक प्रश्न चिन्ह के रूप में उभर कर सामनें आया। बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर मुरार जी से मतभेद इतनें तीव्र हुये कि उन्हे उनसे वित्त मंत्रालय ले लेना पड़ा।

सिंडीकेट गुट श्रीमती गांधी को तोड़ देनें पर तुल गया था। उसकी पसंन्द का राष्ट्रपति निर्वाचित होनें से प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हट जाता इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न होनें देना श्रीमती गांधी के लिए अपनें राजनैतिक अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो गया था। यह संघर्ष कांग्रेस के भीतर दक्षिण पंथी और मध्य के वाम की ओर झुकाव रखने वालों के बीच एक शानदार और महत्वपूर्ण संघर्ष था। ऐसी स्थिति में इन्दिरा गांधी द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवार श्री गिरि विजयी हुए। श्री गिरि का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना इन्दिरा गांधी की एक महान कूटनीतिज्ञ विजय थी।

राष्ट्रपति के चुनाव के बाद श्रीमती गांधी को एक बार फिर अंगारों पर चलना पड़ा। इस चुनाव के बाद कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये। संगठन कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस। इन दो दलों में इन्दिरा गांधी के पक्ष में निर्विवाद रूप से अधिक सदस्य थे, लेकिन संसद में उन्हें बहुत बचकर चलना पड़ा था। दल के दो भागों में बट जाने के बाद लोक सभा के 520 स्थानों से संसद में सत्ता कांग्रेस के 220 और संगठन कांग्रेस के 65 सदस्य थे ऐसी स्थिति में भी इन्दिा गांधी निरूत्साहित नहीं हुई और उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवीपर्स की समाप्ति आदि अनेंक प्रगतिशील और समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वित किये। 220 सदस्यों के साथ वे एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहीं थी, जो ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने में उनके सामने कठिनाई के रूप में उपस्थित होती, परन्तु देश में समतावादी समाजवाद की ओर ले जाने में उनकी दृढ़ धारणा राजनीति दाव पेंच पर विजयी रही। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ती गयी और राजाओं के प्रीवीपर्स और उनके विशेषाधिकार समाप्त करने का विधेयक जब राज्य सभा में पारित नहीं हो सका तथा उन्होंने इस स्थिति का अन्त करने का निश्चय किया। दिसम्बर 1970 में संसद को भंग करने की घोषणा की गयी।

उस समय लोक सभा का कार्यकाल पूरा होने में एक वर्ष शेष था। सन् 1971 में संसद के मध्यावधि चुनाव के लिए श्रीमती गांधी के सभी मौका परस्त विरोधी राजनीतिक दलों में उत्तर और दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक महागठबन्धन बनाया था इस महागठबन्धन का नारा था – इन्दिरा हटाओ।

महागठबन्धन में सम्मिलित पार्टियों और व्यक्तियों की कार्यक्रम हीनता और अवसर वादिता का इससे अच्छा और परिचय क्या मिल सकता था। उनके पास इन्दिरा को हटाने के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं था। दूसरी ओर इन्दिरा गांधी जनता के पास गरीबी हटाओ का नारा लेकर पहुँची। चुनाव में इन्दिरा गांधी की अभूतपूर्व विजय हुई। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में सिरतोड़ बहुमत प्राप्त हुआ और इन्दिरा हटाओ का नारा देने वालों में से अनेंक की जमानतें जब्त हुईं।

1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय की सुर्खिया अभी सूख भी नहीं पायी थी कि बंगलादेश में पाकिस्तानी फौजियों ने नर संहार आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप 90 लाख बंगला शरणार्थी भारत आये। भारत के लिए यह एक नयी स्थिति थी। पडोस में नरसंहार जारी था और स्वयं भारत की स्वाधीनता खतरे में पड़ गयी थी। संसार केवल तमाशा देख रहा था। फिर गटरो और पाइयों में रहने वाले शरणार्थियों की दशा पर घडियाली आंसू बहा रहा था। बंगलादेश के गौरवशाली संघर्ष को महज एक दुःखान्त नाटक की तरह देखा जा रहा था। भारत की सीमाओं पर दबाव बढ़ता गया। फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ यह युद्ध के परिणाम स्वरूप संसार के नक्शे पर एक नया देश उभर कर आया। इस देश का नाम था – बंगलादेश। इस घटना से न केवल इतिहास बल्कि इस महाद्वीप का भूगोल बदल गया। श्री मती इन्दिरा गाँधी के जीवन का यह सब से गौरवशाली क्षण था, पिछली कई शताब्दियों में भारत को संसार में कभी भी इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी जितनी कि बंगलादेश की आजादी के बाद प्राप्त हुयी।

बंगलादेश के शरणार्थियों पर हुए व्यय सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा सरकारी और गैर सरकारी तंत्र के नैतिक स्खलन के फलस्वरूप

आर्थिक स्थिति में भयानक गिरावट हुई जिसनें श्रीमती गांधी के विरोधियों को नये नारे और नये मुहावरे लेकर जनता में आराजकता और हिंसा की भावनाएं उकसानें का सुनहरा मौका दिया। कांग्रेस पार्टी फिर उदासीन हो चली या फिर अपनें भीतरी झागड़ों में फंसी रही और विरोधियों ने किसी नये झाण्डे की तलाश आरम्भ की। उन्हें नयी पताका मिल गयी। ये ध्वज थे श्री जय प्रकाश नारायण जिनकी छाया में खड़े होकर महागठबंधन की पार्टियों नें एक बार फिर इन्दिरा हटाओ का अभियान आरम्भ कर दिया गुजरात में लगभग आराजकता कायम कर दी गयी और बिहार हिंसा तथा उत्पात की प्रयोंगशाला में परिणत कर दिया गया है। श्री जय प्रकाश नरायण महागठबंधन की पार्टी की एकता की कड़ी बन गये और उन्होनें समग्र क्रांन्ति का नारा दिया समग्र क्रान्ति एवं प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर देश में उत्पात और हिंसा का क्रम जारी हो जायेगा।

बंगला देश की लड़ाई से केवल पाकिस्तान की ही हार नहीं हुई किन्तु अमरीका की भी हार हुई। भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर आया। एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जिनको अमेरिका डराता धमकाता रहता था अब इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की आवाज की शक्तियों के दादागीरी के विरोध में सारे संसार में गूजनें लगी इसी कारण बंगला देश की लड़ाई के बाद अमरीका नें निश्चय किया कि किसी भी तरह गांधी को सत्ता से हटाना है। ताकि उनके हटते ही भारत में अराजकता एवं अनिश्चय का दौर शुरू हो जाये। अभी अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र का यह क्रम जारी ही था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इन्दिरा गांधी के विरूद्ध फैसला सुना दिया। यद्यपि न्यायाधीश श्री सिन्हा ने इन्दिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की सुविधा प्रदान की थी लेकिन विरोधी पार्टियों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के इन्तजार तक का सब्र नहीं था। उन्हें सत्ता अपनी झोली में गिरती नजर आयी। श्री जय प्रकाश नारायण और उनके समर्थकों ने फौज और पुलिस को भडकाना आरम्भ कर दिया। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे देश के रंग मंच पर अराजकता की शक्तियां

आर्थिक स्थिति में भयानक गिरावट हुई जिसनें श्रीमती गांधी के विरोधियों को नये नारे और नये मुहावरे लेकर जनता में आराजकता और हिंसा की भावनाएं उकसानें का सुनहरा मौका दिया। कांग्रेस पार्टी फिर उदासीन हो चली या फिर अपनें भीतरी झगड़ों में फंसी रही और विरोधियों ने किसी नये झण्डे की तलाश आरम्भ की। उन्हें नयी पताका मिल गयी। ये ध्वज थे श्री जय प्रकाश नारायण जिनकी छाया में खड़े होकर महागठबंधन की पार्टियों नें एक बार फिर इन्दिरा हटाओ का अभियान आरम्भ कर दिया गुजरात में लगभग आराजकता कायम कर दी गयी और बिहार हिंसा तथा उत्पात की प्रयोंगशाला में परिणत कर दिया गया है। श्री जय प्रकाश नरायण महागठबंधन की पार्टी की एकता की कड़ी बन गये और उन्होनें समग्र क्रांन्ति का नारा दिया समग्र क्रान्ति एवं प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर देश में उत्पात और हिंसा का क्रम जारी हो जायेगा।

बंगला देश की लड़ाई से केवल पाकिस्तान की ही हार नहीं हुई किन्तु अमरीका की भी हार हुई। भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर आया। एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जिनको अमेरिका डराता धमकाता रहता था अब इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की आवाज की शक्तियों के दादागीरी के विरोध में सारे संसार में गूजनें लगी इसी कारण बंगला देश की लड़ाई के बाद अमरीका नें निश्चय किया कि किसी भी तरह गांधी को सत्ता से हटाना है। ताकि उनके हटते ही भारत में अराजकता एवं अनिश्चय का दौर शुरू हो जाये। अभी अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र का यह क्रम जारी ही था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इन्दिरा गांधी के विरूद्ध फैसला सुना दिया। यद्यपि न्यायाधीश श्री सिन्हा ने इन्दिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की सुविधा प्रदान की थी लेकिन विरोधी पार्टियों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के इन्तजार तक का सब्र नहीं था। उन्हें सत्ता अपनी झोली में गिरती नजर आयी। श्री जय प्रकाश नारायण और उनके समर्थकों ने फौज और पुलिस को भडकाना आरम्भ कर दिया। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे देश के रंग मंच पर अराजकता की शक्तियां

नंगा कृत्य करने के लिए अमादा है। कोई भी व्यक्ति इस भयानक दबाव में आगे झुक या टूट सकता था। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार फिर साहस एवं राजनीतिक कौशल का परिचय दिया एवं आपात स्थिति की घोषणा द्वारा भारत के करोड़ों नागरिकों को आराजकता के गर्त में जाने से बचा लिया, क्योंकि तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में इस संवैधानिक कदम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

आपात स्थिति की घोषणा के आधार पर इन्दिरा गांधी के शासन काल को आतंक या तानाशाही की संज्ञा देना बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः हिटलर के जर्मनी या सतालिन के रूस की तरह को आतंक भारत में नहीं था देश में एक नागरिक सरकार की और वह पुलिस या सेना के बल पर टिकी हुई नहीं थी वह इसलिए टिकी हुयी थी कि लोग अपने ही डर से डरे हुए थे। 26 जून 1975 को कैबिनेट आपातकाल को नामंजूर कर देती तो सेना की मदद से भारत में आपातकाल लगने की कोई तैयारी इन्दिरा गांधी नें नहीं की थी। ये वे करती भी तो सफल नहीं होती, क्योंकि संवैधानिक सरकार को उलटने की कोई हविश भारत के सेनापतियों के मन में नहीं रही। मौके 26 जून के बाद भी बहुत आये। संसद के अधिवेशन नियमित होते रहे, जिनमें से करीब चार सौ सांसदों को प्रतिवर्ष पांच सात महीने तक एकत्र होने का मौका मिलता रहा। यदि किसी भी समय सौ सवा सौ कांग्रेसी संसद सदस्य आपात तंत्र के खिलाफ आवाज उठा देते तो यह कतई नहीं था कि फौज संसद भवन घेर लेगी। इन्दिरा गांधी नें जिस आपात काल की घोषणा की थी जनता नें एक प्रकार से उसे अराजकता अव्यवस्था और कुशासन पर अंकुश का प्रयास मानकर राहत की सांस ली विरोधियों की आये दिन की हुल्लड़ बाजियों से तंग और देश की अन्दरूनी और बाहरी सुरक्षा के प्रति चिन्तित भारतीय जनता इमरजेंसी की शक्तियों में अनुशासन पर्व का आनन्द अनुभव करनें लगी।

इन्दिरा गांधी ने स्वयं भी कई बार कहा कि वह आपात स्थिति लागू नहीं कराना चाहती विरोधी पार्टियों की मनमानी के कारण उन्हें आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह एवं इन्दिरा गांधी के बीच

जो वार्तालाप साक्षात्कार के रूप में हुआ था वह आपात स्थिति की पृष्ठ भूमि पर यथार्थ प्रकाश डालता है। श्री खुशवन्त सिंह ने प्रश्न किया था जे0 पी0 यह नारा लगा रहे है। कि हमारे सामने विकल्प तानासाही और प्रजातन्त्र का है। इसके बारे मेआपका का क्या ख्याल हैंखुशवन्त सिंह इन्दिरा गांधी बढते कदम पर पृष्ठ86.87 ।

इन्दिरा गांधी के खिलाफ प्रतिपक्षी दलों का सबसे जोरदार अभियोग आपातकाल के दौरान यह था कि उन्होंने आपातकाल की घोषणा करके नागरिक अधिकार छीन लिये थे। व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता छीन ली। परिवार नियोजन के मामले में जोर जबरजस्ती की गयी। जब श्रीमती गांधी ने 18 जनवरी 1977 को भारतीय लोक सभा को भंग करके एवं मार्च 1977 में चुनाव कराये जाने की घोषणा की तब उन्होंने 18 जनवरी को राष्ट्र के नाम प्रसारित संदेश में कहा था कि वर्तमान लोक सभा चुनाव 1971 में हुआ था। जनता के स्पष्ट बहुमत के कारण हम कई जटिल चुनौतियों का सामना कर पाये जो उत्पन्न हुई थी जैसे बांगला देश का मामला अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट 1972–73 का गम्भीर सूखा 1974–75 की बिना बजट राजनीतिक घटनाएं। कानूनन यह लोक सभा 15 महीने और रह सकती है। जनता देश की मालिक है। इसलिए पार्लियामेन्ट और सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। देश की शक्ति और विकास के कार्यक्रम तथा नीति के लिए उसकी अनुमति लेनी चाहिए।

हर चुनाव एक अवसर है राष्ट्र के जीवन से भ्रम को दूर करने का। इसलिए हम फिर जनता की शक्ति में विश्वास प्रकट करें और दिखलाएं कि भारत का रास्ता समझौता, शान्ति और प्रगति का है।

2 जनवरी 78 को इन्दिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में पुनः एकबार जोखिम उठाकर अपनी नयी कांग्रेस की घोषणा कर दी। इन्दिरा गांधी को इस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।

1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अधिकांश नेता और समर्थक इसलिए उनके गुट में शामिल हो गये थे, क्योंकि

उस समय वह प्रधानमंत्री थी। और उसके पास सारा शासन और प्रशासन था। लेकिन इस बार की स्थिति ठीक उसके विपरीत थी। सन् 1978 में उसके पास सत्ता नहीं थी। और जनता सरकार द्वारा अनेंक अपराध पंजीकृत कराकर उनकी छबि को भी धूमिल किया जा रहा था। कांग्रेस के पुराने महारथी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री ब्रम्हानन्द रेड्डी और कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री यशवन्तराय चाव्हाण का यह विचार था। उनका राजनीतिक लाभ इसी में है कि इन्दिरा गांधी कांग्रेस से अलग हो जायें। उनकी धारणा की विभिन्न दलों से गठित जनता पार्टी के नेताओं में एकता तो केवल इसी भय के कारण थी कि इन्दिरा गांधी सत्ता में न आ जाये। यदि इन्दिरा गांधी कांग्रेस से अलग हो जायेगी तो कांग्रेस फिर अपना दल वहीं रूप और स्वरूप ग्रहण कर लेगा जो 10 वर्ष पूर्व था और जनता पार्टी छिन्न भिन्न हो जायेगी। परन्तु कांग्रेस के महारथियों की यह धारणा केवल एक दिवास्वप्न के समान थी। एक कांग्रेस आई, को नया स्वरूप देना उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता एवं उनके एक महान सोंच का परिणाम था। जो जनता पार्टी के लिए केवल एक वर्ष में ही चुनौती बन गयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी का विचार था कि कांग्रेस के कुछ अपने सिद्धान्त हैं और उसी के लिए उसे संघर्ष करना चाहिए न कि व्यक्तिगत लाभ एवं हानि की दृष्टि से। यही कारण था कि इन्दिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विधान सभाओं के चुनाव में जो महान सफलताएं प्राप्त की उससे यह सिद्ध हो गया कि करोड़ो भारतीयों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति, उनके विवेक के प्रति तथा समाज को कायाकल्प कर डालने की उनकी शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा है। इस चुनाव में जनता पार्टी तो ध्वस्त हुई ही परन्तु रेड्डी एवं चाव्हाण वाली कांग्रेस धूल धूसित हो गई।

चिकमंगलूर संसदीय उप चुनाव में इन्दिरा जी की विजय ने पुनः इन्दिरा गांधी के भविष्य के प्रति सारे देश की जनता में जिज्ञासा का भाव पैदा कर दिया। कांग्रेस (ई) की नजरों में चिकमंगलूर की विजय इन्दिरा गांधी और उनके ग्यारह वर्षों के शासन के प्रति जनता की आस्था और जनता पार्टी के पतन के प्रतीक थी। वास्तव में चिकमंगलूर का उपचुनाव कोई स्थानीय चुनाव

न था। वह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा गया था। इसलिए एक ओर श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रस आई की विजय थी तो दूसरी ओर जनता शासन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जनता पार्टी इस विशालदेश का शासन चलाने में अक्षम है।

यदि इन्दिरा गांधी चिकमंगलूर में हार भी जातीं तो भी यह निष्कर्ष निकालना गलत भी होता कि उनका सितारा हमेशा के लिए डूब गया है और भविष्य में वे राजनीतिक गलियारे में कभी उदित नहीं होगी। वस्तुतः इन्दिरा गांधी की राजनैतिक उपस्थिति को समाप्त करने का यही तरीका था कि जनता पार्टी दृढ़ता और सही दिशा के साथ प्रशासन चलाये किन्तु जनता पार्टी का एकमात्र संकल्प यही था कि वह प्रशासन की ओर ध्यान न देकर श्रीमती गांधी के पीछे पडी रहे। किन्तु वे श्रीमती गांधी की विजय से इतना बौखला गये थे कि उन्होंने व्यक्तिगत राजनैतिक प्रतिशोध का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संसद की मर्यादा भंग करने का दोषारोपण कर उन्हें सदन के सभावसान तक जेल भेज दिया और सदन की सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया। जनता पार्टी सरकार का यह निर्णय उसी फांसीवाद की नजीर थी जिसकी प्रतीक उसके अनुसार श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं थीं।

लोक सभा द्वारा इन्दिरा गांधी का सदन से निष्कासन जनता सरकार का एक अविवेक पूर्ण कदम था। उनके खिलाफ बैठाये गये अयोगों की श्रंखला और अदालती कार्यवाही की प्रतिक्रिया ने जनता में उनके प्रति सहानुभूति पैदा की। संसद से सड़क पर उतारकर उन्हें अदालतों के कठघरों तथा जेल के सिखचों में खींचा गया। उस काल में उनके धैर्य और संयम के साथ ही सहनशीलता ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक महिला वह भी अधिकार हीन अबला को बडे–बड़े राजनीतिक महारथी एक साथ उत्पीड़न कर रहे थे, यह बात जनता में उनके प्रति सहानुभूति उपजा रही थी। उधर जनता पार्टी आंतरिक कलह के कारण डगमगाने लगी थी।

जनता पार्टी में विलयित पूर्ण घटकों के शीर्षनेताओं विशेषतः मोरार जी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम की महत्वाकांक्षाओं की आग

धीरे–धीरे घटकवाद के रूप में सुलगने लगी। इसी वर्ष विधान सभा चुनावों में यह घटकवाद अपने उग्र रूप में उभर कर आया। अब जनता पार्टी के भीतर शीत युद्ध तेज हो चुका था। शीर्षस्थ नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, पद के दुरूपयोग व विदेशी एजेन्ट होने के आरोप प्रत्यारोप समाचार की सुर्खियों में आने लगे और जनता अपने इन नेताओं की घृणित हरकतों तथा ओछी बयान बाजियों से आवाक् रह गयी।

इस आपसी कलह और घटकवाद के साथ अन्य तमाम कारण जनता पार्टी के पतन के कारक बने। जनता पार्टी ने आपात काल के दौरान नौकरशाही के उभरते प्रतिबद्ध सिविल सेवा के स्वरूप को देश संचालन के लिए घातक मान उसका विरोध किया था। और अपने घोषणा पत्र में इसे समाप्त करने का संकल्प लिया था। किन्तु वही सत्ता में आने पर कमिटिल सिविल सर्विस की धारणा को समर्थन दे रहे थे। अपने अनुकूल और पंसदीदा अफसरों को पुरूष्कृत तथा नियमतः कार्यकरने वाले नौकरशाहों को तबादलों अथवा निलम्बन अथवा गिरफ्तारी के रूप में दण्डित किया जा र हा था। डी0वी0 बोहरा तथा वी0पी0 अग्रवाल की गिरफ्तारी आदि जिसमें सरकार प्रतिशोध वश किसी भी प्रशासनिक और विभागीय न्यायविदित प्रक्रिया को ताक में रखकर निरंकुश ढंग से कार्य किया था। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। इस राजनैतिक हस्तक्षेप से प्रशासनिक अधिकारियों में भृष्टाचार व शिथिलता बढ़ी और वे अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन हो गये। फलस्वरूप कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में भारी गिरावट आयी। जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता की जड़ें गहराने लगीं। हरिजनों में अत्याचार की बाढ़ सी आ गयी। उत्तर प्रदेश और बिहार में हरिजन उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। मजदूरों का शोषण बढ़ने लगा। पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय बस्तर जिले के बैलाडिया, गोरखपुर के अंचला ग्राम स्थानों पर मजदूरों व कमजोर तबकों पर हुए अत्याचार अपनी निर्ममता में जलियावाला बाग कांड की याद दिलाते है। इस दौरान हरिजनों पर 10 हजार से भी ज्यादा हिंसात्मक अत्याचार हुए। विश्वविद्यालय एवं कालेज में निरन्तर हड़ताल के कारण शिक्षा

में भारी गिरावट कारखानों में आये दिन ताला बन्दी बिक्रीकर समाप्ति आदि के वायदे को पूरा करना बजट के घाटे को कम न कर पाना प्रेस की स्वतंत्रता और आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों की स्वायत्ता सुनिश्चित करने के स्थान पर उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा देना, आदि कुछ गुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर जनता सरकार व बुद्धजीवियों के समक्ष वादा खिलाफी की अपराधी बन गयी थी क्योंकि ये सभी बातें जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल थीं और जब उसे इन पर अमल करने का मौका मिला तब वे असफल सिद्ध हुयी।

जनता सरकार के कुशासन का एक ज्वलन्त उदाहरण पुलिस व उसके सहयोगी बलों में विद्रोह के रूप में सामने आया। जन प्रतिनिधियों, मंत्रियों व उनके समर्थकों द्वारा दुराग्रह पूर्ण तरीकों से पुलिस जनों को प्रताड़ित व अपमानित करने की अनेंक घटनाओं से क्षुब्ध होकर पुलिस कर्मी संगठित होकर सड़क पर उतर पडे। पार्लियामेन्टी फोर्स सी0आर0पी0एफ0 तथा सी0आई0एफ0 भी उनके साथ हो गये। उस स्थिति में बी0एस0एफ0 तथा सी0आई0एफ0 भी उनके साथ हो गये। उस स्थिति में बी0एस0एफ0 तथा सेना का प्रयोग करना पड़ा। स्थिति पर नियंत्रण तो किसी प्रकार पा लिया गया, किन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे पुलिस बलों का असंतोष दूर किया जा सके। पुलिस विद्रोह के तुरन्त बाद ही हिन्दू मुस्लिम दंगों की घटनाएं बढ़ गयीं इससे जनता पार्टी के ही एक घटक का हांथ माना जाता रहा।

दल बदल कानून बनाने का वादा करके भी अपने स्वार्थ साधन के लिए इसकी उपेक्षा की गयी। राज्य सभा में अल्पमत जनता पार्टी दल बदल को उत्साहित कर अपनी मजबूत स्थिति कर सकती थी। पुराने अवसरवादी दिनेश सिंह, रघुरमैया और नंदिनी सत्पथी आदि कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हुए। ये सभी आपातकाल के समर्थक रहे थे। जनता ने देखा कि आपातकालीन अत्याचार से खूनीदान से सने चेहरे अब जनता पार्टी में पहुँच गये हैं। तो इन्दिरा जी में और इनमें क्या अन्तर था? जनता अब जान गयी थी कि ये ज्यादतियां इन्दिरा के कारण नहीं नौकरशाही व बीच में नेताओं के

अल्पधिक जोश व अविवेक का परिणाम था अतः जनता इन्दिरा के प्रत्यावर्तन की राह देखने लगी।

इन घटनाक्रमों के बीच इन्दिरा जी चुप नहीं बैठी रहीं। जहाँ–जहाँ हरिजनों, मजदूरों, कमजोर तबकों व औरतों पर अत्याचार हुए वहां–वहां वे अपनी सहानुभूति लेकर पहुंची और इस प्रकार व्यापक जनाधार पैदा कर रही थीं। चिकमंगलूर विजय के बाद श्रीमती गांधी के लिए संसद का जो रास्ता खुला था वह जनता सरकार की दुर्भावना ने उन्हें पूरे काल के लिए सदन से निष्कासित कर बन्द भले ही कर दिया हो पर जनता ने उनके लिए अपने द्रव्य के द्वार खोल दिये।

अब तक नेपथ्य में चलती इस उठापटक को चौधरी चरण के आदेश राजनारायण ने खुले आम कई शीर्षस्थ नेताओं पर अशोभनीय आरोप लगा कर तमाशा बना दिया। त्यागपत्र देने व वापस लेने के लिए मनाने का दौर आखिर कब तक चलता भारत में पहलीबार दो उपप्रधान मंत्री बने। फिर भी वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे की जड़े काट रहे थे। इधर कूटनीति की शतरंज बिछ चुकी थी। चरण सिंह राजनारायण के माध्यम से इन्दिरा जी का सहयोग प्राप्त कर प्रधानमंत्री पद पा सकने का स्वप्न देखने लगे।

इन्दिरा जी और संजय ने इसका लाभ उठाया। जनता पार्टी के कई नेता अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ना चाहते हैं यह खबर आम हो गयी। राजनारायण और संजय मिलते रहे। श्री स्वरूप सिंह भूतपूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय श्री ब्रम्हदत्त और बी0पी0 मौर्य के अतिरिक्त कुलदीप नारंग और कार्टूनिस्ट राजेन्द्र पुरी ने इन्दिरा चरण सिंह के बीच की दूरी कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस बीच चाह्वाण ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, इन्दिरा जी तो पहले खामोश रही फ़िर उन्होंने चरण सिंह को बिना शर्त समर्थन देने को कहलवा भेजा। अविस्वास प्रस्ताव पर विचार के दो दिन पूर्व ही मोरार जी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति चाह्वाण से सरकार बनाने को कहा वे ऐसा न कर सके। मोरार जी व चरण सिंह ने अलग–अलग

अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया गया। मोरार जी अपनी सूची के बोगस नामों के कारण नैतिकता के आधार पर स्वयं को पार्टी नेतृत्व से हटा लिया। इस प्रकार चरण सिंह श्रीमती गांधी के सहयोग से 26 जुलाई 1977 को प्रधानमंत्री बने। उनकी प्रतीक्षित महात्वाकांक्षा पूरी हुयी। किन्तु आगे चलकर विशेष अदालतों के गठन के प्रस्ताव की वापसी किस्सा कुर्सी का केस की वापसी आदि मुद्दों पर संजय के कठोर रवैये तथा उनके दबाव के आगे झुक न सकने की अपनी स्वाभाविक मजबूरी के कारण चरण सिंह ने त्याग पत्र देना उचित समझा और 22 अगस्त को लोकसभा भंग कर दी गयी। इस प्रकार मोरार जी देसाई की जिद ने जनता सरकार की नींव को हिलाया कहीं चौधरी चरण सिंह की संकीर्णता ने उसकी रीढ़ पर प्रहार किया और बाबू जगजीवन राम की अवसरवादिता ने उसे धराशायी कर दिया। यह समस्त क्रम इन्दिरा गांधी जी की कल्पना के ही अनुकूल चला और जनता पार्टी सरकार का अवसान इन्दिरा जी के लिए लाभप्रद ही रहा। सन् 1980 के चुनाव में इन्दिरा और उनकी पार्टी को पुनः भारी बहुमत मिला। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी और उसकी प्रधानमंत्री एक बार फिर बनी श्रीमती इन्दिरा गांधी।

जुलाई 1979 में जनता पार्टी टूट गयी। सत्ता को लेकर पार्टी में एक महाभारत मच गया और वह टुकड़ो–2 में बट गयी। श्री मोरार जी का पतन हुआ। चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, किन्तु उन्हें भी असफल होना पड़ा एवं भारत के राष्ट्रपति की पुनः अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का गौरव प्राप्त हुआ। देश के लिए मध्यावधि चुनाव की घोषणा की तथा श्री चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया। इस सारी राजनीति के उथल पुथल के बीच श्रीमती इन्दिरा गांधी धीरज और धैर्य का दीप बनी रही। उन्होंने जनता पार्टी के आसपास की अराजकता पूर्ण गड़बड़ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस नये राजनीतिक ध्रुवीकरण कारण के दौरान उन्होंने एक ऐसा काम देश में किया जो कोई नेता आजतक नहीं कर पाया है। उन्होंने पहली बार उपने दल को आशा करना सिखाया। उन्होने सन् 1975 की इमरजेंसी को दूसरी रोशनी में देखे जाने में

राजनीतिक सफलता प्राप्त की। भारत के सभी वर्ग के लोग यह सोचने लगे कि आजादी के बाद भारत में सख्त एवं संकल्पवान राज्य का एक भाग प्रयोग श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी के उन 21 महीनों के दौरान किया था। लोगों ने यह भी अनुभव किया कि जनता पार्टी के 28 महीनों के शासन से यदि कोई बात सिद्ध होती है तो वह यह है कि नर्म राज्य किसी भी लक्ष्य किसी भी गंतब्य की ओर नहीं पहुँच सकता।

सन् 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को मिले व्यापक बहुमत 351/524 यह सिद्ध कर दिया कि वह देश की सबसे लोक प्रिय नेता है। उन्होंने चुनाव में स्थिरता का नारा दिया था। इस चुनाव की विशेषता यह थी कि इन्दिरा कांग्रेस के सदस्य के रूप में संसद में एक तरफ लगभग कई राज्यों से प्रशासन और राजनीति दोनों में पर्याप्त अनुभव से सम्पन्न लोग चुने गये। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नये और युवा लोग भी चुने गये। इन्दिरा कांग्रेस की आशातीत सफलता एवं दो तिहाई बहुमत के कारण प्रतिपक्षी दलों की संख्यात्मक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी। श्रीमती गांधी ने लगभग तीन वर्षों के अन्तराल के बाद पुनः पार्टी का नेता चुने जाने के बाद अपने स्वागत का उत्तर देते हुए विनम्रता पूर्वक कहा कि पार्टी की विजय का श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं लेती। चुनाव में मैं जो भी कर सकी वह मेरे कर्तव्य का ही एक अंग था। मैने इसे कभी भार नहीं माना। मैने कभी थकावट नहीं महसूस की। आपकी सहानुभूति अनावश्यक है। दैवी शक्ति हम सभी में है। यदि हम इसका उपयोग नहीं करते तो यह हमारी भूल है। हम स्वयं पर भरोसा नहीं करेगें। तो हम थक जायेगें और कठिनाइयों का सामना नहीं कर पायेगें। दुनियाँ संघर्षो से भरी है। संघर्ष का तरीका जंगल युग में हिंसक पशुओं से रक्षा करने से देश और समाज के लिए संघर्ष करने में बदल चुका है। भारतीय दर्शन के अनुसार अच्छाई और बुराई साथ–साथ चलते हैं। मेरा यह विश्वास है कि हमेशा सत्य के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। (नई दुनियां इन्दौर, 11 जनवरी 1980 के अंक से उद्धृत पृष्ठ 1)

इन्दिरा गांधी ने भारत में लोक तंत्र को सामाजिक दर्शन एवं जीवन पद्धति बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने दीनहीन जन साधारण वर्ग में भी राजनीतिक चेतना पैदा की है। इससे पूर्व राजनीतिक सत्ता एक छोटे से दायरे में ही सीमित थी। भारत की राजनीतिक सत्ता सम्भालने के बाद उन्होंने लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए समय–समय पर जो मध्यावधि चुनाव कराये उनसे भारत में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हुयी हैं। उनके द्वारा जो राजनीतिक चेतना प्रस्फुटित की गयी उससे जन साधारण में यह साहस और विश्वास पैदा हुआ है कि यह मताधिकार द्वारा किसी भी राजनैतिक दल को सत्ता विहीन अथवा सत्तासीन कर सकती है। भारतीय जनमानस ने सर्वप्रथम यह महसूस किया है कि किसी भी राजनीतिक दल अथवा शासक द्वारा उनकी गरीबी निरक्षरता एवं अन्य सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें स्वयं अपनी इच्छानुसार मताधिकार द्वारा राजनीतिक निर्णय लेने से रोका नहीं जा सकता है।

इन्दिरा गांधी ने भारत में लोकतंत्री मान्यताओं को बहुत गति प्रदान की और इससे सामाजिक दर्शन को सम्पन्न बनाया। भारत में उन्होंने जिस अहिंसक क्रान्ति का सूत्रपात किया है उसके तीन आधार बिन्दु हैं लोकतंत्र समाजवाद एवं धर्म निरपेक्षता लोकतंत्र के उपासक के रूप में उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए केवल राजनैतिक समानता ही काफी नहीं है और यह कि उनके साथ आर्थिक एवं सामाजिक समानता भी होनी चाहिए।

इन्दिरा गांधी ने भारत में लोकतंत्री व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही भारतीय जनता में एक सबल नैतिक भावना, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता व साहस का संचार करने का सफल प्रयत्न किया। इन्दिरा जी ने भारत के विभिन्न वर्गों विशेषतः निर्धन और कमजोर वर्ग में आत्म विश्वास तथा सामाजिक सक्रियता उत्पन्न की। देश के कोने–कोने में स्वावलम्बन और सामाजिक सह और अस्तित्व की लहर पैदा की। राष्ट्रीय अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने देश या विदेश की विघटनकारी ताकतों से

डटकर मुकाबला किया। देश की सीमाओं की सुरक्षा के मूल्य पर कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौता उन्हें कभी मान्य नहीं था। उन्होंने आर्थिक विकास में बड़े देशों की बपौती को चुनौती देते हुए दूरगामी परिणाम देने वाली महात्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों की नेता के रूप में उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बनाया। विकसित प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं टेक्नोलोजी का उपयोग करने के लिए देश की वैज्ञानिक मनीषा को बढ़ावा देकर भारत को आधुनिक टेक्नोलाजी और अन्तरिक्ष युग की ओर अग्रसर किया। शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति के उपयेाग की दिशा में भारत का आत्म निर्भर बनाने का स्वप्न इन्दिरा जी की दूरदर्शिता और देश भक्ति का परिचायक माना जायेगा। एक असंगठित और असंतुलित राष्ट्र को उन्होंने अनुशासनबद्ध किया। एक ऐसे राष्ट्र को जो हमेशा परमुखापेक्षी था। धन धान्य और विदेशी मुद्रा के भण्डार से पूरित किया। सबसे ऊपर उन्होंने राष्ट्र को बढ़ाया, चाहे वह देशी व नरेशों के अधिकारों की बात हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। गठबंधन वाले दलों की पराजय हो या बांग्लादेश की मुक्ति हो विजय के बाद भी शिमला समझौता कर और चीन के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर उन्होंने अभूतपूर्व राजनीतिज्ञता का परिचय दिया। जिसके परिणाम स्वरूप इन्दिरा गांधी को हम भारत के उन महान जन नायको की श्रेणी में रख सकते हैं जिनमें चन्द्रगुप्त मौर्य, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य या अकबर जैसे महान जननायक थे। जिन्होंने राष्ट्र को सैनिक सफलताएं ही नहीं प्रदान की बल्कि उसका सर्वतोमुखी उत्थान कर सुदृढ़ता स्थायित्व और सम्पन्नता भी प्रदान की। उनके व्यक्तित्व को इतिहास के पृष्ठों से मिटाया नहीं जा सकता है। हाँ शायद भगवान को यह अच्छा न लगा कि यदि चाँद में दाग है तो श्रीमती गांधी कैसे दागहीन बनी रहे, अतः आपात काल की घोषणा का छोटा सा दाग उनके राजनैतिक जीवन में लग गया।

उनकी हर सांस भारत के लिए थी। उनकी दृष्टि में भारत की अखण्डता और सुरक्षा के लिए वे कोई भी बड़ा से बड़ा बलिदान कर सकती

थीं। और उन्होंने किया भी अपनी जान देकर जब 31 अक्टूबर को उन्हीं के अपने अंगरक्षक ने धर्मान्धता के वशीभूत हो उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। किन्तु वे मरी नहीं आज भी अमर हैं। उस इतिहास के पन्नों में जहाँ भारत की स्वतंत्रता एवं अखण्डता के लिए लड़ने और मरने वाले योद्धाओं के नाम अंकित हैं, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम अंकित है।

सन्दर्भ सूची

सन्दर्भ : अध्याय प्रथम

1. कृण हठि सिंह, इन्दु से प्रधानमंत्री ,1984,पृष्ठ- 16
2. वही पृष्ठ-15
3. वही पृष्ठ-18

   Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 18
4. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.5
5. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ -19
6. नेहरू,जवाहर लाल,मंरी कहानी (हिन्दी अनुवाद) 1985 पृष्ठ-1
7. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ19-29
8. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ-21
9. वही पृष्ठ-22
10. Nehru Jawharlal An Auto biography 1980 p. 5
12. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ
13. वही पृष्ठ-26
14. वही पृष्ठ-22
15. वही पृष्ठ-20-23
16. वही,
17. Nehru j.L. An Auto Bio Graphy 1980 p. 14
18. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,पृष्ठ 20-23
19. Nehru j.L. An Auto Bio Graphy 1980 p. 26
20. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.3
21. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ ,29
22. आंकार शरदा यात्रा अन्तहीन,पृष्ठ-29
23. नेहरू,जवाहर लाल,विश्व इतिहास का झलक,1934,पृष्ठ 1-2
24. वही पृष्ठ-24
25. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ -23
26. वही पृष्ठ-38
27. वही पृष्ठ-42

28. वही पृष्ठ-42

29. इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ,1984,18-19

30. लगातार बडों के साथ गरम राजनैतिक वातावरण मे रहने के कारण इन्दिरा की रूचियाँ इन्दिरा गांधी ,जीवन के कुछ पृष्ठ 1981,पृष्ठ 21

31. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.11

32. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981,पृष्ठ19

33. कृष्णा हठि सिंह इन्दु सं प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ51

34. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ, 1980,पृष्ठ25

35. वही पृष्ठ-26

36. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,-1981पृष्ठ-26

37. वही पेज-27

38. वही पेज-27

39 वही पेज-27

40. D. Davel, Karishna and Commitmont , 1981 p. 20

41. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1980 पेज

42. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.19

43. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,-18

44.(अ) वही,पृष्ठ-22

44.(ब) Krishna hathi singh, We the Neherues

44.(स) R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.23-24

45. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.84

46. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981,पृष्ठ-23

47. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री ,1984-113

48. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-16

49. कृष्णा हठि सिंह से प्रधानमंत्री,1981,पृष्ठ-119

50. Indira Gandhi My truth p. 50 also see Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 41

51. कृष्ण हठिसिंह इन्दु से प्रधानमंत्री,पृष्ठ-118

52. वही पृष्ठ-123

53.(अ) वही पृष्ठ,118-123

53.(ब) Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 42

53.(स) R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.28

54.(अ)

54.(स)

55.

56.

57.

58. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,पेज-53

59.

60. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,58-66

61. Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 54

62. Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 55

63. आंकार शरद यात्रा अन्तहीन,पृष्ठ-67

64. Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 55

65. आंकार शरद यात्रा अन्तहीन,1985-पृष्ठ-72

66. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-86

67. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984-पृष्ठ-180

68. वही पृष्ठ-183

69. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 61

70. कृष्णा हठि सिंह ,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984पृष्ठ-177

71. कृष्णा हठि सिंह ,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984पृष्ठ-192

72. आंकार शरद यात्रा-अन्तहीन 1985पृष्ठ-79

73. कृष्णा हठि सिंह ,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984पृष्ठ-198

74. वही,

75. वही,

78. वही पृष्ठ-200

79. इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ-1981,पेज29

80. वही पृष्ठ-29

81. ओंकार शरद यात्रा अन्तहीन ,1985,पृष्ठ-27

82. वही,

83. ओंकार शरद यात्रा अन्तहीन,पृष्ठ-88

84. Khushwant singh Indira returns 1979 p. 23

84.(अ) Nagar Kuldeep Between the lines 1969 p. 14

85. Ibid

86. Ibid, Page 15

87. Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 80

88. Ibid

89. Ibid, page 81

90. Ibid

91. Ibid

92. Ibid

93. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ-1981,पृ0106

94. Nagar Kuldeep Between the lines 1969 p. 14

95. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 82

96. Khushwant singh Indira returns 1979 p. 23

98. कृष्णा हठि सिंह ,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984पृष्ठ

99. Nagar Kuldeep Between the lines 1969 p. 14

100. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 82

101. Ibed

102. कृष्णा हठि सिंह ,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984पृष्ठ,214

103. Nagar Kuldeep Between the lines 1969 p. 17

104. कृष्णा हठि सिंह ,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984पृष्ठ,214

105. वही

106. वही

107. Nagar Kuldeep Between the lines 1969 p. 18

108. Ibid Page 19

109. Ibid

110. Ibid

111. Ibid

112. Ibid

113. Ibid

114. Ibid page 20

115. Ibid

116. कृष्णा हठि सिंह से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ215

117. वही

118. वही पृष्ठ,215-216

119. Neheru jawaharlal, climpses of world History 1965 p. 3

120. कृष्णा हठि सिंह से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ217

121. वही पृष्ठ-217

122. वही पृष्ठ-217

123.वही पृष्ठ-217

124. वही पृष्ठ-217

125.वहीं पृष्ठ-220

सन्दर्भ : अध्याय द्वितीय

1. (इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ, 1981, पृष्ठ 108)
2. (Singh Khushwant: Indra Gandhi Returns 1977 page 18)
3. (Ibid)
4. (A Decde of Indian Politics 1979,, Page 3)
5. William Wood, as quoted in look Manazine under title a Framk Talk with Powerful women, April 30, 1968
6. Mehta, Asoka : Decade of Indian Politics, 1979 page 31)

7- the years of challenge Publication division Govt. of India 1985 p. 6-7

8. इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ 113

9- Sunder Raju R: Indira Gandhi 1980 page 49

10. Ibid
11. इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ 1981 पृष्ठ 113
12. Mehta, Asoka : Decade of Indian Politics, 1979 page 30)
13. वही पेज नं0 31
14. Elasen Indira Gandhi the first Biography 1973 p. 90
15. Nayar Kuldeep between the lines 1969 p. 84
16. Proceeding of lok sabha march 1st 1966
17. Nayar Kuldeep between the lines 1969 p. 85
18. वही
19. वही

20 Times of India March 28 1966

21. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 23
22. Nayar Kuldeep between the lines 1969 p. 86

23. (अ) देखिए कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 23

23. (ब) Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 42

23(c) Indira Gandhi My truth 1981 p. 118, 120

24. Nayar Kuldeep between the lines 1969 p. 94

25. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1993 p. 94

26. वही पेज नं0 92

27. इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ 1981 पेज 113

28. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 94

29. इन्दिरा गांधी जीवन के कुछ पृष्ठ 1981 पेज 113

30 कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 134

31. वही

32. Elasen Indira Gandhi page 95

33. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-113

34 कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 234

35. वही पेज नं0 240

36. Nayar Kuldeep between the lines 1964 p. 90

37. वही

38. वही पेज नं0 91

39. वही पेज नं0 93

40. वही पेज नं0 95

41. वही पेज नं0 88

42. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 92

43- Nayar Kuldeep between the lines 1969 p. 86

44. Mehta, Asoka : Decade of Indian Politics, 1969 page 32)

45.वही .

46. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-113

47. Nayar Kuldeep between the lines 1979 p. 76-80

48. Marry . carras Indira Gandhi in the crucible of leader ship 1980 page no. 15

49 Hindustan Times New Delhi page 1 Deded 8 -11-66

50 कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 242

51 Elasen Indira Gandhi 1973 p. 95

52 कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 245

53. R. Sunder Raju Indira Gandhi p. 49

54 निर्मोही दीपचन्द्र विश्व की सवार्धिक संघर्षशील महिला 1985 पृष्ठ 20

55. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-114

56. Kapoor Anup Chandra Punjab Crisis 1985 page 86 -124

57 Report of the linguistic provinces commission para 152

58 . Kapoor Anup Chandra Punjab Crisis 1985 page 157

59 Constitutional assembly devates vol. 11 P.P. 320-21

60 Hindu, Madras devided 16th and 20th Dec. 1952

61. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-114

62 वही

63 वही

64 वही

65. Kapoor Anup Chandra Punjab Crisis 1985 page 179

66. वही पेज नं0 181

67. वही पेज नं0 179

68 इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-114

69. Kapoor Anup Chandra Punjab Crisis 1985 page 189

70. इन्दिरा गांधी,जीवन के कुछ पृष्ठ,1981पृष्ठ-115

71. वही

72. वही पृष्ठ-116

73. वही

74. वही पृष्ठ 118

75. Indira Gandhi My truth 1981page.120

76. [illegible] Indira Gandhi the First Biography [illegible] p. [illegible]

77. वही (Ibid)

78. वही (Ibid)

79. V longer the diffrence and foreign policies of India,1988p.179

80 Indira Gandhi my truth, 1981page 120

81. V longer the diffrence and foreign policies of India,1988p.179

82 कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 240 .

83 Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 97 .

84.यही शोध ग्रन्थ पृष्ठ

85. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 97

86 वही (Ibid)

87. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 239

88. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 18

89. Indira Gandhi My truth 1981p. 122

90. Elasen Indira Gandhi the First Biography p. 97

91 Nayar Kuldeep between the lines p. 22

92. वही पेज 95

93. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.50

94 Nayar Kuldeep between the lines p. [illegible]

95. वही पेज 24

96. वही पेज नं0 23

97. वही पेज नं0 23–24

98. As quoled in Nayar Kuldeep between the lines p. 29

99. वही

100. Singh Khushwant Indira Gandhi Returns (1979) page 25

101. वही पेज नं0 24

102. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.50

103 कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 272

104 R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.51

105 Ojha, G.P. Mrs. Gandhi Foreign Policy choice 1982 page 19

106 वही

107. the year of endearvour selected speeches of Indira Gandhi 1983 speech from the red fort Aug. 15 1970 , page 58

108 वही पेज 684

109. कृष्णा हठी सिंह, इन्दु से प्रधानमंत्री 1984 पेज 240

Also See Indira Gandhi Peoples and problems address to all India Congress Commitee Seminar Dated 31-8-1970 Page 40 to 49 .

110 Indira Gandhi Peoples and problems 1982p.p. 50 -55

111. Ojha, G.P. Mrs. Gandhi Foreign Policy choice 1982 page 23

112. V longer the diffrence and foreign policies of India,1988p.179

13. वही पेज 177

114. V longer the diffrence and foreign policies of India,1988p.179

115. Times of India (Deded 11th Oct 1966)

116. Ramakant,Nepal's policy and China in the India quarterly of july -Sept,1971

117. the Genesis of Naga insurgency , S.K. Ghosh inthe Asian defence journal reproduced in the strategic digest March,1979 of the institute for defence study and anylysis,

118. Marry .c. carras - Indira Gandhi in the crucible of leader ship (1986) page 136

119. वही पेज 136

120. वही पेज 136—37

121 वही पेज 137

122 Indira Gandhi My truth (1981)p. 130

123. वही

124 Marry .C. Carras, Indira Gandhi in the crucible of leader ship - 1980 p. 137

125. वही

126. वही

127 . See 11) Zaibi , a. m. the great up heaval 1969-1972

128. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ 273

129. SinghKushwant : Indira Gandhi returns 1979 p. 25

130 वही

131 वही

132 दीपचन्द्र " निर्मोही विश्व की सर्वाधिक संघर्षशील महिला 1985 पृष्ठ 25

133. Elasen Indira Gandhi 1973 p.p. 105-6

134 दीपचन्द्र " निर्मोही विश्व की सर्वाधिक संघर्षशील महिला 1985 पृष्ठ 25

135 ओंकार शरद यात्रा अन्तहीन पृष्ठ 113

139. Singh Khushwant Indira Gandhi Returns 1979 page 25 .

140 वही पेज 26

141. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 106

142 Singh Khushwant Indira Gandhi Returns 1979 page 26

143 Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 115

144. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.51

145 . दीपचन्द्र निमोही विश्व की सर्वाधिक संघर्षशील महिला 1985 पृष्ठ 22,23

146. Hindustan Times Dated 20-7-88

147. Hindustan Times Dated 17-7-88

148. Indira Gandhi My truth 1981 p. 133

149. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 109-10

See (I) Marry C. Carras Indira Gandhi in the Crucible of Leader Ship p. 141

(2) रागिनी मित्रा कहानी प्रियदर्शनी की1984 पृष्ठ 53

150. Indira Gandhi the years of Challenge 1985 page 127 Broadeast from all India Radio July 1969 .

151. Proceedings of rajya Sabha Dated August 7.

152. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 111

153 वही पेज नं0 111, 112

154 Indian . Independence Act of 1947

155. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 112

156 वही

157. Indira Gandhi My truth 1981 p. 147

158 वही

159. कृष्णा हठि सिंह,इन्दु से प्रधानमंत्री,1984,पृष्ठ

160. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 114

161. Indira Gandhi My truth 1981 1981 p. 148

162. Zaide, A.M. Promise To keep 1986 p.p. 80-79

163. Indira Gandhi My truth 1981 p. 148

164. R. Sunder Raju Indira Gandhi A Short Biography 1980 p.51

165 Carras , C, Marry Indira Gandhi in the Crucible of Leadership 1980 page 144.

166. Elasen Indira Gandhi the First Biography 1973 p. 117

सन्दर्भ : अध्याय तृतीय

1- Hindustan Times : Dated 2nd March 1971

2 - Mahan KTJ : Independence to India after 1977 Page 71

3- Elasen : Indira Gandhi ; the First Biography 1973 Page 121

5- Elasen : Indira Gandhi The First biography 1973 Page 122

6- Longer V.I. the defence & Foreign Policies of India 1988 Page 1994.

9- Ojha, G.P. Mrs, Indira Gandhi 's Foreign Policy Choice 1982 Page 33.

10- Quoted in Longer the defence foreign policies of India's 1988 Page 195, Choudary G.B. the last days of united pakistan a personal Account in International after London , April 19.

11. दीप चन्द्र निमोही, विश्व की सर्वाधिक संघर्ष शील महिला 1988

Also See,

Longer, V The Defence Foreign Policies of India, 1988 Page 195

12- Quoted in Longer V. the defence and foreign polecies of India, 1980 page 196

17- Bangla Desh Documents Vol. 11 Publication dieriseion, Govt. of India New Delhi P.P. 254295.

18- Longer, V. Defence and foreign policies of India, Page 198

19- Bangla Desh Documents Publications division Govt. of India New Delhi P.P. 294-95 (II) Organiser (25) August 14, 1971.

Article by bal raj Madhok - Battle of Bangla Desh in Battle against two nations theorty p.p. 1-12

20- New states man Nov. 26, 1971

Article - why Indira is risking a war .

21- Times of India , Oct. 13,1971

29- Longer V. the Defence and Forcing Policies India 1988 , page 199.

30- Quoted in Bangla Desh Documents, Vol. 11 Letters from the Govt. of Bangla Desh to the prime minister of India Oct. 15 and Nov. 23 , 1971 Publication Divi-

sion Govt. of India p.p. 58-86.

31- Ojha G.P. - Mrs. Gandhi's Foreign policy 1982 p. 37-38.

36- The Times of India Dec. 7, 1987 Page1 see, Also : India's Recognitior policy to Worlds now nation's coriental publisher delhi 1972.

38- The Times of India 17 Dec. 1971.

41- Mahan K.T.J. indipendence to Indira and after 1981 P.P. 74-75

43- Rc. Cooper vs union of India A/R Sec. 1970 Page 564.

44- Sood p. Re-emergence of Indira Gandhi Page 37.

46- Jawahar lal nehru ji speeches 1949 new delhi 1954 : 493 .

47. देखिये इसी शोध ग्रन्थ का दूसरा अध्याय

48- the Hindu : 16 Feb ,1970 -

53 - The Hindu , 29 July 1971

54- Sood P. Re- emergence of Indira Gandhi, (1981 page 37)

56- Indian Lok Shabha debates Nov. 1971 col 222.

57- same page Dec. 1 1972 col 339

58- Sood P. Re-emergance of Indira Gandhi (1981) page 38

60- Indian Lok Sabha Debates Nov. 30 1971 col. 226

61- Sood P. Re-emergance of Indira Gandhi 198 page 38

63. See, 1973 p.p. 390 para 407 ½ 392, para 413, p.437 para 590 p. 395, p. 461 para 406, p.p. 464 ,65 para 1210p.p. 645-60 para 1172 -1201 p822 para 1535 p. 56 and p. 102.

64- Lal Jagdesh the constitution of India 1980 Page 24.

66- Sood P. Re-emergance of Indira Gandhi 1981 p. 67

67- Ibid 67. and also see Gazette of Idia (Extra) Ordnary part 112 9 Aug. 1971

69- the Year of endeavour Publication Dv. New Delhi 1975p. 61

70- Sood P. re-emergence of Indira Gandhi 1981 page 67.

71- Ibid p. 69

93- Hindustan Times Dec. 1973

99- Kastogi Dr. Satish Kumar the Congress Crucible 1980 p.p. 286-287

101 Mahan KTJ Independence to Indira and After 1977 p. 75

Sood p. Re-emargence of Indira gandhi 1981 p. 73

108- Mahan KTJ Independence to Indira and After 1977 page 75.

110- Sood p. Re-emergence of Indira Gandhi 1981 p- 73

111- Mahan KTJ Independence to Indira and After 1977 page 75-76

114- Ibid Page p. 76-77

115- Ibid Page p. 77

116- Ibid Page p. 79

118- Mahan KTJ Independence to Indira and After page 78-79

121 - See Kushwant singh Indira returns p.43 Mahan KTJ Independence to Indira and After page 79

सन्दर्भ : अध्याय चतुर्थ

1- Basu D.D. commentrg on the consitution of India Act. 352,642

2- Hindustan Times New Delhi dated 26 June 1975 P.I.

3- Vasant Nargolker : J.P. Vindicated 1978 p.p.12-13

4- same Page 12

5- Same Page13

6- Raj P.P. 80-87 Narsinghhan , V.K. Democracy redemed 1977 P.1

7- same Page 1

8- Narsimhan V.K. democracy redeemed (1977) p. 3

9- Sood P. Re- Emergence of Indira Gandhi 1981 p. 74

10- Narsimhan V.K. democracy redeemed (1977) p. 3

11- Same page no. 3

12- same Page No. 3

13- Nagpur Times , 11 April 1974

14- The Statement , 10 Apirl 1974

15- Sood P. re- Emergence of Indira Gandhi 1981 P. 77

16- Same Page 78

17- Narsimhan V.K. democracy redeemed (1977) p. 3 - 4

18- Indian Express New Delhi Dated 7th March 1995

19- Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi

20- a) Narsimhan V.K. democracy redeemed (1977) p. 7

21- Same Page 79

22- Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Gandhi Raj 1978 p. 80

23- Same Page No. 80-89

24- Sood P. re- Emergence of Indira Gandhi 1981 P. 86

25- Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Raj 1978 p. 10

26- Same Page 157

27- Nargolkar Vasant s.p. Vindicated 1978 p. 46

28- Nayar Kuldeep Sudment 1977 p. 12

29- Sood P. re- Emergence of Indira Gandhi 1981 P. 19

30- Nayar Kuldeep Sudment 1977 p. 21

31- Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Raj 1978 p. 104

32- शाह आयोग रिपोर्ट पृष्ठ 1 (विज्ञापन ओर दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित)

33. वही पृष्ठ

34. वही पृष्ठ

35. Nayar Kuldeep Judment 1977 p. 30

36. मित्रा, रागिनी कहानी प्रियदर्शनी की 1981 पृष्ठ 86

37. Nayar Kuldeep Judment 1977 p. 4

38. Nayar Kuldeep Judment 1977 p. 6

39. वही पेज 5

40. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi and after 1977 p. 85

41. वही पेज 86

42. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi and After 1977 p.6

43. Basu D.D. Commentry on indira constitution Act,88 p.p682-87

44. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi and After 1977 p.87

45. वही पेज 87

46. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi and After 1977 p.87

47. Nayar Kuldeep Judment 1977 p. 40

48. वही पेज 44

57. खुशवन्त सिंह इन्दिरा गांधी रिटर्न पृष्ठ 74 नवम्बर 1975 मे सर्वोच्च न्यायलय मे श्री मती गांधी को उन सभी अभियोगो से जिनका सम्बन्ध उनके द्वारा अपने चुनाव मे भ्रष्ट साधनों के प्रयोग से था। और जिसके लिए उच्चन्यायलय ने उन्हे दोषी पाया था। पुर्ण मुक्त कर दिया था।

58. Times of India January 1976 sood P. reemergence of Indira Gandhi 1981p.10

59. शाहयोग रिवोर्ट पृष्ठ 33-34 विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय द्वारा प्रकाशित।

60. शाहयोग रिवोर्ट पृष्ठ 36 विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय द्वारा प्रकाशित।

61- शाहयोग रिवोर्ट पृष्ठ विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय द्वारा नई दिल्ली ।

62.राष्ट्र के नाम सन्देश आकाश वाणी,जुलाई 1975

63. डा0 धीरेन्द्र तिवारी इन्दिरा गांधी का भारतीय राजनिति मे योगदान 1984पृष्ठ-245

64. श्री मती इन्दिरा गांधी 15 नवम्बर 1975 को इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की साधारण सभा मे दिये गये भाषण का एक अंश।

65. मित्रा रागिनी काहानी प्रियदर्शनी की पृष्ठ 117 -119 में दिये गये आंकणों के आधार पर तैयार किया गया चार्ट।

83. Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Raj 1978 p. 199

84. Thakur Janarden Indira Gandhi her power game 1979 p. 74

85.

86. Khuswant singh Indira Gandhi returns p. 77, Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Raj 1978 p. 202-203

87. Khuswant singh Indira Gandhi returns p. 77

88. Narsinghhan , V.K. Democracy redemed 1977 P.59

89. a) Same Page No. 60

89.b) See Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Raj 1978 p. 219

90. Ghose , S.K. the Crusade and End of Indira Raj 1978 p. 202

91. Narsinghhan , V.K. Democracy redemed 1977 P.60

92. कमलापति त्रिपाठी स्वतंत्रता आन्दोलन और उसके बाद 1988 पृष्ठ 26

93. वही पृष्ठ 265

94. वही पृष्ठ 266

95. Narsinghhan , V.K. Democracy redemed 1977 P.61

96. वही पेज 81

सन्दर्भ : अध्याय पंचम

1. Indian express New Delhi, 19th Jan1977

2. See Nayar Kuldeep the judgement,page160

3. As quoted in sood P the Re-emergency of Mrs Gandhi article in le figare, 1981Page No.99-100

4. The yime of India 19th January 1977

5. Indian express New Delhi 19-1977 Time of India 20-11-1977 Amirit Bazar partika Calcutta 20-1-1977

6. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira and after P.10

7. वही पेज 100-101

8. वही पेज 101

9. वही पेज 101,102

10. वही पेज 102

11. वही पेज 104

12. वही पेज 105

13. वही पेज 105

14. वही पेज 105

15. Nayar Kuldeep the judgement,page155

16. वही पेज 155

17. वही पेज 157

18. वही पेज 157

19. Darbora singh Indian politics (1978) page No.96

20. Nayar Kuldeep the judgement,page No.156

21. Kalhan promila black wednesday (1977) page No.59

22.(A)M. Tully &Z.Masani raj to rajev p.123

23.(B) Nayar Kuldeep the judgement,page No.116

M. Tully &Z.Masani raj to rajev p.123

24. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi (1981) P.100

25. गुर्ट अरविन्द इन्दिरा गांधी पुर्नमुल्यांकन (1985 पृ02)

26.वही पेज

27. वही पेज 1-2

28.Hindustan Times Jan 20,1977

29. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi P.103

30. Khuswant singh Indira Gandhi returns(1979) p.97

31. वही पेज97

32. ZoidiA.M. the encyclopocdia of India National Congress Vol. 24(1984) P.P359-362

33. वही पेज 363

33. वही पेज 361

34. वही पेज 361

36. वही पेज 361

37. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi and After p.111

38. वही पेज 112

39. देखिये इन्दिरा गांधी का चुनाव भाषण रायबरेली जनवरी

40. Mohan K.T.J. Indipendence to Indira Gandhi and After p.112

41. वही पेज 112

42. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi P.103-104

43.वही पेज 105,106

44. Socialist India NO. 2 Feb-5

45. वही

46. Rastogi Dr. Satish kumar (1980) the congress crucible P.293

47. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi P.114

48. Rastogi Dr. Satish kumar (1980) the congress crucible P.408

49. the new priminster quoted in the illustrated weekly of India April 3-9,p.7

50. Winston churchill as quoted in Khuswant singh Indira returns p.98

51. अरविन्द गुटूँ- इन्दिरा गांधी पुर्नमूल्यांकन पृ013

52. वही पेज 14

53. वही पेज 15

54. वही पेज 15

55. वे चुनाव मे जनता द्वारा चून लिए गये थे।

56. quoted in Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi (1981)p.106

57. See ZoidiA.M. the encyclopoedia of India National Congress Vol. 24(1984) P.P109-112

58. Nayar Kuldeep between the lines 1977p.185

59. वही पेज 185

60. देखिए अध्याय चार पृष्ठ

61. M. Tully &Z.Masani raj to rajev1988 p.124

62. देखिए पिछला अध्याय प्रस्तुत शोध ग्रन्थ

63.Khuswant singh Indira Gandhi returnsp.98

64. Tully &Z.Masani raj to rajev1988 p.p122-123

65. वही पेज 123

66. Kalhan promila black wednesday (1977) page No.54

67. वही पेज 53

68. Kalhan promila black wednesday (1977) page No.53

69. वही पेज 53

70. त्रिपाठी कमला पति स्वतन्त्रता आन्दोलन और उसके बाद 1988पृष्ठ 266

71.(अ) वही पेज 266

71.(ब) वही पेज 267

72. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game p.34

73. Tully &Z.Masani raj to rajev1988 p.p125-126

74. " Statement brodeast to Nation over A.I.R. New Delhi March 22,1977

75. Indira Gandhi selected speech and writing vol. 111 Pub-division ministery of information and broadcasting Govt. of India

76. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game p.5

77. See ZoidiA.M. the encyclopocdia of India National Congress Vol twenty two (1984) cwe meeting 22-3-77 p.242

78.वही पेज 242-243

79. Nayar Kuldeep between the lines 1977p.180,183

80. See ZoidiA.M. the encyclopocdia of India National Congress Vol.24 cwe meeting124-77(afternoon) p.p244-245

81. वही पेज 244

82. वही पेज 245

83. वही cwe meeting13-4-77,p.251

84. वही cwe meeting14-4-77,p.258

85. वही cwe meeting14-4-77,p.259

86. See Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game p.p7-15

129. Khuswant singh Indira Gandhi returns pageNo.22

130. वही126 श्री ब्रम्हानन्दरेड्डी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे एंव वाई0पी0 चौहान संसद मे विरोधी दल के नेता।

131. वही An interview with Mrs. Indira Gandhi

132. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game p.59

133. वही पेज 35

134. वही पेज 59

135. वही पेज 56

136. ZoidiA.M. the encyclopocdia of India National Congress Vol

137. वही पेज 28

138. वही पेज 33

139. वही पेज 33-34

140. वही पेज 33-34
141. वही पेज 37
142. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game 1979p.64
143. Singh Khuswant Indira Gandhi returns 1979p.129
144. वही पेज 130
145. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game 1979p.p65-66
146. Singh Khuswant Indira Gandhi returns 1979p.129
147. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game 1979p.75
148. वही पेज
149. गुर्टू अरविन्द इन्दिरा गांधी पुर्नमूल्यांकन पृ0131
150. वही पेज
151. वही पेज
152. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game p.80
153. वही पेज 81
154. गुर्टू अरविन्द इन्दिरा गांधी पुर्नमूल्यांकन पृ0134
155. वही
156. वही
157. वही पृष्ठ134-135
158. वही पृष्ठ 135
159. वही पृष्ठ 136
160. वही पृष्ठ 138
161. वही पृष्ठ 139
162. वही पृष्ठ 146
163. Hundustan Times New Delhi Deded 10Nov1978
164. गुर्टू अरविन्द इन्दिरा गांधी पुर्नमूल्यांकन पृ0148

सन्दर्भ : अध्याय पष्ठ

1. Murthi V.K. politics of survival 1979 P.1
2. वही पेज नं02
3. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.110-111
4. अरविन्द गुर्टू- इन्दिरा गांधी पुर्नमूल्यांकन1985पृ0213
5. Murthi V.K. politics of survival 1979 P.11
6. वही पेज 11
7. देखे इसी शोध ग्रन्थ के प्रथम अध्याय मे पृष्ठ
8. देखे इसी शोध अध्याय4
9. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.113
10. वही पेज 113
11. वही पेज 113
12. JanardanThakur Indira Gandhi and her power game1979 p.113
13. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi (1981)p.121
14. Murthi V.K. politics of survival 1979 P.11
15. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.115
16. वही पेज 116
17. विलट्स,5अगस्त1970 और देखिये
18. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.1156
19. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.11
20. वही
21. Hindustan Times New Delhi July1,1978
22. Current Dec 1979
23. वही
24. दीपचन्द्र निमोही विश्व की सर्वाधिक संघर्षशील महिला 1985 पृष्ठ 86
25. अरविन्द गुर्टू- इन्दिरा गांधी पुर्नमूल्यांकन1985पृ0205
26. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi (1981)p.142

28. Sood P. the Re-emergency toIndira Gandhi (1981)p.143

29. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.113

30. Times of India March 28 ,1979

32. Murthi V.K. politics of survival 1979 P.202

32. Surya New Delhi March 1979

33. वही जून1979

34. वही पेज 126

36. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.135

37. वही पेज 132

38. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.135

39. Hindustan Times 14thJan -89

40.The staleman 4July 1979

41. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.137

42. वही पेज 138

43. Hundustan Times New Delhi Deded 10July 1979

44. वही

45. The staleman 4July 1979

46. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.141

47. वही पेज 141

48.वही पेज 141

49. वही पेज 141

50. Hindustan Times July 14,1979

51. वही पेज 144

52. Thakur Janardan Indira Gandhi and her power game1979 p.135

53. Came 1979 p.135

54. वही

55. See opration Punjab 176

56. विल्टज 18 जून 1984

सन्दर्भ : अध्याय सप्तम

1. इन्दिरा गांधीः महत्वपूर्ण भाषण पृष्ठ 20
2. इन्दिरा गांधीः राष्ट्रीय काँग्रेस 74 वाँ खुला अधिवेशन के भाषण का अंश
3. काशी नाथ जोशीः नई क्रान्ति की सुभाधार इन्दिरा गांधी पृष्ठ 25
4. Zail singh Foreward Indira Gandhi A political biography p.7-8
5. Nehru A study in colonial Lberalism p. 76
6. Trevor direberg Indira Gandhi A profile in courage p.7
8. The National culture of India Asia p.7
9. D.E smith:India as secular state p. 4
10. The radical humanist May 14,1950
11. Ganesh prasad : Nehru: A study in colonial liberalism p.61
12. Indira Gandhi years of challenge p.6
13. Indira Gandhi years of endavour p.14
14. Indira Gandhi -An adress delivered a part louis mauritius ,10 oct,1976
15. Jawhar Lal Nehru a speech at the constituent assembly New Delhi Feb. 17,1948
16. इन्दिरा गांधी 26जनवरी,1966 आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम सन्देश से उदघृत।
17. इन्दिरा गांधी 25जुलाई 1966 को योजना आयोग की बैठक मे दिये गये भाषण का अंश।
18. इन्दिरा गांधी 23फरवरी 1978 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के उत्तर से उदघृत।
19. इन्दिरा गांधी 19 जुलाई 1969 को आकाश वाणी के प्रयास से उदघृत एक अंश।
20. K.A. Abbas:that woman p.53
21. K.R. pure New dimensions in baking p.123
22. 10फरवरी 1969को आन्ध्रप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तिरुपति के दीक्षांत समारोह का भाषण।
23. Indira Gandhi years of challenge p.173
24. Indira Gandhi India p.43
25. Indira Gandhi years of endavour p.462
26. Indira Gandhi the Times of India Sept.6,1976
27. Indira Gandhi years of endavour p.465

28. Mariane kohler the secret of relaseation p.85

29. Indira Gandhi years of endavour p.183

30. Indira Gandhi India p.147

31. Indira Gandhi consolidating Nattional cians p.170

32. Indira Gandhi consolidating Nattional cians p.49

33. Indira Gandhi years of endavour p.515

34. Indira Gandhi India p.84

35. डाँ0 कृष्णा कुदेसियाःविश्व राजनिति मे भारत पृष्ठ 23

36. पैडल फोर्ड तथा लिंकनःइण्टरनेशनल पालिटिक्स पृष्ठ 308

37. हरिदत्त वेदालकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पृष्ठ 420

38. विद्याधर महाजन इण्टरनेशनल पालिटिक्स सिन्स1900पृष्ठ 144

39. इन्दिरा गांधी इण्डिया पृष्ठ 206

40. इन्दिरा गाँधी इयर्श आफ चैलेन्ज पृष्ठ 326

41. इन्दिरा गाँधी 31 मार्च 1966 को न्यूयार्क में एशिया सोसाइटी में भाषण

42. डा. दीनानाथ वर्मा भारत और विश्व राजनीति पृष्ठ 400

43. डी.एन.वर्मा भारत और विश्व राजनीति में पृष्ठ 210

44. डा. कृष्णा कुदेशिया विश्व राजनीति में भारत पृष्ठ 292

45. कीथ कैलार्ड पाकिस्तान फारेन पालिसी पृष्ठ 36

46. प्रो0 आर0 सी0 अग्रवाल भारत की विदेश नीति पृष्ठ 108

47. शम्भुदयाल गुरू विश्व राजनीति में भारत पृष्ठ 15